राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 11] तेरहवीं विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का चौथा दिवस [संख्या : 3

गुरुवार,

29 अगस्त, 2013

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्रीमती निर्मला।

नलका ग्राम (बारां) में पुराने नक्शे के आधार पर भूमि की पैमाइश

35. **श्रीमती निर्मला** (किशनगंज): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बारां जिले की तहसील बारां के ग्राम नलका की भूमि के नये खसरा नम्बर 374, 343 एवं 344 में कितने-कितने हैक्टेयर भूमि अवस्थित है एवं किस-किस खातेदार के नाम दर्ज है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त खसरा नम्बरों की भूमि किस स्थान पर स्थित है? पुराने नक्शे के आधार पर भू-प्रबंध विभाग द्वारा की गई पैमाइश रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी): (1) बारां जिले की तहसील बारां के ग्राम नलका में जमाबंदी संवत् 2067-70 के अनुसार खाता संख्या 244 में खसरा नम्बर 374, रकबा 1.29 हैक्टेयर, किस्म गैर मुमकिन सड़क पी.डब्ल्यू.डी. के खाते दर्ज है तथा खसरा नम्बर 374/1, रकबा 0.25 हैक्टेयर, श्री विष्णु पुत्र श्री देवीलाल, जाति-कोली, निवासी-मेहरों का मोहल्ला, बारां के नाम तथा खसरा नम्बर 343, रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर-344, रकबा 0.89 हैक्टेयर भूमि नगरपालिका, बारां के खाते दर्ज है। जमाबंदी की नकल परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) मुताबिक नक्शा लठ्ठा ग्राम नलका के अनुसार उक्त खसरा नम्बर 374/1, रकबा 0.25 हैक्टेयर कोटा-बारां मुख्य राज्य सड़क (राजीव पथ)

(श्री हेमाराम चौधरी)

पर एवं खसरा नम्बर-374 का शेष रकबा 1.29 हैक्टेयर कोटा-बारां मुख्य सड़क के रूप में स्थित है। इसके समीप उत्तर दिशा पर खसरा नम्बर-343 व खसरा नम्बर-344 स्थित है। भू-प्रबंध विभाग द्वारा पैमाइश कर तैयार किए गए नक्शे की प्रति परिशिष्ट- 'ब' पर संलग्न है।

(नकल व प्रति पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्रीमती निर्मला (किशनगंज): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री सूरजभान धानका।

लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में बाइपास रोड का निर्माण

36. **श्री सूरजभान धानका** (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में लगने वाले जाम से निजात दिलाने हेतु बाइपास रोड बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री भरत सिंह कुन्दनपुर): जी नहीं। लक्ष्मणगढ़ कस्बे से दो गुजरने वाले स्टेट हाई-वे महुवा-मण्डावर-गढ़ीसवाईराम-लक्ष्मणगढ़-जालूकी-गोविन्दगढ़ (एस.एच.-35) तथा नटनी का बारां-मालाखेड़ा-लक्ष्मणगढ़-कठूमर (एस.एच.-44) के कारण कभी-कभी यातायात को असुविधा रहती है। भविष्य में लक्ष्मणगढ़ कस्बे में बाइपास का निर्माण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, लक्ष्मणगढ़ में आये दिन जाम लगे रहते हैं। हम वहां पर जाते है न, हमें पता है। रक्षाबंधन के दिन भी तीन घंटे जाम रहा। उस न्यूज की कटिंग्स मेरे पास हैं। आये-दिन जाम लगा रहता है। बहुत कंजस्टेट एरिया है। बाजार पर अतिक्रमण कर रखा है। तो वहां पर बहुत ही जरूरी है। यह गलत रिपोर्ट है कि वहां पर आवश्यकता नहीं है। आप ये जो रोड्स बता रहे हैं, ये बहुत ही दूर-दूर से गुजर रही हैं, मैं लक्ष्मणगढ़ कस्बे की बात कर रहा हूं।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो उत्तर दिया है, उसमें कहा है कि कभी-कभी यातायात में असुविधा रहती है। तो आपने जब राखी का बताया कि असुविधा रही, उसका मैंने उल्लेख किया है। मैंने स्वयं इस सड़क का, दो बार इस सड़क का मैंने

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

अवलोकन किया है और यह सही है कि इस सड़क में, जैसा कि बताया कि दो स्टेट हाइवे, स्टेट हाइवे-35 और स्टेट हाइवे-44 ये दोनों निकलते हैं, डेढ़ किलोमीटर जो लक्ष्मणगढ़ कस्बा है, उसमें दोनों स्टेट हाइवे के निकलने की वजह से रास्ते में ट्रैफिक बढ़ जाता है। इसका यह आपके क्वेश्चन के माध्यम से ही पहली बार आपने इस ओर मेरा ध्यान दिलवाया है। पूरे प्रदेश में अनेक कस्बे इस प्रकार के हैं, लक्ष्मणगढ़ जैसे ही, जिनमें यातायात में दुकानें होने की वजह से, रास्ता सकड़ा होने की वजह से, ट्रैफिक अवरुद्ध होता है।

आपने जब यह प्रश्न किया तो मैंने इसके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की और जैसा कि मैंने आपको कहा कि डेढ़ किलोमीटर लक्ष्मणगढ़ कस्बे में से होकर निकलता है, इसमें 800 मीटर लम्बाई में सड़क की चौड़ाई सात मीटर है तथा 700 मीटर लम्बाई में, लक्ष्मणगढ़ में, चौड़ाई साढ़े पांच मीटर है। मैंने यह जो साढ़े पांच मीटर की जो सड़क है, आपके प्रश्न के बाद उसका अवलोकन करवाया और इस 700 मीटर में से 600 मीटर इस प्रकार की है जिसको हम सात मीटर चौड़ाई कर सकते हैं और मैंने मेरे विभाग को आदेश दिया है कि उसको छह सौ मीटर में करें ताकि वह सड़क आपको, उसको थोड़ी बहुत राहत मिलेगी।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर): बाइपास ही बनवा दो।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं कि यह रक्षाबंधन का तो तीन घंटे का ही जाम बता रहा हूं, बाकी आम दिन भी हम जाते हैं तो आधा-आधा घंटे, पौन-पौन घंटे हमको इंतजार करना पड़ता है। यह जो बता रहे हैं, ये रोड्स जो बाहर से जा रही हैं, ये 15-15 किलोमीटर, 16-16 किलोमीटर दूर से जा रही हैं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न क्या है?

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): बाइपास लक्ष्मणगढ़ का।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न क्या पूछ रहे हैं आप?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसमें मूल समस्या यह आ रही है कि ये माननीय सदस्य पूछ रहे हैं, ट्रैफिक जाम के बारे में और माननीय भरत सिंहजी समझ रहे हैं, कौन से जाम के बारे में समझ रहे हो? कभी-कभी जाम लगता है।

श्री अध्यक्ष: ये आप वाले जाम की ही सोच रहे हैं।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बाइपास के बारे में प्रश्न किया है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपको सारे जाम की जानकारी है क्या?

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, नहीं, मैं इनको उनके ही जाम की बता रहा हूं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बिलकुल है, भरतसिंहजी। (व्यवधान)

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सदस्य का बाइपास निर्माण का प्रश्न है, मैंने इसका उत्तर दिया है कि सरकार के संसाधनों पर निर्भर करेगा और मैंने इनको रिलीफ देने के लिए, जहां पर साढ़े पांच मीटर चौड़ाई की सड़क है उसको सात मीटर करने के लिए, छह सौ मीटर में उसके लिए; इससे ज्यादा तो, मेरे ख्याल से, आपको इसमें रिलीफ इस प्रश्न के माध्यम से अगर दी गई है तो यह बहुत है, मैं समझता हूं।

दूसरा, आपने जो पूछा है, इसमें साढ़े दस किलोमीटर का बाइपास बनवाना पड़ेगा और इस पर जो राशि खर्च होगी, वह 23 करोड़ रुपए खर्च होगी और उसमें किसानों की काफी भूमि भी अवाप्त करनी पड़ेगी। तो उसके ऊपर आगे जैसे ही व्यवस्था बैठेगी, हम देखेंगे इसको।

श्री अध्यक्ष: श्री ओम बिरला।

प्रदेश की विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा क्रय किये गये मीटरों की जांच

37. **श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश की विद्युत वितरण कम्पनियों में थ्री फेज एवं सिंगल फेज के मीटर खरीदने के प्रकरण की जांच विचाराधीन है? यदि हां, तो किस स्तर पर कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान में जांच हेतु भेजे गये सैम्पल मीटरों के जलने व क्षतिग्रस्त होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है? यदि हां, तो कब? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार घटिया क्वालिटी के मीटर खरीदने के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

ऊर्जा मंत्री (डा. जितेन्द्र सिंह): (1) जी हां। यह सही है कि प्रदेश की विद्युत वितरण कम्पनियों में थ्री फेज एवं सिंगल फेज के मीटर खरीदने के प्रकरण की जांच विचाराधीन है। दिनांक 22.07.2013 को निम्नलिखित अधिकारियों की एक जांच कमेटी बनाई गई है:-

1. श्री रघुवीर सैनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता);
2. श्री राजीव चौधरी, अधिशासी अभियंता (एम एण्ड पी), जयपुर डिस्काम, जयपुर;
3. श्री गोपाल चतुर्वेदी, अधिशासी अभियंता (पदार्थ प्रबंध) अजमेर डिस्काम, अजमेर; एवं
4. श्री आर.एस. बिड़ियासर, अधिशासी अभियंता (मानिटरिंग), जोधपुर डिस्काम, जोधपुर।

(2) दिनांक 28.5.2013 एवं 25.6.2013 को केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान में जांच को भेजे गये बिजली के सैम्पल मीटर जले होने व क्षतिग्रस्त होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिनकी प्रतियां परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध हैं।

(3) घटिया क्वालिटी के मीटर खरीदने का कोई प्रकरण वर्तमान में सामने नहीं आया है। अत: कार्यवाही का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि इन मीटरों को जो करीबन 300 करोड़ रुपए के थे, इन 300 करोड़ रुपए के मीटर खरीदने में कब टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई? कब टेंडर खुले? कब उन्होंने यहां पर जमा करवाएं? और जमा करवाने के बाद कब सी.पी.आर.आई. भोपाल और बैंगलोर में जांच के लिए गए? और उस जांच के अन्दर क्या मीटर यहां पर जले हुए थे या सप्लायर ने जले हुए ही दिए थे? जले हुए वहां पर गए तो कैसे गए? टेम्पर हुए तो कैसे हुए? इस सारे प्रकरण के अन्दर जो कुछ भी आपके पास विस्तृत जानकारी है, वह आप एक बार बता दें। फिर मैं आपसे क्रास-क्वेश्चन पूछ लूंगा। तीन क्रास-क्वेश्चन पूछ लिए आपसे।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, निगम द्वारा 10.6.2013 को सी.पी.आर.आई. में मीटर के जांच के नमूने भेजे गए थे; 24.6.2013 को सी.पी.आर.आई. से जांच हुई; 25.6.2013 को सी.पी.आर.आई. से एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ नमूने के मीटर जले हुए हैं, 28.5.13 को। माननीय अध्यक्ष महोदय, सी.पी.आर.आई. की सूचना सी.एल.पी.सी. में प्रस्तुत

(डा. जितेन्द्र सिंह)

की गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 19.7.13 को फर्म के दूसरे नमूने लेने का उनसे कहा गया। 22.7.13 को जांच कमेटी गठित की गयी और जांच कमेटी में यह पाया गया कि टेम्परिंग मीटर से हुआ है और उसमें जो सम्बन्धित वहां अधिकारी और कर्मचारी थे, उनमें से एक जे.ईएन. जो इस सारे फंक्शन से रिलेटेड थे, एक जे.ईएन. और एक यू.डी.सी. को सस्पेंड किया गया, क्योंकि जो सील मीटर पर लगती थी, वह इन दोनों के माध्यम से ही लगती थी। जो प्रारम्भिक जांच थी, उसमें ये दोनों दोषी पाये गये। नम्बर दो, वहां जो ए.ईएन. है, उसको ए.पी.ओ. कर दिया गया है और जो सीनियर आफिसर्स थे, उनको चार्जशीटेड किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो टेण्डर की प्रक्रिया थी, उसको निरस्त कर दिया गया और उसके अन्दर किसी भी प्रकार की पर्चेज नहीं हुई। इसलिये सरकार को कोई भी फाइनेंशल लास नहीं हुआ है, क्योंकि टेण्डर निरस्त कर दिये गये थे।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय यह बतायें कि ये जो मीटर थे, वे मीटर उस कम्पनी ने दिये थे। क्या इस कम्पनी ने जो मीटर जमा कराये, वहां टेम्पर किये गये, वहां जलाये गये या वहां छेड़खानी की गयी और छेड़खानी करके वहां भेजे गये? या कम्पनी को सप्लायर ने मीटर जले हुए, खराब मीटर दिये थे? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अभी का मामला नहीं है। माननीय मंत्री महोदय बता दें कि 2009 से लेकर अभी तक जितने मीटर खरीदे गये, उसमें से कितने मीटर खराब हुए? इन प्रश्न का जवाब दें।

इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय यह बता दें कि किस तरीके से, इस पूरे सिस्टम के अन्दर मीटर खराब कौन कर रहा है? अभी इनकी जांच रिपोर्ट के अन्दर इन्होंने कहा, जे.ईएन. को सस्पेंड कर दिया, ए.ईएन. को ए.पी.ओ. कर दिया, पूरे सिस्टम के अन्दर नीचे से ऊपर तक अगर किसी की मिलीभगत नहीं हो, तो एक जे.ईएन., एक बाबू किसी तरीके से इतनी बड़ी कार्यवाही नहीं कर सकते। 300 करोड़ के टेण्डर में, इस तरीके से सरकार के अन्दर पिछली बार इनकी रिपोर्ट थी जिसमें 30 परसेंट मीटर खराब पाये गये थे और जिसका आम उपभोक्ताओं को... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब देने दें, भाषण नहीं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भाषण नहीं दे रहा। आम उपभोक्ता गांव में जब जाता था और मीटर खराब होने की बात कहता था तो सरकार कहती थी, मीटर खराब नहीं हो सकते। अब इतने सारे सिस्टम के अन्दर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: उत्तर आने दीजिये, भाषण नहीं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब दे दें माननीय मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं, बैठिये आप।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा साउथ से आने वाले हमारे जो माननीय जन-प्रतिनिधि हैं...

श्री अध्यक्ष: दोनों ही विद्वान हो, आप तो प्रश्न का जवाब दे दो।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वह जो एक परसेंटेज बता रहे हैं, वह परसेंटेज बता रहे हैं कि कितने प्रतिशत मीटर खराब थे, आप बता रहे हैं, 30 प्रतिशत खराब थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास पूरा रिकार्ड है, 2014 में जयपुर डिस्काम में 5.60 ....(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : 2014 तो अभी आया ही नहीं है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 2014 में यह रहेंगे कि नहीं रहेंगे, 2014 तो आया ही नहीं अभी।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): 2014 तो आया ही नहीं है।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2013-14 की बात कर रहा हूं मैं 2012-13 से बता देता हूं, 2012-13 में जयपुर डिस्काम में 5.16 परसेंट मीटर डिफेक्टिव पाये गये और नम्बर दो, अजमेर डिस्काम में 7.79 परसेंट पाये गये और जोधपुर डिस्काम में 6.19 परसेंट मीटर खराब पाये गये। इस प्रकार, तीनों डिस्काम का एवरेज 6.74 था। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां 8 लाख कंज्यूमर हैं, वहां यह स्टैंडर्ड है, इतना तो सम्भव है कि इतने मीटर खराब होंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह भी बताना चाहूंगा कि पांच वर्ष तक जो भी मीटर खराब होते हैं, वे फ्री आफ कास्ट रिप्लेस किये जाते हैं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री

(श्री ओम बिरला)
महोदय मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं कि ये मीटर जो सप्लायर ने दिये थे, वे मीटर यहां जलाये गये या सप्लायर ने खराब दिये थे? अगर यहां जलाये गये थे तो जलाने का इंटेंशन क्या था? उसकी जांच जब लैबोरेटरी के अन्दर हो गयी और लैबोरेटरी की रिपोर्ट आपने क्वेश्चन के जवाब के साथ दी है कि तीन मीटर टेम्पर किये गये हैं, जले हुए मीटर हैं और एक के अन्दर उसकी रीडिंग नहीं आ रही है, यह तीन आपने अपनी जांच रिपोर्ट के अन्दर दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपसे यही पूछ रहा हूं कि मीटर सप्लायर ने जो दिये थे, वे जले हुए दिये थे या यहां जलाये गये थे? और यहां जलाये गये थे तो जलाने में कौन-कौन लोग थे? इसकी जांच रिपोर्ट अभी तक आप सदन के पटल पर नहीं रख रहे। क्या सरकार जाने के बाद आप सदन के पटल पर रखेंगे जांच रिपोर्ट? आप जांच रिपोर्ट तो रखो।

श्री अध्यक्ष: अब आप विराजें। श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, मंत्री महोदय, आपसे जानना चाहूंगा, अभी आपने उत्तर देते हुए कहा कि मीटर जब जल जाते हैं तो मुफ्त में बदले जाते हैं, क्या यह सही है कि 17 अगस्त, 2012 को राजस्थान नियामक आयोग ने एक परिवाद के अन्दर तीन वर्षों में जो खराब मीटर के बदले आपने ज्यादा राशि वसूली, घरेलू उपभोक्ता से आपने 850 रुपये मीटर के लिये, कृषि उपभोक्ता से आपने 2,250 रुपये मीटर के लिये, क्या नियामक आयोग ने यह पैसा लौटाने का आदेश आपको नहीं दिया? नम्बर। एक अगर दिया, तो वह पैसा आपने क्यों नहीं लौटाया?

आप यह जो कह रहे हैं, 2012 के अन्दर आपने जो मीटर खरीदे, क्या यह सही है कि 4 लाख मीटर 2011-12 में जो खरीदे गये थे, वे पूरे देश में सर्वाधिक महंगे खरीदे गये थे? साथ ही, उसके अन्दर आपकी जो सेंट्रल लैबोरेटरी थी, उसके परिणाम लेट आये, इस बहाने से आपने दनादन आर्डर दे दिये। इसकी जांच भी आपने नहीं की।

मेरे दो स्पेसिफिक सवाल हैं, नियामक आयोग का और दूसरा, आपने 2011-12 में जो 4 लाख मीटर खरीदे, जो अखबारों में शाया हुए, उसके अनुसार आपने देश में सर्वाधिक मीटर खरीद कर 30 करोड़ रुपये की चपत सरकार को लगाई। क्या यह सही है कि नहीं है?

इसके साथ ही, जिन मीटर कम्पनियों को आर्डर दिये, वे मीटर कम्पनियां किस बड़े नेता की थीं और किसके सम्पर्क में थीं? यह भी बता दें आप।

श्री अध्यक्ष: श्री गुलाबचन्द जी कटारिया। (व्यवधान) श्री गुलाबचन्द जी, प्रतिपक्ष के नेता।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि हमने टेण्डर निरस्त कर दिये; मंत्री महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य ने सवाल खड़ा किया कि बिना प्रोसेस के यह आपने थ्री फेज और सिंगल फेज के मीटर लिये और उसके लिये आपने अपने जवाब में कहा कि मैंने निरस्त कर दिये, मैं जानना चाहता हूं कि उस टेण्डर के तहत आपने कुल कितने मीटर खरीदे? और आपने अगर अब उसको निरस्त किया तो जो बिना प्रक्रिया के खरीदे हुए मीटर थे, उसके लिये आपका कोई अधिकारी जिम्मेवार है कि नहीं? (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): इसके साथ ही इसका भी बता देंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजें, आप जवाब आने दीजिये। इतने प्रश्न हो जायेंगे, जवाब नहीं दे पायेंगे।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): एक ही प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न का जवाब आने दीजिये।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जो बता रहे हैं कि मीटर खरीदे गये, मीटर तो खरीदे ही नहीं गये। मैं आपको इसमें डिटेल देता हूं कि जितने सिंगल फेज और थ्री फेज के टेण्डर फ्लोट किये गये, उसमें जब यह पाया गया कि मीटर टेम्पर हो गये और उसके अन्दर फिर निरस्त किया गया, तो पर्चेज का तो मैटर ही बीच में नहीं आता है; पर्चेज तो किये ही नहीं गये। अगर कोई इर्रेग्यूलेरिटी होती कि वे टेम्पर्ड मीटर खरीद लिये जाते बिना नालेज के, तो वह तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि मीटर खरीदे ही नहीं गये थे।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय मंत्री महोदय, आप जवाब दो कि टेम्पर क्यों हुए? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आपकी कोई पसंदीदा कम्पनी है क्या जिसकी पैरवी कर रहे हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 2012 में खरीदे आपने...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): कौनसी कम्पनी की पैरवी कर रहे हो, नाम बता दो उसका। (व्यवधान) कौनसी कम्पनी की पैरवी कर रहे हों, उसका नाम बता दो। (व्यवधान) आप कौनसी कम्पनी की पैरवी कर रहे हों, उसका नाम बता दो।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हम तो कोई कम्पनी के सप्लायर नहीं हैं।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): वे गोदामों में पड़े हुए सड़ रहे हैं, खुले में पड़े हुए हैं मीटर। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि 700 करोड़ रुपया राजस्थान के विद्युत वितरण निगमों ने 350 की जगह 950 और किसानों से 650 की जगह 3,200 रुपये तक लिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, मैंने इनको अलाउ कर दिया है।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): मेरे बाद बोल लेना, प्लीज। कोई ढंग की बात बता रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बात बता रहे हो या पूरक प्रश्न पूछ रहे हो?

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): नहीं, नहीं, मैं क्वेश्चन ही कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न ही पूछ रहे हो?

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): हां, पूरक प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह जो मामला है, सदन की जानकारी के लिये मैं निवेदन कर रहा हूं, यह मामला मैं और राजेन्द्र विधूड़ी ने चीफ सेक्रेटरी से जाकर शिकायत करके, जांच बिठाकर सस्पेंड करवाया है, यह मामला। जब हमको पता चला, मैं और राजेन्द्र विधूड़ीजी चीफ सेक्रेटरी से मिले। यह तो सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही जांच करवायी है, उसके बाद यह सारा मामला हुआ है। हम दोनों ने जाकर जांच करवायी है। (व्यवधान) यह मामला हमारा उठाया हुआ है, चोरी हमने पकड़वाई है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): (व्यवधान) प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी किसकी है?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप तो उस कम्पनी का नाम बता दीजिए जिसकी आप पैरवी कर रहे हो? (व्यवधान) आप जिसके हिमायती बन कर आये हों, उसका नाम बताओ न।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ईमानदारी से काम किया, सरकार ने अधिकारियों को निलम्बित किया। आप उस मामले को घुमा

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

रहे हो। मामला हमने पकड़वाया। अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा पकड़वाया हुआ मामला है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मालिक का नाम बताओ आप तो। (व्यवधान) प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के मालिक का नाम बताओ आप तो। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): जो अधिकारी दोषी थे, उनके खिलाफ कार्यवाही हुई।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, तीन सौ करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है? (व्यवधान) ये जवाब नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): खुद ने एजेंसीज खोल रखी हैं। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): यह मामला हमारा उठाया हुआ है, इसकी जांच हमने करवायी है। (व्यवधान) आपने कभी हिम्मत की? सत्ता पक्ष के विधायकों ने हिम्मत की, शिकायत करने की। (व्यवधान) हमारी शिकायत पर जांच हुई।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, इस कम्पनी का मालिक कौन है? इस कम्पनी का मालिक कांग्रेस का नेता है। सरकार बताये न। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): करोड़ों रुपये का गबन किया है। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): तीन सौ करोड़ का घोटाला हुआ है, यह घोटालों की सरकार है। कमीशन खाया गया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त करें। अंकित नहीं होगा।

अगला प्रश्न। श्री बंशीधर खण्डेला।

प्रदेश के चल प्रयोगशाला कर्मियों को बकाया वेतन का भुगतान

38. श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में शुद्ध-के-लिए-युद्ध अभियानान्तर्गत वर्ष 2010 से चल प्रयोगशाला संचालित की गई थी? यदि हां, तो किस तिथि से?

(श्री बंशीधर खण्डेला)

(2) क्या यह भी सही है कि अक्टूबर, 2012 तक चल प्रयोगशाला खाद्य विभाग द्वारा संचालित थी एवं उसके पश्चात् स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालन किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि नवम्बर, 2012 से आज तक चल प्रयोगशाला कर्मियों को वेतन एवं अन्य देय लाभ का भुगतान नहीं किया जा रहा है तथा अनेक जिलों में चल प्रयोगशाला कर्मियों को पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण ही नहीं करवाया गया है? यदि हां, तो क्यों एवं इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा चल प्रयोगशाला कर्मियों को उनकी योग्यता के अनुसार वेतन नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों एवं क्या सरकार इनके वेतनमान में बढ़ोतरी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना व कब तक एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 एवं 2011 के तहत चल खाद्य प्रयोगशालाओं के लिये अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न पुकार लिया गया है। कृपया विराज जाएं। अंकित नहीं होगा किसी का। मंत्रीजी जवाब देने के लिए खड़े हुए हैं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (डा. राजकुमार शर्मा): (1) जी हां। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के द्वारा राज्य में शुद्ध-के-लिए-युद्ध अभियान के अन्तर्गत दिनांक 17.02.2010 से चल प्रयोगशाला

(डा. राजकुमार शर्मा)

स्थापित करने के आदेश जारी किये गये हैं। आदेश की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 से 42 एवं 45 से 47 तक तथा खाद्य सुरक्षा और मानक नियम 2011 के नियम 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 एवं 2.1.4 के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पास ही पर्यवेक्षणीय एवं कार्यवाही करने की शक्तियां होने के कारण चल प्रयोगशाला का संचालन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। नियमों की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। चल प्रयोगशाला के कर्मियों के वेतन एवं अन्य देय लाभ का भुगतान माह नवम्बर, 2012 से माह मार्च, 2013 तक का कर दिया गया है। माह अप्रैल, 2013 से वेतन एवं अन्य देय लाभ के भुगतान हेतु सभी जिलों को बजट आबंटित कर दिया गया है।

(4) चल प्रयोगशाला कर्मचारियों की योग्यता एवं वेतन का निर्धारण खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा किया गया था, उसी के अनुरूप चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भुगतान किया जा रहा है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। चल प्रयोगशाला कर्मचारियों के वेतनमान में बढ़ोतरी का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(5) खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा चल प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई थी, न कि चल खाद्य प्रयोगशालाओं की। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा चल प्रयोगशालाओं का ही स्थानान्तरण किया गया था। खाद्य सुरक्षा मानक नियम 2011 के तहत चल प्रयोगशालाओं का नोटिफिकेशन कराये जाने का प्रावधान नहीं है। प्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा, पहले यह कार्य खाद्य, नागरिक और आपूर्ति मंत्रीजी को सौंपा गया था और बाद में यह कार्य स्वास्थ्य विभाग को सौंपा गया, क्या कारण हैं कि पूर्व में उनके पास था और बाद में आपको दिया गया? पहले जो लैब टेक्निशियन कार्य कर रहे थे, क्या उनको बदल दिया गया या इसके अन्दर ज्यादा एफिशिएंसी आयी है? नम्बर एक।

(श्री बंशीधर खण्डेला)

नम्बर दो, अब तक कितने नमूने इन्होंने लिये हैं? कितने सही पाये गये? कितने लोगों को दण्डित किया गया?

नम्बर तीन, इन प्रयोगशालाओं में जो कर्मी काम कर रहे हैं, उनको अभी तक भुगतान क्यों नहीं किया गया? क्या भुगतान हेतु मंथली बजट भेजा जाता है या क्वार्टरली भेजा जाता है या हाफ-यीअरली भेजा जाता है या यीअरली भेजा जाता है? जिस सिस्टम से भी भेजा जाता है, उसके अन्तर्गत किस अधिकारी ने बजट नहीं भेजा? उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है? अल्प वेतनभोगी कर्मचारी को यदि मंथली वेतन नहीं मिलेगा तो वह क्या खायेगा?

नम्बर चार, आपने मेरे एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, अनेक जिलों में चल प्रयोगशालाएं स्थापित करने के बारे में था। जो पहले कार्यरत थे, उनको दुबारा कार्य पर नहीं लगाया गया और वे जगहें खाली पड़ी रहीं? नम्बर पांच, ...

श्री अध्यक्ष: इतने पूरक प्रश्न पूछेंगे?

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): चलो, ये तो बतायें, बाद में और बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष: बाद के लिए बच गया कुछ?

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2009-10 अनुसार मिलावट के विरुद्ध शुद्ध-के-लिए-युद्ध एक अभियान चलाया गया था।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): वह तो नागर साहब ने चलाया था।

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): हां, बता रहा हूं। वह खाद्य, नागरिक एवं आपूर्ति विभाग के द्वारा शुरू किया गया था। मंशा स्पष्ट थी कि जो मिलावटखोर लोग हैं, जो व्यापारी मिलावट करके सामान बेचते हैं, जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके खिलाफ एक अभियान चलाया जाए और शुद्ध चीजें आम जनता को मिलें। माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है, मैं आपके माध्यम से उनको जवाब देना चाहता हूं कि 2009-10 में यह कार्य खाद्य, नागरिक एवं आपूर्ति विभाग के पास था, 12 अक्टूबर, 2012 को चिकित्सा विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई। उसके पीछे कारण यह था कि सैम्पल लेने का अधिकार तो इनके पास था लेकिन कार्यवाही करने का अधिकार इनके पास नहीं था क्योंकि फूड इंस्पेक्टर का

(डा. राजकुमार शर्मा)

कार्य हमारे विभाग के द्वारा किया जाता है। सरकार की यह इच्छा थी कि जो मिलावटी नमूने पाये गये, जो भी अमानक पाये गये, उनको सज़ा देने के हिसाब से चिकित्सा विभाग को ट्रांसफर किया गया, इस चल प्रयोगशाला इकाई को।

नम्बर दो, आपने वेतन की बात कही, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमने वेतन सभी सी एम एच ओज को भेज दिये हैं। जितने भी संविदा पर कर्मचारी रखे गये हैं चल प्रयोगशालाओं में, उनको अगले एक सप्ताह के अन्दर वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा।

नम्बर तीन, आपने कहा कि कितने नमूने, इस बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, चल प्रयोगशालाओं द्वारा 38 प्रकार के खाद्य वस्तुओं की जांच की जाती है और चल प्रयोगशालाओं में 26 प्रकार के उपकरण रखे जाते हैं, उनके माध्यम से जांच की जाती है। 30.04.2010 से 31.10.2012 तक 1,19,593 नमूनों की जांच की गई जिनमें से 14,388 अमानक पाये गये; नवम्बर, 2012 से जून, 2013 तक 65,578 नमूनों की जांच की गई जिनमें से 2,720 नमूने जांच करने पर अमानक पाये गये।

मौके पर कोई भी खाद्य पदार्थ या दूध के अन्दर कोई मिलावट मिलती है, चल चिकित्सा इकाई के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्रीजी की जो भावना थी, उसके पीछे उद्देश्य यही था कि लोगों में जाग्रति लायें ताकि व्यापारी इस तरह का काम नहीं कर सकें। मुझे बताते हुए खुशी है कि जो अमानक पाये गये, उसी समय उनको नष्ट कर दिया गया हमारे सी एम एच ओ और फूड इंस्पेक्टर्स की लीडरशिप में।

आप जो सीकर की बात कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि उनको पेमेन्ट करने में देरी हुई, उनको वेतन नहीं मिल पाया। संविदा के आधार पर रखे गये कर्मचारी को वेतन नहीं मिलना, उसके लिए परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है लेकिन मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि अगले एक सप्ताह के अन्दर उनको भुगतान कर दिया जाएगा।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): किस कारण से भुगतान नहीं किया गया? यह तो बतायें। किसकी गलती रही है? चार-चार, छह-छह महीने हो गये।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, एक भी खाद्य वस्तु या दवाइयों में मिलावट नहीं होती हो....

श्री अध्यक्ष: आपको मैंने अलाउ किया है क्या? आप इजाजत लेकर बात करते।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): मैं आगाह कर दूं। यों ही ये बहस में उलझ रहे हैं। एक भी क्लेम कर दें, कोई भी खाद्य वस्तु राजस्थान में शुद्ध मिलती हो तो मैं विधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो बताने की कृपा करें कि मंथली पेमेंट क्यों नहीं हुआ? सरकार के पास बजट नहीं था या किसी अधिकारी की लापरवाही थी? लापरवाही थी तो आपने उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की?

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि 12 अक्टूबर, 2012 को विभाग हमारे पास में जब सरेंडर किया गया तो उसके बाद में यह एक बीच में हमारे आपस के अन्दर कन्फ्यूजन रहा कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग इसका पेमेंट करेगा या हमारा स्वास्थ्य विभाग करेगा। वह फाइल चली और फाइल चलने के बाद में यह निर्णय लिया गया कि जब यह चल प्रयोगशाला इकाई आपकी तरफ ट्रांसफर की गयी है, तो आपका विभाग इसका पेमेंट करेगा और अब हमने सभी सी.एम.एच.ओ. को पूरे राजस्थान के अन्दर यह पेमेंट भिजवा दिया है।

श्री अध्यक्ष: चलिये। श्री शिवजीराम मीणा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, एक सैकण्ड; इतना जल्दी नहीं करें।

यह 17.02.2010 का एक आदेश है, इस आदेश में आपने इस समस्या से निपटने के लिए, "अतः इस गम्भीर समस्या पर लगातार पारदर्शी एवं प्रभावी कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में मौके पर मिलावट की जांच किये जाने हेतु चल प्रयोगशाला की व्यवस्था की गयी है" और इसके तहत आपने कलक्टर को 57 हजार रुपये प्रति माह के हिसाब से राशि भी निर्धारित कर दी।

तो जब यह चल प्रयोगशाला वापस आपको लौटी, उसके पहले, इसके बीच का जो समय है, जब से आपने प्रयोगशाला स्थापित की और जब आपके पास वापस लौटकर आयी, उसके बीच में जो सैम्पल लिये, उन सैम्पल्स की जांच इन चल प्रयोगशालाओं को करनी थी। इन चल प्रयोगशालाओं ने कितनी जांच कीं और उसमें क्या उसका रिजल्ट आया?

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर में हमारे घी का व्यापारी है, वह सब सैम्पल के लिए ठेकेदारी करता है कि कोई भी सैम्पल पास करवाना हो तो आप मुझे बता दें। यह तो हालत है व्यवस्था की। (व्यवधान)

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों ही बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने जो अपनी भावना व्यक्त की है, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं ...

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): वह कौन है घी का व्यापारी? नाम बताओ। बीकानेर में व्यापारी कौन है? (व्यवधान)

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): पहले आप सुन लो।

एक माननीय सदस्य: नाम बताना चाहिए व्यापारी का। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सरकार ही मिलावटी है तो व्यवस्था कहां से शुद्ध होगी?

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): हमारे विभाग में आने से पहले 1,19,593 नमूनों की जांच की गयी (व्यवधान)

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं ...(व्यवधान) हमारा डिविजन है, हमें भी इस बात की चिंता है, नाम तो बताएं उस व्यापारी का। (व्यवधान)

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): मैंने पहले भी निवेदन किया, ये चल प्रयोगशालाएं हैं, ये सिर्फ जाग्रति अभियान चलाने के लिए हैं, जन-जाग्रति के लिए हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह जाग्रति अभियान नहीं है, यह शुद्ध-के-लिए-युद्ध नहीं है, पेट के लिए युद्ध है। (व्यवधान) अगर आपने यह चल चिकित्सालय बनाया, अगर एक चल प्रयोगशाला बनायी और इसका कोई उपयोग नहीं हुआ तो आपने जो बीच का समय निकला, इसका पेमेंट किस कारण से किया, क्यों किया?

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): मैं इसकी बात आपको बताना चाहता हूं कि जो आप कह रहे हैं, क्योंकि मुझे बड़ा दुख होता है कि आप कुछ भी बोल जाते हैं, मैं बता रहा हूं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि हमने यह कहा कि यह सिर्फ जन-जाग्रति अभियान चलाने के लिए ...(व्यवधान) बता रहे हैं आपको, सैम्पल लिये, सैम्पल; हमारे फूड इंस्पेक्टर के पास में उसकी शिकायत की जाती है और हमारा स्वास्थ्य विभाग, जो शिकायत का निस्तारण करता है, जो सजा देता है, जो कोर्ट के अन्दर इस्तगासा दायर करता है इन मिलावटियों के खिलाफ, उनका मैं आपको आंकड़ा बताना चाहता हूं। हमारे खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के

(डा. राजकुमार शर्मा)

अन्तर्गत 2008 से वर्ष 2011 तक जांच हेतु लिये गये नमूनों तथा अपमिश्रित, मिस्ब्रांड पाये गये नमूनों में मिलावट का प्रतिशत निम्न प्रकार है:- हमारे जो 2012 से, 12 में जांचे गये नमूनों की संख्या है 8,479; उनके अन्दर ब्रांड जो मिलावटी पाये गये, उन सैम्पल के अन्दर 1,562; 1,562 के खिलाफ हमारे सी.एम.एच.ओ. ने इस्तगासा दायर किया। क्योंकि कोर्ट का एक सजा का प्रावधान है, 40 दिन के अन्दर निस्तारण करना पड़ता है; सेफ्टी एण्ड स्टैंडर्ड, जो हमने एक्ट बनाया है, उसके माध्यम से ट्रिब्यूनल के पास में पेश किया जाता है और मैं आज आपको दावे के साथ कहता हूं कि जो व्यापारी मिलावट करते हैं, उन व्यापारियों के अन्दर सरकार का एक भय है। रेगुलर हमारे सी.एम.एच.ओ. के नेतृत्व में उन मिलावटियों के खिलाफ कार्यवाही की जाती है।

श्री अध्यक्ष: चलिये, अगला प्रश्न। (व्यवधान) बहुत हो गया, छोटा सा प्रश्न था।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं, उस प्रश्न पर आप आइये। कारण क्या है कि ये जो चल प्रयोगशालाएं प्रारम्भ की थीं फरवरी, 2010 में, उसमें आपने लिखा है कि चल प्रयोगशाला जांच हेतु प्रशिक्षित स्टाफ के रूप में एक कार्मिक जिले संचालित डेयरी से प्रतिनियुक्ति पर लिया जायेगा तथा जिले में डेयरी की सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से इस कार्य हेतु एक सक्षम कार्मिक लिया जायेगा। इनको लेने के पीछे हेतु क्या है? जब आपका कोई काम ही नहीं था, आपको केवल जन-जागरण करना था तो शुद्ध-के-लिए-युद्ध के लिए इतना प्रचार और इतना बार-बार शुद्ध-के-लिए-युद्ध, शुद्ध-के-लिए-युद्ध, तो कम से कम यह स्टाफ किसलिए लिया गया था? आपने प्रशिक्षित लोग क्यों लिये थे इस चल प्रयोगशाला में? और इस चल प्रयोगशाला का उपयोग क्या हुआ?

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले जाग्रति से शुरू करते हैं क्योंकि वर्तमान में, जैसा कोलायत से आने वाले माननीय विधायक साहब ने कहा कि आज के इस जमाने के अन्दर शुद्ध चीज मिलना मुश्किल है, तो आदमी भी शुद्ध मिलना मुश्किल है। (व्यवधान) बड़ी समस्याएं हैं।

आपने जो पेमेंट की बात कही, चल प्रयोगशाला हेतु स्टाफ एवं वाहन के भुगतान, योग्यता का विवरण, इसमें हमने स्पाट एनेलिस्ट एक लेने का

(डा. राजकुमार शर्मा)

प्रावधान रखा जिसको पांच हजार रुपये पर-मंथ देने का प्रावधान किया गया, एक लैब टेक्निशियन जिसको चार हजार रुपये प्रति माह देने का प्रावधान किया गया और वाहन मय ड्राइवर 15 हजार रुपये देने का प्रावधान किया गया। जहां पर संविदा पर लैब टेक्निशियन हमको नहीं मिले, जहां पर हमारे स्थायी लैब टेक्निशियन थे, सी.एम.एच.ओ. के माध्यम से उनकी नियुक्ति हमने वहां पर की और जहां पर स्पाट एनेलिस्ट की बात है, आप जो कह रहे हो कि बीच में इनका भुगतान उनको क्यों किया गया और सिर्फ जन-जाग्रति का ही अभियान था तो इन पैसों को क्यों इसमें किया गया; जन-जाग्रति अभियान चलाने के लिए तो करोड़ों रुपये सरकार, हर सरकार खर्च करती है। आज कोई भी मौसमी बीमारियां आती हैं तो हम लोग लोगों को अवेयर करते हैं कि आप लोग इस तरह की सावधानियां बरतेंगे, ये उपाय करेंगे तो आप उन बीमारियों से दूर रहेंगे। इसलिए हमारी चल प्रयोगशालाएं जिस भी गांव में जब जाती हैं, जिस भी जिले में जाती हैं तो वहां पर पहले पैम्फ्लेट के माध्यम से, अख़बार के माध्यम से हम लोग वहां पर प्रचारित करते हैं ताकि वे मिलावटखोर सावधान हो जाएं और आम जनता के अन्दर जाग्रति आ जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री शिवजीराम मीणा, अगला प्रश्न। श्री शिवजीराम मीणा, अगला प्रश्न।

जहाजपुर की ग्राम पंचायतों में अंकेक्षण के आधार पर दर्ज प्रकरण

39. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) दिनांक 1 जनवरी, 2010 से जुलाई, 2013 तक जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र की किन-किन ग्राम पंचायतों में शिकायतों की जांच/आडिट आक्षेप के आधार पर विकास अधिकारियों द्वारा पुलिस थानों में किन-किन अधिकारियों/जन-प्रतिनिधियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करवाये गये हैं? प्रकरणवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रकरणों में से किन-किन प्रकरणों में पुलिस द्वारा न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये गये हैं तथा किन प्रकरणों में जांच लम्बित है और किन-किन प्रकरणों में किन कारणों से न्यायालय में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच एवं प्रकरण

(श्री शिवजीराम मीणा)

दर्ज करवाने में कानूनी राय नहीं ली जाती है, जिससे गम्भीर आरोपों के बावजूद तकनीकी आधार पर पुलिस द्वारा मामलों में अन्तिम प्रतिवेदन लगा दिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरणों की पुनः जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

पंचायती राज मंत्री (श्री महेन्द्र जीत सिंह): (1) पंचायत समिति, जहाजपुर में रिकार्ड अनुसार ग्राम पंचायत गुढा, लुहारीकलां, मनोहरपुरा में शिकायत उपरान्त पुलिस थानों में प्रकरण दर्ज करवाये गये हैं। (परिशिष्ट'अ')

(2) विवरण परिशिष्ट 'अ' में वर्णित है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मिलावट की जांच अध्यक्ष महोदय ही नहीं कर सके; नहीं, नहीं मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि मिलावटी सरकार है, इसलिए ठीक से नहीं चल रही है; उस मिलावट की जांच आप ही ठीक से नहीं कर सके तो ये कहां से करेंगे?

श्री अध्यक्ष: मैं दोनों की मिलावट में नहीं पड़ता।

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): माननीय अध्यक्ष महोदय, उप नेताजी, मुख्य मंत्रीजी की ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, आप विराज जाइये। मंत्रीजी, विराज जाएं।

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): सरकार है, सौ प्रतिशत खरा सोना है, सौ प्रतिशत खरा सोना।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात तो आप स्पष्ट कराइये। मंत्री महोदय ने मानव जीव की शुद्धता पर प्रश्नचिह्न लगा दिया, तो आप और हम सब अशुद्ध हैं क्या? इसकी जांच करवाइये। सदन के नेता भी हैं और प्रतिपक्ष के उप नेता भी हैं।

पंचायती राज मंत्री (श्री महेन्द्र जीत सिंह): (3) नहीं। यह सही नहीं है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच एवं प्रकरण दर्ज करवाने में कानूनी राय नहीं ली जाती है, बल्कि जिला स्तरीय अधिकारी, जिला कलक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर से पूर्ण निर्देशों के उपरान्त ही कानूनी कार्यवाही की जाती है। प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत होने पर राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु प्रभारी अधिकारी

(श्री महेन्द्र जीत सिंह)

और राजकीय अधिवक्ता नियुक्त किये जाते हैं तथा राजकीय अधिवक्ता की राय के अनुसार ही कार्यवाही की जाती है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मुकदमा नम्बर 49/10 पुलिस थाना शक्करगढ़ में दर्ज प्रकरण किन अनियमितताओं के कारण दर्ज किया गया था? इसकी शिकायत किसके द्वारा की गयी एवं जांच किसके द्वारा की गयी? इसमें कितनी राशि का राजकोष को नुकसान पहुंचा है? इसके उपरान्त भी विभाग द्वारा भ्रष्टाचारियों को प्रोटेक्शन दिया जाता है और अदम वकवा, तथ्यों की भूल बता कर अन्तिम रिपोर्ट लगायी गयी है।

दूसरा, प्रकरण संख्या 29/13, शक्करगढ़ में दर्ज प्रकरण की शिकायत किसके द्वारा की गयी एवं इसकी जांच किसके द्वारा की गयी? जांच उपरान्त प्राथमिकी दर्ज करवाने के आदेश किसने दिये? फिर अदम वकवा, सिविल नेचर (लेनदेन) का मामला बता कर अन्तिम रिपोर्ट लगायी गयी तथा सरकार द्वारा भ्रष्टाचारियों को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायतों में समय-समय पर पंचायतों की बैठकें भी होती हैं और उस बैठक के अन्दर किसको इंदिरा आवास का मकान मिला, किसी को क्या लाभ मिला, यह मजमे आम पढ़कर सुनाये जाते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति के नाम से कोई गलत भुगतान उठ भी जाता है तो पड़ोस का आदमी भी इसको बता देता है कि आपका जो लाभ था, वह किसी और ने उठाया है। यह जानकारी जब हमारे पास में, और इस जानकारी के आधार पर ही हमने मुकदमा दर्ज कराया और मुकदमा दर्ज करने के बाद यह सात व्यक्तियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुए हैं और उन सातों प्रकरणों के अन्दर यह जो जांच, एफ आई आर दो जन-प्रतिनिधि और एक कार्मिक के खिलाफ हुई है, जिसकी एफ आई आर नम्बर 68/12, श्रीमती ललिता देवी, सरपंच ग्राम पंचायत लुहारीकलां।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): मंत्रीजी, मैं तो स्पेसिफिक जानकारी चाह रहा हूं आपसे केवल दो मुकदमों की, स्पेसिफिक जानकारी चाह रहा हूं।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): मैं सभी की बता रहा हूं।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): सभी की बताने की जरूरत नहीं है।

(श्री शिवजीराम मीणा)

इनको क्यों छिपा रहे हैं आप? आप एक तरफ तो यह कह रहे हैं, माननीय मुख्य मंत्री द्वारा चलाई जा रही है योजना, दस लाख लोगों को बी पी एल आवास दिये जा रहे हैं और विकास अधिकारी के भ्रष्टाचार के कारण वन-थर्ड लोगों को सर्वे से बाहर कर दिया गया है। इसकी जांच वहां कलेक्ट्रेट में विजिलेंस में दर्ज की गयी।

आपसे मैं केवल यही तो पूछ रहा हूं कि किसने शिकायत की, किसने जांच की, किसके आदेश से मुकदमा दर्ज हुआ? आप यह बता दीजिए। आप इन विकास अधिकारी जी को बचाना क्यों चाह रहे हैं? क्या आप ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को वहां से हटाना चाहते हैं? वन-थर्ड लोगों को जिन्होंने महरूम कर दिया मुख्य मंत्री आवास योजना से यह बताकर के कि ये पात्र नहीं हैं और बाद में वे पात्र पाये गये। क्या माननीय मुख्य मंत्रीजी की जो महत्वाकांक्षी योजना है, उसमें विकास अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उस विकास अधिकारी को आप बचाना चाह रहे हैं क्या?

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम विकास अधिकारी को कोई बचाना नहीं चाहते हैं, मुकदमा दर्ज हुआ है, जांच चल रही है। (व्यवधान)

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): जांच नहीं चल रही है। माननीय मंत्री महोदय, आपने कहा, अन्तिम रिपोर्ट लगा दी। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): कौन होता है विकास अधिकारी... (व्यवधान) पन्द्रह दिन बचे नहीं सरकार को, जांचें कर रहे हो अभी तक आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, (व्यवधान) पूरक प्रश्न पूछने दीजिए। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री अध्यक्ष: अन्य सदस्यों का अंकित नहीं होगा। पूरक प्रश्न पूछने की इजाजत दी है मैंने माननीय प्रश्नकर्ता को।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यही बात मैं बताना चाहता हूं कि हम कोई विकास अधिकारी को बचाना नहीं चाहते; जो मुकदमा दर्ज है, उसका अनुसंधान प्रारम्भ है और आगे भी हम इसको बचाएंगे नहीं। जो रिपोर्ट आएगी, कोर्ट में चालान पेश किया

(श्री महेन्द्र जीत सिंह)

है, आगे भी हम चालान पेश करेंगे। जो दोषी आदमी होगा, उसको सज़ा मिलेगी। यह मैं सदन में अपनी बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री केसाराम चौधरी।

पाली जिले में कृषि मेलों के आयोजन पर व्यय राशि

40. **श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 2012 एवं 2013 में जिला पाली में सरकार द्वारा कहां-कहां पर कृषि मेलों का आयोजन किया गया? तिथि एवं स्थानवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मेलों में किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि व्यय की जानी थी एवं किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? प्रत्येक मेले का, पृथक-पृथक मदवार व्यय की गई राशि के बिल एवं वाउचरों की फोटोप्रति सहित, विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त मेलों में स्वीकृत राशि से अधिक राशि का व्यय भी किया गया है? यदि हां, तो स्वीकृत से ज्यादा राशि व्यय करने के लिए कौन दोषी है एवं उक्त अधिक व्यय की गई राशि का समायोजन किस सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से किस मद से किया गया? क्या सरकार दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त मेलों में आये हुए किसानों को आने-जाने के किराये का भी भुगतान करना था? यदि हां, तो उक्त सभी मेलों में भाग लेने आये किसानों की सूची, नाम, पते एवं दी गई किराया राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कृषि (श्री विनोद कुमार 'लीलांवाली'): (1) वर्ष 2012 एवं 2013 में जिला पाली में कृषि विभाग द्वारा कुल बारह मेलों का आयोजन किया गया, जिनका तिथि एवं स्थानवार ब्योरा परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) 'आत्मा' योजनान्तर्गत जिला स्तर तथा सघन कदन्न संवर्धन योजना (इनसिम्प) अन्तर्गत जिला व पंचायत समिति स्तर के मेलों के लिए कुल आबंटित राशि के विरुद्ध मदवार व्यय राशि का ब्योरा परिशिष्ट-2 पर तथा मदवार व्यय की गई राशि के बिल एवं वाउचरों की फोटोप्रति परिशिष्ट-3 (पृष्ठ-1 से 134) पर संलग्न है।

(श्री विनोद कुमार 'लीलांवाली')

(3) जी हां। जिले में आयोजित दो मेलों में स्वीकृत राशि से अधिक व्यय किया गया है। 'आत्मा' योजनान्तर्गत दिनांक 29.02.2012 को आयोजित जिला स्तरीय मेले के लिए स्वीकृत राशि चार लाख रुपये के विरुद्ध 4 लाख 37 हजार 600 रुपये व्यय किये गये। इस आयोजन में अधिक व्यय हुई राशि का अनुमोदन जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित शाषी परिषद द्वारा किया गया। इनसिम्प के अन्तर्गत दिनांक 28.2.2013 को आयोजित मेले में आबंटित राशि दो लाख रुपये के विरुद्ध 2.64 लाख रुपये कृषकों के हित में व्यय किये गये। इस मेले में कृषक अधिक आने के कारण अधिक व्यय हुआ लेकिन जिले को आबंटित राशि की सीमा में ही व्यय हुआ है।

(4) जी हां। उक्त मेलों में आये हुए किसानों को भुगतान का प्रावधान था। इन मेलों में भाग लेने आये किसानों की सूची, नाम, पते एवं दी गई किराया राशि सहित सम्पूर्ण विवरण की छायाप्रति परिशिष्ट-4 (पृष्ठ-1 से 511) पर संलग्न है।

(ब्योरे व प्रतियां पुस्तकालय में रखे गये)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने खण्ड-1 में बताया है कि 12 मेले लगाये गये और परिशिष्ट-2 आपने दिया, उसमें 11 मेले बताए और परिशिष्ट आपने और दिया, इसमें आपने सुमेरपुर में मेला लगना नहीं बताया। तो आपके ये दो मेले और कहां लगे, वह तो बता दो।

दूसरा, इन मेलों में कुल कितनी राशि स्वीकृत थी और कुल कितनी राशि व्यय हुई? यह आपने जो बताया है, उसमें परिशिष्ट-2 में तो बताया है कि 7 लाख 56 हजार 480 रुपये खर्च होना और दूसरे में 6 लाख 73 हजार 484 रुपये खर्च होना बताया है, इन दोनों में से सही कौनसा है?

श्री विनोद कुमार 'लीलांवाली' (राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज): यह जो परिशिष्ट-2 पर है, 6 लाख 73 हजार 484 रुपये जो खर्च हुए हैं, उसमें सात लाख की मंजूरी थी जिसमें से दस आपके मेले हुए हैं और लागत सात लाख के बजाए 6 लाख 73 हजार रुपये ...

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): यह आपने इसमें बताया, वह सही है या आपने परिशिष्ट-2 पर बताया ...(व्यवधान) व्यय राशि और कुल मिलाकर के 7 लाख 56 हजार रुपये बताये हैं। आप देख लीजिए ना। (व्यवधान) आप ध्यान से देखिए। आपको पता नहीं है, कितने पैसे खर्च हुए हैं।

(श्री केसाराम चौधरी)

इसमें आपने दो तरह के खर्च बता दिए, एक में बताया, 7 लाख 56 हजार 480 रुपये और एक में बताया आपने, 6 लाख 73 हजार 484 रुपये। इन दोनों में से कौनसा खर्चा सही है? (व्यवधान) और यह बता दीजिए कि दो मेले और कहां लगे? आप बारह मेले बता रहे हैं, आपने प्रश्न के जवाब में दिया है और परिशिष्ट-1 में आपने 11 मेले बताए और परिशिष्ट-2 में लास्ट में आपने सुमेरपुर में मेला लगना बिलकुल बताया ही नहीं। एक भी मेला नहीं लगा तो फिर ये आपने 12 मेले कहां लगाए? यह तो बता दें।

श्री विनोद कुमार 'लीलांवाली' (राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज): यह बारह मेले, मैं आपको नाम बता रहा हूं...

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): यह नाम तो, लिस्ट पड़ी है 11 की, आपने लिस्ट दी है ना मेरे को, यह तो मैं देख रहा हूं, ये ग्यारह मेले बताए हैं। (व्यवधान) ठहरिये ना आप। यह कांग्रेस मेला था, पूरी पैसों की बंदरबांट हुई। (व्यवधान) किसी भी किसान को पैसे नहीं दिये गये। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी जवाब देने को खड़े हैं। (व्यवधान) तसल्ली तो रखो, जवाब तो सुनो।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): बंदरबांट की गयी। यह किसान मेले नहीं, कांग्रेस मेले थे और इस तरह से किसानों के धन का दुरुपयोग करके...

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, सुनिए; जवाब सुनिए। उत्तर दे रहे हैं, बैठिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): आप यह बारह मेले बता दीजिए मेरे को। यह आपने बारह मेले बताए हैं, बताओ तो सही कि कहां हैं बारह मेले? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। मंत्रीजी, दो पूरक प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए खाली। (व्यवधान) सुनिये। सुनिये।

श्री विनोद कुमार 'लीलांवाली' (राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज): इसमें 29.2.2012 को जो हुआ है, उसके अन्दर चार लाख की मंजूरी थी और 4 लाख 37 हजार रुपये खर्च हुए, जिसमें से 22 हजार रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप जवाब सुनिये।

श्री विनोद कुमार 'लीलांवाली' (राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज): दूसरे के अन्दर, मेले में, एक सुमेरपुर के अन्दर नहीं हुआ, बाकी सभी पंचायत समितियों में मेले हुए हैं और आबंटित राशि से कम पैसा खर्च हुआ है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पष्ट प्रश्न है, आपने बताया, बारह मेले लगे, इन्होंने जो परिशिष्ट दिया, उसमें 11 मेलों की सूची दी।

श्री अध्यक्ष: नहीं, बारह की सूची दे दी ना आपको।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): 11 ही मेले हैं। तो 12वां कहां लगा, यह तो बताएं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): एक मेला कहां चला गया, यह तो बताएं।

श्री विनोद कुमार 'लीलांवाली' (राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज): यह एक जिला स्तरीय मेला अलग से है, बारहवां।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): कहां पर लगा, वह बताएं तो सही इसमें। कहां पर लगा, स्थान बताइये। गलत बात कर रहे हैं यह, सदन को गुमराह कर रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) यह पूरे के पूरे पैसों का...(व्यवधान) न किसानों को दिया गया ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री निर्मल कुमावत।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न और परिशिष्ट में अन्तर है। मूल प्रश्न में इन्होंने बताया, 11 मेले ...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): जवाब ही नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। निर्मल कुमावत।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): इन मेलों की जांच करवाई जाए। एक भी किसान को किराये के पैसे नहीं मिले और झूठे बिल बनाकर के, वाउचर बनाकर के किसानों के पैसों की बंदरबांट कर दी, और कांग्रेसी मेले लगाये हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न पुकार लिया।

मेहरानगढ़ दुखान्तिका के पीड़ितों हेतु राहत पैकेज

41. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री निर्मल कुमावत)

(1) प्रदेश में वर्ष 2008 में जोधपुर के मेहरानगढ़ में हुई दुखान्तिका में सरकार द्वारा पीड़ितों हेतु क्या पैकेज घोषित किया गया था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दुखान्तिका में किन-किन पीड़ितों को पैकेज के अनुसार क्या-क्या सहायता, कब-कब उपलब्ध करायी गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कतिपय पीड़ितों को अभी तक सरकार द्वारा पैकेज के अनुसार सहायता नहीं दी गयी है? यदि हां, तो किन-किन को और क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार उक्त पीड़ितों को पैकेज के अनुसार अब कब तक सहायता उपलब्ध करा देगी?

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न पुकार लिया। (व्यवधान) अगला प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न आ गया। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): वे बता रहे हैं। मंत्रीजी बताओ, बताओ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इसलिये मैं तो अलाउ नहीं कर रहा हूं। अगला प्रश्न (व्यवधान) उत्तर देने लगे हैं प्रश्न का...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसका...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न चला गया। वह प्रश्न चला गया, गया वह प्रश्न।

राज्य मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता (श्री बृजेन्द्र सिंह ओला): (1) प्रदेश में वर्ष 2008 में जोधपुर के मेहरानगढ़ में हुई दुखान्तिका में पीड़ितों को सहायता हेतु सरकार द्वारा घोषित पैकेज की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त दुखान्तिका में दिनांक 24.10.2008 को जारी पैकेज के अनुसार कुल मृतक 216 में से एक मृतक श्री देशमुख मराठा का प्रमाणीकरण नहीं होने से भुगतान नहीं हुआ है एवं शेष 215 मृतकों के आश्रितों को घोषित पैकेज अनुसार राशि 5,00,000/- प्रति व्यक्ति भुगतान कर दी गयी है। पैकेज लागू दिनांक 04.10.2008 से जुलाई, 2013 तक का पात्र व्यक्तियों को भुगतान कर दिया गया, जिसका विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) बिन्दु संख्या 2 के जवाब के अनुरूप।

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

(4) बिन्दु संख्या 2 के जवाब के अनुरूप।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा, जो राहत पैकेज तत्कालीन सरकार ने 24.10.2008 को घोषित किया था, क्या सरकार ने उसको एज-इट-इज लागू किया या वर्तमान सरकार ने उसमें कोई बदलाव करके या संशोधन करके लागू किया? यदि हां, तो उसको जवाब दें। यदि नहीं, तो उसका जवाब दें।

जो तत्कालीन पैकेज घोषित हुआ था, उसके बिन्दु संख्या 3, 4, 5 और 6 के अनुसार सरकार ने आश्रितों को क्या-क्या सहायता दी, उसका विवरण इसमें दिया नहीं। मंत्रीजी उसका भी जवाब दें।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): अध्यक्ष महोदय, वह पैकेज हमने यूं का यूं लागू किया, सिर्फ एक बात को छोड़कर। उसमें हमसे यह दिशा-निर्देश मांगे गये थे कि जिस विधवा ने पुनर्विवाह कर लिया, उसके आश्रित बच्चों को भी क्या भरण-पोषण भत्ता दिया जाए? हमने उसको मुख्य मंत्रीजी से अनुमोदन कराकर यह अलाउ किया कि जिस विधवा ने पुनर्विवाह कर लिया है, उसके बच्चों को भी यह दिया जाए, जबकि यह उस पैकेज में नहीं था।

दूसरी बात, आपने 5, 6 की पूछी है...

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): 3, 4, 5, 6...

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): ठीक है। अव्यस्क बच्चों के भरण-पोषण हेतु 66 लाख 77 हजार 266 रुपये का 15 सौ रुपये प्रति माह भुगतान किया गया है। प्रारम्भ में 84 बच्चों को तथा वर्तमान में 68 बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। कुछ बच्चे व्यस्क होने से उसमें से अलग हो गये।

पांच, ऐसे परिवार जिनमें मृतक के अलावा कोई कमाऊ सदस्य नहीं है तथा मृतक के माता-पिता पूर्ण रूप से मृतक पर ही आश्रित थे, संयुक्त रूप से 2 हजार रुपये दिये जाने का प्रावधान है। प्रारम्भ में 26 माता-पिता को तथा वर्तमान में 24 व्यक्तियों को यह भुगतान किया जा रहा है। माता-पिता के भरण-पोषण हेतु 15 लाख...

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, यह जवाब, मैंने पूछा है प्रश्न कि बिन्दु संख्या 3 का बताएं आप, बिन्दु 2 का जवाब क्यों दे रहे हैं आप?

श्री अध्यक्ष: आप जवाब सुनें। जवाब सुनिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): मैंने बिन्दु संख्या 3 का जवाब पूछा है, यह 2 का जवाब दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: किस बात का जवाब दे रहे हैं?

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): आर्डर की कापी देखें ना, मंत्रीजी, आर्डर की कापी।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): आप स्पेसिफिक प्रश्न पूछो ना। वही दे रहा हूं। आपने कहा, 4, 5, 6...

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है कि जो 24.10.2008 का राहत पैकेज था, इसमें बिन्दु संख्या 3, 4 और 5 का आप जवाब दीजिये। आप पढ़िये, आपके पास है, आप 1 और 2 का जवाब दे रहे हैं। आप पढ़ो उसको एक बार। मैं 3, 4 और 5 का पूछ रहा हूं आपसे, उसका जवाब दीजिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): वही दे रहा हूं, 3, 4, 5 का...(व्यवधान) हां, 3 का ही दे रहा हूं। पात्र परिवार के बच्चों को स्कूल शिक्षा के लिये वर्ष 2008-09 में 45 बच्चों को, वर्ष 2009-10 में 43 बच्चों को, 2010-11 में 42 बच्चों को और वर्ष 2011-12 में 44 बच्चों को, प्रत्येक बच्चे के हिसाब से 12 हजार रुपये भुगतान किये गये हैं तथा उच्च शिक्षा के लिये वर्ष 2008-09, 2010-11 एवं 2011-12 में एक बच्चे को अनुदान दिया है, जिसने सी ए के लिये मांगा था; एक को दिया है।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): और संख्या नम्बर 5 और 6 के बारे में बताएं।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): लड़कियों की शादी, एक लड़की की शादी के लिये प्रकरण आया, क्योंकि उस पैकेज में लड़कियों की शादी के लिये यह था कि बालिग होने पर उसको पैसे दिये जायेंगे, एक व्यक्ति, श्री सत्यनारायण जो हताहत हो गये थे, उनकी एक बच्ची का प्रकरण आया, उसको भुगतान कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष: श्री अमराराम।

दांतारामगढ़ (सीकर) में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

42. श्री अमराराम (दांतारामगढ़): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री अमराराम)

(1) प्रदेश में राजकीय महाविद्यालय खोलने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार दांतारामगढ़ उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (डा. दयाराम परमार): (1) नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने के मानदण्ड निम्नानुसार हैं:-

1. महाविद्यालय के लिये आवश्यक भवन उपलब्ध हो;

2. प्रस्तावित स्थान के 20 किमी. की परिधि में कम से कम 4 सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल संचालित हों;

3. प्रस्तावित स्थान के 30 किमी. की परिधि में अन्य कोई महाविद्यालय संचालित न हो; एवं

4. प्रस्तावित स्थान अन्य सभी दृष्टियों से महाविद्यालय आरम्भ करने के लिये उपयुक्त हो।

(2) राज्य सरकार के सीमित संसाधनों के कारण दांतारामगढ़ उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोला जाना अभी प्रस्तावित नहीं है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि ये जो मापदण्ड आपने बताये हैं, महाविद्यालय का भवन हम बनाकर देने के लिये तैयार हैं; आपने जो 20 किलोमीटर में 4 सीनियर विद्यालय, वहां एक दर्जन विद्यालय हैं, आप चाहें तो मैं नाम बता दूं; और 30 किलोमीटर में कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं है, तो क्या संसाधन उपलब्ध, आप आज घोषणा करेंगे? तमाम इसकी जो शर्तें आपने बतायी हैं, मैं समझता हूं, शर्तों को पूरा करने के बाद संसाधन आपके उपलब्ध होंगे, या इसलिये नहीं हो रहे कि विपक्ष का विधायक वहां से है? 50 किलोमीटर से पहले कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं है और जो गरीब परिवार के विद्यार्थी हैं, उनको निजी महाविद्यालयों में बहुत बड़ी 10 हजार, 15 हजार रुपये सालाना फीस देनी पड़ती है, इसलिये उच्च शिक्षा उनसे प्राप्त नहीं कर रहे हैं।

तो ये मापदण्ड आपके सम्पूर्ण रूप से पूरे हो रहे हैं, बिल्डिंग हम देने के लिये तैयार हैं, क्या, मंत्री महोदय, यहां उपखण्ड मुख्यालय पर खोलने का विचार...(व्यवधान) खोल देंगे?

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, उपखण्ड दांतारामगढ़ पर महाविद्यालय खोलना प्रस्तावित नहीं है, यह तो मैं निवेदन कर चुका हूं लेकिन यह सीकर जिले में है और सीकर जिले में 6 महाविद्यालय और हैं। इसलिये अब यह सम्भव नहीं है कि इस साल में महाविद्यालय खोला जाए...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 30 किलोमीटर में कौनसा है? अध्यक्ष महोदय, 30 किलोमीटर में कोई महाविद्यालय नहीं है। उपखण्ड महाविद्यालय केवल 2...(व्यवधान)

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अब इस काम के लिये तो मैं मना कर सकता हूं...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 2 उपखण्डों पर केवल महाविद्यालय हैं, नीमकाथाना और सीकर में। इनके अलावा, किसी उपखण्ड पर राजकीय महाविद्यालय नहीं है। सीकर वहां से 55 किलोमीटर है। तो 66 साल में 126 राजकीय महाविद्यालय हैं, जहां निजी 1,265 हैं। यह सब आपके मापदण्ड पूरे कर रहे हैं तो फिर घोषणा कीजिये मुख्य मंत्रीजी और आप। या इसलिये ही घोषणा नहीं कर रहे कि वह विपक्ष का विधायक है, इसलिये नहीं करेंगे? आपके, सरकार के जो मानदण्ड हैं, वे सब पूरे करेंगे; बिल्डिंग हम बनाकर देने के लिये तैयार हैं....

श्री अध्यक्ष: मापदण्ड के साथ-साथ संसाधनों की उपलब्धता भी चाहिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): जब मुख्य मंत्रीजी ने 15 की जगह 28 खोले हैं तो क्या दांतारामगढ़ के लिये संसाधन नहीं हैं? खजाना खाली है तो मुख्य मंत्रीजी बता दें, खाली है तो हम मान जायेंगे। जब हम बिल्डिंग बनाकर देने के लिये तैयार हैं तो मैं समझता हूं, उन गरीब विद्यार्थियों के साथ इस तरह का भेदभाव नहीं किया जाए। वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें...

प्रश्न संख्या-43

श्री अध्यक्ष: श्री प्रमोद 'भाया'। प्रमोद 'भाया'।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): कोलायत में भी ये शर्तें पूरी करते हैं। पूरे जिले के अन्दर एक उपखण्ड अधिकारी का क्षेत्र है...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मंत्रीजी कह रहे हैं, 30 किलोमीटर का

(श्री अमराराम)

कौनसा, कौनसा महाविद्यालय है? सीकर वहां से 60 किलोमीटर है...(व्यवधान) वहां से 90 किलोमीटर है...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह तो मंत्रीजी बताएं। मापदण्ड पूरे करने के बाद, मापदण्ड में यह नहीं है पैसे का सवाल, मापदण्ड में स्कूल बिल्डिंग, यह है।

श्री अध्यक्ष: श्री राव राजेन्द्र सिंह।

प्रदेश में सड़क निर्माण की गुणवत्ता हेतु निर्धारित मानदण्ड

44. **श्री राव राजेन्द्र सिंह** (शाहपुरा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में सड़क निर्माण हेतु निर्धारित मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेशों में अच्छी गुणवत्ता के स्थान पर सबसे कम मूल्य पर सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदार को कार्यादेश दिये जाते हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा सड़कों के निर्माण के लिये कार्यादेश बरसात के मौसम से पूर्व दिये जाते हैं? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में सड़क निर्माण के लिये एक से अधिक एजेंसीज कार्यरत हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी एजेन्सियां कार्यरत हैं और एक से अधिक एजेंसी होने के क्या कारण हैं?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री भरत सिंह कुन्दनपुर): (1) राज्य में सड़क निर्माण आई आर सी, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाता है। इनसे सम्बन्धित अनेक कोड एवं संस्करण जारी किये गये हैं, जो कि एक भारी दस्तावेज है। अतः माननीय विधायक द्वारा कोड/संस्करण विशेष की प्रति चाहने पर उपलब्ध करा दी जायेगी।

(2) सरकार द्वारा निर्धारित मानक/मापदंडों के अनुरूप कार्य करने के लिये लोक निर्माण वित्त एवं लेखा नियमों के अनुसार समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशित कर, खुली प्रतिस्पर्धा से निविदायें प्राप्त कर न्यूनतम दरदाता को कार्य आबंटित किया जाता है।

(3) जी नहीं। सरकार द्वारा सड़कों के निर्माण के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के तुरन्त बाद निविदायें आमंत्रित कर कार्यादेश जारी किये जाते हैं, जो कि मौसम से सम्बन्धित नहीं है।

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

(4) जी हां। राज्य में सड़क निर्माण के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग के अलावा आर.एस.आर.डी.सी., रिडकोर एवं यू.डी.एच. एजेंसिया कार्यरत हैं। सड़क विकास को निजी निवेश के योगदान से गति प्रदान करने के लिए एक से अधिक एजेंसियां हैं।

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हो गया। केवल एक पूरक प्रश्न के लिए अलाउ करता हूं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना सा निवेदन करना चाहता हूं, मेरा जो उद्देश्य था इस प्रश्न को लगाने का, वह यह था कि आपने जिस पुस्तिका की और जिस कोड की बात की है, जिस कांग्रेस की बात की है, यह मिनिस्ट्री आफ रोड ट्रांसपोर्ट, हाइवेज स्पेसिफिक रोड, ब्रिज वर्क्स का आपका संस्करण है, इसमें अगर आप सेक्शन 500 देखेंगे और 500 में आप सलेक्शन क्राइटेरिया की टेबल 500-वन देखेंगे तो इसमें टेम्परेचर वेरिएशन की टेबल दी हुई है। मैं सिर्फ इतना सा जानना चाहता हूं, हम उदाहरण के लिए चूरू ले लें, चूरू माइनस जीरो डिग्री भी आ जाता है या माइनस में भी चला जाता है और गर्मियों के अन्दर वहां टेम्परेचर 48 डिग्री भी आ जाता है, आपके टेबल में डिग्रीज में वेरिएशन मोर दैन माइनस 10 डिग्री में आपने लेस दैन 20 डिग्री में वीजी 10 किया है, 20 टू 30 में वीजी 20 किया है और मोर दैन 30 में वीजी 30 किया है। अब माइनस 10 को वीजी 30 के साथ में कम्पेटिबल करने के लिए आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पर जोर देना पड़ेगा। टेंडर स्पेसिफिकेशन में यह उल्लेख नहीं होता। यह उल्लेख नहीं होने की वजह से आपके अधिकारी और जो इंजीनियर्स वहां पर काम कराते हैं, जिनको गुणवत्ता का ध्यान रखना पड़ता है, वे उस कांट्रेक्टर को इस टेबल के माध्यम से बाध्य नहीं कर सकते। इसका एक रेफरेंस, आपका सर्कुलर है, जो डेटेड 6.6.2012 है, सर्कुलर नम्बर आर 4, 2012.

मेरा सिर्फ यह निवेदन है कि जो यह बार-बार सड़कें टूटने की बात आती है, अगर इनको आपको टेक्नोलोजिकल डेटेड अपग्रेडेशन-आन-साइंटिफिक लेवल पर आप इसकी बाध्यता कर दें तो शायद सड़कों की गुणवत्ता बढ़ जाये।

श्री अध्यक्ष: केवल एक प्रश्न का उत्तर दे दें।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय,

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)
माननीय सदस्य ने जिन बिन्दुओं पर ध्यान दिलाया है, उसके बारे में मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि मैं इसको दिखवा लूंगा। आपसे अलग इसमें विचार-विमर्श करने के लिए आप आयें और इसमें जो भी सुधार की गुंजाइश है, हम उस पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है...

श्री पेमाराम (धोद): वह क्या हो रहा है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है। माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आन ए पाइंट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, आप पहले...

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, फिर भी मैं...

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर है। पहले मुझे व्यवस्था देने दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, नहीं दे सकते।

श्री अध्यक्ष: काहे के लिए?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसलिए कि प्रश्न काल के तुरन्त बाद अगर विशेषाधिकार का प्रश्न लिया जाना है तो वह व्यवस्था के पहले आयेगा, बाद में नहीं आयेगा। यह नियमों में प्रावधान है। हां, बिलकुल; प्रश्न काल समाप्त होते ही विशेषाधिकार का प्रश्न आता है।

श्री अध्यक्ष: मेरे खयाल से व्यवस्था के बाद...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यही है, बिलकुल यही है, नियम 191 में साफ-साफ है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): कार्य-सूची में भी यही है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कार्य-सूची में भी यही है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): कार्य-सूची में भी यही है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कार्य-सूची भी है और नियम भी है। आप व्यवस्था बाद में देंगे, पहले उस पर निर्णय होगा।

श्री अध्यक्ष: वैसे मेरी जानकारी से तो बिजनेस शुरू होने से पहले वह आयेगा, जीरो आवर में नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, नियम है कि प्रश्न काल के तुरन्त बाद। प्रश्न काल के तुरन्त बाद है, साफ शब्द लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां जी, बैठ गया।

श्री अध्यक्ष: यह 160 का हवाला दे रहे हैं शायद आप। यह इसमें है कि ''अध्यक्ष यदि नियम 157 के अन्तर्गत सम्मति दे और यह ठहराये कि चर्चा के लिए प्रस्थापित विषय नियमानुकूल है तो वह प्रश्नों के बाद और कार्य-सूची का कार्य प्रारम्भ करने से पहले, सम्बन्धित सदस्य को पुकारेगा जो अपने स्थान पर खड़ा होगा और विशेषाधिकार प्रश्न उठाने की अनुमति मांगते हुए उससे संगत एक संक्षिप्त वक्तव्य देगा:

परन्तु जब अध्यक्ष ने नियम 157 के अन्तर्गत अपनी सम्मति देने से इंकार कर दिया हो या उसकी राय हो कि चर्चा के लिए प्रस्थापित विषय नियमानुकूल नहीं है तो, यदि वह आवश्यक समझे, उस विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना पढ़कर सुना सकेगा और कह सकेगा कि वह सम्मति देने से इंकार करता है या विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना को नियमानुकूल नहीं ठहराता:

परन्तु यह भी कि यदि अध्यक्ष का विषय की अविलम्बनीयता के सम्बन्ध में समाधान हो जाये तो प्रश्नों के निबटाये जाने के बाद ..।''

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आगे की प्रक्रिया आती ही नहीं। इसमें सिर्फ इतनी ही आती है कि अब विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आ गयी है; विशेषाधिकार के किसी भी प्रश्न का हम अगर विचार करते हैं तो प्रश्न काल के तुरन्त बाद वह विचार होता है और इसलिए आपकी जो व्यवस्थाएं हैं, वे उस पर होने के बाद हैं।

श्री अध्यक्ष: इस सम्बन्ध में पहले भी परम्परा सदन में यह रही है कि इसके बाद उसको ले लिया जाये। जीरो आवर के बाद में, एडजोर्नमेंट, काल अटेंशन, पर्ची के बाद में, हम पहले इसको लेंगे, बिजनेस बाद में शुरू करेंगे। यह परम्परा रही है पहले।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(श्री अध्यक्ष)

1. श्री अब्दुल सगीर खां एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से जिला धौलपुर में चोरी, डकैती, बैंकों में दिन-दहाड़े लूटपाट तथा बलात्कार की बढ़ती घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
2. श्री कैलाश चन्द भंसाली एवं एक अन्य सदस्य की ओर से जोधपुर शहर की तमाम मुख्य सड़कें क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3. श्री शंकर सिंह एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में रावत एवं मेहरात जाति के लोगों को अति पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में।
4. श्री अशोक परनामी एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से जयपुर की आगरा रोड के बायीं ओर जामडोली-सुमेल-बगराना आवासीय इलाके व खो-नागोरियान को बीसलपुर से पानी उपलब्ध कराने की योजना से जोड़ने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।
5. श्री हरिसिंह रावत एवं एक अन्य सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भीम के प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य एवं अन्य शिक्षकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
6. श्री शिवजीराम मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में अतिवृष्टि से खराब हुई खरीफ की फसलों का किसानों को मुआवजा देने के सम्बन्ध में।
7. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में सड़कों की बिगड़ी हालत से जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।
8. श्रीमती अनिता भदेल, सदस्या की ओर से अजमेर नगर निगम द्वारा आनासागर झील एवं पालबीचला झील के चारों ओर के भू-भाग को नो-कंस्ट्रक्शन जोन घोषित करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
9. श्री पेमाराम, सदस्य की ओर से जिला सीकर के श्रम विभाग कार्यालय में श्रमिकों के विभिन्न कार्यों के जमा आवेदन-पत्रों का निस्तारण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
10. श्री अमराराम, सदस्य की ओर से नागौर जिले में किसानों को मौसम आधारित फसल बीमा का क्लेम नहीं देने से उनके आंदोलित होने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं।

11. श्री गुलाब चन्द कटारिया एवं श्री वासुदेव देवनानी, सदस्यों की ओर से प्रदेश में गत चार वर्षों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बद-से-बदतर हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
12. श्री रामहेत सिंह एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में सड़कों की हालत बहुत दयनीय होने के सम्बन्ध में।
13. श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं 13 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में रबी की नष्ट हुई फसलों का एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा मुआवजा नहीं देने से किसानों में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।
14. श्री कालीचरण सराफ एवं श्री बनवारी लाल सिंघल, सदस्यों की ओर से जयपुर शहर में जनता द्वारा 27 ट्रकों में ठूसे गौवंश को रोकने की कोशिश करने वाले गौभक्तों पर पुलिस द्वारा किए गये लाठीचार्ज एवं केस बनाने से जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य, श्री गुलाब चन्द कटारिया, श्री वासुदेव देवनानी, श्री रामहेत सिंह, श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री कालीचरण सराफ एवं श्री बनवारी लाल सिंघल को अपने-अपने प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री अनिल जैन, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खानपुर में अतिवृष्टि से फसलों को हुए खराबे का सर्वे कराकर उचित मुआवजा तथा ऋण वसूली में राहत दिये जाने के सम्बन्ध में।
2. श्री अमराराम, सदस्य की ओर से एन.एच. 11, पलसाना बाइपास पर गोवटी-खाटू-जीणमाता रोड पर अंडरपास नहीं बनाने से जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।
3. श्रीमती अनिता भदेल, सदस्या की ओर से नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 03.03.2008 के अनुसार कृषि भूमि के गैर-कृषि भूमि

(श्री अध्यक्ष)

में नियमन के प्रकरण, ब्याज, शास्ति वसूल करते हुए निस्तारित करने के आदेश स्वायत्तशासी संस्थानों को प्रदान करने के सम्बन्ध में।

4. श्री ओम बिरला, सदस्य की ओर से कोटा सहित प्रदेश के समस्त शहरों व कस्बों में क्षतिग्रस्त सड़कों को अविलम्ब दुरुस्त कराने के सम्बन्ध में।

5. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्या की ओर से राणा प्रताप सागर बांध के विस्थापितों को वर्ष 1962-63 में गिरधरपुरा में बसाये जाने के उपरांत गिरधरपुरा से कोलीपुरा रास्ते का अधिकार छीन लेने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

6. श्री देवी सिंह भाटी, सदस्य की ओर से जिला जैसलमेर के गांव मूलाणा-रासला की देगराय माताजी मंदिर की ओरण भूमि को कंपनियों को आबंटित करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

7. डा. गोपाल जोशी, सदस्य की ओर से बीकानेर संभाग मुख्यालय में उच्च न्यायालय की बेंच/सर्किट बेंच स्थापित करने के सम्बन्ध में।

8. श्री शंकर सिंह, सदस्य की ओर से ब्यावर को शीघ्र ही जिला घोषित करने के सम्बन्ध में।

9. श्री फतेह सिंह, सदस्य की ओर से कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र की अधिक वर्षा के कारण नष्ट हुई फसलों का किसानों को मुआवजा देने के सम्बन्ध में।

10. श्री कैलाश चन्द भंसाली, सदस्य की ओर से जोधपुर शहर की सफाई व्यवस्था चौपट हो जाने के सम्बन्ध में।

11. श्री ग्यारसाराम कोली, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बयाना की सड़कों की हालत बहुत खराब होने के सम्बन्ध में।

12. श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में गत 5 माह पूर्व हुई ओलावृष्टि से फसल को हुए नुकसान का मुआवजा नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

प्रदेश में कानून-व्यवस्था की वर्तमान बदतर स्थिति

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था इतनी जर्जर और इतनी खराब स्थिति में पहुंच गयी है और दुर्भाग्य राजस्थान का यह है कि गृह मंत्री का जो जिम्मा है वह राजस्थान के मुखिया का है। राजस्थान के मुखिया की जिम्मेदारी के बाद, राजस्थान के ला एंड आर्डर की स्थिति बद से बदतर जिस ढंग से हो रही है, यह मैं नहीं कह रहा हूं, हिन्दुस्तान की जो क्राइम रिपोर्ट है, उसके तहत राजस्थान को जिस प्रकार के हालात में ले जाकर के खड़ा किया है, मुझे अफसोस इस बात का है कि मैंने जब यह लगाया तो मुख्य मंत्रीजी को स्वयं यहां उपस्थित रहकर के जवाब देना चाहिए, यह रिपोर्ट जो मैं बता रहा हूं, यह गुलाब चन्द कटारिया के आंकड़े नहीं हैं, ये क्राइम रिपोर्ट के आंकड़े हैं।

राष्ट्रीय अपराध में राजस्थान नम्बर दो पर आकर खड़ा हो गया, महाराष्ट्र नम्बर एक पर है और राजस्थान नम्बर दो पर है; जयपुर पूरे देश में जितने भी शहर हैं, उनमें तीसरे नम्बर पर अपराध की दृष्टि से रिकार्ड पर है; आपराधिक मामलों में हिन्दुस्तान के 15 जिलों में अलवर जिला एक है; महिलाओं पर होने वाले अत्याचार में राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है।

सबसे ज्यादा आर्थिक अपराध अगर कहीं है हिन्दुस्तान में, तो वह अकेले राजस्थान में है और एक-दो परसेंट नहीं, चौबीस परसेंट आर्थिक अपराध; इस हिन्दुस्तान में जो सौ परसेंट अपराध होते हैं, उसका चौबीस परसेंट केवल राजस्थान में आर्थिक अपराध हैं। इस सब में भी गरीब लुटा जा रहा है। बड़े-बड़े पेज के एडवरटाइजमेंट देकर, लोगों को आकर्षित करके पैसा इकट्ठा किया जाता है और रातोंरात ताला लगाकर भागे जा रहे हैं। गरीब आदमी अपना बड़ी मुश्किल से दो सौ, पांच सौ रुपया इकट्ठा करके जिनको जमा कराता है, उनकी स्थिति है।

यही नहीं, आपने देखा होगा कि पर्यावरण और वन विभाग के जो अपराध हैं, उनमें हिन्दुस्तान में नम्बर वन का कोई स्टेट है तो वह हमारा राजस्थान है।

दलित अत्याचार की दृष्टि से राजस्थान नम्बर वन पर है। हिन्दुस्तान का रिकार्ड 2.9 का है प्रति हजार, हमारा 7.5 है, दलित अत्याचार की दृष्टि से।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अफसोस के साथ मुझे यह कहना पड़ता है कि राजस्थान का, और जिस विषय को मैं यहां उठा रहा हूं, राजस्थान की जो तस्वीर खींची है, हिन्दुस्तान के अन्दर इस अपराध के रिकार्ड में 64 हजार अपराधी ऐसे हैं जो भगोड़े के रूप में हैं, 13 हजार ऐसे लोग हैं, गुमशुदा जिनका अता-पता आज दिन तक नहीं लग पाया है। सरकार की नाक के नीचे चिट फण्ड, पता नहीं, कौन-कौन से फण्ड की कम्पनियां चलती हैं और इतने दिनों तक चलती हैं और इतने फुल पेज के एडवरटाइजमेंट देते हैं, जब लोग चिल्लाते हैं तब पुलिस डिपार्टमेंट चेतता है।

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान का रिकार्ड बीट हो गया, राजस्थान का रिकार्ड इसलिए बीट हुआ कि राजस्थान में इन चार सालों में पुलिस जितनी बार पिटी है, शायद अब तक का रिकार्ड तोड़ दिया होगा; 2,272 बार राजस्थान की पुलिस अपराधियों के हाथ से पिट गई; और पिटी नहीं, तो 15 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया गया है।

आपने देखा होगा, 'गहलोत सरकार में थाने बिकते हैं', यह वर्डिंग मेरी नहीं है, हमारे यहां पुलिस कमिश्नर जयपुर का कहता है, 12 थानों के अपराधियों से मिलीभगत और भ्रष्टाचार के आरोप उसने लगाये। हमारे कई मंत्रियों को मंत्रिमण्डल से इसलिए हटाना पड़ा कि उन पर दाग के छींटे लगे थे। इसके कारण से आपने देखा होगा।

यह आश्चर्य है कि पाक के वाणिज्य मंत्री, मसूद अमीन अहमद यहां आये और यहां वे अजमेर में अपनी मीटिंग करके चले गये, हजारों लोगों के बीच में। यह सरकार है या मजाक है? यह पुलिस विभाग है या क्या है? एक विदेश का व्यक्ति आये, केवल जियारत करने के लिए और यहां आकर हजारों लोगों की मीटिंग को सम्बोधित करके चला जाये।

छोटी सादड़ी पुलिस थाने के अन्दर एक गरीब की बच्ची के साथ जिस ढंग का बलात्कार हुआ, वह तो केस आज कोर्ट ने फाइनल करके उन सबको सजा दे दी, नहीं तो, पुलिस ने तो उसको रफा-दफा करके रख दिया।

आपने देखा होगा, चेटक थाने में पुलिस की एक महिला कांस्टेबल के साथ पुलिस-कर्मी बलात्कार करता है, इससे ज्यादा अफसोस क्या होगा। जोधपुर जेल का जेल अधिकारी जोधपुर जेल में मार दिया जाये और उसके बाद भी सरकार को किसी प्रकार की चिंता नहीं।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(12.13 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में राजस्थान की स्थिति कितनी बद से बदतर हो रही है लेकिन पता नहीं, सब मौन बैठे हैं, कोई किसी विषय पर चर्चा करने को तैयार नहीं है, किसी को समय की फुर्सत नहीं है। इन 6 माह में राजस्थान में, ये अभी जो 6 महीने निकले हैं, इनमें पिछले 3 साल का रिकार्ड तोड़ दिया, क्राइम की दृष्टि से। चाहे वह दुष्कर्म हो, चाहे हत्या हो, चाहे डकैती हो, उनके सारे के सारे आंकड़े पब्लिश हुए। दलित अत्याचार में हमारा प्रदेश अव्वल नम्बर पर है; अव्वल नम्बर पर ही नहीं है, इतना बड़ा गैप है। मैं सोचता हूं कि पुलिस विभाग में तो किसी को देखने की फुर्सत ही नहीं है कि इस क्राइम रिकार्ड को उठाकर के तो देखें।

हमारे यहां राजस्थान में 45.49, एक तरह से जो दुष्कर्म हैं, दलित अत्याचार हैं, वे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा, उसके बाद गोवा में और जो वास्तव में अपराधी स्टेट थे, आज की तारीख में उनके अपराध घट रहे हैं। उस दृष्टि से भी किसी को कोई चिंता नहीं है। आपने देखा होगा, गौ-तस्करों के ऊपर गोलियां चलती हैं और गाजी फकीर के खिलाफ, अगर कोई उसकी बंद हिस्टरीशीट अगर पुलिस अधिकारियों के कहने के कारण से खोली जाती है तो वहां के एस पी को ही लाइन हाजिर किया जाता है और कहा यह जाता है कि हमने बदनीयती के साथ नहीं किया। तो आपके पुलिस ट्रेनिंग में लगाने की क्या औकात थी उसकी? क्या उसकी योग्यता इतनी थी कि वहां से हटाकर एडिशनल एस पी की पोस्ट जहां होती है, वहां लाकर आपने लगा दिया?

साम्प्रदायिक दंगों में तो हमने रिकार्ड तोड़ कर रख दिया। राजस्थान में, मुख्य मंत्रीजी, थोड़ा सा देखने की कोशिश करो, इन चार सालों में साम्प्रदायिक दंगे हुए 24, साम्प्रदायिक तनाव हुए 80 90 में भी, आपने देखा होगा, आप बड़ी डींगें मारते थे हमारी कि आपके यहां गोलियां चलती थीं, आपके राज में इन साढ़े चार सालों में 86 बार गोलियां चली हैं पुलिस की, 86 बार; 71 लोग घायल हुए और 34 लोग मौत के घाट उतर गये। वह तो आपको सफलता लगती है। आज दिन तक कोई इस सदन में ठीक प्रकार से बहस के लिए तैयार नहीं है।

आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से केकड़ी का, और कितने शहर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कितने दिनों तक बंद रहे, और बंद रहने का कारण कोई समझ में आता है? छोटी-छोटी बातों पर, जिन बंदों को आपको डील करना चाहिए, वह नहीं करने के कारण से, आपने देखा होगा कि केकड़ी के दो समुदायों में तलवारों का एक तरह से हुआ और आपने देखा होगा कि छोटे-छोटे राजसमन्द में झगड़े, छोटी सी बात के लिए, लोगों में झगड़े से नहीं निपट पाने के कारण से राजसमन्द चार दिन तक, पांच दिन तक व्यापार सारे के सारे बंद पड़े रहे और उसमें बेगुनाहों को जेल में ठूंस कर अपनी होशियारी बताने का काम किया।

52 महीनों में 24 हजार से ज्यादा महिलाएं, बालिकाएं राजस्थान से गायब हुई हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक राजस्थान में और क्या हो सकता है? 52 महीनों में 24 हजार से ज्यादा बालिकाएं इस राजस्थान से गायब हुई हैं।

आपने देखा होगा, आपने कहा था, पुलिस की 86 बार गोलियां चली थीं; हमारी गोलियां चली थीं एक आंदोलन में। बार-बार कहते थे, पानी के लिए गोलियां चलती हैं, दौसा में गोली चलने की क्या जरूरत हो गई? जब आपको लगता है कि विद्यार्थियों के चुनाव हैं तो क्या उसकी पहले व्यवस्था नहीं हो सकती? गोली चलाने की स्थिति आई और वह भी गोली चले और आदमी मर जाये, उसके बाद भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़े।

यह देखो, यह 'सडन राइज इन क्राइम केसेज इन पिंक सिटी', लगातार इसमें अपराध बढ़ रहे हैं। चेन स्नेचिंग में हिन्दुस्तान में नम्बर वन पर कोई है तो राजस्थान का जयपुर शहर है। यानी, वास्तव में दुर्भाग्य है और इसके बारे में न तो सरकार कोई कहती है और न सरकार को कोई चिंता है।

जहां कानून-व्यवस्था ठीक नहीं होती है तो वह राज्य किसी भी प्रकार से तरक्की के रास्ते पर नहीं जा सकता। आज एक नहीं, पचासों घटनाएं; 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार; शर्म आती है, जब उसको पढ़ते हैं। मैं सोचता हूं कि बलात्कार मेरे टाइम में गृह मंत्री रहते हुए भी हुए, मैं इसका घमण्ड नहीं कर रहा कि मेरे राज में नहीं हुए लेकिन कम से कम बलात्कार करने वालों को फास्ट-ट्रैक में डालकर महीने में, पन्द्रह दिन में जेल में भेजा जा सकता है। क्या ऐसे उपाय नहीं किये जा सकते हैं?

आज की तारीख में जिस प्रकार से बच्चियां असुरक्षित हुई हैं, आपने तो एक और कमाल किया हैं, कोई भी भगा कर ले जाए लड़की को, अन्तरजातीय विवाह का आपने पाँच लाख का पैकेज घोषित कर रखा है। कुछ

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

समझ जाओ और नहीं समझे तो इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। आये-दिन लोग जिस प्रकार की हरकतें करके जबरन लड़कियों को उठा ले जाते हैं और अन्तरजातीय विवाह के नाम से, एक तरफ उसके मां-बाप रोते फिरते हैं; अगर कोई खुशी-खुशी करता है, पांच के बजाय दस लाख रुपये दो, समझ में आ सकता है लेकिन जबरन उठा कर ले गया, मुकदमा दर्ज हुआ, मुकदमा चलने के बाद भी आपने उसको अन्तरजातीय विवाह का पांच लाख रुपये देकर उस अपराधी को आपने अन्तरजातीय विवाह, बच्चियों को उठा कर ले जाने, दुष्कर्म करने के लिए आपने पांच लाख रुपये का राजस्थान में सर्टिफिकेट दे दिया है। राजस्थान की जनता आपसे सवाल पूछेगी, जब चुनाव में जायेंगे तो। आपकी बच्ची को भी अगर कोई इस प्रकार से जबरन लेकर चला गया और उसके बाद शादी करने के बाद पांच लाख रुपये का जब पैकेज लेगा तो आपको कैसा लगेगा? अगर कोई खुशी-खुशी अन्तरजातीय विवाह करता है तो पांच के बजाय दस लाख रुपये की घोषणा करना, लेकिन जबरन उठा कर ले जाता है, उसके परिवार की बिना सहमति के उठा ले जाता है, उसके बाद भी यह सरकार पांच लाख रुपये दे।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर राजस्थान के ये जन-प्रतिनिधि जो यहां बैठे हैं, अगर इस सरकार, इस कानून-व्यवस्था की धज्जियां उड़ने के बाद भी अगर यहां मौन बैठे रहते हैं, न तो देश के प्रधान मंत्री की जुबान बोलने वाली है और न और कुछ है। आप वहां जाकर शिकायत करते हैं कि साम्प्रदायिक उन्माद फैला रहे हैं; साम्प्रदायिक उन्माद फैलाता कौन है? आपका राज है, साम्प्रदायिक उन्माद इस ढंग से क्यों आता है? क्यों उन गुण्डों को इस तरह से प्रश्रय मिलता है जिसके कारण आये-दिन ये घटनाएं घटती हैं? और अपराध किसने किया, इसकी सूची पब्लिश करो, कौन है अपराधी। उसके बाद अगर वातावरण बिगड़ता है तो दोषी कौन है? पहले अपराध करने वाला तो बच जाता है और बाद में बेगुनाहों को जेल में ठूंस कर आप केवल नाटक करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर, मंत्रीजी, आपके मन में कुछ थोड़ी बहुत भी इन्सानियत बची हो तो ये राजस्थान की दुर्दशा के जो आंकड़े मैंने क्राइम रिपोर्ट के सारे यहां रखे हैं, कृपा करके इस राजस्थान को सम्भालो। केवल मुख्य मंत्री के भरोसे छोड़कर आपको खाली झुनझुना पकड़ा दिया, स्टेट मिनिस्टर का काम क्या है? कुछ काम कर सकते हैं? कोई निर्णय ले सकते हैं? आज ऐसी दुर्गति राजस्थान की बनी है, उसके

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लिए जिम्मेदार, मैं समझता हूं, गृह मंत्री महोदय, स्वयं मुख्य मंत्री, राजस्थान के भी इसके जिम्मेदार हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री वासुदेव देवनानी।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): पाइंट आफ इंफार्मेशन।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, यह शून्य काल; नहीं, ...(व्यवधान) बाद में।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: श्री वासुदेव देवनानी। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब दे रहे हो कोई? (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): ×××

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप मंत्रीजी को बोलने दो पहले। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री उपाध्यक्ष: पहले मंत्री जी को।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री उपाध्यक्ष: पहले मंत्रीजी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, केवल मंत्रीजी का अंकित हो रहा है इस टाइम। (व्यवधान) आपको बाद में मौका देंगे। मंत्रीजी, पहले देवनानी जी बोल लें, फिर आप एक साथ दे दें। हां, देवनानी जी, आप तो सीनियर सदस्य हैं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप देवनानीजी के क्यों विघ्न डाल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मुझे बोलना है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बैठिए तो सही आप। देवनानीजी को, आप देवनानीजी से नाराज हैं क्या? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठिए फिर, उनको बोलने दो। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर कानून-व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। यहां पर आज आम व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित अनुभव कर रहा है। कोई भी व्यक्ति घर में ताला लगाकर जाने की स्थिति में नहीं है।

उसमें विशेष रूप से अजमेर तो एक संवेदनशील शहर है। वहां पर जिस तरह से बांग्लादेशी आकर के सारे अपना डेरा डाल रहे हैं, हजारों की संख्या में आज बांग्लादेशी अजमेर में उपस्थित हैं और पुलिस तो केवल एक औपचारिक और नाम मात्र की कार्यवाही करके और कुछ एक-दो को पकड़ कर के अपनी औपचारिकता कर रही है। आज दरगाह के आसपास और नागफनी क्षेत्र की पहाड़ियों पर अतिक्रमण कर मकान उन्होंने बना लिये हैं और मादक पदार्थों की तस्करी बड़े रूप में वहां हो रही है। बांग्लादेशियों ने आकर के मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड तक बनवा लिये हैं और आज उनके कारण से अजमेर की कानून-व्यवस्था चरमरा गई है। मैं मांग करता हूं कि पुलिस उसमें प्रभावी कार्यवाही करे। आज तक पुलिस उसमें किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।

दूसरा, अजमेर का एक किशनगढ़ थाना है, वह एक तरह से चोरों का पूरी तरह से अड्डा बन चुका है, उनका सुरक्षित पनाहगाह बन चुका है। वहां पर आज कोई भी व्यक्ति अपने घर पर ताला लगाकर न कहीं शादी में जा सकता है, न कहीं बाहर जा सकता है। कहीं भी बाहर गया तो तुरन्त ताला तोड़ कर के उसके यहां चोरी हो जाती है। वहां की महिलाएं यदि बाहर मंदिर जाती हैं, सवेरे, उनकी चेनें तोड़ी जा सकती हैं, कहीं ठेले पर सामान लेने आती हैं तो उनकी चेन-स्नैचिंग हो जाती है। यह अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, सब जगह शहरों में यह हाल है। पुलिस आज तक एक भी चेन स्नैचर को पकड़ नहीं पाई है। अजमेर में तो जनता ने, हमने पकड़ कर एक दिया, उसके खिलाफ भी उन्होंने...(व्यवधान) एक कालोनी की, वही बता रहा हूं।

(श्री वासुदेव देवनानी)

आज तक यह स्थिति है कि वहां का एस पी मंथली प्रकरण में जेल के अन्दर है; वहां के 12 सी आई ऐसे कगार पर हैं कि कब उनको गिरफ्तार किया जाएगा। सारा, वहां पर भ्रष्टाचार के ऐसे खराब हालात हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): कि पुलिस के सुरक्षित...(व्यवधान) मैं दो-तीन बिन्दु जो हैं, आज जैन मंदिरों में वहां पर चोरियां हुई हैं, मंदिरों में इतनी चोरियां होने के बाद उनमें कुछ पता नहीं लग रहा है कि क्या हुआ है। शराब, मादक पदार्थों की तस्करी, एक बड़ा मुद्दा, अजमेर में डिग्गी बाजार तीन दिन बंद रहा। वहां पर 1947 के बाद में मस्जिदें हैं, जो सरकार के अनुसार, बिना सरकार की अनुमति नहीं खुल सकतीं। (व्यवधान) जहां पर लोग रहते नहीं हैं, वहां पर भी मस्जिदें खोल कर के, एक तरह से असामाजिक तत्व वहां पर इस तरह का वातावरण फैला रहे हैं जिसके कारण से बाजार में इस तरह का डर था। वहां पर ऐसा वातावरण बना हुआ है, यहां पर 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगते हैं, उसके बाद एक सत्ताधारी दल का एक व्यक्ति अरेस्ट होता है, जो जेल में है लेकिन उसके बाकी जो साथी थे, उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस भारत के अन्दर यदि 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगेंगे, उसके कारण से सावर और केकड़ी में कई दिनों तक बंद रहा, लेकिन सरकार आंखें मूंद करके बैठी हुई है। जमीनों पर कब्जे करके लोग जा रहे हैं और पुलिस हमारी चुपचाप बैठी हुई है। कैसे गाड़ी चलेगी, समझ में नहीं आता।

यह पूरी तरह से, आज सरकार की किस तरह, राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज बच नहीं गई है। गृह मंत्री केवल मुख्य मंत्री की आड़ में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आज आम जन अपने आप को असुरक्षित पा रहा है, न कहीं वह जीवन जी सकता है; पता नहीं, किसके साथ कब क्या हो जाए, उसकी जीवन लीला कब समाप्त हो जाएगी, कब वह चला जाए, आज यह स्थिति पैदा हो गई है। इसलिए आज राजस्थान का व्यक्ति असुरक्षित है, कानून-व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है...

श्री उपाध्यक्ष: आप बिराजिए।...(व्यवधान)...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): इसका जवाब भी हमें चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: केवल किरणजी माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): यह जो अख़बार में बता कर, डी जी पी मेहमाननवाजी करा रहे हैं हिस्टरीशीटर से, इसका भी जवाब माननीय मंत्री महोदय से दिलवा दीजिए कि आखिरकार यह क्या है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अगर डी जी पी किसी हिस्टरीशीटर के यहां जाते हैं तो कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई पुलिस अधिकारी कोई कार्यवाही करेगा?

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मिलीभगत है, पुलिस के अधिकारियों और मंत्रियों ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह माननीय अध्यक्ष डिसाइड करेंगे।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल मंत्रीजी का अंकित होगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब नहीं चाहते हो क्या? आप विराजिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल मंत्रीजी का अंकित होगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल मंत्रीजी। आप विराजिए।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब आप ही शांत नहीं रहना चाहते। (व्यवधान) हां, उसको पूरा राजस्थान देखता है न।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए, यह नहीं है। इससे ज्यादा अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) मंत्रीजी को बोलने दो न आप। (व्यवधान) शांती जी और आपके भाई-चारा है, हमें बताइए मत सदन को। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, गृह): राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर अपनी चिंता प्रकट की है, नेता प्रतिपक्ष तो स्वयं गृह मंत्री गत शासन में रहे हैं और गत शासन के राज में जो स्थिति थी, उस स्थिति को पूरे देश ने देखा और आज भी वह इतिहास और रिकार्ड में दर्ज है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बोलने दीजिए न आप।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, गृह): लेकिन इनकी चिंता जायज है। क्योंकि गत शासन में चाहे वह एन्काउंटर की बात की जाए, जो जगजाहिर है; चाहे ब्राह्मण समाज जो आरक्षण की मांग लेकर आया, उन पर किये गये लाठी प्रहार की बात हो; चाहे व्यापारियों पर सरलीकरण योजना में कराने के लिए अपना प्रदर्शन यहां पर कर रहे थे, उन पर लाठी चार्ज की बात हो; चाहे नौजवानों पर लाठी चार्ज की बात हो; चाहे उन किसान जिन्होंने सिंचाई के लिए पानी मांगा, उन पर किया गया गोलियों का प्रहार और सैकड़ों किसानों की हत्या...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। (व्यवधान) केवल मंत्रीजी का अंकित होगा।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल मंत्रीजी का अंकित होगा।

मंत्रीजी, एक मिनट आप विराजो। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि कार्य-सूची के मुताबिक कल का दिन शेष है। कोई मंत्री दे या कोई माननीय सदस्य अपनी बात कहे, आप सुन लीजिये पहले, बीच में विघ्न पैदा करने के बाद कार्य-सूची का अगला सब्जेक्ट लिया जाएगा। मंत्रीजी का जवाब आने के बाद, उसमें अलाउ करना, नहीं करना, आसन का जो विशेषाधिकार है, उसका आप हनन करो और इस तरह से बात करो; माननीय सदस्य, यह परिपाटी नहीं डालनी चाहिए। आपको पांच साल हो गये, कृपा करके सुनिये आप। इससे न तो मंत्रीजी पूरी बात कह पायेंगे और न सदन के माननीय सदस्य पूरी बात कह पायेंगे। जब आपको पूरा मौका मिल रहा है तो फिर आप क्यों बीच में विघ्न डालते हैं? विघ्न डालने से कोई अपन वक्ता बनेंगे क्या?

इसलिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि सदन की कार्यवाही ठीक ढंग से चले, सरकार का पक्ष भी आये, माननीय सदस्य का पक्ष भी आये, प्रतिपक्ष का पक्ष भी आये। मैं बीच में माननीय मंत्रीजी को टोकता तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि इसको आप चलाइये दो

(श्री उपाध्यक्ष)

दिन तक, और ढंग से चले तो अच्छा मेसेज जायेगा, पुरानी बातें समाप्त हो जाएंगी और अच्छी बातें पैदा हो जाएंगी। (व्यवधान)

माननीय मंत्रीजी। केवल मंत्रीजी। आप अपने सदस्यों को कंट्रोल करिये; अमरारामजी, आप अपने सदस्यों को कंट्रोल करिये। आप उनको कानून की किताब, नियम की किताब पढ़ाइये पहले। (व्यवधान) केवल मंत्रीजी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल मंत्रीजी। आप अपना प्रस्ताव लाइये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: नहीं है। (व्यवधान) अब आप चाहते हैं न कि इस पर आगे बात हो? केवल मंत्रीजी। आप सुनना चाहते हों? आप सुनना चाहते हों? केवल मंत्रीजी का अंकित होगा, किसी अन्य का अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप खूब विरोध करिये। एक मिनट, मंत्रीजी। मंत्रीजी का जवाब सदन सुनना चाहता है या नहीं? माफ करना, बीच-बीच में नहीं। (व्यवधान) नहीं तो मैं अगला सब्जेक्ट लूं? आप चाहते हों कि मंत्रीजी जवाब नहीं दें?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: मेरे कहने के बाद ही अंकित होगा। (व्यवधान) इसलिए कि आप सुनना ही नहीं चाहते, आप नियम से नहीं आ रहे हो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं आपसे यह अर्ज कर रहा हूं कि आप नियम से आना ही नहीं चाहते। आप कार्यवाही सही ढंग से कराओ तो सदन विचार करेगा। आप बीच में बोल गये, इसलिए आपका अंकित भी नहीं हुआ है। माननीय मंत्रीजी। आपने फिर चालू कर दिया। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल मंत्रीजी का अंकित होगा।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, गृह): शब्दों पर जाइये, पहले इसको सुनकर जाइये, सीनियर हैं। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: यह तीये की बैठक वाला शब्द अंकित नहीं होगा।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, गृह): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में दर्ज प्रकरणों की संख्या में बढ़ोतरी पर, अपराधों पर....

श्री उपाध्यक्ष: आप भी संक्षिप्त में बता दो।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, गृह): बिलकुल संक्षिप्त में रहेगा। (व्यवधान) आंकड़े भी हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके आदेशानुसार मैं संक्षिप्त में माननीय सदस्यों ने जो विषय रखा, उस पर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

जिन अपराधों की बात की जा रही है, उनमें विशेष रूप से आज के समय में फेसबुक पर अश्लील टिप्पणी किये जाने के साथ उस पर तनाव की स्थिति अनेकों स्थान पर बनने की घटनाएं समय-समय पर सामने आईं। उसमें राज्य सरकार द्वारा प्रावधान किये गये, साइबर थाने की अलग व्यवस्था की गई है और इस प्रकार की टिप्पणियों को तत्काल हटाये जाने के लिए प्रशासन सतर्क होकर कार्य करता है और तनाव की स्थिति को भी कंट्रोल में करने के लिए कार्य किया जाता है।

वही, दूसरी ओर, आर्थिक अपराध की जो बात की जा रही है, मल्टी-लेवल मार्केटिंग कम्पनियां, जिनके बारे में बात की जाती है, उन कम्पनियों की कार्यशैली के ऊपर अंकुश लगाया जाकर नई नीति का निर्धारण किया गया है और इस प्रकार के अपराधों और अपराधियों पर तीखी नजर रखते हुए विभाग द्वारा अपनी ओर से कार्य किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मेघवाल जी, मंत्रीजी डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप बातचीत बन्द करिये। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, गृह): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से, अभी माननीय सदस्य जो दलितों पर अपराध की बात फरमा रहे थे, उस सम्बन्ध में की गई घटनाओं पर पारदर्शिता से जांच किये जाने के लिए ए.डी.जी., सिविल राइट्स, एक अलग विंग का गठन किया गया है जिसमें बड़ी पारदर्शिता के साथ में इस प्रकार के प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है और अपराधियों को दण्ड दिलाये जाने के लिए विभाग मुस्तैदी से कार्य कर रहा है।

साथ ही साथ आपने लापता लोगों के विषय में जो चिन्ता प्रकट की है, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इसके लिए भी एक अलग व्यवस्था कायम की गई है, आई.जी. स्तर के अधिकारी इस पर निगाह रखते हैं

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)
और राज्य के अधिकांश जिलों में ये सैल कार्य कर रहे हैं, जिसके अन्तर्गत इस प्रकार की घटनाओं की गहनता से जांच की जाती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सार में मेरा निवेदन यह है कि जहां एक ओर नये कांस्टेबलों की भर्ती किये जाने का कार्य हुआ है, लगभग 30 हजार पद सृजित किये गये और भर्ती का कार्य चल रहा है। नये थाने खोला जाना, नये सी.ओ. सर्किल्स को खोला जाना और साथ ही साथ, आधुनिक तकनीक से किये गये अपराधों की जांच की प्रक्रिया को चलाया जाना, आफिसर्स को ट्रेंड करना, ये सब कार्य आज की स्थिति में आज राज्य में किये जा रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि इन सब का जो दूरगामी परिणाम सामने आया है, उसके चलते न सिर्फ अपराधों की संख्या पर नियंत्रण हुआ है, बल्कि अपराधियों को भी पकड़ा जा रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री रामहेत सिंह। केवल रामहेत सिंह।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपको बोलने का मौका मिल गया। आप नहीं बोलना चाहते हो क्या? आप इनसे.... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: वे क्या कहेंगे, यह आपको पता है क्या? यह पहले पता कैसे चल गया? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: ये सरकार का कोई पक्ष रखना चाहते हैं तो क्या एतराज है? व्यक्तिगत नहीं, सरकार का पक्ष है। केवल मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय आहूजाजी, आप विराजिये। (व्यवधान) माननीय आहूजाजी। केवल मंत्रीजी का अंकित होगा। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री उपाध्यक्ष: इनके बाद में। आप बैठें। केवल मंत्रीजी का। (व्यवधान) केवल मंत्रीजी का अंकित होगा, और किसी का अंकित नहीं होगा। मंत्रीजी बोल रहे हैं, केवल उन्हीं का अंकित होगा। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपका अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) आपका अंकित नहीं हो रहा है, आप विराजिये। आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: धौलपुर तो पहले भी था, आप विराजिये। (व्यवधान) आप विराजिये। आप शिक्षा मत दीजिये, विराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कटारिया साहब ने...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल मंत्रीजी का अंकित होगा। केवल मंत्रीजी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कटारिया साहब ने कानून-व्यवस्था के बाबत चिंता जताई...

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: मैंने अलाउ किया है, मैंने अलाउ किया है, आप विराजिये। आपका अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप तो विराजो। वीरेन्द्रजी, विराजो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि अगर कानून-व्यवस्था के बाबत सदन

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

के अन्य कोई भी सदस्य सवाल उठाते तो बात समझ में आ सकती थी, लेकिन कटारिया साहब कानून-व्यवस्था के बारे में चिंतित हों, यह बड़ी आश्चर्य की बात है हमारे लिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप सुनिये तो सही। (व्यवधान) आप सुनना नहीं चाहते? आप सुनना नहीं चाहते क्या? (व्यवधान) माद्दा भी रखो जवाब सुनने का।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: रामगढ़ से आने वाले माननीय विधायक, आप भी रखो। आप सदन में विघ्न पैदा नहीं करें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप विराजो। विराजो, विराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। आप जवाब सुनिये। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कटारिया साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं, यह बता दें कि आप 2004 में गृह मंत्री बने इस प्रदेश के, उस 2004 के पहले क्या कभी चेन स्नैचिंग की खबर आपने पढ़ी राजस्थान में? उदयपुर में खुले आम डकैती, खुले आम गोलीबारी, कभी पहले पढ़ी है आपने? ये सब आपके वक्त में हुए। जितना कानून का बिगाड़ आपके वक्त में हुआ, किसी भी गृह मंत्री के टाइम पर इतना कानून का बिगाड़ इस प्रदेश में नहीं हुआ। यह क्यों स्थिति हुई है, यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल मंत्रीजी का।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): किसी नाराजगी की वजह से आप हमारे खिलाफ आरोप लगा देना चाहते हों... (व्यवधान) कोई दिक्कत नहीं है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप मेरी पूरी बात सुनिये। मैं बोल लूं, उसके बाद आप बोल लेना। (व्यवधान) मेरी पूरी बात पहले सुनिये, आप उसके बाद बोल लेना।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पहली बार। पहली बार। (व्यवधान) कभी नहीं हुआ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कभी नहीं हुआ। यह जो क्राइम रिपोर्ट आपने आज की पढ़ी है, 2004 की भी पढ़िये, 2005 की भी पढ़िये, 2006, 2007, 2008 की भी पढ़िये, वे भी क्राइम रिपोर्ट हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पहली बार हुई।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): एक घटना बता दीजिये, चेन स्नैचिंग की एक घटना, 2004 के पहले हुई हो; एक घटना बता दीजिये। यह सब आपके टाइम पर चालू हुआ। (व्यवधान) मेरा यह आरोप है आप पर।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब आप बात सुनिये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं सदन में आपसे यह उम्मीद नहीं करता कि आप दूसरे का जवाब नहीं सुनेंगे। आपकी बात को हमने बहुत शांतिपूर्वक सुना है, मेरा जवाब भी सुनिये आप। मेरा जवाब भी सुन लें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बरदाश्त नहीं होता, सही बात बरदाश्त नहीं होती। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। (व्यवधान) केवल धारीवालजी। केवल धारीवालजी। (व्यवधान) विराजिये, विराजिये, आपको समय पर मौका मिलेगा। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल माननीय रामहेत सिंहजी। केवल रामहेत सिंहजी का अंकित होगा। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल रामहेत सिंहजी का अंकित होगा। आप बोलिये। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री उपाध्यक्ष: रामहेत सिंहजी का अंकित होगा। आप बोलिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ×××

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल रामहेत सिंहजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये। बिरलाजी, आप विराजिये। बिरलाजी, बिरलाजी, आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: इसको समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2007 में...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह कोई...

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): आपने, आसन ने व्यवस्था दी है, साहब। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट बैठिये। रामहेत सिंहजी, बैठिये, एक मिनट विराजिये। (व्यवधान) कोई हाट एक्सचेंज...(व्यवधान) गर्मागर्मी खतम होनी चाहिए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अभी जैसा कटारिया साहब ने कहा कि अन्तरजातीय विवाह में पांच हजार रुपये से लेकर के पांच लाख रुपये तक कर दिये गये हैं, वह सर्कुलर शायद आपने पूरा नहीं पढ़ा है कि किन शर्तों पर अन्तरजातीय विवाह करने वालों को राज्य सरकार से पैसा मिलेगा। मुझे दुःख इस बात का है कि जितनी भी योजनाएं जरूरतमंदों के लिए, जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, उन गरीबों के लिए राजस्थान सरकार ने चलाई हैं, उन सबके बारे में, एक ही के बारे में नहीं, सब के बारे में आप सब के पेटों में दर्द है; सब के पेटों में दर्द है। (व्यवधान) तो यह तो कहोगे आप। कहोगे आप। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप एक-एक बोलेंगे तो कोई आयेगा। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: हां, रामहेत सिंह जी, बोलिये आप। केवल रामहेत सिंहजी का। हां, रामहेत सिंहजी।

किशनगढ़ बास में सड़कों की दयनीय स्थिति

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): उपाध्यक्ष महोदय, 2007 में तत्कालीन सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्रीजी के सामने तहसील कोटकासिम और किशनगढ़ की जनता ने कहा कि हमको घूम कर जाना पड़ता है और रेवाड़ी जिला हरियाणा से जुड़ा हुआ है, इसलिए अलवर को रेवाड़ी से जोड़ने के लिए कोटकासिम होते हुए एक अच्छी सड़क बन जाय। उसी समय माननीय तत्कालीन सार्वजनिक निर्माण मंत्री, आदरणीय राजेन्द्र राठौड़ ने और माननीया मुख्य मंत्री, वसुंधरा राजे ने किशनगढ़ से लेकर हरियाणा बोर्डर तक इंटरस्टेट और सेंटर रोड फंड के माध्यम से सड़क केन्द्र सरकार को स्वीकृति के लिए भेजी। जब मैं विधायक बना, 2009 में मैंने प्रश्न लगाया कि यह सड़क कब तक स्वीकृत हो जायेगी और कब तक बन जायेगी, तो तत्कालीन माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी ने मुझे प्रश्न के जवाब में बताया कि शीघ्र ही केन्द्र सरकार से स्वीकृत होकर के यह सड़क आ जायेगी। लाख प्रयास करने के बाद में 2012, फरवरी में यह सड़क स्वीकृत हुई, होने के बाद उसके टेंडर हुए और 1 अप्रैल, 2012 को सड़क का माननीय चिकित्सा मंत्री और माननीय केन्द्रीय मंत्री, गृह राज्य मंत्री थे, तत्कालीन, केन्द्र सरकार के, उन्होंने उस सड़क का उद्घाटन किया और उद्घाटन करने के बाद काम प्रारम्भ हो गया।

आज तक वह सड़क बन नहीं पाई; उस सड़क को रोक दिया गया, केन्द्र सरकार के पास फाइल वापस भेजी, टेंडर होने के बाद। उसके कारण हैं कि पी.डब्ल्यू.डी. विभाग, पूरा, इंजीनियर्स सहित, मंत्री सहित का संरक्षण वहां पर टोल टैक्स वालों को है, जो टोल लगा हुआ है। अलवर से हम सीधा कोटकासिम होकर रेवाड़ी जायेंगे तो मात्र 81 किलोमीटर पड़ता है और अलवर से वाया भिवाड़ी होकर के, धारूहेड़ा होकर के जायेंगे तो हमको 136 किलोमीटर चलना पड़ता है और उस रोड पर पहले से टोल लगा हुआ है, टोल की सड़क है। टोल माफियाओं के माध्यम से, दबाव में सरकार उस सड़क को बनाना नहीं चाहती।

(श्री रामहेत सिंह)

उसी सड़क का नहीं, जो भी हरियाणा को जोड़ने वाली सड़क है, चाहे गोठड़ा से भगेरी होकर के बावल को जोड़ने वाली सड़क हो, या जोड़िया से गेलपुर होकर जोड़ने वाली सड़क हो, या और जितनी भी सड़कें हैं, इवन किशनगढ़ बास के अन्दर जो पैसा स्वीकृत है सड़क बनाने के लिए, अनाज मंडी के सामने आज चार-चार फीट पानी खड़ा है; जो सड़क बनी नहीं है, जिसके टेंडर हो गये हैं, उस पर तीन-तीन फीट पानी भिलाड़ी के अन्दर खड़ा है। यहां के अधिकारी, यहां के मंत्री महोदय, पी.डब्ल्यू.डी. के लोग नहीं चाहते कि आवागमन का सस्ता साधन रेवाड़ी के लिए जनता को मिले।

मैं मांग करना चाहता हूं आपके माध्यम से, किशनगढ़ के क्षेत्र को चला करके, पूरे मेवात की सड़कें हों, चाहे हरियाणा बोर्डर को जोड़ने वाली सड़कें हों....

श्री उपाध्यक्ष: अब समाप्त करें।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): जो स्वीकृत होने के बाद, पैसा स्वीकृत हो गया, चला कर उन सड़कों को रोका गया है। एक फाइल को दिल्ली भेज दिया, एक फाइल को जयपुर भेज दिया। नियम है, सब जानते हैं कि दस परसेंट अगर, टेंडर राशि हो, उससे दस परसेंट तक और राशि स्वीकृत की जा सकती है, बारह किलोमीटर सैंक्शन की और नौ किलोमीटर बना कर रोक दी।

श्री उपाध्यक्ष: अब समाप्त करें। समाप्त करें।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह कोटकासिम वाली सड़क कब तक बन जायेगी? यह जो सड़कों में पानी खड़ा हुआ है तीन-तीन फीट, चाहे भिलाड़ी में हो, चाहे किशनगढ़ बस स्टैण्ड के पास हो; इसी तरह से, टोल वालों के दबाव के कारण ही हमारे न किशनगढ़ बाइपास रखा, न खैरथल बाइपास आर.ओ.बी. बनाने की योजना रखी। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसका जवाब दें और यह बतायें कि ...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। अब श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): हरियाणा और किशनगढ़ से हरियाणा वाली सड़कें हैं, जिनके आर्डर हो गये हैं, जिनके टेंडर हो गये, उन सड़कों को कब तक बनवा देंगे? बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजेन्द्रजी राठौड़। श्री राजेन्द्रजी राठौड़। (व्यवधान)

रबी की नष्ट फसलों का इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा मुआवजा नहीं दिया जाना

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान राज्य के 22 जिलों और 19 तहसीलों में जो धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करता है, उन अन्नदाताओं के साथ होने वाले अन्याय की ओर दिलाना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार घोषणाओं की सरकार है, इस सरकार ने जिस घोषणापत्र के बारे में यह कहा था कि यह हमारे शासन का आधार है, आज पौने पांच वर्ष बाद वे सारी घोषणाएं अधर में लटकी नजर आ रही हैं। एक घोषणा की थी घोषणापत्र में, पृष्ठ दस में, और यह कहा था कि फसल बीमा योजना कांग्रेस की हुकुमत आई तो हम ग्राम पंचायत इसकी इकाई बनायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह दम तोड़ती हुई सरकार है, इस सरकार के सत्ता पक्ष को उम्मीद नहीं, इनका व्यवहार आप देख रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष: सब्जेक्ट पर बोलेंगे तो...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रतिपक्ष में बैठे लोग, जो सीनियर लोग बैठे हैं, शायद जब सत्ता परिवर्तन होगा तीन महीने के बाद, तब राजस्थान में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी और सरकार के बीच के गठजोड़ का पर्दाफाश जरूर करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, 17 दिसम्बर, 2012 को इस सरकार ने 22 जिलों में चौदह अधिसूचित फसलों के बारे में फसल बीमा योजना लागू की थी और इसके साथ ही, ऋणी किसान, किसान किसी भी वित्तीय संस्था से लोन ले, चाहे को-आपरेटिव बैंक से लोन ले, कामर्शियल बैंक से लोन ले, के.सी.सी. बनवाये, ऋणी किसान ज्यों ही लोन लेता है, उसका प्रीमियम अपने आप काट कर इंश्योरेंस कम्पनी के खाते में जमा होने का प्रावधान भी कर दिया। और तो और, उपाध्यक्ष महोदय, जो किसान क्रेडिट कार्ड बनता है साल में एक बार, अगर आपने किसान क्रेडिट कार्ड बनाया तो रबी और खरीफ दोनों की फसल का जो अधिसूचित बीमित क्षेत्र का प्रीमियम है, वह कट कर बीमा कम्पनी के खाते में चला जाता है।

आज हालात ये हैं कि राजस्थान में सत्तर प्रतिशत किसान दोहरा लोन ले रहे हैं। सरकार ने घोषणा की थी कि डेढ़ लाख रुपये तक वे बिना किसी ब्याज के सहकारी समितियों द्वारा, सहकारी बैंकों द्वारा ऋण देंगे, यह घोषणा थोथी साबित हुई। आज पूरे राज्य में कहीं भी दस हजार से लेकर चालीस हजार से ज्यादा इन को-आपरेटिव सोसायटीज से लोन नहीं मिल रहा।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की है कि 31 दिसम्बर वह तारीख है जिस तारीख से पहले किसान को, जो ऋणी किसान है उसके द्वारा घोषित कि मैंने इतने रकबे में अमुक-अमुक फसल पैदा की है, उस क्षेत्रफल को सही मानते हुए प्रीमियम का रुपया कटकर इंश्योरेंस कम्पनी के पास चला जाता है।

मैं निवेदन इसलिए करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर जो प्रीमियम है, वह प्रीमियम छोटा-मोटा नहीं है। मैं एक फसल का उदाहरण दे रहा हूं, गेहूं में बीमित क्षेत्र का डेढ़ प्रतिशत का प्रीमियम किसान के खाते से कटता है और शेष जो साढ़े छह प्रतिशत है, उसमें पचास पाइंट भारत सरकार और पचास पाइंट राजस्थान की सरकार देती है। यानी, प्रीमियम आठ प्रतिशत के लगभग है। मैं अगर चूरू जिले की बात करूं, तो चूरू जिले में, सिर्फ रबी की फसल

(13.00 बजे)

की बात कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, 1 लाख 88 हजार 87 किसानों ने इसमें बीमा करवाया और किसान के खाते से 12 करोड़ 75 लाख रुपये कटे हैं और सरकार का पैसा मिलाये तो 51 करोड़ 12 लाख 626 हजार रुपया सिर्फ रबी की फसल में एक जिले में कटा है। किसान ने चूंकि दोहरा ऋण लिया, किसान को अपनी आजीविका चलानी है इसलिए दोहरा प्रीमियम। के.सी.सी. से उसने लोन लिया, उस वक्त उसका प्रीमियम भी कटा और उसने सहकारी बैंक से लोन लिया, उसका भी कटा और कामर्शियल बैंक से लिया, उसका भी कटा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी है, इसकी एक सब्सिडियरी कम्पनी है, नेशनल कोलेटरल मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड, उन्होंने मौसम केन्द्र स्थापित कर रखे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: यह किसका है? भारत सरकार का नियम है या राजस्थान सरकार का है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): एग्रीकल्चर इंश्योरेंस जो कम्पनी है, यह भारत सरकार की नहीं है, यह इनकी खुद की सब्सिडियरी की कम्पनी है जो मौसम की माप-जोख के लिए तंत्र स्थापित करती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे चूरू जिले के अन्दर यह मौसम केन्द्रों से आंकड़े, जो मुआवजा तय करने के लिए इस कम्पनी ने दिये थे, उस मुआवजे में हेराफेरी की गई और यह हेराफेरी जब पकड़ी गई, तब इंश्योरेंस कम्पनी के एम.डी. को भी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कहना पड़ा कि हमने जो मुआवजा पहले तय किया था, प्रति बीघा, वह कम था; वह तीन हजार रुपये प्रति एकड़ था, इसको हम बढ़ाकर के छह हजार रुपये करेंगे। यह बात जब इसी 19 अगस्त को, किसान की बात हुई तब हुई थी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जब किसानों को मुआवजा देने की बात आई तो पहले तो सरकार ने कहा; जब किसान आंदोलन पर उतरा, चूरू जिले में 31 दिन तो तारानगर की तहसील का किसान तहसील मुख्यालय में मेरे साथ बैठा रहा, अलग-अलग राजनीतिक दलों के झण्डे के नीचे किसानों ने आंदोलन किया और जब किसान को मुआवजा देने की बात आई तो उन्होंने कहा, गिरदावरी के आधार पर मुआवजा देंगे। इन्होंने जो सूचना जारी की है, इसमें कहीं भी गिरदावरी के आधार पर मुआवजा देना नहीं लिखा। अगर गिरदावरी के आधार पर मुआवजा देना था तो किसान का पूरा क्षेत्रफल, जो उसने घोषित किया, लोन लेते हुए, उसका इन्होंने उस हिसाब से प्रीमियम क्यों काटा?

आज मुझे एक उत्तर मिला है, उस उत्तर में यह लिखा है कि चूरू जिले के अन्दर 6 लाख 82 हजार एकड़ बीमित क्षेत्र है। अब यह कह रहे हैं कि हम जो मुआवजा देंगे, वह सैटेलाइट से जो चित्र लिया है इंश्योरेंस कम्पनी ने, उसके आधार पर मुआवजा देंगे। यह एक तरह से राजस्थान के किसान के साथ सीधा-सीधा अन्याय है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो 6 लाख 82 हजार एकड़ बीमित क्षेत्र है, सैटेलाइट से जो चित्र लिया है उसमें आता है 2 लाख 34 हजार; यानी 3 लाख हैक्टेयर में एक जिले के अन्दर जिस बीमा कम्पनी ने किसान का बीमा का प्रीमियम काटा, आज वह उनको मुआवजा देने से मुकर रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह एक बड़ा गम्भीर मामला है और 26 जुलाई को, हमारे प्रभारी मंत्रीजी बैठे हुए हैं, कुन्नर साहब, ये मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर वे घटिया लैपटाप बांटने गये थे, ये जब गये तो पंचायत समिति को किसानों ने घेर लिया।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, यह लैपटाप की क्वालिटी आप कैसे जांच रहे हो? घटिया कैसे बता रहे हैं आप किसी चीज को? वह विद्यार्थियों के काम आने वाली चीज है। सरकार की सारी योजनाओं को घटिया बताओगे; लैपटाप भी घटिया है, दवाई भी घटिया है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बीमा तक सीमित रहो।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यह एच पी कम्पनी का है, 19 हजार का लैपटाप है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मेरी चुनौती है केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य को, अगर आप एक सदन की कमेटी बना लो...

श्री उपाध्यक्ष: कृपया आप बीमा तक सीमित रहें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): और जो पीसी टैबलेट के नाम पर आपने बांटे हैं राजस्थान के बच्चों को, अगर वे सही निकल जाएं तो या तो आप इस्तीफा दे देना, नहीं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं आपको प्रूव करा दूंगा, इसी सदन में आपको लाकर दूंगा कि यह चीज आपने बांटी, अमुख तहसील में बांटी।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): छह-छह हजार रुपये दिये हैं नकद पीसी टैबलेट्स के। उसका तो खुद ही खरीदेगा वह, वह खुद ही खरीद रहा है। आरोप ही सही नहीं है आपका। वह खुद खरीद रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपने नकद भी बांटे हैं, आपने दोनों बांटे हैं। आपको यही मालूम नहीं है कि आपने खुद ने भी बांटे हैं। आप खड़े होकर के कह रहे हो, खुद ने नहीं बांटे।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): लैपटाप बांटे हैं 19-19 हजार के, अगर वह खराब निकल जाएं तो आप सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दो। आप किसको चुनौती दे रहे हो?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बीमा तक सीमित रहें।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): मैंने 19 हजार के लैपटाप बांटे हैं अपने हाथों से और वे एच पी कंपनी के हैं और बाजार से पता कर लेना, उसकी रेट क्या है। सरकार अगर अच्छी योजना लेकर आ रही है तो आपके पेट में दर्द हो रहा है उस चीज का।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...(व्यवधान) उनका क्या हुआ है? शाहपुरा के अन्दर आपने बांटें। माननीय सदस्य अभी हैं नहीं, आज अख़बारों में, समाचार पत्रों में छप रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष: आप बीमा तक सीमित रहें।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप फ़सली बीमा पर बोल रहे हो या किसानों के मुआवजे पर बोल रहे हो या लैपटाप पर बोल रहे हो?

श्री उपाध्यक्ष: आपकी बात समाप्त हो गई, इसका मतलब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि 26 जुलाई को प्रभारी मंत्री महोदय का तारानगर के किसानों ने घेराव किया। वे किसानों के बीच में आये, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उनको, आपने किसानों के बीच में जाकर यह कहा कि बीज-मारी के आधार पर, यानी किसान ने बीज बोया और अंकुरित नहीं हुआ, उसका सारा आकलन कराकर के हम बीज-मारी के आधार पर किसान को मुआवजा देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, बीज-मारी की रिपोर्ट का यह जो मुझे उत्तर मिला है, इसमें कलक्टर ने कहा है कि ''जिला कलक्टर, चूरू से फसल बुआई के समय फसल नष्ट होने की सूचना दिनांक 23.07.2013 को प्राप्त हो गई। उक्त सूचना विभाग द्वारा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड को भिजवा दी है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड ने बीज-मारी क्षेत्र की सूचना को तथ्य के आधार पर नहीं मानते हुए उसे स्वीकार नहीं किया।'' मतलब, राजस्थान की सरकार के मंत्री महोदय कहकर के गये कि बीज-मारी के आधार पर चूरू जिले के किसानों को मुआवजा दिया जाएगा; मुझे अफसोस है, मंत्री महोदय, आपने कहा, मेरे सामने आपने मुख्य सचिव से बात की और आपने आश्वस्त किया कि बीज-मारी के आधार पर किसान को मुआवजा मिले; आज राजस्थान के किसान को, मैं पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूं, 99 तहसीलों में रहने वाले किसानों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और सैटेलाइट की तस्वीर को एक आधार बनाया जा रहा है। जब आपने प्रीमियम लिया, तब किसान ने जो क्षेत्रफल घोषित किया उसका पूरा प्रीमियम लिया, उनसे दोहरा प्रीमियम लिया और आज आप किसान के साथ अन्याय कर रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, यह अंतिम सत्र है, समय बदलेगा और समय के चक्र के साथ राजस्थान का किसान इस बात को याद रखेगा कि आपने किस तरह से धोखाधड़ी की है...

श्री उपाध्यक्ष: आपकी बात समाप्त हो गई है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): किस तरह से मल्टीनेशनल कम्पनी के साथ मिलकर के धोखाधड़ी की है और किसान इसका जवाब निश्चित समय पर देगा, माननीय केकड़ी से आने वाले सदस्य, आप यह ध्यान रखना।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री कालीचरणजी सराफ। माननीय श्री कालीचरणजी सराफ का अंकित होगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल कालीचरण जी सराफ का अंकित होगा, और किसी का अंकित नहीं होगा।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल कालीचरणजी सराफ का। किसने मना किया?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कालीचरणजी सराफ, आपको बोलना है?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): पहले ये बोलने तो दें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपका अंकित नहीं हो रहा है। केवल कालीचरण जी सराफ का।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कालीचरणजी सराफ, आप बोलिये ना।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैं तो बोलने के लिए तैयार हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलिये, आपका अंकित हो रहा है, और किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप पार्टी से नाराज हो सकते हैं, कालीचरणजी से क्यों नाराज हैं आप? कालीचरणजी, आप बोलें।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपके मेम्बर बोल रहे हैं। केवल कालीचरणजी सराफ का अंकित होगा।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय अमरारामजी, आप विराजिए। केवल कालीचरणजी का।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल कालीचरणजी का।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप तो बोलो।

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अब तो बैठ जाओ, हो गया।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: मैं आपसे एक निवेदन करूं, आप एक मिनट विराजिये न, मैं माननीय अमरारामजी से और साथी सदस्यों से विनम्र अनुरोध करूंगा कि हाउस को कैप्चर करने की कोशिश नहीं करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनिये बात को, आप सुनिये, यदि सरकार जवाब देती है तो आसन को कोई एतराज नहीं है लेकिन इस तरह से हाउस कैप्चर करोगे, अंकित नहीं होगा। समय जाया करोगे। यह बताने के लिए, यदि एक माननीय सदस्य यह चाहता है कि दूसरे माननीय सदस्य ने कोई प्रस्ताव रखा, मेरा भी नाम आए तो ऐसा नहीं होगा। आप सुनिये, आप बहुत सीनियर मेम्बर हैं, आपका बहुत सम्मान है, हाउस भी सम्मान करता है, इसका मतलब यह नहीं है कि उस सम्मान...(व्यवधान) आप सुनिये न। आप चाहें जो कर लो, इस बात को छोड़ो। आप हाउस को कैप्चर मत करो, दूसरे माननीय सदस्यों का समय भी उसमें जाया होता है। केवल कालीचरणजी सराफ का अंकित हो रहा है। आप अपने मेम्बर से नाराज क्यों हैं? आपके सदस्य आपके खिलाफ हो रहे हैं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, आपका अंकित नहीं होगा। केवल कालीचरणजी का। आप बोलिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल कालीचरणजी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलिये, आपका अंकित हो रहा है, केवल आपका अंकित हो रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल कालीचरणजी। आप तो बोलिये। कालीचरणजी, आप तो बोलिये, आपका अंकित हो रहा है केवल।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कालीचरणजी।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय उपाध्यक्षजी, ...(व्यवधान) आप बैठो, पेमारामजी।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है किसी का। केवल कालीचरणजी सराफ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलिये न। उनका अंकित नहीं हो रहा है, आपका अंकित हो रहा है; सिर्फ आपका अंकित हो रहा है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से...(व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल कालीचरणजी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपके मेम्बर हैं वे तो। केवल कालीचरणजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री उपाध्यक्ष: मैं आज आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक मिनट, आप अपने सदस्यों को डेकोरम में तो रखिये। सदन आपका भी है, सबका है, हर मेम्बर का है। हर मेम्बर बोलना चाहता है। अभी पांच बजते ही हाउस एडजोर्न हो जाएगा।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: गम्भीर है, गम्भीर मामला हाउस के नोटिस में आ गया। आप तो मंत्री रहे हो और तब मंत्री रहे हो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

(भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कालीचरणजी, बोलिये आप। कालीचरणजी।

श्री विनोद कुमार 'लीलांवाली' (राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज): उपाध्यक्षजी, मैं दे रहा हूं जवाब। चूरू जिले में 5 लाख 38 हजार किसानों ने बीमा करवाया और जब इसकी गिरदावरी हुई तो 1 लाख 27 हजार की हुई। अभी 19.8.13 को भी किसानों की और प्रशासन के अधिकारियों की एक मीटिंग हुई, जिसमें माननीय राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ साहब और अमरारामजी भी थे। अब कोई भी पैसा दिया जाएगा तो गिरदावरी के हिसाब से ही दिया जाएगा। अगर फसल ही नहीं बीजी है तो कैसे मिलेगा? (व्यवधान) एक मिनट।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री विनोद कुमार 'लीलांवाली' (राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज): एक दूसरा तरीका निकाला, सैटेलाइट से जो उसकी फोटो ली हुई थी, उससे पता चला कि 2 लाख 34 हजार के अन्दर बिजाई हुई थी, बाकी जमीन पर बिजाई नहीं हुई थी। तो उसके लिए सरकार देने के लिए तैयार है; उसकी कार्यवाही कर रहे हैं, उसके पैसे देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: कालीचरणजी, बोलिये आप तो। आप बोलें। आपको बुलवाने के लिए इतना समय जाया हुआ है। बोलिये, आप तो बोलिये। यह तो फिर वह ही बात है।

जयपुर में गौवंश से भरे 27 ट्रक पकड़ने वाले लोगों पर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से एक अत्यन्त संवेदनशील विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। राजस्थान उन तीन प्रदेशों में शुमार है जिनमें सर्वाधिक पशुधन हैं। 2007 की पशु गणना के आधार पर 5 करोड़ 66 लाख पशुधन हमारे प्रदेश में था। प्रदेश के किसानों की आजीविका का प्रमुख साधन यदि कोई है तो वह पशुधन है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पशुधन का नौ फीसदी योगदान है। आज देश में दस प्रतिशत दूध, 33 प्रतिशत ऊन और 33 प्रतिशत पशु मांस राजस्थान से निर्यात होता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें 1 करोड़ 20 लाख का गौधन है, जो हमारी धर्म संस्कृति का आधार भी है और हमारे लिए गौ पूजनीय भी है। करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाएं गौ-माता के साथ जुड़ी हुई हैं। हिन्दू संस्कृति में गाय को माता का स्थान दिया गया है। अगर गाय किसी किसान के पास है तो वह उससे अपने परिवार का भी भरण-पोषण करता है। परन्तु अत्यन्त अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि सरकार की लापरवाही और पुलिस की मिलीभगत के कारण आज बड़े पैमाने पर गौ-तस्करी हो रही है। गौवध के लिए रैकेट बनाकर बड़े पैमाने पर लोग-बाग गौ-तस्करी कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं कि 1995 में हमारे तत्कालीन मुख्य मंत्री आदरणीय भैरोंसिंह जी शेखावत ने राजस्थान गौ वंशीय पशु वध प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन का, या निर्यात का, अधिनियम, 1995 हमारे प्रदेश में लागू किया था। इस एक्ट की धारा 5 और 8 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि गौवंश का वध गौ मांस के लिये अगर कोई करेगा तो उसको 7 से 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। परन्तु आजकल प्रदेश में पुलिस की लापरवाही, पुलिस की अकर्मण्यता और मिलीभगत के कारण चूरू, सीकर, उदयपुर, झुंझुनूं, गंगानगर, भरतपुर और अलवर, ये गौ-तस्करी के अड्डे बन गये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आवारा गौवंश को पकड़ लो, अवैध रूप से बूचड-खाने में ले जाओ और उसका वध कर दो। यही नहीं ....

श्री उपाध्यक्ष: आप तो सीनियर मेम्बर हैं, आथेंटिक बात करो। तस्करी तो, वहां नुकसान होता है, बाहर जाती है, कहां जाती है, इसका डिटेल बताओ।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैं अभी कर रहा हूं, साहब, आप बीच में डिस्टर्ब मत करो।

श्री उपाध्यक्ष: मेरा अनुरोध है कि आप वेग बात नहीं करें; आप पुराने माननीय सदस्य हो, आथेंटिक बात करो, टू-द-पाइंट बात करें...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैं टू-द-पाइंट ही बात कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: ताकि कोई रिजल्ट निकले। यह रोजाना मामला उठता है और कोई नतीजा नहीं निकलता है। कोई नतीजा निकलना चाहिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): इतनी देर में तो मैं अपनी बात समाप्त कर देता।

श्री उपाध्यक्ष: यह सर्वोपरि सदन है, यह जो आदेश देगा, निर्देश देगा, सरकार मानेगी। आप टू-द-पाइंट बात करो।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैं यही बता रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): इसका एक ही इलाज है कि हमारे पूर्वजों ने जो लाखों बीघा गोचर ओरण छोड़ी थी, उसको सुरक्षित रखो...

श्री उपाध्यक्ष: आप तो मंत्री रहे हैं।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): तभी शून्य-खर्च-आधारित हमारी अर्थव्यवस्था कायम रहेगी और गौवंश बचेगा। गौशालाओं से भी नहीं बचेगा, क्योंकि सबने बछड़े छोड़ना चालू कर दिया। सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारें वर्षों से चारा बैंक बनाने की बातें कर रही हैं, आज तक कभी चारा बैंक का प्रयास नहीं हुआ। तो गौवंश कैसे बचेगा?

श्री उपाध्यक्ष: आप कालीचरणजी से नाराज क्यों हैं? इनको बोलने दीजिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैं बोल रहा हूं, साहब। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, गौवंश को पशु मेलों के माध्यम से खरीद कर वध के लिये ले जाया जा रहा है। यह नियम है कि तीन वर्ष से छोटे अगर बछड़े होंगे तो उनकी बिक्री नहीं की जा सकती पर डाक्टरों से सांठ-गांठ करके पशु मेलों में तीन वर्ष से छोटी आयु के बछड़ों की आज जिस प्रकार से खरीद-फरोख्त हो रही है, वह किसी से छिपी हुई नहीं है।

(श्री कालीचरण सराफ)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जयपुर शहर में 27 अगस्त को जो घटना हुई, उसके बारे में जिक्र करना चाहूंगा; 27 ट्रकों में 826 बछड़े ठूंस-ठूंस कर भरे हुए थे, गौ-तस्कर ले जा रहे थे। जनता को जब इस बात का पता लगा तो जनता इकट्ठी हो गई; जनता ने भांकरोटा में 7 ट्रक, न्यू सांगानेर रोड पर 15 ट्रक और प्रताप नगर में 5 ट्रक रोके। मजेदार बात यह है कि ट्रकों के आगे आन-आर्मी-ड्यूटी, इस प्रकार के पोस्टर चस्पा किये हुए थे। जनता ने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी, पुलिस मौके पर पहुंची। इतना ही नहीं, जो ठूंस-ठूंस कर भरे हुए बछड़े थे, जब पुलिस ने उनको रोका और उनको निकाला तो भूख-प्यास से 7 बछड़ों की मौत हो गई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, होना तो यह चाहिये था कि जिन दो गौ-भक्तों ने यह सूचना दी थी, गौ-तस्करों के खिलाफ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता, उनकी जमानत नहीं होती, परन्तु पुलिस ने क्या किया, उन गौ-तस्करों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। अब अगर उसमें क्रूरता अधिनियम के तहत ही केस दर्ज करेंगे तो उनकी जमानत हो जायेगी, उनके वाहन छूट जायेंगे और जो पशु पकड़े गये हैं, वे छूट जायेंगे।

दूसरा क्या किया कि जिन दो गौ-भक्तों ने यह सूचना दी थी कि गौ-तस्कर आ रहे हैं, ऐसे गौ-भक्तों के खिलाफ केस दर्ज किये गये; उनके खिलाफ राज कार्य में बाधा डालने का, रास्ता रोकने का, इस प्रकार के केस दर्ज किये गये और उनको खदेड़ने के लिये पुलिस ने लाठी चार्ज किया, उनके साथ मारपीट की।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह बताना चाहता हूं कि यह करोड़ों हिन्दुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इसको प्रदेश की जनता किसी भी हालत में बरदाश्त नहीं करेगी।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री बनवारीलाल सिंघल।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण की जांच की जाये, गौ-तस्करों पर राजस्थान गौवंश पशु वध प्रतिषेध और निर्यात अधिनियम, 1995 के तहत मुकदमे दर्ज किये जायें; इनकी गहनता से जांच की जाये कि जिन बछड़ों की तीन वर्ष से कम उम्र थी, उनकी किस प्रकार से खरीद फरोख्त हुई और किस प्रकार से वे लाये जा रहे थे, इसके लिये कौन जिम्मेदार

(श्री कालीचरण सराफ)

था; जिन गौ-रक्षकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं उनके खिलाफ केस वापस लिये जायें और गौ-तस्करों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किये जायें और जो पुलिस के अधिकारी इस पूरे प्रकरण में शामिल थे, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये। यह मैं राज्य सरकार से मांग करना चाहूंगा और यह चाहूंगा कि मंत्रीजी इस बात का जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें। श्री बनवारीलाल सिंघल।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री उपाध्यक्ष: मैंने माननीय बनवारीलाल सिंघल को पुकारा है।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल माननीय बनवारीलालजी सिंघल का अंकित होगा। केवल माननीय बनवारीलाल सिंघल।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल माननीय बनवारीलाल सिंघल ।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय बनवारीलाल सिंघल।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मोहनजी, माननीय मोहनजी, मुझे खेद है, आसन को खेद है कि आप अपने ही माननीय सदस्य को बोलने नहीं दे रहे हो। आप दो-दो, तीन-तीन खड़े हो जाते हो, उसको डाइल्यूट करते हो और माननीय सदस्य के अधिकार का हनन हो रहा है। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि आपके सदस्य बोलें, तब तो कम से कम...(व्यवधान) केवल बनवारीलाल सिंघल। ऐसे नहीं। आप नहीं चाहते कि सदन सुचारु रूप से चले? आपके पास कहने का कुछ नहीं है तो कोई बोलता है, उसी पर बोल जाते हो। माननीय बनवारीलाल सिंघल। बनवारीलाल सिंघल।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अनुशासन में जो माननीय सदस्य रहेंगे...

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से मैं मेरा विषय ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: केवल बनवारीलाल सिंघल। आप कैप्चर करना चाहो, उसका तो मैं मौका नहीं दूंगा।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री उपाध्यक्ष: बनवारीलाल सिंघल।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मोहनलालजी, बैठ जाओ एक मिनट।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपका अधिकार है, आसन जानता है। आप सर्वोपरि नहीं हो, आसन के ऊपर नहीं हो। बनवारीलाल सिंघल।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपका अंकित नहीं होगा।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप हिन्दुस्तान में अकेले हिन्दू नहीं हो, करोडों और भी हैं।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पर्ची के माध्यम से अपना विषय रख रहा हूं। अभी परसों, जहां पूरा देश एक दिन पश्चात् ही श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाने की तैयारी कर रहा था, वहीं बहुत बड़ी संख्या में, एक हजार के लगभग गौवंश को ठूंस-ठूंस कर, ट्रकों में भर कर राजस्थान से बाहर ले जाये जाने की कार्यवाही हो रही थी।

इस बारे में मेरे द्वारा प्रश्न संख्या 4570 लगाकर जब पिछले दिनों राजस्थान की सरकार से पूछा गया, 16.5.2013 को मुझे इसका उत्तर प्राप्त हुआ, जिसमें राजस्थान की सरकार ने बताया, कुल 1,103 प्रकरण जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 तक गौ-तस्करी के राजस्थान की सरकार ने दर्ज किये। बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि इनमें से केवल 16 प्रकरणों में राजस्थान की सरकार इन गौ-तस्करों को सज़ा दिलवा पाई, बाकी अधिकतर या तो आज तक लम्बित हैं या ये लोग बरी होकर चले गये। किस प्रकार से यह राजस्थान की पुलिस काम कर रही है। धड़ल्ले से गौ-तस्करी हो रही है, राजस्थान से गौ-वंश का नामोनिशान मिटाये जाने की तैयारी हो रही है।

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

राजस्थान की सरकार और राजस्थान की पुलिस, माननीय गृह मंत्रीजी विराजे हैं, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं, परबतरसर, नागौर से चलकर इतनी बड़ी संख्या में 32 और 37 ट्रक चलते हैं और वे जयपुर तक आ जाते हैं तो आपके राजस्थान की पुलिस क्या कर रही थी और कहां सो रही थी? एक तरफ आप कानून-व्यवस्था की बहुत बड़ी बात करते हैं राजस्थान में और आपकी कानून-व्यवस्था की पोल खोलने के लिए, ये कोई हवाई जहाज या हेलिकाप्टर से नहीं आए, सड़कों पर चलकर परबतसर, नागौर से ये राजस्थान के सांगानेर तक आए और अगर वहां भी कुछ हिन्दू समाज के लोगों के द्वारा या कुछ गौ-रक्षकों के द्वारा इन ट्रकों को पकड़ने का काम नहीं किया जाता, तो हो सकता है, ये ट्रक धड़ल्ले से आपके राजस्थान को क्रोस करके दूसरे प्रदेश में पहुंच जाते।

जब मैंने यह प्रश्न लगाया तो आपकी सरकार ने बड़ा नकारात्मक जवाब दिया। आप साथ में यह भी कहते कि हम इनके खिलाफ राजस्थान गौवंशीय वध प्रतिषेध अधिनियम, 1995 और पशु क्रूरता अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हैं। लेकिन, जैसा अभी इस प्रकरण में हुआ, आपने सारे कानूनों को दरकिनार किया और केवल पशु क्रूरता के तहत इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए और यह इस बात का प्रमाण, मेरे हाथ में आपके ये जवाब हैं कि आप केवल पशु क्रूरता में इन अपराधों को दर्ज करके ऐसे अपराधियों को राजस्थान में लाभ पहुंचाने का काम करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीया श्रीमती किरणजी माहेश्वरी।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मेरी बात तो, साहब, कहने दो।

श्री उपाध्यक्ष: आप काफी कुछ कह चुके।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): अभी राजस्थान की सरकार ने गौसेवा निदेशालय की घोषणा करके बड़ी वाहवाही लूटने का काम किया। केवल मात्र कांग्रेस के एक असंतुष्ट को...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: दो मिनट की जगह सात मिनट बोल लिए आप।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): गौ-सेवा आयोग में सेट करने के इरादे से, उसमें उनको लगाने के इरादे से आपने गौ-सेवा निदेशालय की स्थापना की। इस गौ-सेवा निदेशालय में आज तक राजस्थान में कितने गौ-वंश को पकड़ने का, गायों को बचाने का काम किया? अगर राजस्थान की सरकार ने कोई काम किया हो तो सरकार बताए।

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

अभी पशु मेलों के माध्यम से, जितने पशु मेले राजस्थान में लग रहे हैं, मैं मांग करता हूं कि राजस्थान में पशु मेलों को लगने से रोका जाए, पशु मेलों पर रोक लगाई जाए। आज राजस्थान में कहीं भी पशु मेला लगता है तो उसमें केवल गौवंश बिकता है और वह भी तीन साल से छोटा सबसे ज्यादा बिकता है। न कोई दूसरी किसी भी किस्म का पशु आ रहा है। केवल मात्र गौ-वंश को बेचना और उनकी बिल्टी भरतपुर जिले की बनाना, अलवर जिले की बनाना और अलवर और भरतपुर से लगते हुए उत्तर प्रदेश और हरियाणा में इन पशु धन को ले जाकर, गौ-वंश को ले जाकर उनको वहां काटना और डिब्बा बंद के माध्यम से दूसरे प्रदेशों को और बड़े-बड़े प्रदेशों को भेजना, यह राजस्थान की सरकार का बहुत बड़ा व्यापार हो गया।

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें। माननीया श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है राजस्थान की सरकार से कि इस गौ-तस्करी को रोकने के लिए कड़े उपाय किए जाएं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, विराजिए। माननीया किरण माहेश्वरी।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): राजस्थान की सरकार के पुलिस अधिकारी...(व्यवधान) राजस्थान की सरकार यह बताए कि परबतसर से चलकर, नागौर से चलकर जयपुर तक आने में कितने नाके थे और इन सब नाकों पर कितनी बार इन ट्रकों को चैक किया गया? अगर नहीं किया गया तो परबतसर से और जयपुर तक के सारे थाने के अधिकारियों को और यहां तैनात सभी बीट आफिसरों को, सबको सस्पेंड करने का काम किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीया श्रीमती किरणजी माहेश्वरी। (व्यवधान)

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): मुझे परमिशन दी जाए। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय उपाध्यक्षजी, हमारे माननीय सदस्य ने जो गौवंश की...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अध्यक्षजी की व्यवस्था में आपका नाम नहीं है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): गौवंश को कत्लखाने में ले जाया जा रहा है, उसके सन्दर्भ में जो बात उठाई, मैं उसी को आगे बढ़ाती हूं। यह सरकार जो है, यह सरकार वास्तव में हत्यारी सरकार है, चाहे वह राजस्थान की हो, चाहे वह दिल्ली की सरकार हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: इस तरह के शब्द यदि असंसदीय हों तो हटा दिये जाएं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपको मौका इसलिए नहीं दिया कि आप उस पर गरमाए, मौका इसलिए दिया है कि आप ...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): गरमाएं नहीं, हम इसमें अपनी बात को रख रहे हैं। उसमें कहीं पर भी...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ये शब्द अच्छे हैं, संसदीय हैं, 'हत्यारी' है सरकार?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): हत्यारी तो है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप साबित कर सकती हैं इसको?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): बिलकुल करूंगी मैं।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यह क्या तरीका है?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मुझे बोलने का मौका तो दो।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): मैं कहूंगा, आपके शासन में गौवंश की हत्या ज्यादा हुई है। +++ खुद गौवंश के। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): बोलने का मौका तो दो, बताऊंगी। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): चुनाव नजदीक आ गए, इसलिए... (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आप बैठो...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): राजनीति गौवंश की, राम मंदिर की, सारी राजनीति अभी करना चाह रहे हों। आपको साढ़े चार साल क्या हो गया था? (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अरे, कौनसी राजनीति? हमारी संस्कृति जो है, उसमें गौ की कितनी बड़ी पूजा होती है, इसका आभास भी है आपको? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): हम भी करते हैं गौ माता की पूजा। आप ठेकेदार नहीं हो गौ माता के। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आप कितनी पूजा करते हो, इसका तो चिट्ठा अभी आपके सामने रखूंगी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान) गौ-भक्त की बात कर रहे हैं, वह राजस्थान की सरकार के पशुपालन विभाग ने परबतसर

(श्री अमराराम)

में मेला भराया है। वे सब बछड़े कोई राजस्थान से बाहर नहीं जा रहे थे। यह केवल गाय की बात करके, राजस्थान की सरकार ने परबतसर का मेला, जो राजस्थान में सबसे बड़ा पशु मेला था, उसके नियमानुसार सरकार के मेले में बिक्री हुई है। वे 24 ट्रक वहां आ रहे थे। क्या केवल इनको अराजकता करने की छूट होगी? केवल गौ-रक्षा के नाम से...(व्यवधान) केवल गाय के नाम से...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सुनने का माद्दा भी रखो। (व्यवधान) ठेकेदार मत बनो धर्म के। ठेकेदार मत बनो। ठेकेदार हो क्या आप? हम भी गौ-माता की पूजा करते हैं। गाड़ियां जला देंगे...(व्यवधान) अराजकता फैलाएंगे...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अपराधी तो वे हैं...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): +++ हैं ये। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सरकार की जिम्मेदारी है कि उन बछड़ों को ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): कानून हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनका काला चिट्ठा खोलना चाहता हूं। (व्यवधान) गाय के नाम अवैध वसूली करते हैं ...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): यही कारण है कि आप ...(व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): इनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं ...(व्यवधान) इनका धन्धा यही है...(व्यवधान) बजरंग दल वालों का धन्धा, अवैध वसूली करना, गाय के नाम पर ...(व्यवधान) गाय के नाम पर, धर्म के नाम पर चौथ-वसूली करने का धंधा है...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 95 में कानून बनाकर...(व्यवधान) इन लोगों ने सारे देश का सत्यानाश करने का प्रयास किया है। (व्यवधान) तीन साल से छोटे बछड़े...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए। (व्यवधान) अमरारामजी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े होकर

(श्री अमराराम)
कहें, राजस्थान में पशु मेले बंद कर दो, इससे ज्यादा अफसोसजनक बात नहीं हो सकती। राजस्थान में खेती के अलावा पशुधन, पशुधन उसकी आय का बहुत बड़ा साधन है और ये खड़े होकर वोट के लिए यह कहें कि पशु मेले बंद कर दो, इससे ज्यादा अफसोसजनक बात नहीं हो सकती । (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपने अनुमति दे दी है ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): कानून बनाकर आपने गाय, बछड़ा और किसान, तीनों को मारने का काम किया है और आज हौवा खड़ा कर रहे हैं। (व्यवधान) मैं तो कह रहा हूं, जिन्होंने मेले में नियमानुसार ...(व्यवधान) क्या बात हुई? राजस्थान का किसान खेती के अलावा ...(व्यवधान) पशु धन, उसको मारने का काम कर रहे हैं। (व्यवधान) तीन साल का बछड़ा बिक सकता है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): गौशालाओं को...(व्यवधान) अनुदान बंद कर दिया कांग्रेस की सरकार ने। पिछले साढ़े चार साल से गौशालाओं को दिया जाने वाला अनुदान आपने बंद कर दिया। (व्यवधान) अनुदान बंद किया आपने। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे छबड़ा क्षेत्र में बजरंग दल के लोग...(व्यवधान) मेले में जाने वाले वाले व्यापारियों को ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): इस पर्ची के माध्यम से भी ...(व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): मेला लगा पशुओं का ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): स्थगन प्रस्ताव पर भी तीन माननीय सदस्य...(व्यवधान) अगर ध्यानाकर्षण ही करना है सरकार का, तो एक ही सदस्य कर सकता है। (व्यवधान) नियोजित तरीके से, भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक साजिश है...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: विराजिए। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): कांग्रेस सरकार की ...(व्यवधान) पशुओं के नाम पर मेला लगाकर यह सरकार किसानों के साथ में अत्याचार कर रही है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, विषय विवाद का इस कारण से है कि इसमें दो-तीन बिन्दु हैं, जिन बिन्दुओं पर सरकार को और पुलिस को एक्शन करना था और एक्शन करने के लिए ही उन्होंने यह मुकदमा बनाया है। एक तो यह था कि तीन साल से छोटे बछड़े थे कि नहीं थे? एक। जिन गाड़ियों में भरकर ले जा रहे थे, 35-35, 40-40 बछड़ों को भरकर ले जाया जा सकता है क्या? एक। जिन्होंने इन बछडों को खरीदा और 30 गाड़ियों में ले जा रहे थे, यह कौन-कौन खेती करने वाला था जो ले जा रहा था? कौन-कौन खेती करने वाला ले जा रहा था? इस विषय को घुमाकर अपने आपको बचाने का प्रयास नहीं। एक। यह केवल बोर्डर जिले का ही परमिट क्यों बना? तीसों गाड़ियां भरतपुर में किस किसान को बेचनी चाहिए और किस किसान को ...(व्यवधान) एक सेकण्ड।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): गुजरात में भी ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक मिनट।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): राजस्थान में तीन साल से छोटी उम्र के बछड़े भी, बछड़ा तो एक साल के बाद ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): अगर यह मामला आप गम्भीर मान रहे हैं, स्थगन प्रस्ताव पर ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): बात करते हैं ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): मुद्दा एक है ...(व्यवधान) ध्यान में ला दिया सरकार के ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सच्चाई से...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यह सच्चाई है। आप देखिये, पर्ची में ...(व्यवधान) आपके लोगों ने सोची-समझी रणनीति बनाकर अगर इसको इश्यू बनाने की ठानी है तो उसको कोई कामयाब नहीं होने देगा। (व्यवधान) पर्ची में दो सदस्य, मुद्दा एक, और स्थगन प्रस्ताव में मुद्दा एक। (व्यवधान) दो माननीय सदस्य उठा रहे हैं, चार-चार लोग वही बिन्दु उठा रहे हैं। क्या करना चाह रहे हो आप यहां पर? (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): जो करना चाह रहे हैं, बताएंगे। अभी आप पहले सुनने की क्षमता रखो। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): इसका जवाब मिलेगा आपको, क्या करना चाह रहे हो। एक्सपोज किये जाओगे। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): हमने पर्ची के माध्यम से कोई विषय बोला है, बोलेंगे। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): एक्सपोज किये जाओगे, अगर चार-चार माननीय सदस्य सदन का समय खराब करेंगे। एक आदमी उठा सकता है। सारी बातें रख दीं, सारी चीजें सदन के संज्ञान में आ गयीं। (व्यवधान) फिर सारे के सारे इस विषय पर...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आपको पता है, सारी बातें रख दीं? (व्यवधान) हां, हां, एक ही विषय पर बोलेंगे।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): : यह क्या तरीका है? (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अभी हमने रखा है। पर्ची जो आएंगी, वे बोलेंगे। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): राजस्थान के शांत वातावरण में आग लगाने की साजिश है। (व्यवधान) यह चुनावी एजेण्डा नहीं होने देंगे यहां पर। (व्यवधान) गौ-रक्षा की मांग उठाना...(व्यवधान) सोची-समझी चुनावी रणनीति है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): हम अपनी बात रख रहे हैं। क्या हो रहा है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): गौ-तस्करों को संरक्षण मिल रहा है सरकार का। (व्यवधान) गौ-तस्करों को संरक्षण मिल रहा है सरकार का। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सरासर गलत आरोप है, चुनावी आरोप है आपका। चुनावी आरोप है। राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं, चुनावी मुद्दा है। (व्यवधान) गौ-तस्करी का मुद्दा चुनावी मुद्दा है। जगह-जगह साम्प्रदायिक तनाव फैलाएं, चुनावी साजिश है। किसको समझा रहे हैं आप? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह जनता अगर नहीं रोकती तो ये मारे जाते। (व्यवधान) तब क्या आप इनको गौशाला में भेजते? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): जनता के ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं हैं; जनता के ठेकेदार बी.जे.पी. के लोग नहीं हैं। थोड़ा सब्र करो, दो महीने बाद हो जाएगा फैसला। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या इन पर मुकदमा दर्ज होता? यह काम किसका है? (व्यवधान) जनता का काम है?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): साम्प्रदायिकता फैलाना चाहते हैं, वातावरण खराब करना चाहते हैं। (व्यवधान) आग लगाकर राजनीति करना चाहते हो। (व्यवधान) क्या करना चाहते हो? (व्यवधान) आग लगाना चाहते हो? साम्प्रदायिकता फैलाना चाहते हो? (व्यवधान) साम्प्रदायिकता फैलाने के लिये ...(व्यवधान) क्या करना चाहते हो आप?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक टी.पी. बनती बांसवाड़ा, एक उदयपुर की बनती। (व्यवधान) 30 गाड़ियां भरतपुर क्यों जा रही थीं? इसलिये कि भरतपुर के बार्डर से ...(व्यवधान) गौ मांस के लिये ...(व्यवधान) 30 गाड़ियां भरतपुर देने का क्या औचित्य है? इन बातों का, सवालों का जवाब क्या दोगे? तीन साल से छोटे बछड़े का जवाब कौन देगा? (व्यवधान) एक गाड़ी में आठ बछड़े ले जाए जा सकते हैं, उनकी जगह 34 बछड़े ले जाने का अधिकार कहां से दिया और पुलिस ने मुकदमा दर्ज क्यों किया? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): कानून को हाथ में लेने का अधिकार आपको किसने दिया? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह मुकदमा अगर दर्ज हुआ तो ...(व्यवधान) गृह मंत्रीजी, आप 3-4 सवालों के जवाब दे देना। एक तो यह सारी की सारी टी.पी. जो बनी हैं, जिन बछड़ों की बनी हैं, उनकी उम्र तीन साल से कम थी क्या? एक। ये सारी की सारी जो टी.पी. बनीं, ये भरतपुर की क्यों बनीं? और भरतपुर की बनने के बाद भी इन गाड़ियों पर त्रिपाल ढक कर आगे आर्मी-ड्यूटी का बोर्ड लगाकर निकालने की क्या आवश्यकता थी? और पुलिस ने, अगर यह सब कुछ पता लगा तो इनको उतारा क्यों? इनको गिरफ्तार क्यों किया? और इन सारे पशुधन को गौशाला में क्यों भेजा?

यह सारा प्रकरण इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि बार्डर डिस्ट्रिक्ट के नाम से ले जाना और उसके बाद उनको पैदल ले जाकर के और उत्तर प्रदेश में घुसाकर के उन कसाईखानों तक भेज देना, इसका नहीं था तो अगर परबतसर में बैल बिक रहे थे तो किसी और जिले में भी जाते, किन्हीं और जिलों में भी जाते। जयपुर के लिये भी कोई जाता, उदयपुर के लिये भी कोई जाता, चित्तौड़गढ़ के लिये भी कोई जाता। सारे के सारे परबतसर से बछड़े भरतपुर ही जाते हैं। भरतपुर क्यों जाते हैं?

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उन नियमों की अवहेलना की, इसीलिए तो मुकदमा बना, इसीलिए ही तो उन्हें गिरफ्तार किया, इसीलिए उस पशुधन को गौशाला में सुपुर्द किया। यह तो जनता के लोग अगर सामने आकर नहीं रोकते तो आपकी सरकार तो, यह मिलीभगत का ही रास्ता है ना?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सरासर गलत आरोप है आपका।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या गलत है, सही है, ...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): गलत है, बिलकुल। आप चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह गलत बात है। (व्यवधान) जो कानून कहता है, उतनी कार्यवाही करना...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यह मुद्दा नहीं बनेगा। जनता फैसला करेगी। (व्यवधान) 'जिन्दे' की कितनी कीमत है, 'मरे' की कितनी कीमत है, बताओ आप सदन के अन्दर। बता दो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप गौ-तस्करों का पक्ष कर रहे हो, गौ-तस्करों का पक्ष ले रहे हो। गौ-तस्करों का पक्ष कर रहे हो आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय राजेन्द्रजी, माननीय राजेन्द्रजी, एक मिनट। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): क्या? सुनिये, कोई गौ-तस्करों की पैरवी नहीं कर रहा...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): लेकिन आरोपों के लिये आपको इजाजत नहीं दी जाएगी।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): गौ-तस्करों की पैरवी कर रहे हैं, सचेतक साहब।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): साम्प्रदायिकता फैलाने की, हिंसा फैलाने की ...(व्यवधान) चुनाव के समय यह आपकी सोची-समझी रणनीति है। इसका पर्दाफाश तो हम करेंगे। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): जिस तरह से आप पैरवी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से आप ...(व्यवधान) आपको तो चिंता होनी चाहिए, गौ-वंश है। आपको चिंता होनी चाहिए।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): गाय की हम भी पूजा करते हैं। ठेकेदार नहीं हो आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, इस सारे प्रकरण में मैं वहीं था...

श्री उपाध्यक्ष: अब इसको सम-अप करें, आगे का बिजनेस लें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो टोटल प्रकरण हुआ है, इसमें और मौके पर ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, एक मिनट, मैं एक बात अर्ज कर दूं। मैं चूंकि सारी बहस सुन रहा था, हाट-एक्सचेंज हुआ तो समय भी लगा। दो चीजें आयी हैं, माननीय अमरारामजी का वर्शन; एक आपका वर्शन; एक सरकार का वर्शन। अमरारामजी का यह कहना है कि किसान अपना गौ-वंश का बछड़ा नहीं बेचेगा तो गायें खत्म हो जाएंगी। माफ करना, अमरारामजी, जो मेरा है, यह नतीजा आप निकालें। आपका कहना है कि अवैध कटान होता है और कसाई खाने में जाते हैं; हमारी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। यह जो चीज है, अब इसका अर्थ यह भी निकलता है कि बूचड़खाने क्यों हैं? (व्यवधान) आप सुनिये बात को। यह सदन को निर्णय करना है। हो सकता है, मेरे समझने में त्रुटि हो गयी हो। (व्यवधान) फिर किसान इस बात को जानता है कि नहीं जानता है, गाय कौन पालता है, किसान पालता है। अब बछड़ा नहीं जाएगा, जुतने, हंकने; देखिये, गाय की समृद्धि, वृद्धि कैसे होगी, किसान के यहां होगी; उसी को चारा देना है। अब जो किसान नहीं हैं, वह उतना नहीं समझे, ऐसा उनका कहना था। तो फिर यह क्यों है?

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): आपके कितनी गाय हैं? उपाध्यक्ष महोदय, आपके कितनी गाय हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनिये बात को। मेरे तो दो ग्वाल लगते हैं, आपसे ज्यादा हैं।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): नहीं हैं आपके।

श्री उपाध्यक्ष: आपसे ज्यादा हैं। आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): आप बैठने की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठिये, आपके ध्यान में नहीं है। कैसी बात करते हो। आप जमींदार बनते हो। उस इलाके में सबसे ज्यादा जमीन किसकी थी, पता कर लेना। इसलिए शांत रहिये थोड़ी देर। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, मैंने

(श्री उपाध्यक्ष)
खुद ने गायें चराई हैं, मैंने खुद ने गायें चराई हैं, मैं नहीं कहना चाहता। पेंट-बुशर्ट तो आज पहनी हैं। आपको पता नहीं है, आप तो सम्पन्न घर के होंगे। उस बात को छोड़िये। आप बीच में डिस्टर्ब मत करो।

क्योंकि मसला बहुत अहम है, यह चर्चा चूंकि आ गयी, इसलिये मैं अर्ज कर रहा हूं कि फिर ऐसे बूचड़खाने क्यों हैं? और वहां गाय का बाल मिल जाए तो उनको हमेशा के लिये बंद करने के लिये कानून बना है क्या? ये जो चीजें हैं, सारी की सारी, इसलिये तो मैं निवेदन करूंगा कि कंक्लूजिव बात करके, माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी जो बात करेंगे, उसको लेकर के बाद में बहस नहीं हो तो ज्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि यह समस्या आज की नहीं है। हर सत्र में, हर जगह, जब भी उठती है कि पुलिस ऐसा क्यों नहीं करती है और पुलिस क्या कानून के खिलाफ ही करती है? यह आज भी उठी है, दूसरी सरकार के समय भी उठी है। माननीय कटारियाजी और रघुजी ने जो कहा है, वह सारी बातें आपके दिमाग में हैं। इसलिए सारा करके सम-अप करें, फिर आगे का बिजनेस हम लें। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): इस सारे की, इस सारे की जांच कराएं, इसकी। वे तस्करी के लिये जा रहे थे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये आप।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): वे तस्करी के लिये जा रहे थे। हम रहते हैं, हम भुगतते हैं वहां। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठिये। बिना इजाजत के बोल रहे हैं। पांच साल हो गये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सारे प्रकरण में वहां शुरू से, जब ट्रक पकड़े थे, तब से लेकर कल शाम तक मैं वहां पुलिस के साथ था और जो सब लोग वहां थे, उनके साथ था। उनका मैं सारा विवरण आपके सामने रख देता हूं ताकि सदन को सारी इस बात का पता लगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यह ट्रकों की सूचना आई किशनगढ़ से कि इतने ट्रक रवाना हो गये और इनमें इतने-इतने बछड़े डाले हुए हैं। सूचना पहले हमारे पास नहीं आयी, यह सूचना पुलिस के पास आयी और पुलिस के कांस्टेबल ने अपनी गाड़ी लगाकर भांकरोटा के पास इनको रोका। इस रोकने की सूचना सारे शहर में आग की तरह से फैली। उसके बाद में, प्रतापनगर में, न्यू सांगानेर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

रोड पर और वहां पर 27 ट्रक पकड़े गये। जब ट्रक पकड़े गये, उस समय मैं मौके पर खुद पहुंच गया था, न्यू सांगानेर रोड पर। वहां पुलिस भी थी। पुलिस ने, सबने मिलकर यह तय किया कि सारे ट्रकों को हम जब्त करते हैं और इन ट्रकों को सबको गौशाला भेज देते हैं। इन सारे लोगों को पुलिस ने, 68 लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया। पुलिस ने उस समय इनको हिरासत में सिर्फ इसलिए लिया, यह छानबीन करने के लिये कि क्या ये वास्तव में किसान हैं; भरतपुर ले जा रहे हैं; और यह सारे खरीद कर लाये हैं, वही हैं। मेरे पास हमारे विधायक, परबतसर के, मानसिंहजी का भी फोन आया कि मेले से इस प्रकार की बातचीत हुई है।

उसके बाद में, रात भर, मैं डेढ़-पौने दो बजे तक थाने पर था। जिन लोगों ने रोका, ट्रकों के आगे बैठ गये कि इनको नहीं ले जाना चाहिए, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनमें से कुछ को तो रात को छोड़ दिया और तीन लोगों पर पुलिस ने 3 पी.डी.पी. के अन्तर्गत केस रजिस्टर किया, सरकारी काम में बाधा डालने का। उनकी कल शाम को जाकर जमानत हुई थी।

कल मुझे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमने इन तीनों बातों की जानकारी की कि क्या बछड़े खेती के काम के लिए जा रहे थे, एक; क्या बछड़े भरतपुर जा रहे थे, दो; और बछड़ों की खरीददारी ठीक हुई है कि नहीं, तीन। तब तक पुलिस ने इन 68 लोगों को गिरफ्तार नहीं किया था, लेकिन कल पुलिस ने यह जानकारी कर ली। जानकारी करने पर आया कि इसमें चार ट्रक जो हैं, वे पहले भी उत्तर प्रदेश में गौ मांस ले जाते हुए जब्त किए जा चुके हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सुनिए, बात को क्यों डाइल्यूट कर रहे हो?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बात को पूरी सुनो।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यह कार्यवाही सरकार ने की है।

श्री उपाध्यक्ष: सुनिए बात।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सुनो तो सही, बात सुनिए। उसके पहले तक 68 लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया था। जहां-जहां का उन्होंने भरतपुर का एड्रेस बताया था, पुलिस ने उन-उन स्थानों पर फोन करके पूछा कि ये आदमी यहां के हैं कि नहीं हैं। तो इसके बाद पता लगा कि कोई भी आदमी उनमें भरतपुर का रहने वाला नहीं था। एक।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): बताइए आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सुन तो लो पूरी बात। दूसरी बात, फिर पुलिस ने आगे तफ्तीश की। पुलिस ने तफ्तीश यह की कि ये वास्तव में वहां ले जा रहे थे क्या। तो उसके बाद पता लगा कि ये सारे जो लोग हैं, इन्होंने फर्जी एड्रेस दिए थे, लेकिन उन 68 आदमियों में एक भी मुसलमान नहीं था, यह मैं आपको बता दूं, इसलिए कोई साम्प्रदायिक सवाल नहीं है। जिन लोगों को बाद में, 68 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, वे लगातार गौ-तस्करी में लगे रहने वाले आदमी हैं और वे उत्तर प्रदेश के भिन्न-भिन्न जिलों के, अलीगढ़ के और उनके रहने वाले हैं। वह सारी कार्यवाही पुलिस ने उनसे जांच कर ली। इसके बाद में पुलिस ने उन पर केस रजिस्टर किया, उन 68 आदमियों को गिरफ्तार किया, उन ट्रकों को जब्त किया। तो कुल मिलाकर यह है।

दूसरी बात, कुछ बछड़े वास्तव में मेले से किसानों के लिए ले जाए गए हैं। उनकी तफ्तीश अलग से है। इसलिए इन दोनों बातों पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। वास्तव में किसान जिस बछड़े को बेच रहा है, वह बेचने का अधिकार मेले में उसको रहना ही चाहिए। वरना तो स्थिति यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास भी घर पर 50 बछड़े हैं, 200 गायें हैं मेरे पास। इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं।

तो अब सही स्थिति यह है कि ये वहां आम आदमी यदि 400-500 खड़े होकर उन ट्रकों के आगे नहीं लेटते तो वे ट्रक नहीं बचते, वे चले जाते। इसलिए इसको संवेदन, बात यह है कि उन दोनों सेक्शंस में केस रजिस्टर होना चाहिए था। वह केवल एनिमल क्रूएलिटी का, उनमें आठ बछड़े मारे गए, वह केस रजिस्टर हुआ; इसके बाद में जब हमने काफी दबाव डाला तब जाकर पुलिस ने गौ-हत्या-निरोध वाला जो मामला है, उन धाराओं में उनमें किया। यह बात सही है कि सारे के सारे ट्रक गौ-कशी के लिए ले जाये जा रहे थे और ये सारे के सारे अवैध रूप से ले जाए जा रहे थे और अलग-अलग जिलों के नाम लिखकर ले जाए जा रहे थे।

इसलिए सरकार से मैं मांग करता हूं कि मेले तो लगने चाहिए, मेले में पशु नियमानुसार बिकने चाहिए लेकिन गौ-कशी के लिए जो कार्यवाही होकर फर्जी काम करते हैं, वह नहीं होना चाहिए। यह बात मैं कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी। मंत्रीजी। अब मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को भी टाइम दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष: अब यह लम्बा हो जाएगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को बाद में?

श्री उपाध्यक्ष: नहीं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): नहीं, पर्ची पर बोलना है न। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बोल लिए न। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): कहां बोल लिए?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): कहां बोल लिए? हमें भी बोल लेने दो। उसके बाद मंत्रीजी का जवाब दिलवा देना। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): यानी, +++ माननीय उपाध्यक्षजी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सदन में इतना समय ही आपका ...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): नहीं, सदन में मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह गलत है। मेरी पर्ची खुली है। आपने मुझे बोलने का अधिकार ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कालीचरणजी सराफ, बनवारीलालजी सिंघल एवं श्रीमती किरण माहेश्वरीजी द्वारा इस विषय को उठाया गया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): 28 तारीख की घटना का अभी जिक्र फरमाया गया। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): यह बिलकुल सरासर अन्याय है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आसन कभी अन्याय नहीं करता। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): पर्ची पर आप बुलवाएंगे? (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं कि यह घटना, जिसके बारे में माननीय सदस्यों ने अपनी बात यहां पर रखी, जानकारी में आने के साथ ही, जैसा कि सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य घनश्यामजी तिवाड़ी ने बताया, सर्वप्रथम पुलिस ने ही इसमें अपनी ओर से इन ट्रकों को जाने से रोके जाने की कार्यवाही की और उन ट्रकों को लेकर पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी, थाना श्याम नगर एवं पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी, थाना करणी विहार मय ज़ाब्ते के हिंगोनिया गौ-शाला में, मवेशी भरे हुए अन्य सात ट्रक जो पूर्व में थाना श्याम नगर में पकड़ में आए थे, को ले जाते समय रास्ते में मीरा मार्ग, न्यू सांगानेर रोड तिराहे पर काफी लोगों ने ट्रकों पर पथराव करके शीशे तोड़ दिए, ट्रक ड्राइवरों को मारपीट करके चोटिल कर दिया। पुलिस जाब्ता द्वारा भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया, तो ए.सी.पी., मानसरोवर के सरकारी वाहन, बोलेरो जीप संख्या- आर.जे. 14-यू.बी.- 9061 के शीशे तोड़ दिए गए।

तो मेरा निवेदन यह है कि घटनाएं, जिनका जिक्र किया जा रहा है, पुलिस ने अपनी ओर से पूर्ण संवेदनशीलता के साथ में कार्यवाही की। मानसरोवर की बात की जाए तो मानसरोवर का मैं जिक्र करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभियोग संख्या 418/2013, धारा-5, 6, 9(1), राजस्थान गौ-वंशीय पशु-वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन अधिनियम, 1995; 11(1)(क), (घ), (र) पशु क्रूरता अधिनियम, 1960, दिनांक 28.8.2013 थाना- शिप्रा पथ, जयपुर पर दर्ज किया गया। 15 ट्रक पकड़े गए। 439 गौ-वंश बछड़े जब्त कर 130 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

अभियोग संख्या 348/2013, धारा-5, 6, 9(1) राजस्थान गौ-वंशीय पशु -वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन अधिनियम, 1995, थाना मुहाना, जयपुर दक्षिण, दर्ज कर 6 ट्रक और 73 गौ-वंश बछड़े, एक भैंसा जब्त कर 15 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

अभियोग संख्या-291/2013 दर्ज किया गया, थाना श्याम नगर, जयपुर। सात ट्रक जब्त किए गए और 243 गौ-वंश बछड़े जब्त किए गए। 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

सूचना के साथ ही पुलिस द्वारा तत्परता के साथ कार्य किया गया, यह

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

वर्तमान है। पूर्व की बात जहां तक की जा रही है कि राज्य में ऐसा होता है और इसके ऊपर प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता, रात्रि को नाकाबंदी की जाती है, विशेष रूप से चिह्नित करके अनेक जिलों में पुलिस द्वारा चैक पोस्ट की स्थापना की गई है, अस्थायी चौकियां लगाई गई हैं और उनके द्वारा रात-दिन इन पर निगरानी रखने का कार्य किया जाता है। प्रकरण भी दर्ज किए गए हैं। वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2012 में 55.45 प्रतिशत मुकदमे अधिक दर्ज किए गए हैं और इसी प्रकार, वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2012 में चालानी प्रतिशत भी 52.76 प्रतिशत अधिक रहा है।

राज्य सरकार पूर्ण संवेदनशील है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन फिर भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि घटना को तूल देने का प्रयास नहीं किया जाए, उसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास नहीं किया जाए। प्रशासन द्वारा जिस मुस्तैदी के साथ में कार्य किया गया, इस बात को जाना जाए और इस बात को भी देखा जाए कि इस प्रकार के मेलों पर प्रश्न चिह्न नहीं लगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सरकार उन लोगों के खिलाफ लगे हुए केस विथड्रा करे, जिन लोगों ने पुलिस की सहायता की। उन लोगों के खिलाफ आपने 3 पी.डी.पी. का केस रजिस्टर किया है, यह सरासर अन्याय किया है। इसको वापस लिया जाना चाहिए। इन्होंने पुलिस की सहायता की है। इनके ऊपर किस प्रकार का केस बनाया?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भी बताया जाए कि परबतसर से जयपुर तक आपकी नाकेबंदी को तोड़कर वे जयपुर तक कैसे पहुंच गए? इस बात का भी जवाब दीजिए। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आपकी पुलिस... (व्यवधान) आपकी पुलिस की सफलता इतनी है कि परबतसर से 30 गाड़ियां पूरी सड़क से निकलकर आ गईं और जनता आपको अगर सूचना नहीं देती और रास्ता नहीं रोकते तो यह...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): पुलिस ने सूचना दी है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, नहीं, समझो कि पहले पुलिस को टेलीफोन किसने किया?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आपके माननीय सदस्य कह रहे हैं, उप नेता कह रहे हैं कि पुलिस ने रोका, पुलिस ने सूचना दी। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पुलिस को हमने सूचना दी है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ऐसा है, आपने अधूरी बात सुनी है। जनता के द्वारा पुलिस को सूचना मिली है कि किशनगढ़ से गाड़ियां निकली हैं। जनता के द्वारा सूचना मिली पुलिस को कि किशनगढ़ से गाड़ियां निकली हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): किसी भी पब्लिक मैन में और पुलिस के मुखबिर में फर्क होता है। मुखबिर ने इत्तला दी है कांस्टेबल को। मुखबिर ने दी है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह मुखबिर हो गया। (व्यवधान) सवाल यह नहीं है। (व्यवधान) जनता ने सूचना दी पुलिस को कि इतनी गाड़ियां चली गई हैं। यह जनता के द्वारा पुलिस को सूचना थी। इसके आधार पर पुलिस गई। जनता जब आई उनको रोकने के लिए तो उनके खिलाफ आपने मुकदमे बनाए और अब आप स्वयं कह रहे हो कि जिस एक्ट के तहत उन पर मुकदमा दर्ज करना है, क्या वह रात को दर्ज कर लिया 27 तारीख को? जिस समय दिन में, 27 तारीख को दिन में ही यह पुलिस के, ये तो सारे पकड़ लिए गए थे, दोपहर में एक बजे से लेकर तीन बजे तक ये सारी गाड़ियां पकड़ लीं, फिर यह मुकदमा 28 तारीख को क्यों दर्ज हुआ? इसका मतलब यह है कि पुलिस की मंशा इस मुकदमे को दर्ज करने की नहीं थी। यह जनता के दबाव से, जनता के आक्रोश से यह मुकदमा आपको दर्ज करना पड़ा।

आप यह जानते हों कि लगातार गौ-तस्करी हो रही है और गौ-तस्कर ले जा रहे हैं; सारे तथ्य इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि आपके राज में जिस प्रकार से गौ-तस्करों को संरक्षण मिल रहा है, उसके कारण से मैं और मेरा दल, इस गौ-तस्करी को मिलकर आप करा रहे हो, इसके खिलाफ वाक-आउट करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

(14.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष: नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं। श्री अनिल जैन

(अनुपस्थित)

श्री अमरारामजी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के तहत एन.एच. 11 ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अनिलजी, आप एक मिनट विराजो। क्योंकि समय दो बज गये हैं,...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आपने नाम पुकार दिया, हम दो-दो मिनट में बोल लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: आप एक मिनट विराजें तो सही। (व्यवधान)

श्री अनिल जैन (खानपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने नाम पुकारा है।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये तो सही। एक मिनट विराजिये।

एक माननीय सदस्य: बहिष्कार कर दिया था।

श्री उपाध्यक्ष: दो बज गये हैं। (व्यवधान) यह इनकी मर्जी, इन्होंने बहिष्कार नहीं किया तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। तो दो बज गये हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): कोई नहीं, दो-दो मिनट पढ़ देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, आपका दो मिनट है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): नहीं, पढ़ देंगे दो मिनट में।

श्री उपाध्यक्ष: वह तो आपकी रिकार्ड में वैसे भी आयेगी। नहीं, रिकार्ड में पढ़ी हुई आयेगी। रिकार्ड में पढ़ी हुई आयेगी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी कि यह पढ़ेंगे। दो-दो मिनट में पढ़ देंगे। सात लोग ही तो हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अच्छा, ठीक है। पहले अनिल जैनजी हैं, ये बोलेंगे।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

खानपुर में अतिवृष्टि से कारित खराबे का मुआवजा एवं ऋण वसूली में राहत

श्री अनिल जैन (खानपुर): उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश की रीढ़ की हड्डी

(श्री अनिल जैन)

कहलाये जाने वाले हमारे किसान, झालावाड़ जिले के किसान, खानपुर विधान सभा क्षेत्र के किसान सड़क पर आने के लिये मजबूर हो चुके हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: देखकर पढ़ें आप। उसमें देखकर, पढ़कर, पढ़कर।

श्री अनिल जैन (खानपुर): और वर्तमान में भी अतिवृष्टि के कारण उनकी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप इसमें पढ़िये। एक शब्द भी दूसरा बोलोगे, डिलीट हो जायेगा। केवल आपने जो प्रस्ताव दिया है, उसी को पढ़िये। आपके पास नहीं हो तो मैं प्रति दिला दूं?

श्री अनिल जैन (खानपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया नियम 295, विशेष उल्लेख के जरिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सम्पूर्ण झालावाड़ जिले सहित खानपुर विधान सभा क्षेत्र को पिछले डेढ़ माह से हो रही अति मानसूनी वर्षा ने बरबाद कर दिया है। इस वर्ष खरीफ की फसल हेतु बीज बुआई के बाद लगातार डेढ़ माह से अतिवृष्टि के कारण बीज अंकुरित होने से पहले ही गल जाने से किसानों को दो से तीन बार बुआई करनी पड़ी है।

समय पूर्व मानसूनी वर्षा प्रारम्भ होने के बाद से लगातार क्षेत्र में भारी वर्षा हो रही है। गत वर्ष पूरे झालावाड़ जिले में 756.39 एम एम वर्षा रिकार्ड की गयी थी, जिसके मुकाबले इस वर्ष दिनांक 19.8.2013 तक जिले में औसत 1,126 एम एम बारिश रिकार्ड की गयी है। खानपुर विधान सभा क्षेत्र की बकानी पंचायत समिति में 1,280 एम एम, झालरापाटन पंचायत समिति में 1,281 एम एम तथा खानपुर पंचायत समिति में 1,042 एम एम बारिश रिकार्ड की जा चुकी है।

इस वर्ष अच्छी बारिश के आसार के चलते जिले में फसल का रकबा काफी बढ़ा है। अकेले खानपुर पंचायत समिति में इस वर्ष खरीफ का रकबा 48,000 हेक्टेयर रहा है। इसी तरह, चारा, मूंग व सोयाबीन का भी रकबा बढ़ा है। किसानों ने अपनी गाढ़ी कमाई दो से तीन बार बीज बोकर नष्ट कर दी है। अतिवृष्टि के कारण कम पानी की फसलें, मक्का, ज्वार, मूंग, उड़द की पूरी नष्ट हो गयी हैं। चारा पूर्णतया आड़ा पड़ जाने से बरबाद हो गया है। उसमें सड़न पैदा हो जाने के कारण पशुओं के लिये खाने लायक नहीं बचा है। सोयाबीन की फसल में 70 प्रतिशत से अधिक खराबा हुआ है। जल भराव वाले खेतों में सोयाबीन की फसल 100 प्रतिशत नष्ट हो गयी है।

(श्री अनिल जैन)

गत वर्ष रबी की फसल में बेमौसम बरसात एवं ओलावृष्टि के कारण काफी नुकसान हुआ था। किसान पर अतिवृष्टि की यह दोहरी मार है, जिसे झेल पाना किसान परिवारों के लिये असहनीय है। सम्पूर्ण क्षेत्र का किसान बरबाद हो गया है। सरकार व प्रशासन गरीब किसानों को मुआवजा देने से बचने के लिये 30 प्रतिशत खराबे की बात करके बचना चाहते हैं।

अतः सरकार सम्पूर्ण झालवाड़ व खानपुर विधान सभा क्षेत्र में फसलों के नुकसान का सर्वे कृषि विभाग के तकनीकी कर्मचारियों द्वारा शीघ्र करवाकर उचित मुआवजा गरीब किसानों को प्रदान करे तथा किसान क्रेडिट कार्ड और सहकारी समिति के ऋणों में किसानों से बीमा राशि वसूल करने वाली कम्पनियों से इस आपदा की स्थिति में बीमा राशि का भुगतान करवाये एवं किसानों को इस आपदा के राहत पहुंचाने हेतु ऋण वसूली स्थगित करे। साथ ही अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त मकानों, बाड़ों का उचित मुआवजा भी देवे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अमरारामजी।

राष्ट्रीय राजमार्ग 11 स्थित पलसाना बाइपास पर गोवटी-खाटू-जीणमाता रोड पर अंडरपास के अभाव में अनुभूत परेशानी

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से एन एच 11 पर पलसाना बाइपास पर गोवटी-खाटू-जीणमाता रोड पर अंडरपास नहीं बनाने से जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में राज्य सरकार एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एन एच 11 को चार लेन बनाने के लिये 43 किलोमीटर, रींगस से सीकर तक 333 करोड़ का प्रोजेक्ट बी ओ टी के आधार पर है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप, इसमें लिखा है, वही पढ़िये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): पलसाना कस्बे के पास बाइपास बनाया जा रहा है जिस बाइपास को चार सड़कें क्रोस करती हैं जो क्रमशः पलसाना से गोवटी-खाटू-जीणमाता, पलसाना से लढ़ाणा, पलसाना से सांवलपुरा एवं पलसाना से गोवर्धनपुरा हैं। विभाग ने मेरे प्रश्न संख्या 48(6137), अन्तः सत्रकाल, में तीन सड़कें ही बताई हैं, जबकि मुख्य सड़क पलसाना से गोवटी-खाटू-जीणमाता को नहीं बताया गया है, जो सबसे पुरानी सड़क है। खाटू मेला जो वर्ष में दो बार, राज्य का सबसे भारी, मेला भरता है तथा जीणमाता का भी वर्ष में दो बार मेला भरता है, अतः यात्रियों को पलसाना से जाने का एक मुख्य मार्ग

(श्री अमराराम)

यही सड़क है। उक्त मार्ग पर बसे 18 ग्राम एवं ढाणियों के किसान एवं आम जनता हेतु व्यापार, कृषि मण्डी पलसाना तथा मुख्यालय सीकर आने-जाने का यह मुख्य मार्ग है जिससे आम आदमी एवं मेले में आने वाले यात्रियों को मार्ग पर अंडरपास नहीं होने से भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को लेकर अंडरपास संघर्ष समिति के नेतृत्व में लम्बे समय से आन्दोलन किया जा रहा है, जिसमें हजारों लोगों की भागीदारी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि जन भावनाओं एवं जन हित में गोवटी रोड पर अंडरपास बनाने का आदेश कर जनता को राहत दिलाने का कार्य करें जिससे आम जनता में सरकार के प्रति विश्वास कायम हो सके।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल।

कृषि भूमि के अकृषि भूमि में नियमन के प्रकरण निस्तारित करने हेतु स्वायत्तशासी संस्थाओं को आदेश

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत कृषि भूमि नियमन के भूखण्डों के जारी किये गये मांग पत्र, जिनमें कि आवेदकों के द्वारा निर्धारित समयावधि में राशि जमा नहीं करवाई गई, ऐसे निरस्त किये गये भूखण्डों का प्रशासन-शहरों-के-संग अभियान में नियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

कृषि भूमि के गैर-कृषि भूमि प्रयोजनार्थ नियमन शुल्क का मांग पत्र जारी होने के उपरान्त तीस दिवस के भीतर-भीतर राशि जमा करवानी होती है। जिन प्रकरणों में आवेदक द्वारा राशि जमा नहीं कराई जाती है, उनका नियमन स्वतः ही निरस्त माना जाता है। स्वतः निरस्तीकरण का नियमन करने हेतु स्वतः निरस्तीकरण की तिथि से एक वर्ष तक अध्यक्ष महोदय व उससे अगले एक वर्ष तक न्यास को शक्तियां प्रदत्त हैं। ऐसी स्थिति में नगरीय विकास विभाग, राजस्थान द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 03.03.2008 के अनुसार कृषि भूमि के गैर-कृषि प्रयोजनार्थ नियमन सम्बन्धी जिन प्रकरणों में राशि समय पर जमा नहीं होने से स्वतः निरस्तीकरण हो चुका है, उन प्रकरणों में भूखण्ड की बकाया राशि 12 प्रतिशत ब्याज एवं शास्ति सहित वसूल कर नियमन की कार्यवाही न्यास स्तर पर करने के निर्देश दिये गये थे। दिनांक 03.03.2008 के परिपत्र में नियमों में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

(श्रीमती अनिता भदेल)

मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार परिपत्र दिनांक 03.03.2008 को दो वर्ष से अधिक अवधि के नियमितीकरण हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति सहमति के रूप में मानकर नियमानुसार निर्धारित दर से ही ब्याज, शास्ति वसूल करते हुए प्रकरणों का निस्तारण करने का आदेश राजस्थान की सभी स्वायत्तशासी संस्थाओं को प्रदान करे ताकि प्रशासन-शहरों-के-संग अभियान में लम्बित प्रकरणों का निस्तारण किया जा सके।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री ओमजी बिरला।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा नम्बर आ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: आपका नीचे है, आ रहा है।

कोटा सहित प्रदेश की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, कोटा सहित प्रदेश के समस्त शहरों व कस्बों में क्षतिग्रस्त सड़कों को अविलम्ब दुरुस्त कराने के सन्दर्भ में।

महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत मैं इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य में कोटा सहित प्रदेश के समस्त शहरों व कस्बों की सड़कें बरसात व अन्य कारणों से क्षतिग्रस्त हैं। राजधानी जयपुर व कोटा जैसे शहरों की हालत इतनी खराब है कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, इसका अन्दाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। उदाहरणस्वरूप, नगर विकास न्यास, कोटा के माध्यम से कोटा के विकास एवं सौन्दर्यीकरण के नाम पर 1,000 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं लेकिन फिर भी शहर व शहर से बाहर जाने वाली सड़कों के हालात बद से बदतर हैं। कोटा शहर में 20 वर्ष की दीर्घकालीन योजना के नाम पर 100 करोड़ खर्च करके 6 इंच मोटी पेवर सड़कें बनाई गई थीं, ये सभी पहली बरसात में ही क्षतिग्रस्त होकर विभागीय भ्रष्टाचार की कहानी बयां कर रही हैं। ऐसी सड़कें बनाने वाले ठेकेदारों व उत्तरदायी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होने से जनता में आक्रोश है।

कोटा शहर प्रदेश के नगरीय विकास मंत्रीजी का गृह क्षेत्र है। मंत्रीजी टूटी सड़कों का दौरा करते हैं और एक माह में शहर की सड़कें दुरुस्त करने का आदेश देते हैं लेकिन हालात में कोई खास बदलाव नहीं हो रहा है। शहर में वाहन चालकों के लिए सड़कों पर वाहन चलाना बाधा दौड़ प्रतियोगिता में भाग

(श्री ओम बिरला)

लेने जैसा साबित हो रहा है। गड्ढों एवं खुदी हुई सड़कों के कारण गत छह माह में विभिन्न हादसों में किसी के घर का चिराग बुझ गया, तो किसी सुहागन का सुहाग उजड़ गया। गड्ढों में गिरकर घायल हुए कई लोग स्थायी विकलांगता के शिकार हो रहे हैं, तो कई लम्बे समय तक पलंग पकड़ने को मजबूर हो रहे हैं।

(14.12 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

आमजन की पीड़ा उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है लेकिन जनता के इस दर्द और परेशानी की ओर किसी का ध्यान नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि संभाग के सबसे बड़े चिकित्सालय एम बी एस चिकित्सालय में रोजाना आने वाले दुर्घटना सम्बन्धी मामलों में से 40 फीसदी इन उखड़ी सड़कों की गिट्टी व गड्ढों के शिकार हैं।

हम सभी जयपुर की सड़कों की दुर्दशा के प्रत्यक्ष गवाह हैं किन्तु जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की जनता की परेशानियों को अनदेखा कर रहा है जो कि अत्यन्त शर्मनाक है।

अत: मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि प्रदेश में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को अविलम्ब ठीक करवाया जाए और घटिया सड़क निर्माण के दोषी ठेकेदारों व अधिकारियों की भूमिका की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए।

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

राणा प्रताप सागर बांध के विस्थापितों की पुनर्वास में समस्याएं

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): सभापति महोदय, विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि राणा प्रताप सागर बांध बनने के कारण वहां पर से ग्रामीणों को सरकार द्वारा सन् 1962-63 में गिरधरपुरा में बसाया था। मुकन्दरा हिल्स नेशनल पार्क बनाने के कारण प्रशासन द्वारा, कार्यालय उप खण्ड अधिकारी, कोटा द्वारा जारी निर्णय दिनांक 19.08.2011 के द्वारा सभी अधिकारों का अधिग्रहण कर लिया गया, जिससे जानवरों/पशुओं की चराई एवं गिरधरपुरा से कोलीपुरा रास्ते का अधिकार छीन लिया गया, जिससे पशुपालकों के सामने भूखे मरने एवं ग्रामीणों के सुगम आवागमन का रास्ता बन्द करने से ग्रामीणों

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

को गिरधरपुरा गांव में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है एवं अभी तक पक्की सड़क नहीं बन पायी है।

ग्रामीणों द्वारा स्वेच्छा से प्रशासन/सरकार को कुछ शर्तों के आधार पर गांव गिरधरपुरा से हटने की सहमति दी गयी थी। अतः प्रशासन द्वारा विस्थापित न करके अधिकारों का अधिग्रहण आदेश पर रोक लगाई जावे एवं ग्रामीणों को पक्की सड़क उपलब्ध कराई जावे तथा गिरधरपुरा-कोलीपुरा रास्ता बन्द नहीं किया जावे। अगर यह सम्भव नहीं हो तो उन्हें कोटा शहर के निकट बसाने व पर्याप्त मुआवजा भूमि शीघ्र उपलब्ध करावें।

मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि ग्रामीणों की परेशानियों को समझते हुए उच्च अधिकारियों को निर्देशित कर उचित कार्यवाही करवाने का आदेश प्रदान करें।

श्री सभापति: श्री देवी सिंह भाटी।

मूलाणा-रासला गांव (जैसलमेर) की ओरण भूमि का कम्पनियों को आबंटन

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): सभापति महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव।

प्रदेश के ग्रामीण अंचल में, विशेष तौर से पश्चिमी राजस्थान में, पुरातन शून्य-खर्च-आधारित अर्थव्यवस्था के तहत पशुधन (जो कि मुख्य आर्थिक रीढ़ की हड्डी थी) के लिए गौचर, चरागाह, ओरण, तालाब पायतन, आगोर की व्यवस्था की गई थी जिससे बिना खर्च के पशुधन लाखों की संख्या में

(14.16 बजे)

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

राजस्थान में जिन्दा रहें लेकिन इस अंग्रेजी व्यवस्था में जिला जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर व बीकानेर में गौचर, ओरण, चरागाह व तालाब-जोहड़, पायतन-आगोर की जमीनें, जो भूल से समरी-सेटलमेंट के सर्वेक्षण के समय रिकार्ड में दर्ज नहीं की गई थीं, अब कम्पनी राज के दबाव में राज्य सरकार विभिन्न कम्पनियों को वे जमीनें डी एल सी रेट की 10 परसेंट राशि पर आबंटित कर रही है। ये हमारी पुरातन शून्य-खर्च-व्यवस्था की आर्थिक रीढ़ की हड्डी हैं।

हमने गत वर्ष उपरोक्त समस्या को लेकर बीकानेर में पश्चिमी

(श्री देवी सिंह भाटी)

राजस्थान के ग्रामीणों के साथ बीकानेर में अनिश्चितकालीन धरना देकर राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था, जिस पर जिला प्रशासन के साथ दिनांक 15.7.2012 को सम्भागीय आयुक्त के माध्यम से लिखित समझौता हुआ था कि 'राज्य प्रशासन ऐसी गौचर, ओरण, चरागाह, तालाब, आगोर की जमीनें, जो भूल से रिकार्ड में दर्ज नहीं की गई हैं, 30 दिन में सर्वेक्षण कर मौके के अनुसार दर्ज करेंगे।'

मुझे वेदना है कि राज्य सरकार ने इस समझौते के वायदे के विपरीत अपने आदेश राजस्व (ग्रुप-3) विभाग के परिपत्र दिनांक 20.07.2012 में उपरोक्त समझौते की शर्तों की गौचर, ओरण, चरागाह की भावना को विलुप्त कर दिया। यह सरकार की सरासर धोखेबाजी थी।

अब सरकार ऐसी अभिलेख में दर्ज नहीं (Unrecorded) भूमियों को कम्पनियों को आबंटित कर रही है, जिसके कारण से जिला जैसलमेर के गांव मूलाणा-रासला गांव के देगराय माताजी मन्दिर के ओरण को कम्पनी को आबंटित करने व कब्जा लेने का उपरोक्त क्षेत्र के ग्रामीणों ने, अपनी आस्था के विरुद्ध हो रही कार्यवाही का, मौके पर विरोध किया। कम्पनी-लोगों की जबरदस्ती करने के कारण धक्का-मुक्की भी हुई और कम्पनी ने प्रशासन की मिलीभगत से ग्रामीणों के विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज कर दहशत फैलाने का काम किया है और गांव-गांव छापा डाल रहे हैं।

ऐसे अंग्रेजी शासन की प्रणाली अपनाने के विरुद्ध मैं दिनांक 08.09.2013 को जिला जैसलमेर मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ रहा हूं। राज्य सरकार कम्पनियों को विशेष प्रोजेक्ट दे रही है और ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी को दी गई सुविधाओं को भी पीछे छोड़ने में लगी है। यह हमारी पुरातन व्यवस्था और आस्था पर चोट/कुठाराघात है जिसे हम बरदाश्त नहीं करेंगे।

अतः समय रहते मैं राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं।

माननीय राजस्व मंत्रीजी, कुछ आश्वस्त करेंगे आप?

श्री अध्यक्ष: डा. गोपाल जोशी।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): पहले भी आपने उठाया था; मैंने कहा, गौचर, ओरण, जोहड़, पायतन, कोई कम्पनियों को नहीं दी है, खाली सिवाय चक जमीन दी है। वह भी सोलर और विंड पावर का जो बिजली का उत्पादन है...

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): माननीय अध्यक्ष महोदय, बीकानेर सम्भाग मुख्यालय में ...

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): एक मिनट ठहरो।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): जो बिजली का उत्पादन है, हमारे प्रदेश के लिए बिजली की बहुत डिमाण्ड है और उस डिमाण्ड को पूरा करने के लिए सोलर और विंड पावर का प्रोडक्शन बहुत जरूरी था। उसको देखते हुए जो नीति बनी, पालिसी बनायी, उसके तहत इनको जमीन दी गयी।

वो गौचर, ओरण, जो आप बता रहे हो, उस किस्म की जमीन नहीं दी है, सिर्फ सिचाय चक जमीन दी है। इसके उपरान्त भी, पहले दी है, इसमें भी यह शर्त लगायी थी कि वह इस तरह के प्रोजेक्ट लगाएंगी, यह सोलर पावर, विंड पावर दो साल के अन्दर-अन्दर नहीं लगाएंगी तो उनको वह जमीन निरस्त करेंगे। इसमें भी विंड वालों को दी है, वह तो एक खाली वह खड़ा होता है और बाकी जमीन है, वह गायों के चरने के लिए खुली रहती है। उसमें कहीं कोई दिक्कत आती नहीं है। सोलर वालों में जरूर वे यह जमीन पूरी घेर लेते हैं।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): मैं तो एक लाइन में निवेदन कर दूं कि जो अनुपयुक्त, बंजर जमीन है, वह आबंटित करो न। इसमें तो लाखों पेड़ खड़े हैं बेरी के।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): आप बता दें, आप मुझे लिखित में दे दें।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): जी।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): आगे से कोई जमीन, आप मुझे लिखित में दे देंगे, तो उसको मैं हर तरह से उसको अलाट करने के लिए अवाइड करूंगा, किसी सूरत में अलाट नहीं करूंगा। यह आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि दो साल में वैसे ही, आगे बाद में देखा जायेगा और पहले यदि अलाट हो गयी, कोई इस तरह का वास्तव में ही विरोध है, वहां वास्तव में ही गायें चरती हैं हमेशा, इस तरह का कोई मामला है तो उसको हम निरस्त भी कर सकते हैं। कोई ऐसा मामला आप मेरे ध्यान में लायें, मैं कलक्टर से रिपोर्ट ले लूंगा, रिपोर्ट लेने के बाद में उसको निरस्त कर सकते हैं, अगर कोई है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): मेरा तो यही सुझाव है।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): मैंने पहले भी इस तरह के कोई आबंटन हुए हैं, किसी की शिकायत आयी है तो उसको निरस्त किया है। आगे भी, यह तो क्या है कि महत्वपूर्ण है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, आगे कोई समस्या हो तो आप चैम्बर में मिल लें।

डा. गोपाल जोशी।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): हां, आप मेरे को लिखित में दे दें, मैं रिपोर्ट ले लूंगा।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): मैं लिखित में दे दूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आगे कोई समस्या होगी तो हेमारामजी इनके चैम्बर में मिलेंगे?

एक माननीय सदस्य: इनके हाथ में रहेगा क्या?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): नहीं, आपको अनशन पर बैठने की जरूरत नहीं है। जो आपके सुझाव हैं, आप मुझे दे दें, मैं आपके सुझावों का अध्ययन करूंगा। (व्यवधान) पूरी तरह से आपके साथ हूं।

श्री अध्यक्ष: जोशी साहब, आप शुरू करो। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): मंत्रीजी भी बैठे हैं, हमारे ऐसी काफी जमीनें हैं बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): सर्वे, सेटलमेंट के समय रिकार्ड में दर्ज नहीं हैं...(व्यवधान) मौके पर विद्यमान हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजें, विराजें।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): मेरा आपसे निवेदन है कि आप अनशन पर नहीं बैठें, आप मुझे लिख कर दे दें, आपके लिए जो भी कर सकते हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, विराजें आप।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): उनको निर्देश दे देंगे। (व्यवधान) कोई आगे कार्यवाही नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष: डा. गोपाल जोशी।

बीकानेर सम्भाग मुख्यालय में उच्च न्यायालय की बैंच/सर्किट बैंच की स्थापना

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(डा. गोपाल जोशी)

बीकानेर सम्भाग मुख्यालय में उच्च न्यायालय की बेंच/सर्किट बेंच स्थापित करने हेतु विधान सभा कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, बीकानेर सम्भाग एक महत्वपूर्ण व विशिष्ट सम्भाग होते हुए भी व यहां उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच के लिए अनवरत आन्दोलन होते हुए भी एवं कई विशेष कारणों के होते हुए भी सर्किट बेंच को सरकार द्वारा यहां स्थापित ना करना न्यायसंगत नहीं है। निम्न कारणों को दृष्टिगत करें तो बीकानेर में उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच का दायित्व व औचित्य बनता है:-

(1) बीकानेर में 1947 में भारत को आजादी मिलने से पहले भी यहां उच्च न्यायालय स्थापित था। यह उच्च न्यायालय एकीकृत राजस्थान के भारत में विलय पर समाप्त कर दिया गया।

(2) बीकानेर सम्भाग के चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर व बीकानेर को मिलाकर उच्च न्यायालय, जोधपुर में 40 प्रतिशत मुकदमे केवल इसी सम्भाग के हैं। 250 से 500 किलोमीटर तक लोगों को जोधपुर जाने की दुविधा, संकट, आर्थिक, शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा समय की बरबादी से यहां के लोगों को अत्यन्त राहत की सांस व उपरोक्त पीड़ा से चैन की नींद प्राप्त होगी।

(3) बीकानेर में उच्च न्यायालय के उपयुक्त एक भव्य, बेजोड़ वास्तुकला की इमारत पहले से ही मौजूद है। अन्य इमारत बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

(4) अपनी मांग है कि उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच खुलने पर घर पर ही पीड़ित, व्यथित नागरिकों को उनके दरवाजे पर सस्ता, सुलभ एवं शीघ्र न्याय प्राप्त हो सकेगा।

(5) न्याय का विकेन्द्रीकरण करने की नीयत से सरकार ने तहसील स्तर पर न्यायालय खोले हैं। ग्रामीण इलाकों को भी यह अवसर प्रदान किया है और आगे अधिक विस्तार की भी योजना बनायी जा रही है। तो फिर क्यों वकीलों एवं लोगों को न्याय प्राप्त करने के लिए आन्दोलन का रास्ता चुनना पड़े?

अध्यक्ष महोदय, आन्दोलन चल रहा है क्योंकि सस्ता, सुलभ न्याय आम व्यक्ति को मिले। सरकार से हमारी प्रार्थना है, निवेदन है कि बीकानेर में शीघ्रातिशीघ्र उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच की स्थापना की जावे। धन्यवाद।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): विधि मंत्रीजी, यह सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने अपनी राय दी है, बेंच ने कि मुकदमा लड़ना गरीब की पहुंच से बाहर है और विक्रेन्द्रीकरण की आपकी नीति है।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकर सिंह रावत।

(अनुपस्थित)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): कम से कम सम्भाग मुख्यालय पर, बीकानेर पर, बीकानेर में सारी सुविधाएं हैं तो हाई कोर्ट की बेंच स्थापित करने में कहां दिक्कत है?

श्री अध्यक्ष: श्री फतेह सिंहजी।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): अजी, क्या ठंड पिये हुए राणोंजी हों क्या? बिस्मिल, तेरा खुदा हाफिज। फिर क्या होगा इस देश का।

अभी, देखिये, पूरे बीकानेर में आन्दोलन चल रहा है।

श्री अध्यक्ष: मैंने नाम पुकार लिया है फतेह सिंहजी का।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): साहब, आम आदमी को न्याय नहीं मिल रहा और उसके ऊपर हड़ताल कर रखी है। अब लोग, जिनके मुकदमे चल रहे हैं, उनकी पैरवी के लिए वकील नहीं।

श्री अध्यक्ष: श्री फतेह सिंह जी। नियमों के तहत उठाइये।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): नियमों में तो उठाया; साहब, बीकानेर वालों ने उठाया है।

श्री अध्यक्ष: अभी 295 चल रहा है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): नियम तो वे ही हैं, साहब, 295 और जीरो आवर।

श्री अध्यक्ष: 295 उनका है, आपका नहीं ना। श्री फतेह सिंहजी।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): नहीं, हुक्म, यह न्याय नहीं मिल रहा है, इसके लिए कहां जाएं हम? कोई तो बताए।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। श्री फतेह सिंहजी, शुरू करो आप।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

कुशलगढ़ में अतिवृष्टि से कारित नुकसान का किसानों को मुआवजा

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, कुशलगढ़

(श्री फतेह सिंह)
विधान सभा क्षेत्र में अधिक बारिश होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिए निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन करना चाहूंगा कि इस वर्ष अधिक बारिश होने से कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में किसानों द्वारा बोई गई सभी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। कुशलगढ़ क्षेत्र में यहां के किसान खेती पर ही निर्भर हैं। यह क्षेत्र नान-कमाण्ड में आता है, यहां के खेतीहर मजदूर खेती पर ही अपना जीवन यापन करते हैं।

यह कि अधिक बारिश से खेती पूरी तरह नष्ट होने से किसानों की हालत बिगड़ चुकी है। किसानों की खेती नष्ट हो जाने पर राज्य सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि सरकार समय रहते फसलों का आकलन (गश्त गिरदावरी) कर अभाव घोषित करे व उस क्षेत्र के किसानों को मुआवजा देवे तथा राहत कार्य खोल कर राहत दिलावे।

अतः, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत मेरे प्रस्ताव पर गौर करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाश चन्द भंसाली। माननीय सदस्य, आपस में चर्चा नहीं।

जोधपुर शहर की चौपट सफाई व्यवस्था

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जोधपुर की सफाई व्यवस्था बिलकुल चौपट हो गयी है। शहर का हर कोना गंदगी से अटा हुआ पड़ा है। हर गली, नुक्क्ड़ पर मेन होल के ओवरफ्लो होने से गंदा पानी सड़कों पर नाले के रूप में बहता देखा जा सकता है। सड़कों पर मिट्टी व गिट्टी, कंकरी फैली हुई है। हर इलाके में कचरे के ढेर देखे जा सकते हैं। ऐसे में समूचा शहर गंदगी से अटा पड़ा है। सीवर लाइनें काफी पुरानी होने या कम गेज की होने के कारण जगह-जगह से क्षतिग्रस्त हो गयी हैं, जिससे उनका गंदा पानी सड़कों पर बहता है या जमीन से रिस कर लोगों के बेसमेंट में जा रहा है या पीने के पानी के साथ मिलकर आ रहा है।

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

माननीय अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय के जोधपुर प्रवास के दौरान, स्वयं ने शहर में बिसरी गंदगी को लेकर पीड़ा जताई थी। उसके पश्चात् माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने भी शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर गम्भीर टिप्पणी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुख्य मंत्री का गृह नगर होने के बावजूद जो शहर की दुर्दशा है, उसे देखकर रोना आता है। चारों ओर गंदगी के ढेर लगे हैं व सड़कों की हालत खराब है। इसी के साथ डी.जी.पी. ने भी अपने एक वक्तव्य में कहा कि प्रदेश के अन्य बड़े शहरों की तुलना में जोधपुर की सड़कों पर गंदगी अधिक है। उसके बावजूद भी, कुछ सुधार नहीं होने से ऐसा लगता है कि नगर निगम अफसर एवं महापौर इस हेतु गम्भीर नहीं हैं।

शहर की सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए नगर निगम के पास पर्याप्त सफाईकर्मी व संसाधन हैं लेकिन उनका उपयोग करने वाले अफसर नहीं हैं। अधिकारी नियमित रूप से सर्किल में जाकर ईमानदारी से सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति लेकर सत्यापन करें और अपने संसाधनों का उपयोग कर सफाई व्यवस्था पर ध्यान देवें तो तय है कि इस व्यवस्था में सुधार आएगा। परन्तु अधिकारियों में इच्छा शक्ति की कमी के कारण ऐसा हो रहा है। गली-मोहल्लों से लेकर मुख्य बाजारों की सड़कों पर एकांतर कचरे के ढेर व नाले के रूप में बहता गंदा पानी ही दिखता है, लेकिन नगर निगम बहाना बना कर अपनी जिम्मेदारी से भागता नजर आ रहा है। वर्षा पूर्व नगर निगम द्वारा शहर के अधिकांश छोटे-बड़े नालों की सफाई करवायी गयी थी जिसमें तीन करोड़ दस लाख रुपये खर्च हुए परन्तु जोधपुर में हुई एक ही वर्षा के बाद नालों की दीवारें टूट कर गिर गईं तो शहर के अधिकांश नाले ओवरफ्लो हो गए। ऐसे में जोधपुर का आमजन इस गंदगी को लेकर काफी परेशानी उठाने पर मजबूर है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को देखते हुए सरकार से निवेदन है कि जनता के हित में राहत दिलाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री ग्यारसाराम कोली।

बयाना की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि बयाना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सड़कों की हालत बहुत खराब हो चुकी है। बयाना की भीमनगर तिराहे से कुण्डा

(श्री ग्यारसाराम कोली)

तक की सड़क तो गड्ढे का रूप ले चुकी है, सड़क पर पानी भरा रहता है। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, वाहन टूट रहे हैं। यह रोड RIDCOR को हस्तांतरित हो चुकी है किन्तु इसकी मरम्मत शून्य के बराबर है। अविलम्ब इस सड़क की मरम्मत शुरू की जाकर, भीमनगर से कुण्डा तक की सड़क को सीमेंटेड बनाई जाकर जनता को राहत दिलाई जाए।

यही नहीं, अन्य सड़कों की भी मरम्मत कराई जाकर, कम से कम गहरे गड्ढों को भरवाकर सड़क का रूप तो बनाएं। ऐसा प्रतीत होता है कि यहां सड़कें हैं ही नहीं। सरकार से जनता का विश्वास उठ गया है।

अतः निवेदन है कि संदर्भित सड़क की मरम्मत अविलम्ब करायी जाए तो जनता के हित में उचित कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानदेव आहूजा।

रामगढ़ (अलवर) में ओलावृष्टि से नुकसान का मुआवजा नहीं दिया जाना

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम घाट, ग्राम बुरियाना, ग्राम बांई, ग्राम रैणपुर, ग्राम खेरली वीरान, ग्राम खूंटेटा, ग्राम सींगरका, ग्राम खेड़ा महमूद, शाहपुर सहित कई गांवों में पांच माह पूर्व हुई ओलावृष्टि के मुआवजे का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है।

मैं सदन में प्रक्रिया के नियम 295 के माध्यम से पहले भी यह समस्या उठा चुका हूं किन्तु राज्य सरकार किसानों के लाखों के भुगतान को चन्द रुपयों में करना चाहती है और वह भी अभी तक नहीं हुआ है। कृपा कर इस ओर गम्भीरता से ध्यान दिया जाकर भुगतान करवाया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री पेमाराम।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

सीकर जिले में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को राजकीय कार्मिकों की अव्यवस्था के चलते अनुभूत कठिनाइयां

श्री पेमाराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान में सरकार ने, श्रम विभाग ने एक कानून लागू किया, जो निर्माण श्रमिक हैं, उनके लिए। क्योंकि हमारे देश की पार्लियामेंट ने 1996 में

(श्री पेमाराम)

यह कानून बना दिया था और अभी इस गवर्नमेंट ने राजस्थान की धरती पर लागू किया, वहां तक तो ठीक है, धन्यवाद है लेकिन जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले निर्माण श्रमिक हैं, वह कानून लागू होने के बाद हमारे सीकर जिले की जो पोजिशन है, सीकर जिले में जनवरी से लेकर आज तक सिर्फ एक चपरासी रहा। न कोई अधिकारी, न कोई बाबू, न कोई कर्मचारी।

अध्यक्ष महोदय, नरेगा में काम करने वाला भी इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएगा, भवन निर्माण के तैंतीस तरह के मजदूर हैं जो इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएंगे लेकिन वहां कोई अधिकारी और बाबू न हो पाने की वजह से रजिस्ट्रेशन का काम नहीं हो पा रहा, नवीनीकरण का काम नहीं हो पा रहा। फिर इन मजदूरों को जो देय सुविधाएं हैं, प्रसूति लाभ पर जैसे सात हजार रुपया है; पुत्री की शादी पर इक्यावन हजार रुपया है; उसके बेटे-बेटी को छात्रवृत्ति है; उसकी डायरी का नवीनीकरण होने के बाद; उसको साइकिल का है; और यदि कोई अड्डा टूट गया, श्रमिक मर गया, तो इस तरह के भी 20-30 केस हमारे जिले में वहां दफ्तर में पेण्डिंग पड़े हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं दुःख के साथ इसलिए कहना चाहूंगा कि आए दिन अखबारों में, टी वी में, रेडियो में माननीय मुख्य मंत्रीजी की और माननीय श्रम मंत्रीजी की तस्वीर देखते हैं, रोडवेज बसों के पीछे लिखा हुआ देखते हैं, इन सवालों को लेकर के मैंने मंत्रीजी के यहां भी दो दफा मुलाकात कर ली, इन सवालों को लेकर लेबर कमिश्नर के पास भी चले गये लेकिन अत्यन्त दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि लगातार काम न कर पाने के कारण 13 अगस्त को, आठ महीने तक वहां कोई नहीं हो पाने की वजह से, सीकर जिले में दस हजार के लगभग श्रमिक सड़कों पर आए। वहां के कलक्टर ने हस्तक्षेप करके कहा कि सात दिन में मैं काम शुरू करवा दूंगा। अध्यक्ष महोदय, लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन भी बिगड़ने की स्थिति आ रही है।

जब श्रमिक ने पैसा जमा करवा दिया, उसकी डायरी नहीं बन पा रही है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर इन्होंने एक ओ पी सारण नाम का अधिकारी लगाया है, वह फाइलें सूंघ रहा है, वह पैसे की सौदा पट्टी कर रहा है। जो श्रमिक उसको पैसा देगा, जो महिला जिसके प्रसूति हुई है, छह हजार रुपये का चैक देगा, वह पहले दो हजार रुपये अधिकारी को देगा। मंत्रीजी यहां पर बैठे हैं, जिसकी बेटी की शादी हो गयी, उसका फार्म वहां जमा है, चार महीने से फार्म पेण्डिंग पड़ा है। दो करोड़ रुपये जमा हैं सीकर जिले में। तीन

(श्री पेमाराम)
महीने से, जिस अधिकारी को लगाया है, सिवाय तनख्वाह के दस्तखत करने के अलावा श्रमिक से सम्बन्धित एक भी काम नहीं किया है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, मंत्री महोदय, एक तो वहां पर श्रम अधिकारी, ओ पी सारण, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो काम नहीं कर रहा है, यदि कोई और नहीं है तो किसी दूसरे को चार्ज देकर के करें।

एक वहां इन्स्पेक्टर की पोस्ट खाली है। वहां मेहरबानी रहेगी आपकी, सीकर जिले के श्रमिकों पर भी इन्स्पेक्टर की पोस्ट लगा दें और एक, वहां स्टाफ कम है।

दूसरा मेरा निवेदन है कि जो भी पेण्डिंग फार्म पड़े हैं, चाहे किसी श्रमिक के नवीनीकरण का, अभी बारह महीने के बाद नवीनीकरण होता है; नवीनीकरण का पैसा जमा है श्रम विभाग में, तीन महीने से उसकी डायरी का नवीनीकरण करने वाला कोई अधिकारी नहीं है। क्या राजस्थान सरकार नहीं है? क्या सरकार में कोई भी अधिकारी नहीं है? मैं समझता हूं, सरकार में कोई अधिकारी है।

श्रम मंत्री महोदय, जब मैं आपसे दो दफा मुलाकात कर चुका, निवेदन कर चुका, तो या तो सरकार श्रमिकों की इन फ्लैगशिप योजनाओं का जो प्रचार कर रही है, या तो यह प्रचार झूठा है, वरना असल में नियम के द्वारा जो बनाया हुआ है वह श्रमिक का हक है। मैं निवेदन करूंगा कि आप पेण्डिंग जो फार्म हैं, चाहे रजिस्ट्रेशन का है, चाहे उनको देय लाभ का है, वे फार्म पांच-सात दिन में, मुझे आश्वस्त करेंगे जिससे दुबारा श्रमिकों को वहां जिला मुख्यालय पर न आना पड़े।

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष: श्री बंशीधर खण्डेला।

श्री पेमाराम (धोद): मंत्रीजी बैठे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: बात काम की सारी आ गयी।

श्री पेमाराम (धोद): बात आ गयी। अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि इनको भी पता है, मंत्रीजी को भी लेकिन सरकार क्या कह रही है? मंत्रीजी बैठे हैं, मंत्रीजी क्या कहना चाह रहे हैं? यह मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस सवाल पर कुछ कहें।

श्री अध्यक्ष: श्री बंशीधर खण्डेला।

श्री पेमाराम (धोद): मंत्री महोदय, ...

श्री अध्यक्ष: अब आप विराजिए, मैंने आगे नाम पुकार दिया। माननीय सदस्य, आगे बहुत बिजनेस है, आज लेट हो जाएंगे।

खण्डेला नगरपालिका में उचित कार्मिक का पदस्थापन व अतिक्रमण की बेदखली

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्डेला नगरपालिका में ई ओ का पद खाली है। सरकार ने नियम तोड़कर तहसीलदार को वहां लगा दिया जबकि नियम यह है कि स्वायत्त शासन विभाग में कोई अधिकारी राजस्व विभाग का नहीं लगा सकते। पहले भी ऐसा हुआ था, वापस उसको हटाया गया था। मंत्री महोदय यहां बैठे हुए हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह नियम तोड़कर जो तहसीलदार को लगाया गया, उसकी जगह ई ओ को लगाया जाए या किसी पड़ोसी ई ओ को चार्ज दिया जाए।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्डेला के अन्दर खसरा नम्बर 1052, 1053 गैर-मुमकिन नाले के अन्दर हैं। इनके अन्दर आठ पट्टे दे रखे हैं, आठों में टावर लगे हुए हैं। मंत्री महोदय ने उस समय भी मेरे को सदन में आश्वस्त किया था कि ये सारे के सारे पट्टे कैंसिल कर दिये जायेंगे और टावर हटा दिये जाएंगे, उन्होंने कहा कि यह मैं कह रहा हूं, लेकिन आज तक वे टावर भी नहीं हटे और पट्टे भी कैंसिल नहीं हुए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तहसीलदार ने जो ई ओ का चार्ज ले रखा है, खुलेआम भ्रष्टाचार किया है। अनाधिकृत रूप से मकान बन रहे हैं, किसी की परमिशन नहीं है और किसी की परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं समझते हैं। कंट्रोल में नहीं है।

मंत्रीजी बैठे हैं, इनसे दो ही बातों का आश्वासन चाहता हूं कि ई ओ कब तक लगा देंगे; और यह जो पट्टों का पहले आश्वासन दिया था, टावर हटा देंगे, पट्टे कैंसिल करके अतिक्रमण हटा देंगे, तो यह कब करेंगे? धन्यवाद।

मंत्री महोदय, थोड़ा जवाब तो दीजिए। आपने पहले भी मेरे को आश्वस्त किया था।

श्री अध्यक्ष: श्री रघु शर्मा।

विशेषाधिकार हनन प्रश्न

सुश्री रतना गुप्ता थानाधिकारी महिला थाना गांधीनगर के विरुद्ध समिति के प्रतिवेदन पर विचार

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:-

(डा. रघु शर्मा)

राजस्थान विधान सभा की महिला एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति के दिनांक 19.7.2010 को महिला थाना, गांधीनगर का आकस्मिक निरीक्षण करने के दौरान सुश्री रतना गुप्ता, थाना अधिकारी, महिला थाना (पूर्व), जयपुर द्वारा महिला एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति को चाही गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराने, समिति के सभापति एवं सदस्यों के साथ किये गये अशिष्ट एवं अभद्र व्यवहार के फलस्वरूप सुश्री रतना गुप्ता के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव से सम्बन्धित विशेषाधिकार समिति, 2013-2014 का प्रतिवेदन, जो दिनांक 27 अगस्त, 2013 को उपस्थापित किया गया, पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष: जो माननीय सदस्य बोलना चाहें, उन्हें बोलने की अनुमति होगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि इस गम्भीर मसले पर आज आपने इस सदन में बहस रखी। अध्यक्ष महोदय, अच्छा होता कि इस मसले पर जब हम चर्चा करते, उस समय माननीय मुख्य मंत्रीजी भी यहां होते, डी जी, पुलिस भी यहां रहते और मुख्य सचिव भी यहां रहते क्योंकि यह मामला केवल रतना गुप्ता से जुड़ा हुआ नहीं है, यह मामला डी जी, पुलिस और पुलिस प्रशासन से भी जुड़ा हुआ है; यह मामला भारतीय प्रशासनिक सेवाओं से भी जुड़ा हुआ है, और वे उपस्थित नहीं हैं, इसका अर्थ एक है कि इस रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है वह अक्षरश: सही है।

पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारे प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने और हमारे सब माननीय सदस्यों ने कहा है कि हम इस रिपोर्ट का समर्थन करते हैं परन्तु इस रिपोर्ट में लिखा क्या है, माननीय मुख्य सचेतकजी के उसमें नहीं आया लेकिन चूंकि आपने सभी सदस्यों को भेज दिया था, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा पढ़ देता हूं। अंतिम पैरे में लिखा है, 57, 55 और 56, "अत: समिति सिफारिश करती है कि यह प्रकरण विशेषाधिकार हनन का बनता है जिसके लिये सुश्री रतना गुप्ता, तत्कालीन थानाधिकारी, महिला थाना गांधीनगर (पूर्व), जयपुर को 30 दिवस के कठोर कारावास की सज़ा दी जाए'', भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन करती है। दूसरा लिखा है...

श्री अध्यक्ष: यह रिपोर्ट में है क्या, भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं बोल रहा हूं। मैंने पहले कहा, हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने यह बात कही है और बहुत गम्भीर मसला है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

"साथ ही समिति यह भी सिफारिश करती है कि यदि पुलिस विभाग पूर्व की भांति सुश्री रतना गुप्ता को गिरफ्तार करने में विफल रहती है तो सदन सुश्री रतना गुप्ता को भगोड़ा घोषित करके उसकी राजकीय सेवाएं समाप्त करे एवं पुलिस को यह निर्देश दे कि शीघ्रातिशीघ्र सुश्री रतना गुप्ता को गिरफ्तार करके विधान सभा सचिवालय को सूचित करे।'' यह बहुत गम्भीर मसला है।

तीसरी बात और है, माननीय अध्यक्ष महोदय, "अतः समिति अनुशंसा करती है कि राज्य सरकार अपने समस्त विभागों, विशेषकर गृह विभाग द्वारा प्रदेश के सभी पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की ऐसी प्रवृत्ति पर रोक लगाये जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करे कि वे विधान सभा की किसी भी समिति तथा स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करे, अन्यथा उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।"

अध्यक्ष महोदय, केवल ये तीन पैराग्राफ होते तो हम संतुष्ट होते, लेकिन इसके पहले के अगर दो पैराग्राफ हम देखें, तब पता लगेगा, मगरमच्छ को छोड़ रहे हैं और मछली को निगल रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण और गम्भीर बात है। इसी समिति ने सिफारिश की है- ''समिति यह महसूस करती है कि यह सम्पूर्ण प्रकरण दो वर्ष से लम्बित होने के उपरान्त भी महानिरीक्षक (रेंज प्रथम), राजस्थान पुलिस, जयपुर द्वारा इस प्रकरण में कोई संज्ञान नहीं लिया गया जिसे समिति ने गम्भीरता से लिया एवं समिति उन्हें हिदायत देती है कि भविष्य में विधान सभा के समितियों के सभापति, सदस्यों तथा विधान सभा सचिवालय के पत्रों को गम्भीरता से लेते हुए आवश्यक तत्काल कार्यवाही की जावे।'' रतना को पकड़ा, आई जी (रेंज) को छोड़ रहे हो?

फिर आगे लिखा है, 52 में- ''महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर द्वारा सुश्री रतना गुप्ता को गिरफ्तार कर समिति के समक्ष पेश करने में विफल रहने पर स्वयं उपस्थित न होकर सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा समिति को सूचना भिजवायी गयी, जिस पर समिति ने गहरी नाराजगी जताते हुए उनकी भर्त्सना की।'' क्या अर्थ निकला इसका?

श्री अध्यक्ष: बहुत गम्भीर है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यानी, महानिरीक्षक को समिति

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बुलाती है कि पकड़कर पेश करो और उसको कहा, क्यों नहीं बुलाया; आप आओ; वह आता नहीं है और नहीं आने के बाद आप कहते हों, नहीं, नहीं, उसकी हम भर्त्सना करते हैं! इसकी भी भर्त्सना कर दो।

इसलिए ही मैं कह रहा था कि सदन में आज डी जी, पुलिस को भी रहना चाहिये था, मुख्य सचिव को भी रहना चाहिये था और मुख्य मंत्रीजी को भी रहना चाहिये था। यह सदन है। हमारे संविधान निर्माताओं ने, अध्यक्ष महोदय, अलग-अलग सबकी व्याख्या की है। इस सदन को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त हैं। इसके निर्णय कई बार हो चुके हैं। न्यायपालिका को अपने अधिकार प्राप्त हैं, ब्यूरोक्रेसी को अपने अधिकार प्राप्त हैं लेकिन सदन के अधिकारों का हनन करें तो हम काम नहीं कर पायेंगे। समिति का अपमान उसी प्रकार के विशेषाधिकार का हनन है जिस प्रकार सारे हाउस का हनन है।

एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं, बड़े दुःख के साथ, हमने हमारे किसी बड़े नेता को आज तक नहीं छोड़ा। इसी सदन में, अध्यक्ष महोदय, आपको ध्यान होगा कि श्रीमान् अटल बिहारीजी वाजपेयी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आया, हमने उसकी चर्चा की व्यापक रूप से और अन्त में तत्कालीन अध्यक्ष, माननीय पूनमचन्दजी विश्नोई के निर्णय के बाद में 'कि दूसरे सदन के सदस्य के विशेषाधिकार को हम इस सदन में चर्चा नहीं कर सकते', उस प्रकरण को समाप्त किया।

हम सबको याद है, ये तो अफसर हैं, हम सबको याद है कि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधीजी द्वारा विशेषाधिकार के हनन प्रश्न पर लोक सभा ने उनको सज़ा दी एक रात की। सबको ध्यान है कि उस समय दस्तखत करते हुए, के. एस. हेगड़े साहब थे लोकसभा के अध्यक्ष, एक घण्टे तक सोच रहे हैं कि मैं दस्तखत करूं कि नहीं करूं? सदन जब किसी सदस्य, या किसी पर कार्यवाही करता है तो सदन का जी दुःखी होता है। हम किसी को सज़ा नहीं देना चाहते। वह उस समय किया गया, लेकिन उनको करना पड़ा। वह एक मात्र ऐसा अवसर है लोकसभा में, जब लोकसभा के अन्दर, सीमाओं के अन्दर स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रेस कान्फ्रेंस की थी।

हम जब स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधीजी के खिलाफ प्रिविलेज कर सकते हैं, अटल बिहारीजी वाजपेयी के खिलाफ कर सकते हैं तो फिर ब्यूरोक्रेट्स को क्यों छोड़ते हैं? और छोड़ते हैं तो फिर इस सदन के दाँत हैं, वे दिखाने के हैं।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम आज उपस्थित तो होते। वे सुन तो लेते कि वे ही सब कुछ नहीं हैं; जनता के चुने हुए जन-प्रतिनिधि और यह सदन सबसे ऊपर है। यह बात उनको आज सुनाने की आवश्यकता है, जिसको हम नहीं सुना पाये।

अध्यक्ष महोदय, न्यायपालिका का और हमारा, ब्यूरोक्रेसी का और हमारा बड़ा काम है, लेकिन आज मुझे यह कहते हुए दुःख है कि समिति ने जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के बाद में ब्यूरोक्रेसी के बारे में जो लिखा गया है, वह बहुत ठीक है। यह हमारी जो ब्यूरोक्रेसी बनी है, वह, अध्यक्ष महोदय, आई सी एस, तो स्वर्गीय पंडित जवाहर लालजी नेहरू ने आई सी एस के बारे में यह कहा था "ICS is neither Indian..." स्वर्गीय पंडित जवाहर लालजी नेहरू ने लिखा अपनी डिस्कवरी आफ इंडिया पुस्तक में, "ICS is neither Indian, nor Civil, nor a service." जब आई सी एस की यह स्थिति थी तो हमने उसको बदलकर आई ए एस कर दिया, भारतीय प्रशासनिक सेवाएं।

अब भारत की प्रशासनिक सेवाओं के बारे में एक पुस्तक, मैंने नहीं लिखी है, किसी नेता ने नहीं लिखी है, पुस्तक लिखी है 1992 बैच के आई ए एस अधिकारी, श्री वरुण कुमार, एक पुस्तक लिखी है, "Unwritten clause of Indian Bureaucracy", वह आज इस पर लागू है। क्या लिखा है उन्होंने, 'ईमानदार ब्यूरोक्रेट लोकप्रिय नहीं होता'; 'अयोग्य एवं सामान्य योग्यता को प्रोत्साहन दिया जाता है'; और जो ब्यूरोक्रेट यह सीख लेता है, "Learn the ground rules and play the game to get your way"; अब अन्त में उन्होंने लिखा है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, वह स्लो है, वह पेनफुल है।

इस रिपोर्ट को देखने पर यह साफ जाहिर है कि जो कुछ लिखा गया हमारे इन अधिकारियों के बारे में, ये स्लो हैं, इनका काम पेनफुल था; एक को पकड़कर सदन की समिति के सामने खड़ा नहीं कर सकें, अपने कर्मचारी को खड़ा नहीं कर सकें, अपने नौकर को लाकर सदन की समिति के सामने पेश नहीं कर सकें, वह पुलिस किस काम की? कितना बड़ा अपमान है समिति का! वह हमने किया।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, समिति ने यह समझा होगा कि जरा सा एक बार अपना वह दिखा दें; यह पता होना चाहिये कि इस सदन के काटे हुए का कहीं इलाज नहीं है। मैं एक उदाहरण देकर आपको बताना चाहता हूं ताकि माननीय सदस्यों को भी इसका ध्यान आयेगा, हिन्दुस्तान के इतिहास

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

में...(व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा केस मैं आप लोगों के ध्यान में लाना चाहता हूं, स्थिति क्या है हमारे विशेषाधिकार की, हिन्दुस्तान के इतिहास में एक सबसे बड़ा केस, मैं उन तीनों केसों की आज थोडी सी चर्चा करूंगा जिनमें न्यायपालिका का और हमारा टकराव हुआ, जिसमें ब्यूरोक्रेसी का और हमारा टकराव हुआ, वह सारा विवरण मैं आपके सामने रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा का केशवसिंह बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश, AIR 1965 पेज 745 । केशवसिंहजी एक पत्रकार थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधान सभा में एक पर्चा बांट दिया। विधान सभा अध्यक्षजी ने सोचा कि उनको मना करने पर भी यह काम बहुत गलत किया है। सदन में उनको बुला कर 15 दिन की सज़ा दे दी। 15 दिन की सज़ा दी तो वे चले गये हबीयस कोरपस की रिट लेकर उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में और हाई कोर्ट के दो माननीय जजों ने उस पर स्टे कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको भी अधिकारों की थोड़ी याद दिलाना चाहता हूं, जब स्टे किया तो अध्यक्ष महोदय ने दोनों जजों की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिये। दोनों जजों की गिरफ्तारी के जब वारंट जारी हुए ....

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आप भी कर सकते हो यह।

श्री अध्यक्ष: आप अगर गड़बड़ करोगे तो देखो फिर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इधर नहीं कर सकते, उधर ही कर सकते हैं।

तो वह वारंट जारी हो गये। वारंट जारी होने पर जज तो भूमिगत हो गये और इलाहाबाद की फुल बेंच में 28 न्यायाधीश बैठे और उन्होंने बैठ कर इसको स्टे कर दिया। यह जो जजों की गिरफ्तारी के आदेश थे, उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट की फुल बेंच ने स्टे कर दिया। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की फुल बेंच ने स्टे किया तो, मैं धन्यवाद दूंगा उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष महोदय को कि उन्होंने 28 के 28 जजों को गिरफ्तार करके विधान सभा के सामने पेश करने का आर्डर कर दिया। डी जी पुलिस जजों को गिरफ्तार करने इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गये और जज कमरे बंद करके इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैठ गये।

श्री अध्यक्ष: शायद आपकी जानकारी में यह भी होगा कि वे टेबलों के नीचे घुस गये थे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उन्होंने लिखा कि हम अन्दर गये, कुर्सियों पर जज नजर नहीं आये; इसका अर्थ निकाला कि वे टेबल के अन्दर चले गये।

उसके बाद, जब सारा मामला इतना गम्भीर हुआ तो पंडित जवाहर लाल नेहरूजी ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर यह मामला सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ को भेजा। संवैधानिक पीठ ने जो फैसला दिया, वह मैं आपको बताता हूं। उन्होंने लिखा, विधान सभा परिसर में अपनाई गई किसी प्रक्रिया तथा किये गये निर्णय पर न्यायालय को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार संविधान में प्रदत्त नहीं है। इसलिए विधान सभा एवं लोक सभा की कार्य प्रणाली एवं लिये गये निर्णय पर न्यायालय किसी प्रकार का प्रसंज्ञान नहीं ले सकता। फर्स्ट। दूसरा लिखा, विधान सभा एवं लोक सभा को भी न्यायालय के कार्यकलापों में जज के व्यक्तिगत आचरण पर बहस नहीं करनी चाहिये, लेकिन यह भी लिखा कि जजों का महाभियोग चलाने का अधिकार लोक सभा और राज्य सभा को प्राप्त है।

अध्यक्ष महोदय, हमने एक गलती की थी रामास्वामीजी पर जब महाभियोग लगने वाला था, उन्होंने माफी मांग ली थी और हमने माफ कर दिया। उसका परिणाम हुआ कि आज हमारी जुडिशियरी के चीफ जस्टिस के खिलाफ शांति भूषणजी जाकर लिखित में एक एप्लिकेशन देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे 12 चीफ जजेज थे, इनमें 6 जज भ्रष्ट हैं; मैं आपको लिखित में दे रहा हूं; मेरे पर कार्यवाही की जाये। उन पर कार्यवाही करने के बजाय ड्यू प्रोसेज आफ ला में उसको डाल दिया गया कि जब 10-15 साल बाद आयेगा, तब इस पर फैसला करेंगे, लेकिन उन पर कंटेम्प्ट नहीं किया।

यह एक हमने छोड़ा उसको, इसके बाद में अब जो बात है वह बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जो जजमेंट विधान सभा के अध्यक्ष ने किया, केशवसिंह उतनी सज़ा काटेगा, कोई कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती और केशवसिंह को गिरफ्तार करके वापस जेल में भेज दिया गया। उन्होंने यह कहा कि आप विधान सभा अध्यक्षजी से आग्रह कीजिए कि वे उनके वारंट वापस लें। सुप्रीम कोर्ट ने उनके वारंट को निरस्त नहीं किया, स्टे नहीं किया, उन्हीं को कहा और पंडित जवाहरलाल नेहरूजी ने हस्तक्षेप करके तत्कालीन अध्यक्षजी को कहा कि आप वारंट वापस लीजिए। उन्होंने जजों का वारंट वापस लिया। उसके बाद हमारा और न्यायपालिका का क्या सम्बन्ध है, यह क्लीयरकट मामला हो गया कि उनके अधिकार क्या हैं और हमारे अधिकार क्या हैं। इतना बड़ा हमारा अधिकार है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में होगा, एक और बहुत बड़ा केस हुआ, प्रधान मंत्री, स्वर्गीय पी वी नरसिम्हा रावजी के अविश्वास प्रस्ताव के समय पर एक मामला उठा; कोर्ट में गया; कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि इस मामले में उनकी गलती है। उन्होंने लिखा कि चूंकि यह मामला लोक सभा के अन्दर घटित हुआ, वहां मतदान हुआ है, इसलिए न्यायालय को उसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

इसलिए आपकी जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के ऊपर किसी को भी अधिकार प्राप्त नहीं है कि कोई भी आदमी कोई निर्णय कर सके।

ब्यूरोक्रेसी के बारे में भी कई जजमेंट हुए हैं, वह भी मैं आपके सामने बताता हूं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): वे अध्यक्ष जिंदा हैं क्या अभी ?

श्री अध्यक्ष: अध्यक्ष तो जिंदा ही रहता है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हम भी उस अध्यक्ष से मिलना चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): संसार से जाने के बाद अध्यक्षीय व्यवस्था में आ जाता है। वह जिंदा ही रहता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष तो एक बार बन गया, वह हमेशा जिंदा है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): फोटो जिंदा होगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप भी कोशिश करो।

अध्यक्ष महोदय, यह जो मामला आया, इस मामले में कितनी उदारता विधान सभा ने दिखाई, कितनी उदारता समिति के सदस्यों ने दिखाई, कितनी उदारता विशेषाधिकार समिति ने दिखाई, वह सब बात ठीक है लेकिन इस मामले में दो बात और ध्यान करना चाहता हूं। इसी सदन में मैं विधि मंत्री था, न्याय मंत्रालय की मांगों के बारे में बहस हुई और उस बहस पर श्रीमान् नाथूसिंहजी और मोहम्मद माहिर आजाद, दोनों को हाई कोर्ट ने एक नोटिस जारी कर दिया। मैं विधि मंत्री था, उस समय बालाकृष्णजी चीफ जस्टिस थे, वे विधि मंत्री कान्फ्रेंस में गये हुए थे, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई अधिकार नहीं है। आदरणीय सुमित्रा सिंहजी विधान सभा की अध्यक्षा थीं, सारे पक्ष-विपक्ष ने मिलकर तय किया कि अपन को इस सम्मन को लेना ही नहीं है और उस सम्मन को लिया नहीं और सम्मन वापस गया।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इस मामले में भी न्यायालय आया, इसलिए मैं बोल रहा हूं। इस मामले में सुश्री रतना गुप्ता ने न्यायालय की भी अवहेलना की। आज समाचार पत्रों में धमकाने की एक बात और की गई; उन्होंने बयान देकर कहा कि समिति के अध्यक्ष, श्री सुरेन्द्र सिंहजी जाड़ावत के खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे। उनको यह पता नहीं है कि इसकी कार्यवाही नहीं की जा सकती और यह बयान भी कंटेम्प्ट है।

इसलिए सारा मामला जो इसमें आया, इसमें मैं कहना चाहूंगा कि हमने जो इतनी बड़ी छूट दी है, वह छूट हमको नहीं देनी चाहिये थी। "Parliamentary privilege is the sum of the peculiar rights enjoyed by each House collectively, and by Members of each House individually, without which they cannot discharge their functions, and which exceed those possessed by other bodies or individuals." यहां पर जो हमारे गये वहां पर, यह हिमाकत हुई कि उनको बैठने के लिये नहीं कहा; उनकी हिमाकत हुई, उनको कहा गया कि आप बाहर जाकर बैठ जाओ; उनकी हिमाकत हुई, उन्होंने कहा कि हम एस पी के नंबर नहीं देंगे आपको; उनकी हिमाकत हुई कि एक अन्य आदमी को तो कहा कि आप बैठ जाओ और आप बाहर चले जाओ। इसके बाद पुलिस के अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की, सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की तो सदन की गरिमा कैसे बचेगी? अध्यक्ष महोदय, यह तो आपको धन्यवाद है कि आपने समिति बनाकर उसको भेजकर, रिपोर्ट करके यह काम किया।

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा, मैं दो लाइन और आपको पढ़ देता हूं, "Each House also claims the right to punish as contempt actions which while not breaches of any specific privilege, obstruct or impede it in the performance of its functions." कोई भी एक्ट जो हमको, विधान सभा के काम

(15.00 बजे)

को रोकता है, साफ-साफ लिखा हुआ है संविधान के अन्तर्गत कि यह 'विशेषाधिकार' शब्द निर्वाचित सदन, समिति और प्रत्येक सदस्य के अधिकारों के लिए प्रयुक्त होता है, यह केवल समिति या सदन के लिए नहीं है, उनके लिए प्रयुक्त होता है; संविधान के अन्तर्गत सौंपे गये कर्तव्यों का समुचित रूप से निर्वहन सुनिश्चित करने के लिए होता है; विधान मंडल, संसद सदस्यों की स्वतंत्रता, अधिकार और गरिमा की रक्षा करने के लिए होता है।

अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे सारे काम

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बंटे हुए हैं, हमारा अपना काम है जो हमें करना है। कोई भी न्यायपालिका, कोई भी ब्यूरोक्रेसी, सदन को यह आदेश नहीं दे सकते कि इतने रुपये का बजट आप पारित करो। यह हमारा अधिकार है। हम भी न्यायपालिका के किसी अधिकार में जाकर के उनके फैसले लेकर के, उनके फैसलों की अपील नहीं सुन सकते। हम नहीं करते यह काम।

अगर इस समिति के सदस्यों का, विधायकों का ब्यूरोक्रेसी के लोग इस प्रकार से अपमान करेंगे तो विधान सभा के सदस्य और समितियां अपना कार्य ठीक ढंग से निर्वहन नहीं कर सकेंगी। इस लोकतंत्र में इस सदन की गरिमा जब तक बड़ी नहीं होगी, लोकतंत्र में सदन के माननीय नेताओं द्वारा प्रस्तावित गरिमायें अगर परिपूर्ण नहीं होंगी तो ना हम ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर सकेंगे और ना जनाकांक्षाओं की पूर्ति कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, ब्यूरोक्रेसी को एक संदेश आज की बहस से जाना चाहिये, वह संदेश है कि वह जो आई सी एस था, वह सिस्टम गया; अब आपको कोई साम्राज्य को रखने की व्यवस्था नहीं करनी है, आपको राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभानी है। यह संदेश, यह विधान सभा देगी। उनको यह कहना पड़ेगा कि आपको सामाजिक, आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करना है। आज के विशेषाधिकार से यह मेसेज उनके पास जाना चाहिए। उनको यह भी कहना पड़ेगा कि नीति निर्माण में उनके योगदान की आवश्यकता है। उनको यह मेसेज भी देना पड़ेगा कि केवल नीति निर्माण नहीं, नीतियों के क्रियान्वयन में भी उनकी जिम्मेदारी है और सदन क्रियान्वयन चाहता है, यह भी उनको कहना पड़ेगा। उनको यह भी एक बात कहनी पड़ेगी, इस ब्यूरोक्रेसी के बारे में मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि बहुत कमियों के बाद भी यह ब्यूरोक्रेसी है देश की जिसने राष्ट्रीय एकीकरण में बहुत बड़ी भूमिका निभायी है। इसके लिए धन्यवाद भी उनको देना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, आज कांग्रेस का राज है, चीफ सेक्रेटरी हैं या डी.जी. हैं; कल, गलत या सही, किसी भी प्रकार से, अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो यही ब्यूरोक्रेसी है जो उस आदेश को मानकर, इन मंत्रियों को और मुख्य मंत्रियों को छोड़कर, उसका पालन करती है। राष्ट्रीय एकीकरण में जो ब्यूरोक्रेसी का योगदान है, उसको और मजबूत करना पड़ेगा।

अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि सामाजिक, आर्थिक कार्यक्रमों का सफल या असफल होना ब्यूरोक्रेसी की क्षमता को उजागर करता है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अध्यक्ष महोदय, लोगों का जो रोष है, उसको दूर करने का जो काम समिति करती है, महिला एवं बाल कल्याण समिति, वह एक आम, गरीब और छोटे तबके, आय के लोग, जो अक्षम लोग हैं, उनके लिए काम करती है। उस समिति के काम में बाधा डालकर सुश्री रतना गुप्ता ने सदन का, सदन की समिति का और उन सबका अपमान किया है, जिनके लिए समिति बनी है। मैं इसका समर्थन करता हूं और समिति की सिफारिश को सदन को स्वीकार करना चाहिए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं और मेरा दल इस रिपोर्ट का स्वागत करते हैं कि पहली बार कम से कम विधान सभा में इस प्रकार का एक कठोर निर्णय लेने का भी मन बनाया है। इसमें मुझे जो एक चीज मन को वेदना दे रही है, वह यह है कि पुलिस के एक अधिकारी को पुलिस डिपार्टमेंट गिरफ्तार करके, हाउस यहां से जब अपनी अनुशंसा जारी कर दे, उसके बाद पेश नहीं कर सकता है। इससे ज्यादा बदतर इस डिपार्टमेंट की दशा क्या होगी?

अध्यक्ष महोदय, केवल रतना गुप्ता को दंड देने मात्र से, मैं सोचता हूं, इस सिस्टम को नहीं सुधारा जा सकता है। इसकी उस सीमा तक भी जाना चाहिए कि जिसको हमने अपने यहां से आदेश दिये, उन्होंने इसकी पालना में इस प्रकार की लापरवाही क्यों बरती? अगर पुलिस एक पुलिस अधिकारी को इस सदन में उपस्थित नहीं कर सके और रतना गुप्ता को इस कीमत पर कि, उसको यहां से चाहे कितनी बार नोटिस दे दें, वे यहां उपस्थित होने के लिए भी अपना मन नहीं बनाये, मैं सोचता हूं कि इसमें केवल रतना गुप्ता का ही दोष नहीं है, इसमें पूरे पुलिस प्रशासन का दोष है जिसने इस विधान सभा की इस समिति का अनादर, अपमान और अवहेलना की है।

अध्यक्ष महोदय, यह सामान्य बात नहीं है। अगर इसी प्रकार से इस डिपार्टमेंट के या उस डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने हमारी इस विधान सभा की सर्वोच्चता को नकारा, या उसके प्रति जिस प्रकार की लापरवाही बरती है, या अपनी अक्षमता प्रकट की है, इसके बारे में भी सोचें। यद्यपि आपकी सिफारिश रतना गुप्ता के बारे में बहुत संतोषप्रद है कि कम से कम एक इतिहास तो बना कि विशेषाधिकार हनन का दंड क्या होता है लेकिन जिनको इसकी पालना करनी थी, उन्होंने ना पहले पालना की और अब भी अगर समय जाते हुए

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उसकी पालना इस डिपार्टमेंट ने नहीं की और इसको ऐसे ही नजरंदाज कर दिया तो उनके खिलाफ भी विशेषाधिकार का प्रस्ताव बनकर आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, अफसोस है, हमारे माननीय नेता ने जिस प्रकार से कहा कि जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी है, उनकी उपस्थिति ना होना; क्या यह आपकी और हमारी इज्जत बढ़ायी है? इस विधान सभा की इज्जत बढ़ी है इससे? यानी, डी.जी. आज इस विधान सभा से भी ऊपर हो गया। पहली बार शायद, मेरे 35 साल के राजनीतिक जीवन में रहने के बाद इस विधान सभा में यह पहली बार शायद ऐसा कोई विशेषाधिकार आया है और उसको नजरंदाज करके जिस ढंग से उन्होंने व्यवहार किया, उससे क्या यह डिपार्टमेंट आगे सक्रिय होकर के अपनी भूमिका और अपने कर्तव्य का पालन कर सकेगा?

मेरी प्रार्थना है आपसे कि बाकी जो आपने सिफारिश की है, उसमें उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए जिन्होंने हमारे कागज को रद्दी की टोकरी में फेंककर के इसकी पालना नहीं की है। एक पुलिस आफिसर जिसकी रोज ड्यूटी रहती है, रोज तनख्वाह उठती है, उसको सदन के सामने पेश नहीं किया जा सके, इससे ज्यादा लाचारी क्या हो सकती है?

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, निस्संदेह आज का क्षण बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है कि राजस्थान की विधान सभा में लम्बे अंतराल के बाद और जहां तक मुझे स्मरण है, शायद पहली बार विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, जब उप नेता बोल रहे थे और हमारे दल के नेता बोल रहे थे तो मेरे मन में एक संशय उठ रहा था; संशय यह उठ रहा था कि आपने जो सिफारिशों के पैरा 55 में रतना गुप्ता, तत्कालीन थानाधिकारी, महिला थाना गांधी नगर (पूर्व) को 30 दिवस के कठोर कारावास की सज़ा देने का इसमें उल्लेख किया है, कौन देगा उनको सज़ा, अध्यक्ष महोदय?

अध्यक्ष महोदय, आज अगर यहां से यह निर्णय हो भी जाता है, आप यहां से वारंट भी जारी करते हैं तो वारंट फिर उसी डी.जी.पी. साहब के पास में जायेंगे, जिन्होंने कभी यह भी नहीं समझा कि विधान सभा और विधान सभा की यह समिति, जो नियमों के नियम में बनी है, उसके समक्ष खुद हाजिर होना जिन्होंने अपना अपमान समझा, अपने कारिंदों को भेज दिया, अपने मातहत को गिरफ्तार नहीं कर सके। उसी पुलिस तंत्र से मुझे सम्भावना कम

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

नजर आती है। इसलिए मैं बड़े अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि कहीं इस सर्वोच्च सदन की गरिमा पर एक सवालिया निशान हमारे यह पुलिस के कारिंदे फिर नहीं लगा दें।

अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि हम सदन में आते हैं, सदन के नियम और प्रक्रियाओं के नियम संविधान के आर्टिकल 208(1) के तहत बने हैं। उसी आर्टिकल 208(1) के तहत जो नियम बने हैं, मैं आपका ध्यान नियम और प्रक्रियाओं के नियम 180 की तरफ दिलाना चाहता हूं, उसमें लिखा है, ''समिति की नियुक्ति- (1) समिति के सदस्य, यथास्थिति, सदन द्वारा नियुक्त या अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जायेंगे।'' यानी, अध्यक्ष महोदय, इस समिति का कार्य क्षेत्र और उसमें जो समिति काम करती है, उसका सदस्य काम करता है, उसका अध्यक्ष काम करता है, उसको वे सारी शक्तियां प्राप्त हैं जो इस सर्वोच्च सदन को प्राप्त हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमें आर्टिकल 194 में यह विशेषाधिकार मिला हुआ है, हम इस सदन के अन्दर जो बात कहते हैं, वाक् स्वतंत्रता मिली हुई है। वह किसी न्यायिक परिवीक्षा में नहीं आ सकती। यह सही है कि संविधान के अन्दर जो विभाजन जिस प्रकार का हुआ है, कार्यपालिका अपना काम करेगी और न्यायपालिका अपना काम करेगी और विधायिका अपना काम करेगी। अगर समग्र रूप से आप देखें तो विधायिका की सर्वोच्चता हमारे संविधान की मूल भावना में है।

अध्यक्ष महोदय, यह टिप्पणी हो जाना, मैं अभी पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि जब न्यायालय ने यह कहा, न्यायालय में प्रकरण गया और न्यायालय यह निर्देशित करता है कि आप 29.10.2012 को 11 बजे सचिव, राजस्थान विधान सभा के समक्ष उपस्थित होवें। राजस्थान सरकार के खजाने से तनख्वाह लेने वाली वह अधिकारी, यह पैसा किसी एक का नहीं है, अध्यक्ष महोदय, यह हमारा सबका पैसा है और वह पैसा उन लोगों का पैसा है जो राजस्थान के गांव में बैठे हैं, कर के रूप में पैसा देते हैं, उन्हीं के जन-प्रतिनिधि के रूप में हम यहां बैठे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उच्च न्यायालय के आदेशों के भी अवहेलना हो जाये।

मैं तो इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, 32 बैठकें इस विशेषाधिकार समिति ने की हैं और चार-चार बार उपस्थित होने के लिए अलग-अलग अधिकारियों के मार्फत नोटिस भेजे हैं। मैं सवाल करना चाहता हूं, आप

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रतना गुप्ता को सज़ा दें, मैं मानता हूं, पर इसके साथ-साथ उन बड़े लोगों को छोड़ने का काम हमको नहीं करना चाहिए। आज समिति की सिफारिशों में मेरा एक संशोधन है कि राजस्थान के डी जी पी को भी और राजस्थान के तत्कालीन आई जी, जयपुर रेंज को भी, वे भी उतने ही दोषी हैं, उन्होंने भी सदन की अवमानना की है, इस परिधि में उनको भी लाना चाहिए ताकि पूरे राजस्थान में एक मेसेज जाये।

आज हालत क्या है, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रोटोकाल में हम विधायकों को आपने चीफ सेक्रेटरी के आगे रखा है। हम चले जाते हैं कहीं भी, आप कहीं भी चले जाएं, अध्यक्ष महोदय, आज हमारी इज्जत कितनी है। आज कई बार अधिकारियों से मिलने के लिए, अधिकारी टेलीफोन पर नहीं आते हैं, अधिकारियों का बाथरूम नहीं छूटता है।

मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपके नेतृत्व में यह ऐसा ऐतिहासिक क्षण है, यह हिन्दुस्तान के इतिहास के अन्दर एक मील का पत्थर साबित होगा और इसमें कठोर निर्णय लेना चाहिए।

संविधान में प्रदत्त हमें जो अधिकार हैं, अध्यक्ष महोदय, आपने नियम और प्रक्रिया में, 194 में समिति को साक्ष्य व दस्तावेज मंगाने का अधिकार दे रखा है, 195 में उन्हें व्यक्तिगत बुलाने और पत्र और अभिलेख मंगाने की शक्ति दे रखी है और इन्हीं नियम और प्रक्रिया के तहत 234 में विशेषाधिकार हनन समिति का गठन हुआ है, उस समिति ने आज 235 के अन्दर अपना प्रस्ताव, सिफारिश प्रस्तुत की है, जिस पर 236 में आज वादविवाद हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आज निश्चित तौर पर यह संविधान का ही नहीं, यह सर्वोच्च सदन का भी अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है, उन सब लोगों का अपमान है, चाहे इधर बैठे हैं, चाहे उधर बैठे हैं। हम सब लोग बदलते रहेंगे पर उस गैलेरी में बैठे लोग, अध्यक्ष महोदय, ये सिर्फ एक बार पास होते हैं, जीवन में एक परीक्षा देते हैं, आई ए एस बनो; आई पी एस बनो; हम हर पांच साल में जनता की कड़ी परीक्षा से गुजर कर आते हैं; जनता हमारी परीक्षा लेती है, फिर हमें पास और फेल के रूप में इस सदन में आने की इजाजत देती है या इजाजत नहीं देती है। इसलिए इनको यह सबक सिखाना जरूरी है।

मेरा निवेदन है कि इसमें कठोर कार्यवाही होनी चाहिए और यह जो तीस दिन की सज़ा के प्रावधान की सिफारिश की है, मेरा संशोधन है इसमें कि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)
राजस्थान के डी जी पी का नाम और तत्कालीन आई जी, जयपुर का नाम भी इसमें शामिल किया जाये। आप उनको भी सज़ा दें। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर चर्चा हो रही है, यह पूरे देश का विषय है। जब माननीय सदस्य, घनश्याम तिवाड़ी साहब बोल रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा; आपने पुरानी बातें बताईं, सदन का ध्यान आकृष्ट किया और हमें यह अच्छा लगा। मैं भी स्टडी करता रहता हूं लेकिन आपने जो केशवसिंह का किस्सा सुनाया और उसके बाद 18 लोगों को अध्यक्षजी द्वारा सज़ा दी गई, 18 जजों को, सारा मामला जब मीडिया के जरिये राजस्थान की जनता पढ़ेगी, देश की जनता पढ़ेगी, उनको भी इस बात का आभास होगा कि जिनको देवदूत बनाकर, देवदूत समझकर एम एल ए, एम पी का चुनाव करके लोक सभा, विधान सभा में भेजते हैं, उन लोगों के पास पावर है। यदि वे लोग किसी थाने में, भीड़ में अधिकारियों के सामने, जनता के ऊपर कहीं जुल्म हो रहा है, बीच में आकर खड़े होंगे तो उनको आदेश देने का अधिकार है, उनका अपना एक सम्मान है।

आज सबसे बड़ी चुनौती विधायिका के सामने है, न्यायपालिका, कार्यपालिका अपना काम कर रही हैं और चुनौती इतनी जबरदस्त होने के बावजूद आज यदि विधान सभा और लोक सभा में लोग, जो एम पी और एम एल ए हैं, वे इतने फ्लेक्सिबल हैं, इतने भले हैं, हर बात पर वह मोल्ड हो जाते हैं। कई सारी चुनौतियां उनके सामने हैं, जवाबदेही उनके सामने है।

आज हाई कोर्ट में बैठकर किसी भी तरह की भाषा का प्रयोग किया जा सकता है, किसी भी सरकार के लिए, मंत्री के लिए, मुख्य मंत्री के लिए कुछ भी कहा जा सकता है लेकिन जब विधायिका में, विधान सभा और लोक सभा में विधायक और सांसद बोलते हैं तो पूरी गरिमा का ध्यान रखते हैं कि हमें ऐसा कुछ नहीं बोलना है जिससे हाई कोर्ट की गरिमा या सुप्रीम कोर्ट की गरिमा कम हो। लेकिन जब वे कुर्सी पर बैठते हैं तो अपनी तरफ से राज के लिए ऐसी-ऐसी बातें मीडिया में छपती हैं जिनको देखकर यह लगता है और उसमें वोटर यह महसूस करता है कि जिनको मैंने वोट के जरिये चुनकर भेजा, वे छोटे हैं और जो पढ़कर आई ए एस, आई पी एस बन गये, चाहे कांस्टेबल बन गये, लेकिन जो वहां पर खड़े हैं सड़क पर, उन लोगों के पास पावर ज्यादा है, न्यायपालिका के पास पावर ज्यादा है; लेकिन जो विधान सभा में कानून का निर्माण करते हैं, उस विधान सभा के पास पावर कम है।

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

आज आप आश्चर्य करेंगे, अध्यक्षजी, इसमें कोई दो राय नहीं, हमारे कानून के अनुसार, हमारी डेमोक्रेसी के अनुसार, हमारा विधायक चीफ सेक्रेटरी से प्रोटोकाल में बड़ा है लेकिन इस सदन में अधिकतर विधायक जानते हैं कि चीफ सेक्रेटरी के लिए या अधिकारियों के लिए इन्हीं मुख्य मंत्रीजी ने, इसी सरकार ने कई बार पत्र भेजे, मुझे तो अधिकारियों के पास जाने का कोई ज्यादा शौक नहीं है, मैं जाता नहीं हूं लेकिन कई जो जाते हैं, वे इस बात को जानते हैं, मजबूरीवश यदि कहीं कोई बात हो गई, उनको कलक्टर के पास भी जाना पड़ता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास भी जाना पड़ता है, तो जरूरी नहीं है कि जब वे जायें तो कलक्टर साहब खड़े हों, वे चीफ सेक्रेटरी साहब खड़े हों, सम्मान दें। वे उस वक्त यह प्रयास करते हैं, यदि 25 लोगों का डेलीगेशन आया है तो उस डेलीगेशन की अंतरात्मा मारने के लिए पहले तो आप एम एल ए साहब को सम्मान ही मत दीजिये, खड़े ही मत होइए; जब वह सम्मान ही नहीं देंगे तो 25 तो वहीं डिमोरेलाइज हो जायेंगे।

अध्यक्षजी, मैं आज आपको बधाई दूंगा, यह सवाल किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, अकेले रतना गुप्ता का नहीं है, यह सवाल विधायिका के सम्मान का है कि विधायिका की कमेटी जा रही है, जो विधायिका की कमेटी या विधायक, विधायक ही मुख्य मंत्री बनता है; कई बार मेरी बात लोगों को बुरी लगती है, अध्यक्षजी, मैंने कई बार कहा है, यह राज चाहे इधर का हो, चाहे उधर का हो, मुख्य मंत्री विधायकों के बीच में से ही बनता है, लेकिन आज पूरा प्रशासन यह चाहता है कि चाहे किसी पार्टी का राज हो, मेरी पहुंच डायरेक्ट सी एम सेक्रेटेरिएट तक हो; वहां पर मेरी पहुंच होगी तो मैं सुरक्षित रहूंगा, चाहे मैं एम एल ए का सम्मान करूं या नहीं करूं।

अध्यक्षजी, आपने जो यह शुरुआत की है और विशेषाधिकार हनन का जो प्रस्ताव आया है, यह प्रस्ताव इस बात को बहुत बड़ा सम्मान देगा, लोगों को यह पता चलेगा। मैं आपको खुलकर कह रहा हूं, आज तो लोग यहां तक सोचने को मजबूर हो गये हैं कि विधान सभा में जो चर्चा होगी, चर्चा होने के बाद वे लोग बोल लेंगे, मीडिया में छप जायेगा, उसके बाद कोई फैसला नहीं होगा। विधान सभा में कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर पार्टीबाजी से ऊपर उठकर हमको फैसला करना चाहिए। हम जो एक-दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहे, हमारी पार्टी ने अच्छा किया, आपकी पार्टी ने बुरा किया, लेकिन संविधान के जरिये हमको जो अधिकार और जो पावर मिले, उस पावर को हमें समझना

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

पड़ेगा; हमारी गरिमा के साथ-साथ हमारे सम्मान को हमें समझना पड़ेगा। आज आप कहीं भी भीड़ में चले जाइये, पहला प्रयास यही रहेगा कि यदि कोई अधिकारी गया तो एम एल ए साहब और एम पी साहब तो साइड में और पहले उनको निकालिये, क्योंकि जरूरत उनको निकालने की है। उनका रुतबा, अध्यक्षजी, 'भय बिन प्रीत नहीं हो देवा, लाख करो बैरी की सेवा', बिना भय के प्रीत नहीं होती। इस बार आपने भय दिखाया है विधान सभा का और आपने बता दिया कि यदि कहीं पर कोई फैसला हो रहा है, आज फोन पर आने की बात, आज कहीं पर खड़े होकर, कोई भी विधायक रोड पर खड़ा होकर अपनी इज्तत बचाकर चलता है, वह बीच में नहीं उतरना चाहता क्योंकि उसके सामने चुनौती है मीडिया की, यदि एम एल ए साहब कहीं स्ट्रिक्ट हो गये तो एम एल ए साहब के सामने चुनौती है। आज, अध्यक्षजी, विधायक ऐसा, चाहे बीच में खड़ा हो जाये, खड़ा होकर फैसला कर दे, किसी भी थाने में चला जाये, जाकर यदि कहीं झगड़ा हो रहा है तो उसको समाप्त कर दे।

तो आज मैं, अध्यक्षजी, आपको इस बात के लिए बधाई देता हूं और मैं यह भरोसा करता हूं कि आज इस विधान सभा के प्रस्ताव पर कोई इस तरह का डिसिजन होना चाहिए जिससे हमारी विधान सभा की गरिमा बने, अधिकारियों को पता चले कि इस देश में वोट का राज है, लोकतंत्र के जरिए बनता है और लोकतंत्र के जरिए जो विधान सभा और लोक सभा चुनी गई है, वह सबसे बड़ी है। इसलिए यदि कोई विधान सभा और लोक सभा के सदस्यों का या विधान सभा और लोक सभा के नियमों का अपमान करेगा तो उसके खिलाफ विधान सभा और लोक सभा चुप नहीं रहेंगी, उनको दण्डित करेंगी, क्योंकि लोक सभा और विधान सभा कमजोर नहीं हैं, देश और प्रदेश को शासन देने में सक्षम हैं। अध्यक्षजी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री मोहन लाल गुप्ता। जरा शोर्ट रखेंगे, समय का ध्यान रखें।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): आपकी कृपा हुई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन की गरिमा का प्रश्न है, सदन की सर्वोच्चता का प्रश्न है और माननीय घनश्यामजी ने जिस प्रकार से उदाहरण दिये हैं, ऐसा लगता है कि एक बहस जो इमरजेंसी लागू हुई थी, तब हुई थी कि who is the supreme, Judiciary or the Parliament, उस वक्त बहुत बड़ी बहस चली थी और उस वक्त यह निर्णय लिया था कि Constitution is supreme.

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

कांस्टिट्यूशन के अन्तर्गत ही सभी संस्थाएं अपना-अपना काम करती हैं, वहीं से अपना पावर लेती हैं, पावर के हिसाब से काम करती हैं। जब पार्लियामेंट और जो विधान सभाएं हैं, उनको कानून बनाने की शक्ति है; उस शक्ति के आधार पर उसकी गरिमा और उसके विशेषाधिकार भी हैं और उन विशेषाधिकारों का यदि कोई व्यक्ति, कोई संस्था हनन करती है तो निश्चित रूप से उसको दण्डित किया जाना चाहिए।

श्रीमती रतना गुप्ता ने जिस प्रकार से विधान सभा की कमेटी की अवमानना की है, मैं समझता हूं कि यह एक अबाव पार्टीलाइन डिसिजन होना चाहिए। अधिकारी अपने को समझें, विधायकों का सम्मान करें। एक सरकार की ओर से आदेश है कि अधिकारी विधायकों का सम्मानपूर्वक खड़े होकर के जवाब देंगे; उनके दफ्तर में जाएंगे तो खड़े होंगे; शिष्टाचार का पालन करेंगे; पत्र व्यवहार करेंगे; मिस्ड-काल का जवाब देंगे; टेलीफोन का जवाब देंगे। यह सब किसी प्रकार से भी कोई चीज का पालन नहीं होता है।

अधिकारियों पर अंकुश लगाने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम सब लोग एक होकर के और अपने अधिकारों के लिए, एम एल एज के अधिकारों, सांसदों के अधिकारों के लिए निश्चित रूप से एक होकर के इस प्रकार की सज़ा का प्रावधान करेंगे।

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें। श्री नरपत सिंह राजवी।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): यह एक बहुत बड़ा एग्जाम्प्ल है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): मैं समझता हूं कि इस प्रकार के एग्जाम्प्ल क्रीएट करने के लिए हम सब लोग मिलकर ...

श्री अध्यक्ष: ज्यादा लम्बा नहीं करें।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): और श्रीमती रतना गुप्ता को 30 दिन की सज़ा निश्चित रूप से दें।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, यह ऐतिहासिक प्रस्ताव विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया, सदन के सभी माननीय सदस्य इसमें सहयोग कर रहे हैं, इसलिए बधाई देता हूं, लेकिन पैरा 41 पढ़ें, पैरा 45 पढ़ें, 47, 49, 50, हर पैरा में विभाग के द्वारा की गई अनदेखी की बात सामने आती है।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

कभी-कभी एग्जाम्प्लरी पनिशमेंट जब दिया जाता है तो उसमें लिनीएंसी कभी नहीं होती। लोकतंत्र की रक्षा अगर करनी है तो ब्यूरोक्रेसी को भी कंट्रोल करना होगा; प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन है, उसको भी कंट्रोल करना होगा। अभी न तो यहां पर गृह मंत्रीजी हैं, जो सदन के नेता भी हैं; न यहां पर गृह राज्य मंत्री हैं; प्रमुख शासन सचिव, गृह भी नहीं हैं और डी जी पी भी नहीं हैं। यह एग्जाम्प्लरी पनिशमेंट आप दे तो रहे हैं इस समिति के माध्यम से लेकिन क्रियान्वयन कौन करेगा? यही प्रशासन करने वाला है। इसकी समय सीमा भी कम से कम पैरा 57 या 50 में बांधनी चाहिए थी, अब इसमें स्टेज नहीं मिलेगी, न उनको कोई एग्जम्प्शन मिलेगा कि इनको गिरफ्तार करने से पहले और कुछ कार्यवाही की जाए।

जैसा मेरे से पूर्व उप नेता, घनश्यामजी बोले, हमारे सदन के नेता प्रतिपक्ष बोले, मैं उनके साथ दो चीज और एड करना चाहूंगा कि जो कांस्टेबल के नाम, बेल्ट नम्बर तक दिये गये हैं और जिस डी जी और आई जी को इसका क्रियान्वयन करने के लिए कहा गया, यह समिति की रिपोर्ट उस पर अंतिम नहीं होनी चाहिए, उस पर कंटिन्यू रहनी चाहिए और आगे जब फाइनल फाइंडिंग आ जाए तो उनको भी पनिशमेंट निश्चित रूप से मिलना चाहिए।

आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत आभार।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, अब हो गया, मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं; मैं उस वृत्तांत से, कहीं भी आपको यह निवेदन करना चाह रहा हूं जो वृत्तांत आ चुका है। बात वह इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, एक अंग्रेजी में कहावत है, Respect is not demanded but it is commanded. इस सदन का रेस्पेक्ट डिमांड से नहीं आ सकता, इस सदन का रेस्पेक्ट कमांड से आएगा। यह हिस्टोरिकल मूमेंट बहुत दिनों बाद आया है, 63 वर्ष लगे हैं इस मूमेंट को आने के लिए, आपका जो प्रिविलेज है, इसमें किसी मानव जीव के लिए यह प्रिविलेज नहीं है, this privilege motion is against an institution, जिसका पूरे के पूरे प्रशासन ने ला-एण्ड-आर्डर की जिम्मेदारी दे रखी है; आपको और मानव जीव को, इस प्रदेश को और राष्ट्र को संरक्षण प्रदान करने की जिम्मेदारी दे रखी है।

आप पाइंट आफ रेफरेंस के पैराग्राफ तक सीमित कर देंगे, फिर भी आसन बाध्य नहीं है। आसन इसकी गरिमा को तब समझे, जब जितने के जितने डिसिजन के पाइंट्स आए हैं, आज आपके सामने अवमानना हो रही है।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

यह तो भूतलक्षी कोई चीज थी, जिस पर आप निर्णय ले रहे हैं। आज आप आसन पर विराजे हैं, अध्यक्ष महोदय, अवमानना अभी भी हो रही है। जिन व्यक्तियों को मौजूद रहना चाहिए था, नहीं हैं; अगर नहीं हैं तो आपको आधे घंटे के लिए इस सदन की कार्यवाही स्थगित करके उनको यहां बुलाना चाहिए। उसके बाद में कम से कम कोई निर्णय लें तो वाकई में यह कहा जाएगा कि it was not demanded but it was commanded. मेरा आपसे यही निवेदन है। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, दो मिनट अभी भी दें।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी खड़े हुए हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं इस विशेषाधिकार प्रस्ताव पर जितने भी माननीय सदस्य बोले हैं, मैं उनके विचारों से पूर्णतः सहमत हूं। यह पहला मौका है जिसमें जो विचार पक्ष के द्वारा रखे गये या विपक्ष के द्वारा रखे गये, वे अविभाजित रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का है कि विशेषाधिकार समिति के समक्ष यह प्रस्ताव आया और उस प्रस्ताव पर उन्होंने अपना विचार प्रकट कर दिया। अब वह प्रस्ताव आपके सम्मुख है, इस सदन का अपमान, इस सदन के आदेशों की अवहेलना, उन पर आपको निर्णय देना है। सारा सदन इस वक्त आपकी तरफ नजरें उठाकर देख रहा है। इस सदन की रक्षा करना, इस सदन की गरिमा बनाये रखना, यह सब कुछ इस आसन पर डिपेंड करता है; पर मेरा एक निवेदन है। आपने दो बातें बताईं, आपने एक तो उत्तर प्रदेश विधान सभा की बात बताई, एक आपने बताई रामास्वामी जज की बात। उस वक्त में यह हुआ था, यह बताना या जान कर के नहीं बताई आपने, एडवोकेट जनरल को हाउस में ही बुलाया गया था और एडवोकेट जनरल की राय ली गई थी। इस सदन का भी एक विशेष आमंत्रित सदस्य अगर कोई है तो वह एडवोकेट जनरल है। मेरा अर्ज करना यह है, मैं बहुत शार्ट में, मैं खतम कर रहा हूं, लम्बा नहीं बोल रहा हूं, मेरा अर्ज करना यह है कि इस प्रस्ताव को आज मंजूर किया जाना चाहिए, हूबहू, लेकिन कल के दिन एडवोकेट जनरल को बुलाकर यह भी पूछा जाना चाहिए कि क्या किसी दूसरे अधिकारी की जिम्मेदारी बनती थी? अगर वह बनती थी तो वे कौन थे? और वे कौन थे तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा सकती है? (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): दो मिनट, अध्यक्ष महोदय। मैं भी, आखरी सत्र है यहां ...(व्यवधान)

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत गम्भीर विषय पर चर्चा हो रही है और एक माननीय सदस्य ने कहा कि इस सदन का जो सम्मान है, रेस्पेक्ट इज डिमांडेड। जो भी माननीय सदस्यों की भावना है, उसके साथ अपने आपको जोड़ते हुए मैं अपने आपसे एक प्रश्न करता हूं कि यह स्थिति उत्पन्न क्यों हुई कि हमारी विधान सभा, जो सबसे बड़ा यह सदन है, उसमें इस प्रकार के हालात उत्पन्न हुए कि एक अधिकारी बार-बार बुलाने के बाद नहीं आने का साहस करे? सदन क्या निर्णय लेता है, उस पूरे निर्णय के साथ, क्योंकि मैं सदन का सदस्य हूं, मैं उस निर्णय में शामिल हूं। पर तब मुझे बहुत पीड़ा हुई, अभी कुछ दिन पहले एक घटना जब मैंने सुनी, और घटना सही है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने घटना बताई, उसको पीड़ा हुई और उसने मुझसे कहा।

राखी के दिन एक जिम्मेदार व्यक्ति अपने गांव गया हुआ था, गांव से लौटकर वह जयपुर आ रहा था। बस में एक सरकारी कर्मचारी यात्रा कर रहा था और वह कुछ कह रहा था जिसको मजबूरी में सभी लोग-बाग़, जो वहां बैठे हुए थे, वे सुन रहे थे, वे गांव के मजदूर थे, श्रमिक थे। जब वह सीमा से बाहर बोल चुका था और उनसे बरदाश्त नहीं हुआ तो उनमें से एक व्यक्ति बोला कि क्यों बक-बक कर रहा है, तूने इसे क्या विधान सभा समझ ली।

माननीय अध्यक्षजी, विधान सभा का सदस्य और जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते जब यह बात सुनी तो अपने आप से प्रश्न किया कि यह आम आदमी इस प्रकार हमारे बारे में सोचता है; इस सदन में जो हम चर्चा करते हैं, क्या हमने हमारी बहस और हमारा जो यहां का बिहेवियर है, उससे अपनी खुद की प्रतिष्ठा इस प्रकार गिरा ली कि एक मजदूर एक उदाहरण देता है कि तूने इसको विधान सभा समझ ली? तो हमें अपने अन्दर भी झांकना होगा। जो भी कार्यवाही करें, उसमें मैं सदन के साथ हूं मगर जो हो रहा है, चाहे वह पार्लियामेंट में हो, चाहे असेम्बलीज में, हमें अपने व्यवहार के बारे में भी सोचना पड़ेगा। धन्यवाद।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, साहब।

श्री अध्यक्ष: मैंने आपको अलाउ नहीं किया है। आपको अलाउ ही नहीं किया है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अब कर दो तो। अब कर दो, साहब।

श्री अध्यक्ष: पहले बात सुनिये। पहले बात सुनिये।

सदन के पक्ष और विपक्ष, सभी माननीय सदस्यों की राय को देखते हुए और प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुए मैं निर्णय ले रहा हूं कि चर्चा को अभी यहीं समाप्त करते हुए, आधे घंटे के लिए सदन को मैं स्थगित करता हूं और डी.जी., तत्कालीन आई.जी., ए.सी.एस. होम को यहां आधे घंटे में तत्काल बुलाया जाए, चीफ सेक्रेटरी को भी बुलाया जाए। चीफ सेक्रेटरी को भी बुलाया जाए।

सदन की बैठक आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 15.33 बजे 16.03 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(16.03 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जब विशेषाधिकार समिति (वर्ष 2013-2014) की बहस चल रही थी और माननीय मुख्य सचेतकजी का जो प्रस्ताव आया है, उस प्रस्ताव पर बोलते हुए मैंने कहा था कि जो रिपोर्ट समिति ने की है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपने भाषण को दुबारा रिपीट नहीं करना चाहता लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह सदन सर्वोच्च है, इस सदन के द्वारा निर्धारित की गई मर्यादाएं और मानदण्ड सर्वोच्च हैं। न किसी ब्यूरोक्रेट को, न किसी जज को, यहां तक कि हमारे नेताओं, अटल बिहारीजी वाजपेयी और श्रीमती इन्दिरा गांधी को भी इस सदन से बड़ा नहीं माना गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो सिफारिशें की हैं, उन सिफारिशों में दो बातें हैं, पहली सिफारिश 55 नम्बर पर है:-

''(55) अतः समिति सिफारिश करती है कि यह प्रकरण विशेषाधिकार हनन का बनता है जिसके लिए सुश्री रतना गुप्ता, तत्कालीन थानाधिकारी, महिला थाना गांधी नगर (पूर्व), जयपुर को 30 दिवस के कठोर कारावास की सज़ा दी जाये।''

दूसरा कहा है कि-

''(56) साथ ही समिति यह भी सिफारिश करती है कि यदि पुलिस विभाग पूर्व की भांति सुश्री रतना गुप्ता को गिरफ्तार करने में विफल रहती है तो सदन सुश्री रतना गुप्ता को भगोड़ा घोषित कर उसकी राजकीय सेवाएं समाप्त करे एवं पुलिस को यह निर्देश दे कि शीघ्रातिशीघ्र सुश्री रतना गुप्ता को गिरफ्तार करके विधान सभा सचिवालय को सूचित करें।''

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इसमें बड़े दु:ख की बात यह है, समिति ने लिखा है कि 'पूर्व की भांति', यह 'पूर्व' क्या है? यह 'पूर्व' को यदि आप नहीं देखेंगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि चीफ सेक्रेटरी और डी.जी. सदन में रहने चाहिए ताकि उनको पता लगे कि विभाग और सरकार कैसे काम कर रही है। लिखा है, समिति की सिफारिश नम्बर-51 पर-''समिति यह महसूस करती है कि यह सम्पूर्ण प्रकरण दो वर्ष से लम्बित होने के उपरान्त भी महानिरीक्षक (रेंज प्रथम) राजस्थान पुलिस, जयपुर द्वारा इस प्रकरण में कोई प्रसंज्ञान नहीं लिया गया...'' इससे बड़े दुर्भाग्य की बात कोई नहीं हो सकती कि दो साल तक कहते रहें और आई.जी. पुलिस यहां जयपुर में बैठा रहे और समिति का प्रसंज्ञान नहीं ले। ''...जिसे समिति ने गम्भीरता से लिया एवं समिति उन्हें हिदायत देती है कि भविष्य में विधान सभा की समितियों के सभापति, सदस्यों तथा विधान सभा सचिवालय के पत्रों को गम्भीरता से लेते हुए आवश्यक तत्काल कार्यवाही की जाये।'' समिति उदार हो गई। समिति रतना गुप्ता को तो 30 दिन के लिए जेल में भेज रही है लेकिन वह समिति के आदेशों को मानकर यहां सदन में लेकर नहीं आ रहा है, यह उदारता समिति ने दिखाई, यह मैं कहना चाहता हूं। इसीलिए आई.जी. को, डी.जी. को और चीफ सैक्रेटरी साहब को यहां बुलाया गया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आ तो गये क्या? यह सदन जानना चाहता है क्योंकि बहुत से नये माननीय सदस्य जानते नहीं कि कौन आई.जी. साहब हैं, कौन डी.जी. साहब हैं, कौन चीफ सेक्रेटरी साहब हैं। एक बार खड़े होकर इनकी हाजिरी तो करवाइये आप। यह बहुत से लोग जानना चाहते हैं। हाजिरी तो करवाओ इनकी एक बार। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपस में नहीं, आपस में नहीं। आपस में नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): दूसरा, इसके अलावा जो बड़ी बात है, जिसका मुझे दु:ख है, वह भी मैं आपको पढ़ना चाहता हूं। ''महानिदेशक पुलिस राजस्थान, जयपुर द्वारा सुश्री रतना गुप्ता को गिरफ्तार कर समिति के समक्ष पेश करने में विफल रहने पर स्वयं उपस्थित न होकर सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा समिति को सूचना भिजवाई, जिस पर समिति गहरी नाराजगी जताते हुए उनकी भर्त्सना करती है।'' यानी, समिति ने पुलिस महानिदेशक को लिखा कि रतना गुप्ता को आप गिरफ्तार नहीं कर सके तो व्यक्तिगत रूप से आप समिति के सामने आकर बतायें; पुलिस महानिदेशक समिति के सामने नहीं आये, उन्होंने सहायक पुलिस आयुक्त को भेजा और उसने आकर सूचना दी।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इसके लिए समिति ने डी.जी. की भर्त्सना की और भर्त्सना करके समिति ने उदारता का काम किया है। इस समिति ने उनके प्रति भी उदारता बरती।

यह जो सारा प्रकरण हुआ, इसका सदन में सारा विवरण हो गया है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि डी.जी. और सी.एस. यहां पर आने चाहिए, वे दोनों उपस्थित हैं और दोनों को मैं जानता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस सदन का बड़ा दिल है, समिति ने हमेशा बहुत बड़ा दिल रखकर काम किया है। हमको सज़ा देने में कोई मजा नहीं आयेगा। मैंने उदाहरण भी दिया था कि एक सज़ा जब हुई तो अध्यक्ष महोदय ने एक घंटे तक उस पर दस्तखत नहीं किये। प्रजातंत्र में हम इस बात को करते रहते हैं। इसीलिए इस समिति ने अपना बड़ा दिल रखकर एक बात की है लेकिन मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह करूंगा कि जब हम इस प्रस्ताव को स्वीकार करें तो सदन की ओर से आप कम से कम डी.जी. और आई.जी. को इन पैराज के आधार पर जो भी आपको कहना है सदन की ओर से, आप वह निश्चित रूप से कहें, उनकी भर्त्सना करें ताकि उनको यह अहसास हो जाये, राजस्थान में ही नहीं, हिन्दुस्तान में सब लोगों को, कि सदन की समिति, सदन का सदस्य और सदन, ये सर्वोच्च हैं। जनता के द्वारा चुना हुआ सदन है और इनकी गरिमा को बनाये रखना, न केवल यहां के माननीय सदस्यों का, माननीय अध्यक्ष का काम है, बाकी हम सबका भी काम है और यहां बड़ा दिल रखकर अपन इस कार्यवाही को करें। मेरा आपसे यही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: वह हो गया अब।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): तूल तो नहीं देना चाहिए लेकिन मेरी प्रार्थना है कि रतना गुप्ता को गिरफ्तार करने में दो साल तक जिस विभाग और जिस अधिकारी की जिम्मेदारी थी, उस अधिकारी ने या उस विभाग के किसी व्यक्ति ने आकर इस समिति को अपनी मजबूरी को भी आकर के बताना उचित नहीं समझा। इसका मतलब, रतना गुप्ता ने तो गलती की, उसकी सज़ा तो, दो साल नहीं आई इसलिए दे दी आपने, लेकिन उसको उपस्थित करने की भी तो किसी की जिम्मेदारी थी। मतलब, विभाग गलती करे, इतनी कि अपने ही एक कर्मचारी को, विधान सभा की सर्वोच्चता को समझते हुए भी जिस तरह से उन्होंने दुर्लक्ष्य किया, उनकी जो सोच है, वह बहुत ही एक तरह से दुःखद है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, निर्णय आप पर ही छोड़ता हूं लेकिन यह कम से कम विभाग और अपना कर्मचारी, इस सदन में बार-बार बुलाने के बाद भी, चार बार नोटिस देने के बाद भी, हाई कोर्ट के आदेश होने के बाद भी, यहां उपस्थित नहीं कर सकता; कोई हवा में उड़ गई क्या रतना गुप्ता? इतना बड़ा लवाजमा लेकर के जाते हैं, चाहे जिसको पकड़ लाते हैं, चाहे जिसको अन्दर डाल देते हैं, तो क्या रतना गुप्ता कोई ऐसी चीज थी जो इनके हाथ में नहीं आई? वह रोज वहां नौकरी करती रही, रोज अपनी हाजिरी भरती रही। यह सारे का सारा क्या संदेश देता है, इस पुलिस डिपार्टमेंट पर? यह कोई सामान्य बात नहीं।

पर आदेश आपका ही हम मानेंगे, जो भी आप निर्णय करेंगे, लेकिन इसको हल्के-फुल्के में नहीं लेना चाहिए। पुलिस प्रशासन की जिस ढंग की लापरवाही के कारण से आज इस स्टेज पर आकर के हमको यहां विचार करना पड़ रहा है, उसमें उनका कोई दोष कम है क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बहुत हो गया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, हमारा कोई विशेष मतलब....

श्री अध्यक्ष: सारे सदन की राय आ चुकी है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): नहीं, नहीं, तो...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): हमारी भी आ जाय तो कोई....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आधे घंटे का समय इसके लिए निर्धारित होता है, मैंने एक घंटे से ज्यादा आप लोगों के, सारों के विचार सुनने के लिए दे दिया। इस पर काफी समय हो गया, कृपया मुझे व्यवस्था दे देने दें। विराजें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): नहीं, हम जाट हैं, यह गुनाह है क्या?

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: आसन पांव पर है, माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अभी सदन की राय, माननीय सदस्यों के विचार आप सब के सामने आयें। आप ही की, सब की राय पर, आपकी भावनाओं को अवगत कराने के लिए चीफ सेक्रेटरी और डी.जी. को यहां बुलाया गया था।

(श्री अध्यक्ष)

मुझे निश्चित रूप से इस बात की बड़ी तकलीफ है कि समिति ने अपनी सिफारिश में कहा है कि ''महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर द्वारा सुश्री रतना गुप्ता को गिरफ्तार कर समिति के समक्ष पेश करने में विफल रहने पर स्वयं उपस्थित न होकर सहायक आयुक्त द्वारा समिति को सूचना भिजवाई, जिस पर समिति ने गहरी नाराजगी जताते हुए इसकी भर्त्सना की है।'' ऐसी परम्परा प्रशासन में यदि पड़ गई तो इस जनतंत्र का क्या होगा, यह बहुत बड़ा प्रश्नचिह्न है। निश्चित रूप से डी.जी. की जिम्मेदारी थी, सारे तथ्यों को उनको बताना चाहिए था समिति को आकर, और मैं भर्त्सना करूं, न करूं, इससे फर्क नहीं पड़ता, समिति ने अपनी सिफारिश में भर्त्सना की है, यह बहुत हो गया।

दूसरी चीज, पुलिस का कर्मचारी, डी.जी. को निर्देश देने के बाद या आई.जी. को निर्देश देने के बाद गिरफ्तार ना हो सके, आश्चर्य लगता है। और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, पुलिस की मजबूरी रही होगी कि वे पकड़ने में सक्षम नहीं हो पाये, पकड़ नहीं पाये। गायब हो गई, एब्सकांड हो गई लेकिन बरखास्त तो कर सकते थे उस परिस्थिति में, और कोई कार्यवाही तो कर सकते थे उस परिस्थिति में। उसकी कमी सदन के सदस्यों ने महसूस की है, मुझे भी ऐसा लगता है।

तीसरी चीज, अभी माननीय मुख्य सचेतक ने मुझे सूचित किया है कि आई.जी. को भी बुलाया गया था, शायद वह आने की जरूरत भी उन्होंने नहीं समझी। मैं इसे बहुत गम्भीर लेता हूं और विशेषाधिकार समिति का अधिकार मानते हुए मैं उसको सौंपता हूं, आई.जी. के खिलाफ वह कमेटी रिपोर्ट दे। सदन में बुलाने के बाद, सदन की कार्यवाही के अन्दर, अध्यक्ष के निर्देश के बाद अगर आई.जी. नहीं आये, इससे बड़ी गम्भीर स्थिति नहीं हो सकती।

दूसरा, आप लोगों से प्रार्थना करूंगा, इस प्रस्ताव पर तो आप अपना जैसा निर्णय करें, करें, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कमेटी की रिपोर्ट तो, फैसले के साथ-साथ जो लेकुना रहे हैं, कहीं कमी रही है, उस पर भी अभी इन्क्वायरी पेण्डिंग रहेगी, फ्यूचर कमेटी के लिए भी।

डा. रघु शर्मा, सरकारी मुख्य सचेतक प्रस्ताव करेंगे कि विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन जो दिनांक 27 अगस्त, 2013 को...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): प्रस्ताव कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा...

श्री अध्यक्ष: ठीक है। प्रश्न यह है कि विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

डा. रघु शर्मा, सरकारी मुख्य सचेतक विशेषाधिकार समिति 2013-14 के प्रथम प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को अंगीकार किये जाने हेतु प्रस्ताव करेंगे।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं यह निवेदन करूं कि मुझे जो परची मिली, वह मैंने आपको भिजवा ही दी है।

श्री अध्यक्ष: हां।

रतना गुप्ता, सुश्री, तत्कालीन थानाधिकारी, महिला थाना, गांधी नगर (पूर्व), जयपुर को 30 दिवस के कठोर कारावास की सजा

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन विशेषाधिकार समिति 2013-14 के प्रथम प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को अंगीकार करते हुए यह संकल्प करता है कि सुश्री रतना गुप्ता, तत्कालीन थानाधिकारी, महिला थाना, गांधी नगर (पूर्व) जयपुर द्वारा राजस्थान विधान सभा की महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति को चाही गई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाकर समिति के सभापति व सदस्यों के साथ अभद्र व्यवहार करने की दोषी है। यही नहीं, विशेषाधिकार समिति द्वारा सुश्री रतना गुप्ता को समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए चार बार पत्र प्रेषित किये गये तथा वारंट भी जारी किया गया परन्तु उन्होंने जानबूझ कर विशेषाधिकार समिति के आदेशों की अवज्ञा करते हुए समिति के समक्ष उपस्थित नहीं होकर विशेषाधिकार समिति की अवमानना करने की दोषी है। साथ ही सुश्री रतना गुप्ता ने राजस्थान विधान सभा की महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति तथा विशेषाधिकार समिति के विशेषाधिकारों का भी हनन किया है। अतः सुश्री रतना गुप्ता, तत्कालीन थानाधिकारी, महिला थाना, गांधी नगर (पूर्व), जयपुर को तीस दिवस के कठोर कारावास की सज़ा दी जाये और उन्हें जेल भेज दिया जाये।

श्री अध्यक्ष: इस प्रस्ताव के जो पक्ष में हों, वह 'हां' कहें।

अनेक माननीय सदस्य: हां।

श्री अध्यक्ष: विपक्ष में हों, ना कहें।

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री महेन्द्र जीत सिंह मालवीय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, पंचायती राज विभाग की अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

पंचायती राज विभाग

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पंचायती राज विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या : एफ.4(14) लीगल/एमे/ईई/पीआर/2008/627 दिनांक 9.7.2013, जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम, 2008 में संशोधन किया गया है; एवं
2. अधिसूचना संख्या : एफ.4(12)एमे/रूल्स/लीगल/पीआर/2013/629 दिनांक 11.7.2013, जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है।

(16.18 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: श्री गुरमीत सिंह कुन्नर, कृषि विपणन राज्य मंत्री, कृषि विपणन विभाग की छह अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

कृषि विपणन विभाग

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कृषि विपणन विभाग की निम्नांकित छह अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या : एफ.15(24)कृषि/ग्रुप-2/85-पार्ट दिनांक 6.7.2012, जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी (मण्डी समिति कर्मचारी) सेवा नियम, 1975 में संशोधन किया गया है;
2. अधिसूचना संख्या : एफ.15(24)कृषि/ग्रुप-2/85-पार्ट दिनांक 11.10.2012, जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी (मण्डी समिति कर्मचारी) सेवा नियम, 1975 में संशोधन किया गया है;

(श्री गुरमीत सिंह कुन्नर)

3. अधिसूचना संख्या : एफ.4(24)कृषि/ग्रुप-2/2006 दिनांक 11.2.2013, जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम, 1963 में संशोधन किया गया है;

4. अधिसूचना संख्या : एफ.10(28)कृषि/ग्रुप-2/85 दिनांक 4.3.2013, जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी (उप मण्डी यार्डों की स्थापना) नियम, 1987 में संशोधन किया गया है;

5. अधिसूचना संख्या : एफ.4(24)कृषि/ग्रुप-2/2006 दिनांक 1.4.2013, जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम, 1963 में संशोधन किया गया है; एवं

6. अधिसूचना संख्या : एफ.15(10)कृषि/ग्रुप-2/90 दिनांक 5.8.2013, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.15(10)कृषि/2-बी/90एस.ओ.181 दिनांक 27.9.1991 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

श्री सभापति: डा. दयाराम परमार, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री दो प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

प्रतिवेदन एवं लेखे

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

श्री सभापति: कृपया सदन में शांति बनाये रखें।

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2011-12)

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): 1. मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 1962 की धारा 39 के अन्तर्गत मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12: एवं

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2012-13)

2. महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर अधिनियम, 2003 की धारा-43 के अन्तर्गत महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 ।

श्री सभापति: दोनों प्रतिवेदन रख दिये आपने?

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): हां, दोनों रख दिये।

श्री सभापति: श्री अलाउद्दीन आजाद, सभापति, प्राक्कलन समिति 'ख' 2013-14 समिति के एक प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

समिति प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति 'ख' (वर्ष 2013-14) का प्रतिवेदन (क्र. सं.26)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्राक्कलन समिति 'ख' 2013-14 के 25वें प्रतिवेदन में समाविष्ट श्रम और नियोजन विभाग से सम्बन्धित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति के 26वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री सभापति: श्री मा. भंवरलाल मेघवाल, सभापति, राजकीय उपक्रम समिति, 2013-2014 समिति के दस प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे।

राजकीय उपक्रम समिति (2013-14) के प्रतिवेदन (क्र. सं. 110 से 119)

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सुजानगढ़): सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार राजकीय उपक्रम समिति, 2013-14 के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं :-

1- राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1994-1995) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2013-2014 का 110वां प्रतिवेदन;

2- राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2001-2002) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2013-2014 का 111वां प्रतिवेदन;

3- ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियां (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2007-2008) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2013-2014 का 112वां प्रतिवेदन;

4- राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2005-2006) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 के 37वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक परिपालनात्मक राजकीय उपक्रम समिति, 2013-2014 का 113वां प्रतिवेदन;

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

5- राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2004-2005) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 के 40वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक परिपालनात्मक राजकीय उपक्रम समिति, 2013-2014 का 114वां प्रतिवेदन;

6- राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2005-2006) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 के 41वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक परिपालनात्मक राजकीय उपक्रम समिति, 2013-2014 का 115वां प्रतिवेदन;

7- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2005-2006) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 के 44वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक परिपालनात्मक राजकीय उपक्रम समिति, 2013-2014 का 116वां प्रतिवेदन;

8- राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2005-2006) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 के 63वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक परिपालनात्मक राजकीय उपक्रम समिति, 2013-2014 का 117वां प्रतिवेदन;

9- राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2005-2006) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 के 67वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक परिपालनात्मक राजकीय उपक्रम समिति, 2013-2014 का 118वां प्रतिवेदन; एवं

10- राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2006-2007) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 के 77वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक परिपालनात्मक राजकीय उपक्रम समिति, 2013-2014 का 119वां प्रतिवेदन।

श्री सभापति: कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार। डा. रघु शर्मा, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के 33वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्रम सं. 33)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 33वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 27 अगस्त, 2013 को मध्याह्न पश्चात् 4.30 बजे माननीय अध्यक्ष के चैम्बर में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 29 एवं 30 अगस्त, 2013 को सदन में अग्रेत्तर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जायः-

(16.22 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

गुरुवार, दिनांक 29 अगस्त 2013	(1) अतिरेक मांगें वर्ष 2009-2010 पर मुखबंद का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण, तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण; (2) अनुपूरक अनुदान की मांगें (प्रथम संकलन) वर्ष 2013-2014 पर मुखबंद का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण, तथा तसम्बन्धी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण; (3) ओ.पी.जे.एस. विश्वविद्यालय, चूरू विधेयक, 2013; (4) राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय, झुंझुनूं विधेयक, 2013; (5) राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2013;

(डा. रघु शर्मा)

(6) प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान जल संसाधन विनियामक विधेयक, 2012; एवं

(7) अजमेर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2013

-पर विचार एवं पारण।

शुक्रवार, दिनांक 30 अगस्त 2013

(1) कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर विधेयक, 2013;

(2) कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2013;

(3) कृषि विश्वविद्यालय, कोटा विधेयक, 2013;

(4) मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक; 2013

(5) राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013; एवं

(6) राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2013

-पर विचार एवं पारण।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 33वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): सभापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मुख्य सचेतक महोदय, मैं सभापति महोदय के माध्यम से एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। आप अनुपूरक मांगों के माध्यम से सप्लीमेंटरी ग्रांट्स को मुखबंद में पेश करना चाह रहे हैं। आपको यह मालूम है, 4 हजार करोड़ से कुछ कम की मांगों को, 2013-2014 की मांगों को आप पारित करवाना चाह रहे हैं। इसमें एक मांग तो वह है, जिस मांग का बजट घोषणा पत्र के अन्दर आपने जिक्र तक किया है और मुखबंद से करवाना चाह रहे हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हमेशा सप्लीमेंटरी डिमाण्ड्स मुखबंद से ही होती आई हैं और मुखबंद से करवाने का फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी करती है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं इसमें निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न इसलिए उठा रहा हूं, अभी हमने यहां इस सदन के प्रिविलेजेज की बात कही है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं आसन को याद दिलाना चाहता हूं कि किसी भी व्यवस्था के अन्दर वित्त कोष से पैसे को निकालने का अगर कोई सर्वाधिकार है तो इस सदन को है, और शासन के पीछे लिखा हुआ है कि अगर आपने, जो आपके मन में सही और राइटेस्ट चीज है, अगर आपने उल्लेखित नहीं की तो वह आप भी इस सदन की अवमानना कर रहे हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस बजट पुस्तिका में स्वयं सदन के नेता ने प्रस्तुत करने के समय राजकोषीय घाटे को 13 हजार 19 करोड़ 86 लाख बताया था, अगर आप 4 हजार की मांगें और उसमें लगाते हैं तो यह राजकोषीय घाटा 17 हजार करोड़ से ऊपर चढ़ जाता है और एफ.आर.बी.एम. एक्ट की तीन परसेंट की सीलिंग के राइडर का उल्लंघन करता है। आप मुखबंद करवाकर के पास करवाना चाहते हैं इसको। कम से कम, बाकी आप मांगों की बात कर रहे हैं, वह ठीक है, 34 करोड़ की दसवीं और ग्याहरवीं की अगर कोई बात है तो ठीक है, करंट फाइनेंशल यीअर की मांग का आप पारण करवा रहे हैं और मुखबंद करके पारण करवा रहे हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस पुस्तिका के आंकड़े पूरे के पूरे नहीं बदल दिये जाएंगे? जहां आपने राजकीय राजस्व आधिक्य की बात कही है, 1 हजार 25 करोड़ 86 लाख, अगर उसमें आप 4 हजार करोड़ डाल देंगे तो सवा 2 हजार करोड़ रुपया आधिक्य की जगह घाटे में चला जाएगा। इस पूरी पुस्तिका का कोई मायना नहीं रहेगा।

मुझे यह बताइए, बी ई में क्या हुआ? बी एफ सी बन रही थी, तब क्या हुआ? आखिर वित्त विभाग को पूछें, इस बात का उन्होंने ध्यान क्यों नहीं रखा? जब इस पुस्तिका के अन्दर स्वयं आपने वृद्धावस्था पेंशन के लिए नेता के श्रीमुख से यह बात कही कि मुझे 1,500 करोड़ रुपये की और आवश्यकता पड़ेगी तो फिर आपने उस खाते में सिर्फ 400 करोड़ रुपये ही क्यों रखे? और अब आप 2 हजार 200 करोड़ रुपये और क्यों रखने जा रहे हो? बजट प्लानिंग के अन्दर अगर गलतियां हैं, सदन कम से कम इसको गम्भीरता से तो ले।

हम इसके विरोध में नहीं हैं कि आप सप्लीमेंटरी ग्रांट्स नहीं लायें, हम विरोध में यह हैं कि जिन व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की होनी चाहिए और उनके अधीनस्थ अधिकारियों की होनी

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

चाहिए, उनकी अनदेखी से इस सदन के मुंह को बंद नहीं किया जा सकता है। यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, यह तो चूंकि कार्य सलाहकार समिति की बैठक के अन्दर पूरे सदन के हम सभी माननीय सदस्य होते हैं, वे तय कर लेते हैं। फिर वही अपने इस सदन के अन्दर रखा जाता है। मैं नहीं मानता कि कोई नई परम्परा हो या नया ऐसा कुछ हो। इसलिए मैं निवेदन यह करूंगा, प्रश्न यह कि....

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं आपको किसी प्रकार की ऐसी परिस्थिति में नहीं डालना चाहता जिससे यहां कोई व्यवधान हो। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, यह रूल बुक पढ़ी, इसमें बी ए सी को कहां अधिकार है कि बी ए सी के मूव किए हुए बिल पर और व्यय प्रस्ताव पर हम बोलकर अपनी बात नहीं बता सकें? और बी ए सी ऐसा कैसे निर्णय ले सकती है जो सदन के अधिकारों पर कुठाराघात और हनन हो? यह अधिकार बी ए सी के पास नहीं है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): परम्परा के अनुसार हमेशा मुखबंद से होती आई हैं और उस मुखबंद का, जो प्रतिवेदन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का रखा जाता है यहां पर, वह अनुमोदन होता है। उसके पश्चात् ही ये फैसले होते हैं।

श्री सभापतिः प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 33वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

वर्ष 2013-2014 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें (प्रथम संकलन) एवं अतिरेक मांगें वर्ष 2009-2010 मुखबंद का प्रयोग की जाकर मतदान हेतु प्रस्तुत की जाएंगी।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-3 सचिवालय...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, पहले आप यह कहिये कि मैं मुखबंद का प्रयोग करता हूं। यह कहेंगे, तब आप वोट पर रख सकेंगे, नहीं तो हम बोलेंगे। तो पहले आप कम से कम अपने अधिकार का तो प्रयोग करो और हमारा मुंह तो बंद करो। आप बोलिये कि आप हमारा मुखबंद करते हैं।

मुखबंद

अनुपूरक अनुदान की मांगों (वर्ष 2013-14) (प्रथम संकलन)

का पारण

मांग संख्या 3-सचिवालय

श्री सभापति: अब आप विद्वान आदमी हो।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 3-सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,00,000/- (आठ लाख) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 5–प्रशासनिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 5- प्रशासनिक सेवाओं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,000/- (बारह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 6–न्याय प्रशासन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 6-न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,02,00,000/- (ग्यारह करोड़ दो लाख) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 11–विविध सामाजिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 11-विविध सामाजिक सेवाओं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 30,00,14,000/- (तीस करोड़ चौदह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 12–अन्य कर

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 12-अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,05,00,00,000/- (तीन अरब पांच करोड़) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 14–बिक्री कर

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 14-बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 14,65,01,000/- (चौदह करोड़ पैंसठ लाख एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 16–पुलिस

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 16-पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 16,000/- (सोलह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 20–आवास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 20–आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,25,00,00,000/- (एक अरब पच्चीस करोड़) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 21–सड़कें एवं पुल

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 21–सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,30,00,00,000 (दो अरब तीस करोड़) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 22–क्षेत्र का विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 22–क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,000/- (सात हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 23–श्रम और रोजगार

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 23-श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,000/- (चार हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री सभापति)

मांग संख्या 24–शिक्षा, कला एवं संस्कृति

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 24–शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 24,000/- (चौबीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 26–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,000/- (बारह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 27-पेयजल योजना

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 27-पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,000/- (आठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 98,49,61,000/- (अठानवे करोड़ उनचास लाख इकसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्र विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्र

(श्री सभापति)

विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,15,000/- (एक लाख पन्द्रह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 32-नागरिक आपूर्ति

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 32-नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,00,00,53,000/- (तीन अरब तिरपन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 22,00,01,25,000/- (बाइस अरब एक लाख पच्चीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,68,00,000/- (दो करोड़ अड़सठ लाख) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 35-विविध

(श्री सभापति)

सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाओं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 30,00,06,000/- (तीस करोड़ छह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 36-सहकारिता

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 36-सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,15,00,04,000/- (एक अरब पन्द्रह करोड़ चार हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 37-कृषि

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 37-कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 24,000/- (चौबीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये

(श्री सभापति)

जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,59,00,15,000/- (एक अरब उनसठ करोड़ पन्द्रह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 40-राजकीय उपक्रम

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 40-राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को रुपये 5,00,01,000/- (पांच करोड़ एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को रुपये 25,00,02,000/- (पच्चीस करोड़ दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 42-उद्योग

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 42-उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 35,00,11,000/- (पैंतीस करोड़ ग्यारह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 43-खनिज

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 43-खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय

(श्री सभापति)

के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,000/- (सात हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 46-सिंचाई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 46-सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 29,000/- (उनतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 47-पर्यटन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 47-पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 14,99,99,000/- (चौदह करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 48-विद्युत

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 48-विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 75,00,04,000/- (पचहत्तर करोड़ चार हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 50-ग्रामीण रोजगार

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 50-ग्रामीण रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल

(श्री सभापति)

महोदय को रुपये 1,42,96,78,000/- (एक अरब बियालीस करोड़ छियानवे लाख अठहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 83,000/- (तिरासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अतिरेक अनुदान की मांगों (वर्ष 2009-10) का पारण

मांग संख्या 27-पेयजल योजना

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या 27-पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 33,96,11,199/- (तैंतीस करोड़ छियानवे लाख ग्यारह हजार एक सौ निन्यानवे) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष में किए गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,75,26,568/- (एक करोड़ पचहत्तर लाख छब्बीस हजार पांच सौ अड़सठ) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 45-सरकारी कर्मचारियों को ऋण

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या 45-सरकारी कर्मचारियों को ऋण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,010/-(दो हजार दस) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची में जो भी बिजनेस बाकी है, उसको पूरा होने तक के लिए बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन की सहमति है कि जब तक...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): प्रश्न रखिये, प्रश्न यह है कि ...

श्री सभापति:आप विद्वान हो, हुक्म।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): परम्परा ठीक से रहे। 'प्रश्न यह है कि माननीय सरकारी मुख्य सचेतक ने जो समय बढ़ाने का प्रस्ताव किया है, जो इसके पक्ष में हों, हां कहें, जो विपक्ष में हों, ना कहें,' यह प्रश्न इस प्रकार से रखें।

श्री सभापति: उप नेता महोदय, हमेशा ही इसी तरह से रखा जाता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): भाया तू राज़ी है के?

श्री सभापति: मैं आप बोल रहे हो, वैसे बोल जाता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, वैसी बात थोड़े ही है।

श्री सभापति: आप विद्वान हो।

प्रश्न यह है कि सरकारी मुख्य सचेतक द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है, वह सदन स्वीकार करता है? जब तक आपका कार्यसूची में जो कार्य लिया गया है, उसके पारित होने तक समय सदन का बढ़ाया जाए?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया, आज की कार्य सूची के कार्य के पारित होने तक।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपने फिर गलती की, आपने यह नहीं पूछा कि जो विपक्ष में हों, ना कहें। फिर 'हां पक्ष' जीता हुआ होता है।

श्री सभापति: अब आप बोल ही नहीं रहे हो ना। मैंने इतनी बार कहा कि जो पक्ष में हों, हां कहें, विपक्ष में हों तो..., विपक्ष बोल ही नहीं रहा है। तो आपकी सब में सहमति है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उसमें ऐसा लगेगा कि पढ़ाने वाला, उसमें ऐसा लगेगा साहब कि पढ़ाने वाला कमजोर था और पढ़ने वाला होशियार था।

श्री सभापति: विधायी कार्य। श्री शांती कुमारजी धारीवाल।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय...

श्री सभापति: अब मैंने नाम पुकार लिया।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): व्यवस्था का प्रश्न है।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2013

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्रीजी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, पुर:स्थापित तो आपने करवा लिया।

श्री सभापति: तो अब?

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं, इसमें नहीं कह रहा हूं। आपको जो बता रहा हूं, कृपया आप सुन लें, आपके समझ में नहीं आए तो अधिकारियों से पूछ लेना। आपने विनियोग (संख्या 3), चार्जड एक्सपेंडिचर और वोटेड एक्सपेंडिचर में आपने मेजर हैड्स में नहीं दिया, कंसोलिडेटेड दिया है। कंसोलिडेटेड फण्ड्स से जो पैसा उठता है, उसका हैड, मेजर हैड आपको देना पड़ेगा। उसके बिना वह कांस्टिट्यूशनल नहीं है। ऐसे कैसे उठाने देंगे?

श्री सभापति: श्री शांती कुमार धारीवाल।

विधेयक पर विचार

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, विचारार्थ लिया जाए, बोलने का अधिकार है मुझको, इसमें मुखबंद नहीं होता है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी ने जो विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया है। विनियोग विधेयक इसलिए प्रस्तुत किया जाता है कि सारा जो कंसोलिडेटेड फण्ड है, उसका सरकार को अधिकार मिल जाए कि सरकार उसका प्रयोग कर सके। अनुपूरक अनुदान की मांगें हमने यहां पर रखीं, सभापति महोदय, उस पर तो विचार हमारे माननीय राव राजेन्द्र सिंह जी रखेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अनुपूरक सप्लीमेंटरी का मतलब होता है सप्लीमेंट करना; सप्लीमेंटरी कभी भी मूल डिमांड से अगर एक्सीड होती है तो वह बहुत बड़ी वित्तीय सरकार की कमजोरी मानी जाती है, सरकार का वित्तीय देखना माना जाता है। जहां तक मैंने इसको अध्ययन किया है, दो मांगों में, जो मूल मांग थीं, उनसे ज्यादा सप्लीमेंटरी में मांग रखी गई है, जो किसी भी प्रकार वित्तीय व्यवस्था के अन्तर्गत उचित नहीं है। एक बात।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमने मुखबंद में पारित तो किया लेकिन यह बताना चाहिए सरकार को, आज एप्रोप्रिएशन बिल पर कि इतनी चार हजार करोड़ रुपये की सप्लीमेंटरी डिमांड आप किसलिए लेकर आ रहे हो,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

किस-किस क्षेत्र में कौन-कौनसा ऐसा काम होगा जिसकी आवश्यकता पड़ गई। उदाहरण के लिए, कई बार हम अकाल के नाम पर, एड-रिलीफ के नाम पर सौ करोड़ रुपये रखते हैं और अगर अचानक अकाल पड़ गया, 300-400 करोड़ रुपये खर्च हो गए, इसलिए हम अनुपूरक अनुदान की मांग लेकर आएं तो ठीक समझ में आती है; सरकारी कर्मचारियों का वेतन-भत्ता बढ़ गया, अचानक, हमें अपेक्षा नहीं थी, बढ़ गया, उसके लिए आप अनुदान की मांग लेकर आएं तो बात ठीक समझ में आती है; आपने बीच में कहीं स्कूल खोलने की बात की तो समझ में आती है, आप यह सारा का सारा व्यय, जो 4 हजार करोड़ का है, वह 4 हजार करोड़ का व्यय लेकर आते हों तो बहुत बड़ी बात है। इसके कारणों का सरकार को स्पष्टीकरण करना चाहिए।

क्या यह कारण नहीं है कि चुनाव के लिए सरकार ने जिस प्रकार की लगातार घोषणाएं की हैं, उन सारी घोषणाओं के कारण से बिना घोषणा के वे काम किए गए हैं; राजकोष पर इसका भार पड़ा, इसके कारण सरकार अनुपूरक अनुदान की मांगें लेकर आई? यह संविधान में व्यवस्था की गई थी आपातकाल के लिए, यह संविधान में व्यवस्था चुनाव काल के लिए नहीं की गई थी। इस बार का जो सप्लीमेंटरी है, वह सप्लीमेंट करने के लिए, आपातकाल का नहीं, चुनाव काल के लिए लाया गया है। हमारे यहां जब इस प्रकार की परम्पराएं प्रारम्भ हो गई थीं कि चुनाव आता था, बड़ी-बड़ी घोषणाएं करते थे, तो एफ आर बी एम एक्ट का प्रावधान किया गया कि वित्तीय व्यवस्थाओं पर, वित्तीय घाटे पर नियंत्रण किया जाए। चूंकि अब आप, व्यवस्थाओं के बाहर अब आप लेकर आए हों, इसलिए सारा जो कामयाब बोझ डाल रहे हों, वह आने वाली सरकार पर डाल रहे हों। तो आने वाली सरकार पर बोझ डालने का अधिकार, माननीय धारीवाल साहब, आपको किसने दिया?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हम पर ही पड़ेगा बोझ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप तो बोझ से इतने दब गए हो कि और ज्यादा इस बोझ से हम आपको दबाना नहीं चाहते, आपका बोझ हम हलका करना चाहते हैं। हम आपके मित्र हैं, हम आपका बोझ हलका करेंगे, आपको इतना बोझ सहन नहीं करने देंगे।

लेकिन सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांगें दस परसेंट से अधिक नहीं होनी चाहिए; उसके कारण और

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

रीजंस सरकार को इसमें बताने चाहिए और यह अनुपूरक अनुदान की मांगों के सम्बन्ध में सरकार किसी भी प्रकार बताने में असमर्थ है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान में जिस प्रकार की स्थिति पैदा हो रही है, हम पैसा तो खर्च कर रहे हैं लेकिन पैसा खर्च करके हम कानून-व्यवस्था को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, हम व्यवस्थाओं पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं; हम पैसा तो खर्च कर रहे हैं लेकिन पैसा खर्च करके शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पा रहे हैं, सारी जगह उनके स्टे प्राप्त हो रहे हैं; हम घोषणाएं तो कर रहे हैं, हम घोषणाएं निकाल रहे हैं लेकिन उनको हम क्रियान्वित नहीं कर पा रहे हैं।

इसलिये ऐसी सरकार को पैसा देना, जो अपनी घोषणाओं को क्रियान्वित नहीं कर सके, जो मान्य सिद्धांत वित्तीय प्रबंधन के हैं, उनके बाहर जाकर काम करे, तो मैं चाहूंगा कि सरकार इन बातों का जवाब दे। इस सारे प्रकरण में, जहां-जहां एक्सीड सरकार कर रही है, हमारे जो वित्त विशेषज्ञ हैं, राव राजेन्द्र सिंहजी, उन पर वे अपने विचार इस सम्बन्ध में रखेंगे।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि सप्लीमेंटरी, यह एप्रोप्रिएशन बिल सप्लीमेंटरी एक्सपेंडिचर का है और सर्वाधिक एक्सपेंडिचर अगर दिखाया है तो मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, इसमें जो मेजर हैड है, 235, वह पेंशन का हैड है; अगर मेजर हैड पर बजट में आपने इतनी राशि रखी है, उसके 10 प्रतिशत तक तो आप बढ़ा देंगे, बाकी जितने भी वित्त मंत्री आये हैं, आज तक उस राशि से ज्यादा बढ़ाकर, मेन जो बजट में रखी है, उसको इस आधार पर एक्सीड नहीं किया है। 2,200 करोड़ रुपये की सप्लीमेंटरी इसके माध्यम से पुट-अप की हैं। यह एप्रोप्रिएशन पुट-अप करना, सदन को धोखा देने के बराबर है। मेन बजट के अन्दर इतनी राशि नहीं थी। उस राशि से अधिक आप करेंगे तो 3 प्रतिशत बजटरी डेफिसिट को आप एक्सीड कर रहे हैं और एक्सीड करने के कारण आपको जितनी राशि, 380 करोड़ की राशि मिली है, वह आपको रिटर्न करनी पड़ेगी। इनका एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं दिया है।

बाकी नामिनल एक्सपेंडिचर हैं लेकिन सिर्फ एक पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर हैड में इतना एक्सीड करना, यह सामने दिख रहा है कि आपका पहले प्लान नहीं था। उसके बाद में आप लोगों ने प्लान बनाया है। यह सही नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, सदन के समक्ष राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2013 विचारार्थ प्रस्तुत है। इस विधेयक के माध्यम से कंसोलिडेटेड फण्ड्स में से 3,919 करोड़ 86 लाख 19 हजार रुपये एप्रोप्रिएट कराने के लिये सरकार प्रस्ताव लेकर आई है। सभापति महोदय, इस विनियोग विधेयक पर उस समय चर्चा हो रही है, जब पूरे देश में केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के कारण, पूरा देश आर्थिक अराजकता की तरफ बढ़ रहा है। 18 वर्ष में डालर के मुकाबले रुपया और उसका अवमूल्यन, और विशेष तौर पर एक ही दिन में रुपया 3.86 प्रतिशत टूट जाए, मैं समझता हूं ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सप्लीमेंटरी डिमाण्ड से क्या रेलेवेंस है? आप समय बरबाद कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): एप्रोप्रिएशन बिल पर बोल रहा हूं मैं। ...(व्यवधान) हां, क्यों? कैसे नहीं बोलूंगा? मेरा अधिकार है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप रेलेवेंट बोलो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं रेलेवेंट बोल रहा हूं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): रेलेवेंट नहीं बोल रहे हो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपके कहने से बोलूं? यह क्या बैठे-बैठे हुक्म चला रहे हैं? सभापति महोदय, क्या आपने इनको अधिकार दे रखा है? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, यह कागज तो खाली है; खाली नजर आ रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, ये मेरे को डिरेल कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि आज जिस तरह के हालात देश के अन्दर हैं, मैं समझता हूं, जिस तरह का अवमूल्यन रुपये का हो रहा है, दुनिया की हर मुद्रा के सामने रुपया गिरता जा रहा है और वह दिन दूर नहीं, जब इसी महीने के अन्दर डीजल और पैट्रोल, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में रुपये के अवमूल्यन के कारण, उनकी दरें बढ़ेंगी। जब उनकी दरें बढ़ेंगी, चार-छह रुपये प्रति लीटर डीजल बढ़ेगा तो उसका भार भी राजस्थान के उपभोक्ताओं पर सीधा-सीधा आ जाएगा।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, 31 मार्च, 2012 को नियंत्रक-महालेखा परीक्षक ने जो प्रतिवेदन दिया है, उसमें सारभूत संग्रह, उसके प्रथम पृष्ठ पर जो बातें अंकित हुई हैं, वे इस राजस्थान सरकार की पूरी अर्थव्यवस्था की पोल खोल रही हैं। अभी उप नेता सही कह रहे थे कि चुनावी वर्ष और चुनावी वर्ष में बजटीय प्रावधानों का उल्लंघन करना, बजट की सैंक्टिटी के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर देना है। मैं समझता हूं कि यह सरकार चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, राजस्थान का इतिहास इस बात के लिये माफ नहीं करेगा कि बजट के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए इस सरकार ने एफ.आर.बी.एम. एक्ट के सारे उन मानदण्डों को, जिनका पालन करने के लिये केन्द्र सरकार को एक तरह से हमने अपनी सहमति दी थी, इंसेंटिव लिये थे, उन सबको तोड़ने का काम हमने किया है।

मैं यह जो सी.ए.जी. के प्रतिवेदन का सारभूत संग्रह है, उसके पृष्ठ एक की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उसमें लिखा है, वर्ष 2011-12 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का 87 प्रतिशत था, जबकि योजना-भिन्न राजस्व व्यय, राजस्व व्यय का 77 प्रतिशत था और कुल व्यय का 67 प्रतिशत। यानी, सभापति महोदय, इस सरकार ने जो नान-प्लान एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, रेवेन्यू जितनी भी अर्जित हुई है, तनख्वाह बांटने में चली गयी। इसके आगे जो लिखा है कि पूंजीगत व्यय मध्यकालीन वित्तीय नीति विवरण में आकलन से 17 प्रतिशत कम, यानी, जो असेट्स बनाने की बात थी सरकार के सामने, वह सरकार असेट्स नहीं बना पाई।

सभापति महोदय, आज जिस प्रकार की परिस्थितियां राज्य में बन रही हैं, मैं समझता हूं, एक तरफ मुख्य मंत्रीजी कह रहे हैं कि मैं राजस्थान के खजाने का ट्रस्टी हूं और दूसरी तरफ राजस्थान के खजाने को अपनी चुनावी वैतरणी पार करने के लिये जिस तरह लुटाया जा रहा है, सभापति महोदय, यह राजस्थान में पहले कभी नहीं हुआ। आज बजट की विश्वसनीयता खतरे में आ गयी। यह, एक तरह से, मैं कहूं कि जो वित्तीय अराजकता की तरफ राजस्थान बढ़ रहा है, उसमें आज नहीं तो कल, और, सभापति महोदय, विडम्बना देखिये, आजादी के समय एक डालर तीन रुपये के बराबर था, आज 68 रुपये के बराबर हो गया। इसलिये, मैं नहीं कर रहा हूं ये सारी बातें, जो राजस्थान का खजाना खाली करके राज्य की जनता पर जो एक तरह से आने वाले समय में आयेगा, पैसा कहां से आयेगा, सभापति महोदय? पैसा राज्य के राजस्व से,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कर से, कर-भिन्न आय से राजस्थान के खजाने में आता है, उसी का बजट बनाते हैं और जब बजटीय प्रावधानों का उल्लंघन इस प्रकार होगा तो मैं समझता हूं कि किस प्रकार काम चलेगा।

सभापति महोदय, आज जिस प्रकार से कर्जा राजस्थान की सरकार ले रही है, 2003-04 में जो कुल कर्जा 53 हजार 361 करोड़ था, 2013-14 में बढ़कर यह एक लाख 31 हजार 483 करोड़ रुपया हो गया। 2003 से और 2008 तक औसत कर्जा 4,755 करोड़ लिया गया था, 2013-14 में 15,409 करोड़ रुपया लिया गया है। मैं समझता हूं, अगर इसमें, इस कारण, कर्ज के अन्दर हम देनदारियों और जो राज्य सरकार ने गारंटियां दी हैं, उन प्रतिभूतियों को जोड़ दें तो यह कर्जा हो जाता है एक लाख 92 हजार 194 करोड़ रुपये। यानी, आज राजस्थान के जो व्यक्ति हैं, राजस्थान के हर व्यक्ति पर 19,166 रुपये का कर्जा है। यह इस तरह की व्यवस्था इस सरकार ने की है।

इसलिये, सभापति महोदय, यह बिल ब्रूटल मेजोरिटी से पारित तो हो जाएगा पर जिस प्रकार पूरे वित्तीय नियमों की अवहेलना करके यह सरकार जो अपने इस चुनावी खेल को खेलना चाहती है, राजस्थान की जनता इस बात को समझ रही है।

आज इनको अचानक याद आ गयी, राजस्थान के अन्दर पेंशन बांटने की बात चली। इन्होंने प्रशासन-गांवों-के-संग चलाया, प्रशासन-गांवों-के-संग चलाया, उस वक्त पूरे अभियान में एक महीने के अन्दर इनको सिर्फ 36 हजार पात्र व्यक्ति मिले। उसके बाद जब 'सुराज संकल्प यात्रा' परवान चढ़ने लगी, तब इन्होंने जिस तरह की शिथिलता दी, आज कह रहे हैं, राजस्थान में हमने 26 लाख लोगों को खोज लिया।

ये जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, सभापति महोदय, मैं समझता हूं, आज राजस्थान के अन्दर चाहे वह नान-प्लान एक्सपेंडिचर हो, वह बढ़ता जा रहा है और वित्तीय घाटा बढ़ता जा रहा है, राजस्व बचत कम होती जा रही है। इन सारी बातों को देखते हुए लगता है कि राजस्थान की सरकार राजस्थान को वित्तीय अराजकता की तरफ ले जा रही है और राजस्थान का आने वाला समय, जो इनका नहीं होगा, मुझे चिंता इस बात की है, जिस तरह युद्ध के अन्दर सेना हार जाए तो सेना सोचती है कि सब कुछ नष्ट करके चले जाएं, आने वाले व्यक्ति को कुछ मिल नहीं जाए, ये राजस्थान को तहस-नहस करना चाहते हैं। मैं समझता हूं, आने वाले समय में, इस चीज की चिंता मत करना,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

राजस्थान का शासन आने वाले समय में जब आयेगा, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, तो वित्तीय स्थिति को हम बिलकुल ठीक करेंगे।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): 'कांग्रेस संदेश यात्रा' का कमाल है।

श्री सभापति: नहीं, नहीं, मैंने आपको अलाउ किया है, आप विराजिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): सम्माननीय सभापति महोदय, मैं संसदीय कार्य मंत्रीजी का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहूंगा, आपके पास सदन के सम्माननीय नेता का मुख्य मंत्री के स्वरूप में और वित्त मंत्री के स्वरूप में उनके जो अभिभाषण था बजट का, उसके अगर आप पैरा 78 देखें तो उसकी अंतिम तीन लाइन यह है, 'इन संशोधनों के परिणामस्वरूप राज्य सरकार पर प्रति वर्ष लगभग 1 हजार 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त

(17.00 बजे)

भार आयेगा।'' जिस वक्त आप बजट पेश कर रहे हैं, उस वक्त आपको मालूम है कि आपको इस मांग में 1 हजार 500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता पड़ेगी; यानी, पिछले वर्ष की तुलना में, जितना बजट इस शेयर में था, इस हैड में था, उससे आपको 1,500 करोड़ की और आवश्यकता पड़ेगी। तो आपके ध्यान में लाने के लिए मैं निवेदन करूंगा कि इस बजट हैड के अन्दर, पेंशन में साढ़े तीन सौ करोड़ रुपए थे, पिछले वित्तीय वर्ष, अगर आप 1,850 करोड़ रुपए का प्रावधान करते और उसके बाद में 2,200 करोड़ रुपए की आप और सप्लीमेंटरी लाते तो बात कहीं पर समझ में आती। जब आप स्वयं सदन के नेता के श्रीमुख से यह बात कहलवा रहे हैं, अगर वे यही अंकित कर देते कि अतिरिक्त भार पड़ेगा और अक्षरशः इस बात को नहीं कहते, 1,500 करोड़ रुपए की बात नहीं करते, तो बात फिर भी समझ में आती। जब आपने 1,500 करोड़ रुपए की बात कह दी और बजट पेश करने के समय में 1,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय का आपने प्रावधान नहीं रखा तो सीधा का सीधा आपने आर्टिकल 205 सेक्शन 1(a) और आइटम-21 आफ पैरा 16 आफ द स्टेट बजट मैन्यूअल का उल्लंघन किया है।

अब आप यह पूछना चाहेंगे कि आखिर इसमें हुआ क्या? इस पूरी पुस्तिका का सारांश इसका आखरी जो तलपट है, इसमें लिखा हुआ है। इसमें आपने यह कहा कि वर्ष 2013-14 का, जिस एप्रोप्रिएशन की हम बात कर रहे हैं, एप्रोप्रिएशन मीन्स आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हो, आप कोई रेवेन्यू इनकम की बात तो कर ही नहीं रहे, आपने व्यय ज्यादा किया, 4 हजार

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

करोड़ रुपए के तकरीबन की बात है; 3 लाख 90 हजार या 99 हजार वाटेवर, थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड एण्ड नाइनटी, मैं इसको राउंड-आफ कर देता हूं कि 4 हजार करोड़ रुपया आप मांग रहे हो।

आपने 13 हजार 19 करोड़ 86 लाख का फिस्कल डेफिसिट का यह बजट पेश किया था, इसमें आपका रेवेन्यू सरप्लस 1 हजार 25 करोड़ 86 लाख था। क्योंकि, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 77 हजार करोड़ आय की तुलना में 76 हजार करोड़ था, अगर अब 76 हजार करोड़ में 4 हजार करोड़ और जोड़ देते हैं तो 76 हजार करोड़ बन जाता है 80 हजार करोड़, और 80 हजार करोड़ बन जाता है तो यह रेवेन्यू डेफिसिट में चला जाएगा। रेवेन्यू डेफिसिट में चला जाएगा तो मैं वह पंक्ति पढ़ना चाहता हूं जो इस तलपट के 318 पैरा में, पेज-110 पर है- "आगामी वर्ष का राजस्व आधिक्य कुल राजस्व प्राप्तियों का 1.33 प्रतिशत व राजकोषीय घाटा G S D P का 2.48 प्रतिशत रहना सम्भावित है।" यह 2.48 तब सम्भावित है जब 13 हजार 19 करोड़ 86 लाख रुपए का आपका फिस्कल डेफिसिट हो, लेकिन अगर 13 हजार करोड़ में 4 हजार करोड़ और मिल जाएंगे तो यह हो जाएगा 17 हजार 19 करोड़ 86 लाख, तो 2.48 प्रतिशत को पार करके तीन प्रतिशत को पार कर जाएगा, जो एफ.आर.बी.एम. एक्ट का सीधा उल्लंघन है, जिस पर आपकी प्रतिबंधता है और आप पर इस बात की सीलिंग है। एक तो मेरा आपसे यह निवेदन था।

दूसरा, आपका आर्टिकल 205 डिफाइन करता है, आपने अगर यह व्यय किया तो कृपा करके हमें यह बतायें कि यह व्यय अब तक अगर हुआ है, जिसकी आप सप्लीमेंटरी ला रहे हैं, तो व्यय आपने कंसोलिडेटेड फण्ड से किया या कंटिंजेंसी फंड से किया? अगर आपने कंटिंजेंसी फंड से किया है तो यह बात बतायें। और व्यय अभी तक हुआ नहीं है, आगे होने का अनुमान है, तो इस बात को आप स्पष्ट कर दें।

तीसरी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कहीं न कहीं आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, आपने लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए यह पैसा मांगा है, यह सदन सदैव सहजता से और उदार दिल से किसी भी लोक कल्याणकारी खर्च के लिए कभी भी प्रतिबंध नहीं लगाता, खुले दिमाग से इस बात का गुणावगुण के आधार पर विचार करता है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि अगर 4 हजार करोड़ रुपए का आप और व्यय करना चाहते हैं तो 13 हजार के फिस्कल डेफिसिट का कितना परसेंट हो गया यह?

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

कम से कम 30 परसेंट और आपने डेफिसिट की बात की है। 13 हजार में अगर आप 4 हजार का अनुपात लगायें तो 30 परसेंट आप और मांग रहे हों।

कहीं न कहीं आपकी बजट एस्टिमेट कमेटी ने इस पूरे के पूरे बजट को प्रिपेयर करने में बहुत बड़ी त्रुटि की है। या तो उनका और वित्त मंत्री का कहीं आपस में सामंजस्य नहीं था, वे कुछ सोच रहे थे और ये आंकड़े कुछ और दे रहे थे, या ये आंकड़े कुछ और दे रहे थे और वित्त मंत्री के पास में इस प्रदेश के लिए कुछ और योजनाएं थीं। यह 30-30 परसेंट का अगर आप सप्लीमेंटरी ले आएं तो फिर इस बजट की वास्तविकता का कोई परिमाण नहीं रहेगा।

आज 4 महीने बाद में ऐसी कौनसी बात कार्यपालिका के सामने आ गई कि कार्यपालिका को 4 हजार करोड़ रुपए की तुरन्त आवश्यकता पड़ गई? जब आपने उल्लेख कर लिया इन योजनाओं का, तो उल्लेख करने के समय आखिर बजट एडवाइजरी कमेटी और बजट फार्मेशन कमेटी को, बजट एस्टिमेट कमेटी को प्रोविजन तो रखना चाहिए था।

और एक बार नहीं, मंत्री महोदय, सी.ए.जी. का पिछले तीन वर्ष से लगातार पैरा बन रहा है कि आप लोग सदन के नेता या वित्त मंत्री से घोषणाएं तो करवा देते हैं लेकिन बजट का प्रोविजन बजट पेश करते टाइम नहीं रखते हैं। यह कांस्टिट्यूशन का वायलेशन है और इस वायलेशन के लिए सदन आपको परमिट किसी भी हद तक नहीं कर सकता। यह बात मैं नहीं कहता, सी.ए.जी. के पिछले तीनों के तीनों रिपोर्ट आप देख लीजिए, बार-बार उन्होंने इसका उल्लेख किया है। को-आपरेटिव डिपार्टमेंट का पिछली बार किया है, अब अगर यह आएगा तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का होगा। इससे पहले आपके पास में फेमिन कैलेमिटी फंड के अन्दर, फेमिन फंड के अन्दर 14 करोड़ रुपए 18 साल तक पड़े रह गए, आपको पता तक नहीं पड़ा। 2008 में जाकर, 18 साल बाद में पता पड़ा कि 14 करोड़ रुपए हमारे पास में पड़े हैं, जिसका हमको मालूम ही नहीं है।

कहीं न कहीं आपके सिस्टम में इतनी बड़ी लूप-होल है, इतनी बड़ी शिथिलता है कि आपको आपका पैसा कहां पड़ा हुआ है, यह तक नहीं मालूम। बहुत आसान है कर्ज लेना लेकिन कर्ज लेकर घी पीना उतना ही नुकसान दायक है। इस जनता को घी पिलाइए लेकिन जनता को जनता के पुरुषार्थ और सरकार के पुरुषार्थ के बल पर पिलाइए, तब जाकर कहीं यह सार्थकता होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): थोड़ा सा नुस्खा दे दूं। माननीय सभापति महोदय, जो पाश्चात्य देशों की नकल करते हुए हमने अर्थव्यवस्था अपनाई है, यह बहुत दुःखदायी है। हमारे शरीर पर जो भी वस्तु है, वह बिना टैक्स नहीं है। हमारे घर के अन्दर रसोई के अन्दर जो भी चीज है वह सब टैक्स पेड है। इस पद्धति से कब तक चलोगे? रुपए की हालत तो हम रोज देख रहे हैं।

हमारी पुरातन व्यवस्था, जो हमारे सामने रिजल्ट दिया है, हजारों वर्षों तक, उसको हमने छोड़ दिया। आप पानी के लिए मांग रहे हो, अकाल के लिए मांग रहे हो, सबके लिए मांगे जा रहे हो और कभी भी आपकी पूर्ति नहीं होती। आप कर्जे पर कर्जा...(व्यवधान) क्यों? क्या हो गया? घंटी किसने बजाई? माननीय सभापति महोदय, उदाहरण के तौर पर, हमने एक बार हमारे चरागाह की व्यवस्था कर ली, चरागाह छोड़ दिए, गौ-चर ओरण, उसके बाद में जो मुख्य हमारा आर्थिक आधार था, उस पशु-धन के ऊपर हमको कभी भी खर्च नहीं करना पड़ता था। पूरी की पूरी सेविंग थी। हमने पानी के लिए व्यवस्था कर दी, समाज ने और तालाब, कुएं, कुंड, बावड़ी एक बार बना दिये, उसके बाद में कोई खर्चा नहीं और पानी के कारण से कभी गांव छोड़ने की नौबत नहीं आई।

अब हमने, उसी पद्धति के ऊपर, जो पाश्चात्य देश कर रहे हैं, उसकी नकल की। आज कहीं भी, किसी जिले में चले जाओ, कहीं भी आपकी पानी की आपूर्ति सही नहीं है। एक बार अगर हमने बना दिया, गांव वालों ने, समाज ने कुआं बना दिया, पक्का तालाब बना दिया, कुंड बना दिया तो सौ-दो सौ साल तक उसकी मरम्मत तक की जरूरत नहीं थी और आज हम सर्विस रिजर्वोयर, स्टोरेज बनाते हैं, जी.एल.आर. बनाते हैं तो हर दसवें, पन्द्रहवें साल फिर और नया बनाओ। कब तक बनाए जाओगे? हमने, सारी व्यवस्था जो अपने पूर्वजों ने की थी, वह सारा प्रमाणिक हमारे सामने है, हम उस नकल पर चलकर कब तक उबरना चाहते हैं? नहीं उबर पाओगे, कितना भी जोर लगा लो। जो भी हमारी अर्थव्यवस्था है, कर्ज लिये जाते हैं, आने वाली पीढ़ी के ऊपर हम भार चढ़ाये जाते हैं। इससे व्यवस्था नहीं सुधरेगी।

इसलिए मैं तो यही आगाह कर रहा हूं कि अगर चेतो तो चेत लो, नहीं तो आने वाले समय में समाज ही नियन्त्रण करेगा। समाज के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप देखिये, गांधीजी को सब मानते हैं, गांधीजी ने कहा था कि इस व्यवस्था के अन्दर सरकार के माध्यम से कोई भी इस प्रकार का कार्य नहीं हो जिससे जनता को तकलीफ हो, जनता को बार-बार उस बात के लिये जाना पड़े। सभापति महोदय, आज मुझे बता दो, एक भी, ऐसी व्यवस्था

(श्री देवी सिंह भाटी)

में कोई भी विभाग का ऐसा अंग हो जिसमें हम बिना व्यवस्था की परमिशन के उनके अनुमोदन के कोई कार्य कर सकते हैं? आपने ऐसी नकल कर ली कि आज अगर हम सड़क के किनारे पेड़ लगाना चाहें, तो नियमानुसार नहीं लगा सकते। इसके लिये पहले आप अनुमति लो, वरना आपके खिलाफ अतिक्रमण की कार्यवाही होगी। आप कहीं प्याऊ लगाना चाहो, नहीं लगा सकते। आपके घर के बाहर नाली टूट जाये, नगरपालिका नहीं सुन रही और अपने आप मोहल्ले वालों ने अगर नाली बना दी तो सरकार की व्यवस्था है, आपके खिलाफ कार्यवाही कर सकती है कि आपने सरकारी सम्पत्ति को छेड़ा। आपने पूरे समाज को पंगु बना दिया। कुछ भी रोल नहीं है। आप कुछ भी नहीं कर सकते इस व्यवस्था के अन्दर। इस प्रकार से जो व्यवस्था की है, इसके कारण से हमारी यह तकलीफ है।

आज अगर भारत की अर्थव्यवस्था जिन्दा है तो अभी तक हमारी वह परिपाटी, संस्कार, वे आदतें, हमारी बचत की वह सोच है, उनके कारण से हम जिन्दा हैं। ये धीरे-धीरे खतम हो जायेंगी तो अंग्रेजों की तरह रोज कर्जा लो, बचत कुछ मत करो और रोज यह कहेंगे कि आज बैंकरप्सी आ गयी, आज हमारे पास पैसा नहीं है, आज वहां से लोन लो। अल्टिमेटली इस जनता को भुगतना पड़ेगा, सारा टैक्स इस जनता के ऊपर लगेगा।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इसलिये इस व्यवस्था को छोड़ो। थोड़ा सोचो, विचार करो। नकल करने का मैंने भी एक बार प्रयास किया था। मैं कालेज में पढ़ रहा था, कालेज में एक प्रिंसिपल ऐसा भला आदमी आ गया, सारे नकल करने पर लगे। हमने कभी जिन्दगी में नकल नहीं की थी। जब सबने कहा कि सब नकल कर रहे हैं तो मैंने भी वहां बाथरूम में किताब रख दी; जाता, कुछ देखकर आता और फिर लिखता। इस तरह मेरे पांच की जगह चार प्रश्न ही हुए, मेरे सप्लीमेंटरी आ गयी।

इसलिये नकल से कभी रास्ता नहीं बन सकता। हमारे पूर्वजों ने हजारों साल तक इस देश को चलाया है, उस व्यवस्था के ऊपर धीरे-धीरे आओ। इसके ऊपर नहीं आओगे तो, सभापति महोदय, पूरे समाज को भुगतना पड़ेगा।

श्री सभापति: अब थोड़ा संक्षिप्त करो आप। काफी लोगों ने गम्भीरतापूर्वक बात कह दी है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, आज हम राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक उस समय में विचार करने के लिये लाये हैं, जब राजस्थान के अन्दर आम अवाम में यह चर्चा है कि जनता हमारे पैसे को, जनता के पैसे को ट्रस्टी के रूप में ध्यान रखने के लिए राज्य के प्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है। इतनी बड़ी राशि, अनुमानित 4 हजार करोड़ रुपये की राशि, जिसमें 2,200 करोड़ रुपया सामाजिक सुरक्षा और हम पूर्व में ही हमारे नान-प्लान के अन्दर, जिस तरीके से 77.3 प्रतिशत पैसा नान-प्लान में खर्च कर रहे हैं, एक तरफ इस देश के लोकतंत्र, प्रजातंत्र के अन्दर, जब राजस्थान इस लोकतंत्र, प्रजातंत्र में अछूता था, देश के अन्दर साउथ के प्रदेशों के अन्दर जनता के वोट खरीदने के लिये सरकारी धन का प्रयोग करके और जिस तरीके का प्रचलन चला था, वह इस लोकतंत्र, प्रजातंत्र के लिये उचित नहीं है।

हमारे सत्ता पक्ष के लोग यह चर्चा करते हैं कि हमने चार साल इस राजस्थान के इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये, राजस्थान के अन्दर रोजगार के संसाधन के लिये और राजस्थान की मूलभूत सुविधाएं, जिससे राजस्थान का विकास हो सके, डवलपमेंट हो सके, उसके प्लान के लिये हमने योजनाएं नहीं बनाईं लेकिन हम एक वर्ष के अन्दर, इस जनता के धन को बांटकर हम कह रहे हैं कि हमने सामाजिक सुरक्षा के आधार पर उस व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया है। माननीय सभापति महोदय, क्या इस देश के अन्दर, इस लोकतंत्र के अन्दर पांच साल के अन्दर किसी एक बी पी एल परिवार को आप डेढ़ हजार रुपया पांच साल में बांटकर उसके जीवन स्तर को सुधार सकते हैं? क्या किसी गरीब को एक कम्बल और दो साड़ी बांटकर उसके जीवन स्तर को सुधार सकते हैं? सारे देश और दुनिया के वित्त विशेषज्ञ लेख लिखते हैं, रोज हम फाइनेंशल एडवाइजरों के लेखों को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि इस डेमोक्रेसी के अन्दर हमारी चुनी हुई सरकारें किस दिशा में काम कर रही हैं।

माननीय सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिये; व्यक्ति के जीवन के अन्दर, उसको दो टाइम का खाना, मकान, ये बुनियादी सुविधाएं, लोकतंत्र, प्रजातंत्र के अन्दर यह सब होना चाहिये लेकिन यह सब कब होगा? यह सब तब होगा जब हम इन्फ्रास्ट्रक्चर के आधार पर उस गरीब व्यक्ति को दो टाइम की रोटी, मकान, कपड़ा, आदि खरीदने के लिये उसके जीविकोपार्जन के साधनों को डवलप करेंगे। उसके जीविकोपार्जन के साधनों को क्या बी पी एल के डेढ़ हजार रुपये बांटकर उसके जीवन को सुरक्षित रखा जा सकता है? क्या दो सी एफ एल लाइटें बांटकर उसके जीवन स्तर को सुधारा जा सकता

(श्री ओम बिरला)

है? क्या एक कम्बल और दो साड़ी बांटकर उसके जीवन स्तर को सुधारा जा सकता है? आप जिन योजनाओं की बात कर रहे हों, आज उन योजनाओं को देख लो। आज कोई भी अस्पताल के अन्दर चले जाओ, आपने कहा, नि:शुल्क दवा देंगे, नि:शुल्क जांचें करेंगे, इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप किया नहीं और नि:शुल्क जांचों की बात करो, नि:शुल्क दवा की बात करो...

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

आज सरकारी अस्पतालों के अन्दर जिस तरीके से डैथ हो रही हैं, जिस तरीके से मरने वालों की संख्या...(व्यवधान) आंकड़ों के आधार पर हो रही है...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, इसको सम-अप करो, बहुत लम्बा हो गया।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, यह गम्भीर विषय है।

श्री सभापति: गम्भीर विषय पर माननीय सदस्य बोल चुके हैं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): 4,000 करोड़ की विनियोग विधेयक की मांग को, जिसमें से 2,200 करोड़ रुपया हम सामाजिक सुरक्षा पर खर्च कर रहे हैं, हमको राजस्थान की जनता को बताना होगा कि राजस्थान की चुनी हुई सरकार ने जिस तरीके से, आज आम अवाम कहता है कि हमारे धन को जिस तरह से वोटों के नाम पर लुटाया जा रहा है, यह राजस्थान के लोकतंत्र, प्रजातंत्र के लिये उचित नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, हमारी चिन्ता यह होनी चाहिये कि हम राजस्थान के अन्दर सड़क सुविधा पैदा करें; लोगों की मूलभूत सुविधाओं के लिये, रोजगार के सृजन के लिये अवसर पैदा करें; उनके एग्रीकल्चर के लिये हम कृषि उत्पादन बढ़ायें ताकि हम गर्व से कह सकें कि हमने इस देश के किसानों के लिये कृषि उत्पादन बढ़ाकर गांव के किसान के बेटे को अपने पैरों पर खड़ा करने का काम किया। आज हालत यह है, आप कृषि उत्पादन बढ़ा नहीं सको, आप रोजगार का सृजन कर नहीं सको, आज उस गरीब की रोटी-रोजी के लिये जीवन-यापन करने के लिये...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, यह धारीवाल साहब से समझ लेना न। कितना लम्बा करोगे आप?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, धारीवाल साहब चुनाव लड़ेंगे ना, तब इन योजनाओं के आधार पर कोटा की जनता जवाब देगी इनको। लेकिन आज राजस्थान की विधान सभा पूछना चाहती है कि आज हालत क्या है, कहां ले जाना चाहते हों? माननीय सभापति महोदय, अगर मेरे माननीय सदस्य भी यह उचित मानते हैं कि प्रजातंत्र, लोकतंत्र में आज आप ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप थोड़ा सम-अप करो, माननीय सदस्य।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, मैं बस खतम ही कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, आज इन्होंने डेढ़ हजार रुपये बी पी एल को बांटा; हमारी सरकार आयेगी तो इस प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में इस दिशा में हम तीन हजार बांटेंगे...(व्यवधान) सुनो, हम तीन हजार बांटेंगे; अगली सरकार आयेगी, वह छह हजार बांटेगी। तो हम किस दिशा की ओर प्रजातंत्र, लोकतंत्र को ले जाना चाहते हैं? क्या यही दिशा होनी चाहिये प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की? आप डेढ़ हजार देकर क्या उस गरीब के जीवन को खड़ा कर दोगे? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): बाहर जाकर बयान दे दो, पेंशन का विरोध कर रहा हूं।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): बार-बार 1,500-1,500 कर रहे हैं पेंशन का। पूरी भारतीय जनता पार्टी के टेंशन हो गयी।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप बयान दे दो बाहर जाकर। पेंशन का विरोध कर रहे हैं जो, आप अख़बार में पेंशन के खिलाफ बयान दे दो। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): 1,500-1,500 रुपये की पेंशन का भारतीय जनता पार्टी को टेंशन हो गया है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप तो बयान दे दो कि मैं पेंशन के खिलाफ हूं, अख़बार में। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): आप 1,500 रुपये की बात करते हैं, हरेक गरीब आदमी को चालीस हजार रुपये का फायदा हो रहा है। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आपका रिकार्ड बोल रहा है और आप जाना विधान सभा क्षेत्र में, हमारे बीच में। हम आन रिकार्ड बोल रहे हैं यह बात। आन रिकार्ड इसलिए बोल रहे हैं...

श्री सभापति: अब आप विराजें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): आप पूछिए न, कहां मिल रहे हैं? आप बताइये जनता के बीच में जाकर।

श्री सभापति: आप विराजिए, आपके माननीय सदस्य बोल रहे हैं न।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ...(व्यवधान) आप चलिए मेरे साथ रामगंजमण्डी।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आपको पेट में क्यों दर्द हो रहा है? हमारी सरकार दे रही है। आ जाना आप चुनाव में। बयान दे दो कि आप उसके खिलाफ में हों।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): दिया न। यह आफिशियल बयान है विधान सभा का। आप वहां पर जाकर पर्चे बांटना, क्षेत्र के अन्दर, जब चुनाव लड़ूं तब।

सभापति महोदय, मेरा इतना ही निवेदन है कि इस प्रजातंत्र, लोकतंत्र के अन्दर नकद धन बांटना, नकद पैसा बांटना उचित नहीं है। अगर इस तरीके की दिशा चली तो जिस तरह साउथ के अन्दर....

श्री सभापति: अब तो आप सम अप करो। कहां से कहां पहुंचते जा रहे हो आप।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): यह इतना बड़ा विषय है कि... (व्यवधान)

श्री सभापति: यह तो बहुत बड़ा विषय है। आप घुमाते-घुमाते कहां ले जाओगे इस विषय को?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हां, बहुत बड़ा विषय है यह... (व्यवधान) विशेषज्ञ लिख रहे हैं, आज दुनिया के अन्दर, देश के अन्दर डालर की जो स्थिति बन रही है, हम सोना बेच रहे हैं। आने वाले समय में राजस्थान की सम्पत्तियों को बेच-बेच कर लोगों की तनख्वाह चुकानी पड़ेगी, माननीय सभापति महोदय।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): जैसे आमेर की हवेलियां बिकी थीं।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): सभापति महोदय, गरीब आदमियों को पेंशन मिलती है...(व्यवधान)

श्री सभापति: कोटा से आने वाले माननीय सदस्य, विराज जाओ।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): अधिकारी को पेंशन मिलती है, एम पी

(श्री मदन प्रजापत)

और एम एल ए को पेंशन मिलती है और गरीब आदमी की पेंशन के लिए इनके हमेशा पेट में दर्द रहता है। कभी किसी एक भी एम एल ए ने नहीं कहा कि मैं पेंशन नहीं लूंगा। जब अपनी बनी, एक भी विरोध नहीं हुआ और गरीब आदमी के लिए बार-बार टेंशन हो रहा है। यह चुनाव में कैसे जाएंगे, सभापति महोदय?

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): आप गरीबों को पैसे बांटने की बात कर रहे हों, गरीबों को अनुदान देकर मकान बना रहे हैं, कपड़ों के पैसे दे रहे हैं और गरीबों को अनुदान के रूप में चीजें दे रहे हैं। अनुदान भी आपको नहीं पच रहा है। आप सदन में चिल्ला रहे हों। हद है, ओमजी बिड़ला साहब! मजा आ गया!

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आप चुनाव लड़ना, आप चुनाव लड़ने आ जाना।

श्री सभापति: हो गया न। अब आप विराजो। मंत्रीजी।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: जिस गति से चल रहे हों, सुबह 6 बजे तक यह सदन चलेगा, तब जाकर आज का कार्य पूरा होगा। (व्यवधान) आप कहां से कहां विषय को बढ़ाये जा रहे हैं। आप इतना लम्बा मत करिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आप जनता के धन के ट्रस्टी हैं, हमें जवाब देना पड़ता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बहुत लम्बा कर रहे हो। आप संक्षिप्त में बोलकर ...(व्यवधान) आप समाप्त करें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): बस, मैं समाप्त कर रहा हूं। सभापति महोदय, मेरा सदन से इतना ही निवेदन है कि जो भी हमारी जनता का पैसा है, उसको इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना चाहिए, मानव दिवस सृजन और मानव रोजगार के संसाधनों पर खर्च करना चाहिए। कभी भी लोकतंत्र के अन्दर नकद पैसा बांटना, मैं पेंशन की बात नहीं कर रहा, नकद पैसा बांटना उचित नहीं है। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): अभी आपने पेंशन के लिए कहा है, अभी आन रिकार्ड कहा आपने। आपने आन रिकार्ड कहा कि पेंशन का विरोध करता हूं। अब क्यों डर रहे हो? हिम्मत के साथ कहो, अगर विरोध कर रहे हों तो।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): इसलिए, सभापति महोदय, पूरा सदन इस बात के लिए चिंतित है...

श्री सभापति: आपकी चिन्ता से हो गये वाकिफ।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): जितना पैसा खर्च करना है, वह इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करें ताकि मानव रोजगार के संसाधन डलवप हो सकें।

श्री सभापति: विराजो।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट।

श्री सभापति: विराजो। विषय आ रहा है, उस पर बोल लेना आप। आप विराजो, प्रोफेसर साहब, बात तो वह की वह है।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): आगे नहीं बोलूंगा मैं। मुझे विनियोग विधेयक पर ही बोलना है।

श्री सभापति: बोलने का बहुत मौका आयेगा, इसलिए आप विराजो। आप तो सुबह तक की तैयारी कर लो।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): दो मिनट दे दीजिए।

श्री सभापति: अबकी बार प्रथम बार बुलवा दूंगा।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): अलग विषय है।

श्री सभापति: यही विषय है, और क्या विषय है?

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): आपने मुझे उस समय भी नहीं बोलने दिया था। (व्यवधान) मुझे बायकाट करना पड़ा था।

श्री सभापति: आप अगले विषय पर बोल लेना।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): मुझे विनियोग विधेयक पर बोलना है।

श्री सभापति: आप सारे विषयों पर बोल सकते हैं।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): मैं विनियोग विधेयक पर बोलना चाहता हूं।

श्री सभापति: आपकी पार्टी के सभी सम्माननीय सदस्य बोल चुके हैं। उसी बात को कितनी बार बोलोगे आप? आप अगली बार बोल लेना।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): बचे हुए सभी लोग असम्मानित हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, इनके अच्छे विचार आयेंगे। अनुभव है इनके पास, इनके पास ज्ञान है, ज्ञान का भण्डार है, मौलिक विचार आयेंगे।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): इनका और माइक का तालमेल ही नहीं है। कुछ समझ में भी तो आये।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): राठौड़ साहब, मदद तो करो इनकी। कभी तो बुलवाया करो इनको।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आपके सचेतक की साजिश है, आपको कभी नहीं बोलने देते। (व्यवधान)

श्री सभापति: बोलिए। देखते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। प्रोफेसर हैं। सिर्फ दो मिनट के लिए अलाउ कर रहा हूं।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापति महोदय, चार हजार करोड़ रुपये का जो आप ला रहे हैं, यह विशुद्ध रूप से कर्जा लेकर ला रहे हैं आप। केन्द्र सरकार या राज्य सरकार जो भी कर्जा लेती हैं, उसके लिए सम्पदा निर्माण की भावना रहती है। इसमें वह भावना एक परसेंट भी भावना नहीं है।

दूसरा मेरा निवेदन है कि जब नरेगा में हम पूरा पैसा खर्च नहीं कर पाये, हम सर्व शिक्षा अभियान में पूरा पैसा खर्च नहीं कर पाये, जल संग्रहण में पूरा पैसा खर्च नहीं कर पाये, माध्यमिक शिक्षा परिषद का पैसा खर्च नहीं कर पाये, तो ऐसी स्थिति में हम कर्जा लेकर पैसा बांट रहे हैं। मैं अच्छी सरकार उसको मानता हूं जो डवलपमेंट ओरिएंटेड योजनाएं लाती है, आप चुनाव के हिसाब से पैसा बंटवा रहे हैं। यह मेरा विरोध है। (व्यवधान)

श्री सभापति: बस, बात हो गयी न, पैसे बांटने के लिए हो गयी बात।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): आप गरीब को सौ दिन का रोजगार नहीं दे पाये। आप असफल हो। आप 1,500 रुपये देकर वाहवाही लूटना चाहते हैं और चुनाव जीतना चाहते हों। मेरा निवेदन है कि इस राज्य को माननीय भैंरोंसिंहजी शेखावत जैसे मुख्य मंत्री ने सम्पदायुक्त किया था। पूरे भारतवर्ष में राजस्थान में सबसे ज्यादा सम्पदा निर्माण करने वाला अगर कोई मुख्य मंत्री था तो वे भैरोंसिंहजी शेखावत थे। आप उस कर्जे को उस रूप में ले जाना चाहते हैं। (व्यवधान) कालेज नहीं मिला आपको, मिलेगा भी नहीं। गरीब के हिसाब से कालेज मिलना चाहिए था, नहीं मिला, आपको कालेज नहीं मिला। चुप रहो आप, कुछ नहीं मिलेगा आपको।

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं ... (व्यवधान) सम्पदा निर्माण का ध्यान रखा जावे ताकि आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ मिल सके। सरकार पैसा नहीं बांटे।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्रीजी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, जिन-जिन माननीय सदस्यों ने यहां चर्चा में भाग लिया, एक मौजूद नहीं है। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): देखिए, आप दोनों की तो मिलीभगत है, इसलिए आपको तो मानते ही नहीं हैं हम। बाकी की बात है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, एक जन कल्याणकारी सरकार जरूरतमंदों और जिन लोगों को आवश्यकता है, सरकार उनको नजरअंदाज नहीं कर सकती। जन कल्याण के कार्य करने के लिए एक जन कल्याणकारी सरकार हमेशा चिन्तित रहती है, वह चाहे वर्ष का प्रथम क्वार्टर हो, चाहे सेकण्ड हो, चाहे थर्ड हो और चाहे फोर्थ हो। तो इसलिए जो विकास के कार्य बाकी रह गये हैं, उनको पूरा करना है।

इसी के साथ-साथ, छात्र-छात्राओं को प्रोजेक्ट करना हो अध्ययन कार्यों के लिए, गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना, आधारभूत ढांचा मजबूत करना, इन चीजों की आवश्यकता साल के आखिरी में हमेशा पड़ती है।

जो लोग यह कहते हैं कि चार हजार करोड़, चार हजार करोड़, उनको यह भी मालूम होना चाहिए कि बजट कितने का था। मैं आपको वह बताना चाहता हूं, वर्ष 2004-05 की सरकार थी, उसका कुल पूरा बजट 37,697 करोड़ रुपये का था, अनुदान की मांगें जो मांगी गयीं, जिस प्रकार से मैं सदन के सम्मुख अपनी मांगें रख रहा हूं, वे थीं 1,237 करोड़ रुपये की, जो कि 3.28 परसेंट थीं।

आ गये, आपको सुनाता हूं।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): वापस रिपीट कर दो, रिपीट ही कर दो आज।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं यह निवेदन कर रहा था कि एक जन कल्याणकारी सरकार कभी भी उन लोगों को, जिनको कि जरूरत है, जो जरूरतमंद हैं और जिनको आवश्यकता है आर्थिक सहायता की, उनको नजरअंदाज नहीं कर सकती, चाहे साल का फर्स्ट क्वार्टर

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

हो, चाहे सेकण्ड क्वार्टर हो, चाहे थर्ड क्वार्टर हो, चाहे फोर्थ क्वार्टर हो। फोर्थ क्वार्टर में जाकर के वह अपने तीन क्वार्टरों का आकलन करती है कि आकलन में कहां, क्या कसर रह गयी। वातावरण किस प्रकार का है; महंगाई किस प्रकार की है; गरीबों की मदद किस तरीके से की जा सकती है; आधारभूत ढांचा किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है; सड़क, पानी, बिजली की समस्याओं को किस प्रकार से निस्तारित किया जा सकता है; छात्रों और छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए क्या योजनाएं दी जा सकती हैं, इन सब चीजों पर विचार करती है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, आपने कहा है, साहब, चार हजार करोड़, चार हजार करोड़; 97,332 करोड़ का मूल बजट था, जो कि विधान सभा के द्वारा आप लोगों ने पारित किया है, उसके संदर्भ में जो अभी अनुदान की मांगें मांगी जा रही हैं, आपसे जो सप्लीमेंटरी डिमाण्ड्स मांगी जा रही हैं वह सिर्फ 4.3 परसेंट है, जिसको आपने यह कहा कि चुनावों को देखते हुए आप यह लाये हों।

मैं अब आपकी सरकार का आखिरी साल, जो 2003 का चुनाव था, जो 2004 में आपने किया, उसकी बात बताना चाहता हूं; नहीं, सारी, 2008; 2008 में कुल मिलाकर बजट था 42,755 करोड़ रुपये का, जिसमें अनुदान की मांगें आपके द्वारा जो मांगी गयीं वे 4,564 करोड़ रुपये की थीं, जो कि 10.67 परसेंट था। 10.67 परसेंट और कहां 4.3 परसेंट।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप सुनिये...

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): तिवाड़ी साहब, मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। आप बाद में बोल लेना, मैं बाद में भी आपकी बात का जवाब दूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं आपको प्रोत्साहित कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं, आप हमारे रास्ते पर जा रहे हो न?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कहां तो 10.67 परसेंट आपके द्वारा मांगा गया और कहां हम सिर्फ 4.3 परसेंट मांग रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं कह रहा हूं कि 10 परसेंट मांगने पर हमारी यह हालत हुई, आप चार परसेंट ही मांग रहे हो। फिर आपकी क्या हालत होगी?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): इसका मतलब हमारी आपसे ठीक रहेगी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपने 10 परसेंट मांगा तो आपकी यह हालत हुई है, हम सिर्फ चार परसेंट मांग रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): तो क्या होगा?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जनता जानती है कि चार परसेंट मांग कर भी यह जनता के कल्याण के लिए सैकड़ों योजनाएं चला रहे हैं।

इसके साथ-साथ मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, राव साहब द्वारा तीन बातें उठायी गयीं। राव साहब, दो बातें मैं आपकी सुन पाया, तीसरी बात शायद नहीं सुन पाया हूं। एफ.आर.बी.एम. एक्ट की अनुपालना से सम्बन्धित आंकड़े व डाक्यूमेंट्स बजट प्रस्तुत करते समय सदन की पटल पर रख दिये जाते हैं। पहला एतराज जो आपका था, उसका मेरा जवाब है। दूसरा जवाब मेरा यह है कि फिस्कल डेफिसिट तथा रेवेन्यू डेफिसिट की गणना पूरे वित्तीय वर्ष 2013-14 के आंकड़ों के आधार पर की जाती है। तीसरा सवाल और था आपका, आपने यह पूछा था कि सप्लीमेंटरी डिमाण्ड्स जब तक पास नहीं होवे और खर्चा करना हो तो खर्चा कहां से करोगे? तो इसके लिए एक पांच हजार करोड़ का अलग से कंटिंजेंसी फंड बनाया गया और 26 करोड़ रुपया जो इसमें खर्च किया गया है, वह उसी में खर्च किया गया है। आपकी तीनों बातों का जवाब आ गया। (व्यवधान) कंटिंजेंसी में।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): कंटिंजेंसी से किया न?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): तो ठीक है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अब मेरा आपसे बहुत संक्षिप्त में निवेदन है कि करीब-करीब मैं सब बातों का जवाब दे चुका और आपको जवाब ही नहीं दे चुका, आपको अनुत्तर कर चुका, आपके पास कोई जवाब नहीं है।

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

कुल मिलाकर 3,991 करोड़ 86 लाख 19 हजार रुपया मांगा गया है और उसमें वोटेड जो है, आपको जानकारी के लिए यह बताना चाहता हूं, सिर्फ जानकारी के लिए कि वोटेड जो है, वह 3,918 करोड़ 95 में से जो तीन पार्ट आयेंगे इसके, नान-प्लान, प्लान और सी.एस.एस., 1688 करोड़ 85 लाख 54 हजार का तो है नान-प्लान, प्लान का है 2,210.9 लाख 21 हजार और सी.एस.एस. का है 20 करोड़ 42 हजार।

अब कुल मिलाकर जो ये बातें आयीं कि, साहब, यह उसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर की बिरला साहब ने बात उठायी कि इन्फ्रास्ट्रक्चर, खैर, किया जाना चाहिए; यह सड़क का जो प्रोविजन दे रखा है जिसके लिए 230 करोड़ रुपये मांगे गये हैं, शहरी विकास के लिए 181 करोड़ रुपये मांगे गये हैं, ग्रामीण विकास के लिए 157 करोड़ रुपये मांगे गये हैं। यह इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो क्या है? एक बात।

दूसरा सवाल आपने 1,500 का, दो साड़ियां और कम्बल का उठाया है, 1,500, दो साड़ियों में और कम्बल में तो उसका गुजारा नहीं हो सकता है लेकिन भामाशाह योजना जो 1,500 की चलायी थी, जिसमें आपने कहा था कि महिलाओं का सशक्तिकरण करने जा रहे हैं, हो गया था क्या महिला का सशक्तिकरण 1,500 रुपये में? हो गया था?

इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन है, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): महिला का नहीं हुआ तो पुरुष का भी नहीं होगा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पुरुषों का तो हो ही नहीं सकता।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): सभापति महोदय, क्योंकि माननीय संसदीय मंत्रीजी ने रिकार्ड पर यह बात ले ली, भामाशाह योजना की, मैं आपको इस बात की याद दिलाना चाहता हूं कि भामाशाह योजना का वास्तविक आकार क्या था। भामाशाह योजना 92 लाख परिवारों की योजना थी; उसके प्रथम चरण में 161 करोड़ का, प्रथम चरण में 10 लाख का चयन किया गया था। भामाशाह योजना सिर्फ वृद्धावस्था में पेन्शन की योजना नहीं थी, लघु और सीमांत काश्तकार तक को सोशल स्टेटस में सिक्योरिटी प्रदान करना और

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

उसकी सहायता करने की थी। योजना सिर्फ किसी एक उम्र के व्यक्ति के लिए नहीं थी, मार्जिनल और स्माल फार्मर्स तक को उसमें इनकारपोरेट किया गया था।

मैं पूछना चाहता हूं 158 करोड़ रुपये आज भी आपके पास पड़े हैं, पांच साल से पांच मेम्बर हाई पावर कमेटी को लेकर बैठे हुए हों, आज तक आपने निर्णय क्यों नहीं किया? अगर गरीब का आपको इतना ही ख्याल है, किसान का इतना ही खयाल है तो उस योजना को क्रियान्वित न करने में एक कारण था, क्योंकि योजना क्रियान्वित होती तो पूर्ववर्ती सरकार की याद आती।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप ठीक कह रहे हैं। उस योजना के प्रति अविश्वास दिखाते हुए ही लोगों ने आपको इन बैंचों का स्थान दिया है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): तालियां बजवा लो कि लघु और सीमांत काश्तकार की योजना को नकारते हुए सरकार आयी है। बजाओ आप मेज और पास करवाओ यह।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड 2 व 3 । कोई संशोधन नहीं ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 व 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री शांती कुमार धारीवाल।

विधेयक का पारण

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2013 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2013 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2013 पारित किया गया।

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2013 । श्री शांती कुमार धारीवाल।

विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2013

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्रीजी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति: श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: कोई सदस्य, बोल तो नहीं रहे हैं ना?

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड 2 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री शांती कुमार धारीवाल।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष, सारी। (व्यवधान) रह गये; देर से आए, देर से आने में रह गये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह आप जान-बूझकर बोल रहे हो, कि इनको छेड़ रहे हो?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं, मैं तो इनसे कह रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इनको छेड़ रहे हो?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): तो ठीक है।

विधेयक का पारण

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपके सम्मुख एक्सेस की डिमांड 2009-2010 की, इसकी देरी के कारण पूछेंगे आप? नहीं पूछ रहे हैं? पूछा नहीं किसी ने भी। धन्यवाद।

सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2013 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2013 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2013 पारित किया गया।

डा. दयाराम परमार।

विधेयक पर विचार

ओ पी जे एस विश्वविद्यालय, चूरू विधेयक, 2013

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि ओ पी जे एस विश्वविद्यालय, चूरू विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: निम्न माननीय सदस्य विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन करेंगे। श्री ओम बिरला।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, हम राजस्थान के निजी विश्वविद्यालय, ओ पी जे एस विश्वविद्यालय, चूरू विधेयक, 2013, यह विधेयक अध्यादेश के बाद आज सदन में रखा गया है। राजस्थान के अन्दर 26.7.2007 से निजी विश्वविद्यालयों के मार्ग को प्रशस्त किया गया था। राजस्थान के अन्दर शिक्षा की गुणवत्ता और अच्छी शिक्षा, अच्छे सृजन की पहचान राजस्थान हमेशा रहा है। राजस्थान के जितने भी सरकारी विश्वविद्यालय रहे हैं, उनकी पूरे देश में एक प्रतिष्ठा थी और हम गर्व से कह सकते थे कि सारे देश के विश्वविद्यालयों के अन्दर डिग्रियां बांटी जाती थीं, फर्जी डिग्रियां बांटी जाती हैं लेकिन राजस्थान के अन्दर उच्च शिक्षा के मापदण्ड होने के कारण न यहां पर फर्जी डिग्रियां बांटी जाती थीं, न पी एच डी होती थी, न एम फिल होती थी।

सभापति महोदय, जब निजी विश्वविद्यालय बनाने का पूर्ववर्ती सरकार ने मार्ग प्रशस्त किया था, उस समय एक्ट में प्रावधान था कि राज्य सरकार एक समिति का गठन करेगी और यह समिति सुनिश्चित करेगी कि जो संस्था या जो ट्रस्ट निजी विश्वविद्यालय ला रहा है, उसकी वित्तीय स्थिति कैसी है, उस संस्था और ट्रस्ट का बैक-ग्राउण्ड क्या है, क्या वह शिक्षा के विस्तार और सृजन के लिए राजस्थान में आ रही है या धन कमाने के लिए राजस्थान में आ रही है। लेकिन, सभापति महोदय, आज पूरा सदन इसलिए चिन्तित है कि जिस तरीके से निजी विश्वविद्यालय लगातार राजस्थान में खुल रहे हैं, उनकी शिक्षा

(श्री ओम बिरला)

की गुणवत्ता, उनके मापदण्ड पर प्रश्न उठने लगे हैं। हमारी यही चिन्ता है कि राजस्थान के अन्दर जो शिक्षा की गुणवत्ता और मापदण्ड रहे हैं, उस शिक्षा की गुणवत्ता और मापदण्ड के अन्दर कभी हमारा स्तर नहीं गिरना चाहिए और जैसे और प्रदेशों के अन्दर बिना विद्यार्थी जाए हुए, बिना अध्ययन करे हुए डिग्रियां बांटी जाती हैं, वैसा राजस्थान के इस शिक्षण जगत में नहीं होना चाहिए।

यह ओ पी जे एस विश्वविद्यालय जो लाया जा रहा है, मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं, हो सकता है कि मैंने जल्दबाजी में पूरे विधेयक का एक-एक उद्देश्य, एक-एक अनुबंध नहीं पढ़ा हो, क्योंकि आपके पास सरकारी मशीनरी है, अतः मेरी जो भ्रांतियां हैं, मैं चाहूंगा कि जब आपका जवाब मिले, मुझे इस विश्वविद्यालय के बारे में मिले। इस विधेयक में धारा 4, विश्वविद्यालय के उद्देश्य के अन्दर यह लिखा हुआ है कि यह विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय भी हो सकता है, पत्रकारिता का कोर्स भी चला सकता है, पुलिस का कोर्स भी चला सकता है, मैनेजमेंट, लॉ, सी ए, सी एस, मेडिकल, फैशन डिजाइनिंग, जादू, लोक कला, फार्मेसी, मेडिकल शिक्षा, आयुर्वेदिक वेटेरिनरी एजुकेशन, तमाम तरीके के कोर्सेज इस विश्वविद्यालय के अन्दर होंगे।

सभापति महोदय, राज्य सरकार पहले से ही अपने विश्वविद्यालय ला रही है, जिसका एक क्रीड़ा विश्वविद्यालय का विधेयक आज है। पत्रकारिता का विश्वविद्यालय बना रहे हैं, पुलिस का विश्वविद्यालय बना रहे हैं। तमाम सेक्टर्स के तकनीकी विश्वविद्यालय हमने बनाये। अलग-अलग सेक्टर्स के अपन, अलग-अलग विशेषज्ञता के अलग-अलग विश्वविद्यालय सरकारी क्षेत्र में बनाये जा रहे हैं। इस निजी विश्वविद्यालय के अन्दर मेडिकल से लेकर तमाम कोर्सेज के लिए इसके इस उद्देश्य के अन्दर लिखा हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, सेक्शन 5 में, सामान्यतः रेगुलर यूनिवर्सिटीज के अन्दर हमेशा 3 वर्ष तक उसके कैम्पस के बाहर कभी भी दूरस्थ शिक्षा या अन्य शिक्षा के रूप में विश्वविद्यालय की ब्रांच खोलने का प्रावधान नहीं है, विश्वविद्यालय पृथक अन्य क्षेत्रों में खोलने का उपबन्ध करना, सीधा-सीधा यूनिवर्सिटी की फ्रेंचाइजी देना, अलग-अलग जिलों के अन्दर कैम्पस खोलना, सेण्टर खोलना, यह भी प्रावधान इसमें सेक्शन 5 में दिया गया है।

माननीय सभापति महोदय, हम पिछली बार भी इस सदन में चिन्ता कर रहे थे कि जिस तरीके से हम निजी विश्वविद्यालय खोलने के विधेयक यहां

(श्री ओम बिरला)

पास कर रहे हैं, उस सब की सदन की बार-बार चिन्ताएं थीं कि इन विश्वविद्यालयों को खोलने के बाद, इनके बिल पास करने के बाद कम से कम एक शिक्षा का आयोग बनना चाहिये, जो इन विश्वविद्यालयों के अन्दर जाकर यह देखें कि क्या यू जी सी के अनुसार वहां प्राध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं? अन्य स्टाफ, जो विश्वविद्यालयों की शिक्षा की गुणवत्ताओं के लिये, अलग-अलग कोर्सेज के लिये जो बच्चों को शिक्षा देने वाला है, उस इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्राध्यापक, प्रोफेसर पूरे हिन्दुस्तान में नहीं मिलते लेकिन मुझे सुखद अनुभव होता है कि राजस्थान के इन निजी विश्वविद्यालयों के अन्दर अलग-अलग कोर्सेज तो आपने बहुत सारे खोल दिये, ऐसे-ऐसे कोर्सेज खोल दिये, आजादी के 55 सालों तक सरकार जिन कोर्सेज को नहीं चला सकी, वे कोर्सेज इन निजी विश्वविद्यालयों ने खोलकर जिस तरीके से डिग्रियां बांटी जा रही हैं, पिछले दिनों भी अखबारों में आया है जिस तरीके से पीएच डी, एम फिल की डिग्रियां बांटी जा रही हैं, यह राजस्थान की शिक्षा के लिए चिन्ता का विषय है।

इसलिये, माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, चाहे आप सक्षम मंत्री हों लेकिन कभी-कभी सक्षमता दिखानी चाहिये, शिक्षा आयोग का गठन होना चाहिये। निजी विश्वविद्यालयों के अन्दर जिस तरीके से धन के आधार पर शिक्षा की गुणवत्ता, निर्धारित मापदण्डों को गिरा रहे हैं, उसके लिये आयोग बने और आयोग बनाकर किसी भी विश्वविद्यालय को इस राजस्थान के अन्दर डिग्रियां बांटना, बिना पढ़े मार्कशीट्स बांटना, बिना अधिकृत प्रोफेसर के किसी भी विश्वविद्यालय को यह खुली छूट देना, राजस्थान की शिक्षा के लिये यह उचित नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, इस एक्ट में प्रावधान और किया गया है कि अगर किसी विश्वविद्यालय को विघटित करना हो, तो विघटित करने के बाद उसकी जमीन, छात्रों की फीस और अन्य सम्पत्ति, सारी की सारी, उस संस्था को सुपुर्द करने का प्रावधान है, जबकि किसी विश्वविद्यालय के अन्दर, अगर कोई सरकार चेत जाए, खुले आम डिग्रियां बांटना क्रिमिनल केस बन जाए और सरकार उस विश्वविद्यालय को विघटित करने के लिये कानून बना दे..

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

क्या माननीय सभापति महोदय, बोलें ही नहीं क्या?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजो पहले।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): कोई टाइम बाउण्ड हो तो बता दें।

श्री सभापतिः आप विराजो। अगर इसी तरह से बहुत लम्बी डिबेट चली...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हां, तो 4 बजने दो ना, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापतिः 54 माननीय सदस्यों ने तो, अभी रिकार्ड के ऊपर नाम हैं जो कि अभी बोलेंगे। अब आप समय तय कर लो...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): टाइम तय हो तो बता दो।

श्री सभापतिः आप यह समय तय कर लो, आधा-आधा घण्टा चलानी है, एक-एक घण्टा, सारा सदन। तो चलाओ एक घण्टा...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हां, चलायेंगे ना।

श्री सभापतिः आप तय कर लो, सभी मिलकर। कर लो। समय है क्या, बताओ आप?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): इस बिल के...

श्री सभापतिः एक ही चीज को आप घुमा-फिराकर वही बोलते जाओगे तो कोई अर्थ नहीं रहेगा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मुझे कानून की एक किताब बता दो, नियम प्रक्रिया की, जिसमें लिखा हो कि इस बिल के अन्दर इतनी देर बोलना है। मैं तो कितनी ही देर बोल जाऊंगा, आप तय तो कर दो।

श्री सभापतिः यह सदन नियमों और परम्पराओं से चलता है...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हां, तो नियम, प्रक्रिया की किताब ही बता दो।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि आप...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, नियम प्रक्रिया की किताब बता दो।

श्री सभापतिः आप विद्वान हो, आप विद्वान हो, आपकी विद्वता को कोई चुनौती नहीं दे सकता...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): नहीं, कोई विद्वता नहीं है।

श्री सभापतिः लेकिन लम्बा-लम्बा बोलकर के मत बोलो।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मुझे जनता ने चुनकर भेजा है, संरक्षण करने के लिये भेजा है। आपसे संरक्षण करने की अपेक्षा करते हैं।

श्री सभापति: आप, माननीय सदस्य, लम्बा मत करो। आप जितना सारगर्भित बोलोगे उतना ही अच्छा...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हां, सारगर्भित ही बोलूंगा और मैं पूरे एक्ट के अनुसार ही बोल रहा हूं।

श्री सभापति: एक्ट के अनुसार तो, आपके दल के ही कम से कम 9 सदस्य और बोलेंगे।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, आप टाइम बांध दो हमारा, हम उतनी देर बोल लेंगे।

श्री सभापति: 3 मिनट।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): नहीं बोलेंगे, माननीय सभापति महोदय। नमस्कार।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री पेमाराम (धोद): यह कोई बात हुई?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, अगर इसी...

श्री सभापति: कितना लम्बा बोलना है, बोलो ना आप कि हम तो इतना-इतना घण्टे बोलेंगे। बोलो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): बोलने दो उनको। उनको कन्क्लूड तो करने दो।

श्री सभापति: पर, राठौड़ साहब,...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कन्क्लूड करने दो।

श्री सभापति: आप प्रतिपक्ष के उप सचेतक हो, आप यह बताओ कि कब तक, कितना-कितना लम्बा बोलते रहेंगे? आप तय कर लो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, हमें मौका कब मिलता है? आप तो हमको ऐसी बात बता दें, सरकार का...

श्री सभापति: अभी बहुत सारे मौके हैं जिस पर एक ही माननीय सदस्य 2-2, 3-3 बार बोलेंगे। मैं यह निवेदन कर रहा हूं आपको, मेरे पास लिस्ट है ना...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, नहीं, साहब, अधिकार है।

श्री सभापति: 3-3, 4-4 बार बोलेंगे एक ही विषय पर?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सब बिलों पर बोलेंगे, अधिकार है।

श्री पेमाराम (धोद): अलग-अलग हैं, विधेयक ही अलग-अलग हैं, बोलेंगे ही।

श्री सभापति: तो कह रहा हूं ना, आप विद्वान लोग तय कर लें।

श्री पेमाराम (धोद): एक साथ कितने ला रहे हो? कितने-कितने ला रहे हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, सदन के सम्मुख ओ पी जे एस विश्वविद्यालय, चूरू विधेयक, 2013 विचारार्थ प्रस्तुत है। यह विधेयक मूल रूप से सरकार ने जो 2 अगस्त को आर्डिनेंस जारी किया, उसका रिप्लेसिंग बिल है।

सभापति महोदय, इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन, उसके पैरा 3 में लिखा है कि ओ पी जे एस ट्रस्ट, रोहतक हरियाणा में 31.12.2009 को रजिस्टर्ड हुआ। कई शैक्षणिक संस्थाएं चला रहा है। अब यह हरियाणा का ट्रस्ट राजस्थान में शैक्षिक विकास के लिये योगदान देना चाहता है और इसके लिये मेरे गृह जिले में कूंजला गांव है, राजगढ़ में, वहां उन्होंने अनुसूची 1 में वर्णित भौतिक और शैक्षणिक अवसंरचनाएं, यानी कि इन्फ्रास्ट्रक्चर भी पूरा कर लिया। सभापति महोदय, मैं पिछले 25 वर्षों से उस जिले से विधायक हूं, घूमता-फिरता भी हूं, मुझे यह विश्वविद्यालय कहीं दिखा नहीं। मुझे शंका है, हरियाणा का एक ट्रस्ट 2009 के अन्दर रजिस्टर्ड होता है और राजस्थान की सरकार उसके लिये बिल ले आती है, कहीं इसके पीछे कोई दूसरा काले धन को सफेद धन करने की चाल तो नहीं है।

सभापति महोदय, यह निश्चित तौर पर सही बात है कि अब शिक्षा के सार्वजनिक-करण का समय आ गया है और यह भी सही है कि यह समवर्ती सूची का विषय है, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों को उच्च शिक्षा का स्तर सुधारने के लिये चिन्ता करनी पड़ेगी। इस देश के अन्दर उच्च शिक्षा के चिन्ताजनक हालात को देखते हुए यशपाल कमेटी बनी और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग भी बना। सभापति महोदय, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की रिपोर्ट यह कहती है कि इस हिन्दुस्तान के अन्दर प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के स्तर का सफर सिर्फ 7 परसेंट विद्यार्थी पूरा करते हैं और अब राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का यह लक्ष्य भी निर्धारित है कि 2015 तक इस 7 परसेंट को बढ़ाकर 15 परसेंट किया जाए। वर्तमान में इस देश के अन्दर 257 विश्वविद्यालय हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश को हम मानें, राजस्थान में जब हम देखते हैं तो सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र में 55 विश्वविद्यालय और 1,552 कालेज हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(18.00 बजे)

थोक के भाव से निजी विश्वविद्यालय खुल रहे हैं। इनके गठन के समय में जो शिक्षण समितियां बनती हैं, इसी विधेयक की धारा 3 में प्रबन्धन बोर्ड का उल्लेख किया गया है; विधेयक के खण्ड 11 में इस पूरे विश्वविद्यालय को चलायेगा कौन, उसके चेयरपर्सन के बारे में उल्लेख किया गया है; उसके एक प्रेसिडेंट होंगे, उसके बारे में उल्लेख किया गया है; इन सब पदों का उल्लेख कर दिया गया; इन निजी क्षेत्र के अन्दर, चाहे शिक्षण संस्था का संचालक हो, वाइस-चांसलर हो, चांसलर हो, प्रबंधक हो, चेयरपर्सन हो, प्रेसिडेंट हो, इनकी किसी क्वालिफिकेशन का जिक्र नहीं किया गया है। यह एक तरह से धन्ना सेठों का स्टेटस सिम्बल बन जायेगा क्योंकि इस एक्ट में कहीं कोई प्रावधान नहीं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं। हो क्या रहा है, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है।

सभापति महोदय, आज इन विश्वविद्यालयों में बी.एड., एम.एड., एम.बी.ए., फार्मेसी, एम.बी.बी.एस., इनकी डिग्रियों का व्यापार होना प्रारम्भ हो गया। कैपिटेशन फीस ली जाती है और रियायती दरों पर भूमि भी ली जाती है। इन संस्थाओं को जो मान्यता देती है, हमारे भारतीय स्तर पर मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया बनी हुई है, ए आई सी टी ई बनी हुई है; वह केतन देसाई का जिक्र आपने सुना होगा, कितने हजार करोड़ रुपये पकड़े गये उनके पास; अपने राजस्थान में नर्सिंग काउंसिल के एक लिपिक, महेश शर्मा के पास करोड़ों रुपये पकड़े गये। यानी, इनको मान्यता भी बिना मापदंड के मिल जाती है।

सभापति महोदय, आज हालत क्या हो गयी है, आज निजी क्षेत्र में राजस्थान के अन्दर, जिस तरह से इस बिल में भी जिक्र किया गया कि इंजीनियरिंग कालेज भी खोलेंगे; राजस्थान में 2012 में निजी क्षेत्र के अन्दर प्री-इंजीनियरिंग जो टेस्ट हुआ, जिसके द्वारा बच्चों को इंजीनियरिंग कालेज आबंटित करने थे, उसमें 71,494 छात्र प्री-इंजीनियरिंग टेस्ट में बैठे और 45,892 का प्रवेश हुआ, बाकी सीटें रिक्त रह गयीं। 36 परसेंट पर प्रवेश हो गया।

सभापति महोदय, एक तरफ अनुदानित शिक्षण संस्थाओं को जिस प्रकार से बंद किया गया, भामाशाहों द्वारा संचालित उन संस्थाओं को सिर्फ

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अनुदान सरकार को नहीं देना पड़े, उनके अध्यापकों का, उनके कर्मचारियों का समायोजन हो गया, वह लाखों, करोड़ों रुपयों की भूमि आज किस हालत में है? राजस्थान की राजधानी में कानोड़िया कालेज है, पारीक कालेज है, अग्रवाल कालेज है, इनको एक रुपये टोकन पर भूमि मिली थी, इस भूमि का उपयोग हो रहा है। क्या होगा, कैसे होगा, कौन उसका मालिक होगा, इसके बारे में कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

सभापति महोदय, मैं एक छोटी सी बात की ओर आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा, 2005 के अन्दर यू जी सी ने देश भर में पूरे कालेजों और विश्वविद्यालयों में ग्रेडिंग सिस्टम चालू कर दिया, 'नेक' जिसको कहते हैं, 'नेक' की ग्रेडिंग में, अपने राजस्थान में 1,552 कालेज हैं उनमें से सिर्फ 96 कालेज ऐसे हैं जो 'नेक' के मापदंड पूरे करते हैं; उनमें भी 'ए' श्रेणी सिर्फ 5 के पास है। उच्च शिक्षण संस्थाओं में रिसर्च और एकेडमिक एक्सीलेंस में हमारी क्या हालत हो गयी? मैं समझता हूं कि हमारा काम, सरकार का काम सिर्फ हो गया है कि लैटर ऑफ इन्टेंट जारी कर दें, विधान सभा में बिल पारित कर दें निजी विश्वविद्यालय का और उसके बाद भूल जाय। कोई रेग्यूलेटरी कमीशन नहीं है।

सभापति महोदय, इन विश्वविद्यालयों का हर वर्ष यू जी सी के द्वारा इंस्पेक्शन होना चाहिए, नहीं होता है। हालात क्या हैं, अभी डी आई सी है, दूरस्थ शिक्षा परिषद, इसने देश में 29 विश्वविद्यालयों का एफिलिएशन रद्द किया है, जिसमें 2 कोटा के हैं। अब इन विद्यार्थियों का क्या होगा?

सभापति महोदय, आपने देखा होगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय में इस बार परीक्षा केन्द्र, जिस तरह राजस्थान की सरकार इन दिनों स्थानान्तरण उद्योग में लगी हुई है, उस तरह परीक्षा केन्द्रों को बदलना चालू कर दिया। उच्च न्यायालय ने यह कहा कि नौकरशाह विश्वविद्यालय चलायें, इससे अच्छा है कि विश्वविद्यालय को बंद कर दिया जाये।

सभापति महोदय, ये जो हमारे विश्वविद्यालय सरकारी क्षेत्र में खुले हैं, मंत्री महोदय, आप इनकी चिंता करो तो जरा ठीक लगे। आपके 5 विश्वविद्यालय हैं, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, उसमें ए सी बी की जांच चल रही है कि नहीं चल रही है, कुलपति भंवर सिंह के खिलाफ, सिंडिकेट सदस्य जुगल काबरा के खिलाफ पी ई दर्ज है कि नहीं है; आपका दूसरा विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, तत्कालीन रजिस्ट्रार निष्काम

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

दिवाकर, परीक्षा नियंत्रक पी.एल. रैगर के खिलाफ पी ई चल रही है ए सी बी में; वर्धमान खुला विश्वविद्यालय, तत्कालीन रजिस्ट्रार बी.एस. शर्मा, इनके खिलाफ जांच चल रही है; कोटा विश्वविद्यालय, कोटा, कुलपति मधुसूदन शर्मा के खिलाफ जांच चल रही है और राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, जोधपुर, इनके कुलपति के खिलाफ भी जांच चल रही है। यह आपकी ए सी बी कर रही है। कर क्यों रही है? क्योंकि आपकी सरपरस्ती में, कुछ मेरे लगा लेना, कुछ तेरे लगा ले, कुछ मेरे भतीजे को लगा लो। आपने भाई-भतीजावाद को बढ़ावा देकर के बिना योग्यताधारी अध्यापकों को भर्ती कर रखा है। उसी के कारण से, यह मैं नहीं कह रहा, यह आपकी खुद की ए सी बी कह रही है। मैं सोचता हूं कि इस पर आपको निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए।

मंत्री महोदय, मैं लम्बी बात नहीं कहूंगा लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि क्या यह सही है कि 5 अक्टूबर, 2011 को आपके पास एक शिकायत आयी थी कि जो निजी विश्वविद्यालय हैं, पेसिफिक यूनिवर्सिटी आफ हायर एजुकेशन; निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर; सिंघानिया यूनिवर्सिटी पचेरी कलां, झुंझुनूं, भगवत विश्वविद्यालय; और झाबरमल टिबरीवाला विश्वविद्यालय, झुंझुनूं; एक स्टिंग आपरेशन हुआ था, देश के एक चैनल ने किया था, पीएच डी की डिग्रियां कैसे दी जाती हैं, वह सारा का सारा उस चैनल ने दिखाया था। आपने जांच की और, मंत्री महोदय, मेरी बात पर गौर फरमायेंगे आप, इन पांचों विश्वविद्यालयों की जो जांच आपने जोइंट डायरेक्टर की चेयरमैनशिप में प्रारम्भ की थी, उसमें यह पाया गया कि स्टिंग आपरेशन बिलकुल ठीक था, ये फर्जी पीएच डी की डिग्रियां बांट रहे हैं। आप जांच दबाकर बैठ गये। मैं समझता हूं कि इस पर भी आपको विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, यही नहीं, भूमि आबंटन के बारे में हमारे सत्ता पक्ष में बैठे लोग कई तरह की चर्चा करते हैं। आप तो बड़े पारदर्शी हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि 14 अप्रैल, 2013 को महर्षि अरविन्द भारतीय विश्वविद्यालय, मूंडियासर तहसील, जयपुर को आपने 30 एकड़ जमीन डी एल सी पर कैसे दे दी? आपने बियानी शिक्षण संस्था, कालवाड़, जयपुर को 40 बीघा जमीन डी एल सी पर दे दी; मणिपाल प्राइवेट लिमिटेड, दहमी कलां, बगरू को आपने 33 हैक्टेयर एक जमीन दी, कुल 55.92 हेक्टेयर जमीन डी एल सी पर दे दी। यह लूट नहीं तो क्या है? आज हालात क्या बना रखे हैं आपने।

सभापति महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करके बात समाप्त कर रहा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हूं कि यह राजस्थान विश्वविद्यालय में आपने एक प्रोफेसर सोमदेव कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने आकलन किया कि शिक्षा की दृष्टि से, कार्यभार के हिसाब से कितने पद खाली हैं। 400 पद खाली हैं आपके पास अध्यापकों के, प्राध्यापकों के। आपने भर्ती चालू की और आपने कहा कि यू जी सी का जो 2009 का पैटर्न है, यानी पीएच डी से पहले 'नेट' और 'सेट' होना चाहिए, आपने उन लोगों को पात्र माना। आज यू जी सी के नये पैटर्न से एक भी विद्यार्थी पीएच डी किया हुआ नहीं है। उसके बाद, आपने उस पुराने पैटर्न के आधार पर जोधपुर विश्वविद्यालय और उदयपुर विश्वविद्यालय में तो भर्ती कर ली, राजस्थान विश्वविद्यालय में भर्ती क्यों नहीं की? 14 मार्च, 2012 को राजस्थान विश्वविद्यालय का सिंडिकेट यह फैसला करता है कि पुराने पैटर्न पर जिन्होंने पीएच डी की है, वे पात्र हैं। लोगों की जिन्दगियां निकल गयीं और अक्टूबर, 2012 में, थोड़े दिनों बाद आप उसको वापस विथड्रा कर लेते हैं। यह बंदरबाट नहीं हो रही है तो क्या हो रहा है? आप राजस्थान के अन्दर दोहरे कानून नहीं बना सकते, जोधपुर विश्वविद्यालय में अध्यापकों की भर्ती के दूसरे कानून, उदयपुर विश्वविद्यालय में भर्ती के दूसरे कानून।

मैं समझता हूं, मंत्री महोदय, आपके नाम के आगे 'डाक्टर' लगता है, यह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो अराजकता का वातावरण है, आपके पास नियंत्रण ही नहीं है। आपके अधिकारी स्थानान्तरण कर देते हैं बिना आपके अनुमोदन के, उसके बाद आप अचानक रोक देते हो। मैं समझता हूं कि 'डाक्टर' शब्द जब आपके नाम के आगे लगता है तो कम से कम इस बात को लेकर के तो कलंकित मत हो कि राजस्थान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इन निजी विश्वविद्यालयों को जमीन देने का काम करो। इनके कानून को आप पास तो करा रहे हो लेकिन रेग्यूलेटरी कमीशन बनाने में क्यों डर रहे हो? इनकी फीस पर नियंत्रण करने में क्यों डर रहे हो? इनकी सीटों पर कोई नियंत्रण नहीं है, जितना मर्जी ये भर लें। कुछ ऐसा करके जाओ, डाक्टर दयारामजी, ताकि लोग आपके नाम से आपको याद रखें।

श्री सभापति: डा. दिगम्बर सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रोहिताश कुमार।

(अनुपस्थित)

श्री घनश्यामजी तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, आज भी विश्वविद्यालयों के बिल हैं, कल भी विश्वविद्यालयों के बिल हैं। अब यह विश्वविद्यालय के बारे में मैं आपसे दो-तीन बात निवेदन करना चाहूंगा। प्राइवेट विश्व विद्यालयों की शुरुआत हमने की, मैंने ही की, मैं शिक्षा मंत्री था, पहले हमने एक बिल बनाया, बिल में हमने एक तय किया कि हम एक बिल बनायेंगे और फिर उस लिस्ट में डालते जायेंगे। वह हाई कोर्ट ने स्टे किया, हम सुप्रीम कोर्ट में गये। फिर हमने अलग-अलग विश्वविद्यालयों के लिए अलग-अलग बिल लाने की प्रक्रिया शुरू की, वह प्रकिया आपने भी शुरू की लेकिन हमने उसमें दो प्रावधान किये थे, उनको आपने उलट दिया। जब तक उच्च शिक्षा मंत्री का प्रभार मेरे पास था, एक भी विश्वविद्यालय को भूमि आबंटन करने की सिफारिश हमने नहीं की और हमने प्रावधान किया था कि 30 एकड़ जमीन वह विश्वविद्यालय लेकर आयेगा।

ये प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, ये विश्वविद्यालय किसी को आर्थिक सहायता नहीं दे रहे हैं, किसी गरीब को पढ़ाने के लिए नहीं हैं। हम उच्च शिक्षा का विस्तार चाहते हैं, प्राइवेट विश्वविद्यालय चाहते हैं लेकिन सरकार अगर इनको जमीन देती है तो उसकी एवज में सरकार इनसे क्या लेती है, यह आपने कहीं नहीं बताया। आपने इतनी जमीनें इनको दी हैं। (व्यवधान) नहीं दीं? अभी माननीय राजेन्द्रजी कह रहे थे...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैंने सूची प्रस्तुत की है, जांच करवायेंगे आप? नहीं, जांच का आप कह दो न। आप कह रहे हो, हमने नहीं दी; मैं कह रहा हूं, आपने जमीन दी है। मैं सूची दे रहा हूं आपको।

श्री सभापति: चलो, वह जवाब दे देंगे।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): करोड़ों की जमीन दे दी मणिपाल को।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मणिपाल यूनिवर्सिटी को दी है दहमी में; जमीन दी है, दहमी में दी है; वह जमीन जो हमने अंतरराष्ट्रीय उसके लिए रखी थी, उस जमीन में से उसको जमीन दी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जमीन अगर देते हैं ...(व्यवधान) यह ठीक है, डिपार्टमेंट तो आपका है न, आपके माध्यम से जाता है। (व्यवधान) देखिये, अरविन्द भारती विश्वविद्यालय को मुडियासर में, बियानी शिक्षण समिति को कालवाड़ रोड पर दी है, मणिपाल प्राइवेट यूनिवर्सिटी को दहमी कलां, बगरू में दी है। इसी प्रकार, कई जमीनें दी हैं, वे डी एल सी रेट पर दी हैं। विभाग ने दी होगी, मुख्य मंत्रीजी ने दी होगी,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

राजस्व मंत्रीजी ने दी होगी, वह भूमि दी है लेकिन भूमि देने के साथ आपने रखा क्या है? मणिपाल यूनिवर्सिटी केवल यहां पर नहीं है।

तीन प्रावधान उसमें किए थे, पहला तो यह था कि विश्वविद्यालय बनाने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए, विश्वविद्यालय बनाने वाला शिक्षण संस्थान होना चाहिए, जो विश्वविद्यालय चलाये; यहां पर जो काम हो रहा है, वह प्राइवेट व्यक्ति विश्वविद्यालय बना रहा है। तो व्यक्ति जो विश्वविद्यालय बना रहा है और एक संस्था विश्वविद्यालय बनाये, उसमें फर्क है। इसलिए मैं आपसे पहले तो आग्रह यह करना चाहता हूं कि जो प्राइवेट विश्वविद्यालय बनें, वे एजुकेशन इंस्टिट्यूशंस बनायें, उसकी बात हमें समझ में आती है लेकिन एक व्यक्ति बनाये, उसकी बात समझ में नहीं आती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रोफेसर यशपालजी की याचिका पर यह फैसला दिया। दूसरा फैसला यह किया कि यह 30 एकड़ जमीन लायेंगे; तीसरा यह किया कि एण्डोमेंट फण्ड के रूप में दो करोड़ रुपये जमा करायेंगे, उस दो करोड़ रुपये को घटाकर आपने एक करोड़ रुपये कर दिया। वह दो करोड़ रुपये सुरक्षा के लिए रखा था, जो कर्मचारी काम करे, जो कोई काम करे, उसकी सुरक्षा हो। उसके अलावा, उसमें इतना इन्फ्रास्ट्रक्चर हो, तीन विश्वविद्यालयों की कमेटी जाये और तीन विश्वविद्यालयों की कमेटी जाकर उसका निर्णय करे, इसके बाद विश्वविद्यालय बनने चाहिए।

अब विश्वविद्यालय बनता है तो विश्वविद्यालय में क्या स्थिति होनी चाहिए, तो ज्ञान आयोग बना भारत सरकार का। सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में उस ज्ञान आयोग ने सिफारिश की कि भारत में तुरन्त 1,500 विश्वविद्यालय चाहिये। 300 सरकारी यूनिवर्सिटी मिलाकर हैं तो 1,200 विश्वविद्यालय सरकार बनाये, यह सम्भव नहीं था, इसलिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का प्रादुर्भाव हुआ।

लेकिन ये प्राइवेट विश्वविद्यालय किस चीज में आयें और यह क्या काम करें, इसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं। सारे हिन्दुस्तान भर में मेडिकल में भर्ती के लिए एक परीक्षा होती है, पी एम टी, जो भारत सरकार भी करती थी और वह सारी यूनिवर्सिटीज में उनको भेज देती थी। अभी पिछले दिनों, जाते-जाते सुप्रीम कोर्ट के अभी जो न्यायाधीश थे, रिटायर हुए, क्या नाम था उनका...(व्यवधान) अल्तमश कबीर, उन्होंने लास्ट दिन, जाते-जाते फैसला कर दिया कि ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनी हुई हैं, ये खुद ही परीक्षा लें और खुद ही मेडिकल वालों की भर्ती कर लें। यह इतना गलत फैसला हुआ

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हिन्दुस्तान में कि दुकानें बन जायेंगी। सरकार सबको भर्ती करती, सरकारी मेडिकल कालेजों में कुछ लोगों को भेजती और बचे हुए लोगों को, मेरिट के आधार पर लिस्ट इन प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज के कालेजों में देती या प्राइवेट मेडिकल कालेजों को देती, वह उसके हिसाब से उनको भर्ती करते और आपके फीस का भी सरकार तय करती। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से फैसला करा लिया। तो उस फैसले पर प्रश्न चिह्न भी लगा है और उस फैसले के खिलाफ रिविजन, स्वयं सुप्रीम कोर्ट के नये चीफ जस्टिस आये, उन्होंने इसके रिविजन का भी कुछ फैसला करके, रिविजन कर रहे हैं, पुनरीक्षण कर रहे हैं। उसके लिए ये इस प्रकार के फैसले हो रहे हैं।

इसलिए विश्वविद्यालय के लिए तीन-चार बात आप तय करें, माननीय मंत्रीजी। पहला यह कि नियामक आयोग इनका बनना चाहिये। अगर इन पर नियंत्रण वाली बाडी नहीं होगी तो इन विश्वविद्यालयों के बारे में किसी को पता नहीं होगा, किस विश्वविद्यालय में कैसी डिग्री देंगे।

दूसरा, इसमें यह तय होना चाहिए, इनका एक एक्रेडिटेशन सिस्टम होना चाहिए और सरकार को हर साल इनके एक्रेडिटेशन की लिस्ट जारी करनी चाहिए कि यह एक नम्बर की यूनिवर्सिटी है, दो नम्बर की यूनिवर्सिटी है। अब जो यूनिवर्सिटी आती है, वह लिखती है, भारत की नम्बर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अब उसके भरोसे में जाकर लोग वहां पर एडमिशन लेते हैं। इसलिए उनके एक्रेडिटेशन का सिस्टम होना चाहिए।

तीसरा, फैकल्टी के बारे में तय करना चाहिए कि इनकी फैकल्टी ठीक हो।

चौथा और सबसे बड़ा काम है, वह करने के बाद, जब तक सरकारी विश्वविद्यालय, वे इससे बढ़िया स्टेज के नहीं होंगे तब तक इन विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता नहीं बढ़ेगी। गरीब आदमी कोई विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ेगा; कोई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो गरीब लोग होंगे, या अन्य इकोनोमिकली बैकवर्ड कम्यूनिटी के गरीब लोग होंगे, ओबीसी के लोग होंगे, वे इनमें नहीं जा पायेंगे; किसी वर्ग के नहीं जा पायेंगे। इसलिए सरकारी विश्वविद्यालय, उनकी मजबूती करना आपको जरूरी है। उनको आप मजबूत करें। वे आज बहुत खराब हालत में हैं।

अब राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थिति, सभापति महोदय, 5 वर्ष से लगातार इन्टरव्यू निकल रहे हैं, एप्लिकेशंस मांग रहे हैं और आज तक उनके

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इन्टरव्यू नहीं हुए। आप ये इन्टरव्यू तो नहीं कर सकते। पहले यह तय था कि 'स्लेट' है, 'नेट' है और पीएच डी की हुई है, अब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने जिस दिन आदेश निकाला कि प्री-पीएच डी की परीक्षा होने के बाद पीएच डी होगी, तो उसके पहले वाले जो लोग, वे लोग अब प्री-पीएच डी कैसे करेंगे; तो उनकी आपने आदेश में छूट कर दी, जोधपुर में, क्योंकि मुख्य मंत्रीजी के वहां पर भर्ती होनी थी, वह छुट्टी हो गई। अब जयपुर में यदि भर्ती होनी है, उसमें समस्या क्या है? यहां कोई मुख्य मंत्री नहीं है तो क्या पाप किया है जयपुर के लोगों ने? जिनको छूट देते हैं, अपने आप मुख्य मंत्री बनायेंगे। (व्यवधान) हां, मैं कोशिश करूंगा। पहली बात यह है कि इसकी आप जांच करें; सब पर एक सा नियम लागू करें, जो नियम जोधपुर में लागू किया, उदयपुर में लागू किया, वह आप जयपुर में भी लागू करें। एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अब जो नई पीएच डी कर रहे हैं, उनके लिए आप करें; आप उनके लिए इस नियम को लागू करें।

सारे विश्वविद्यालयों की, सारे विश्वविद्यालयों की एक समीक्षा करें। सारे राजस्थान के विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, उदयपुर विश्वविद्यालय, जितने अपने पहले 16 थे, और नए खोल रहे हैं, आप उनमें और जो प्राइवेट खोल रहे हैं, आप अब नए सरकारी खोल रहे हैं, वे मजाक कर रहे हैं। पहले कह रहे थे कि वे परीक्षा ले लेंगे, अब उनको परीक्षा का अधिकार नहीं है। यह सिस्टम गड़बड़ा रहा है। इसलिए सारे सिस्टम को ठीक करने की आवश्यकता है। आपने शेखावाटी विश्वविद्यालय कह दिया; आपने मत्स्य विश्वविद्यालय कह दिया; आपने बृज विश्वविद्यालय कह दिया; कह तो दिया पर हमारे गोविन्द सिंहजी डोटासरा, हमारे वहां के जिलाध्यक्ष थे कांग्रेस के और एम एल ए भी हैं, उन्होंने कह दिया, विश्वविद्यालय आ गया; आ तो गया, परीक्षा तो राजस्थान विश्वविद्यालय ले रहा है। कहां से आ गया? हम भी करते-करते छोड़ गये और आप भी करते-करते छोड़े जा रहे हो, विश्वविद्यालय प्रारम्भ नहीं हो रहे हैं।

आपने खेल विश्वविद्यालय की झुंझुनूं में घोषणा की, हम सब ने उसका वह किया लेकिन वह खेल विश्वविद्यालय कहां बना? आखिर, आप देखिए, झुंझुनूं जिले के लोग और वह झाझड़ियाजी और ताखरजी, जिस प्रकार से उन्होंने सब पदक प्राप्त किये हैं, वहां अगर खेल का विश्वविद्यालय बढ़िया, फर्स्ट क्लास बन जाए और वह बन जाता तो आज हमको कितना बड़ा लाभ मिलता। आज जब

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हम शर्म से लौट कर आते हैं, ओलम्पिक से, वह इसलिए आते हैं कि हमारे यहां पर जो प्रतिभाएं गांवों में छुपी हैं, उनको तो खेलने-कूदने का मौका मिलता ही नहीं। वह लिम्बाराम आपके यहां से एक आ जाता है, तो चला जाता है; बाकी लिम्बाराम कहां हैं? इसी प्रकार, झाझड़ियाजी जो कोई झुंझुनूं से आ जाए तो आ जाते हैं, बाकी झाझड़ियाजी कहां से आ जाएं? वह खाटू श्याम जी के पास ताखर आ गया और वह अपना बेचारा बिना नदी के, नदी में तैरना सीख कर गोल्ड मेडल भारत को लाकर दे दिया, अपने बलबूते पर आए हैं।(व्यवधान) घुड़लका, बता रहा हूं, वे आ गये तो वह कर करा-कर के आ गये, वे तो खुद अपने बलबूते पर, उस पर आ रहे हैं। हमारे जो पहलवान जीत कर आए हैं तो उनका इंटरव्यू आया था, हरियाणा के पास, वह जीत कर आए हैं, उन्होंने कहा कि बचपन से मेरे मां-बाप कहते थे कि बेटा, तुझे यह भैंस दे रहे हैं, तू इसको पाल, इसका दूध काढ़ और पी, और पहलवानी की। तो वे तो घर की भैंस का दूध पीकर, पहलवानी करके आपको गोल्ड मेडल लाकर दे रहे हैं। सरकार इसके लिए क्या प्रयत्न कर रही है? तो खेल विश्वविद्यालय नहीं खोल रही है।

आज यदि गौरक्षा की यह बात चली, आपने बीकानेर में पशु-विज्ञान विश्वविद्यालय की बात की, खोला भी लेकिन उस विश्वविद्यालय के लिए किया क्या? गायों के लिए नस्लों में जो कमी आ गई, उसके लिए प्रयत्न किया? अब बछड़ों की एक बहुत बड़ी बात यहां पर आ रही है, उन्होंने एक टीका, पंजाब वालों ने, यूनिवर्सिटी इजाद कर रही है, हमारे यहां भी इजाद करने की आवश्यकता है। मैं खुद जाकर वहां पर यूनिवर्सिटी में कहकर आया था कि भाई, आजकल एक नया टीका विकसित हो रहा है, उस टीके के बाद में वह जो सांड है, उसको टीका लगाने पर आम तौर पर 20 परसेंट बछड़े पैदा होंगे, 80 परसेंट बछड़ियां पैदा होंगी। तो वह अगर ईजाद करते तो यह बछड़ों की समस्या जो आज हमारे यहां आ रही है, वह नहीं आती।

उसी प्रकार से, जो हमारी प्योर नस्ल की गायें हैं, उनकी नस्ल खराब हो रही है। उसके लिए तो अलग से विश्वविद्यालय बना हुआ है।

अब आप एक उदाहरण सुनकर आश्चर्य करेंगे, अभी जो तीन गायें दुनिया भर में बेस्ट दूध देने वाली आई हैं, वे तीनों आईं ब्राजील की और न्यूजीलैंड की और तीनों फर्स्ट, सेकण्ड, थर्ड गिर नस्ल की थीं, वह अंग्रेजों ने कटने के लिए उन गायों को वहां भेजा था। वे गाय ब्याने वाली थीं, वे ब्याईं;

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उन्होंने उनको काटा नहीं और उनकी बछियाओं को पाल कर इतना बड़ा काम किया। अब गुजरात की सरकार उनको अपने यहां वापस आयात कर रही है, नस्ल।

यह सारा कार्यक्रम उस पशुविज्ञान विश्वविद्यालय, मतलब, विश्वविद्यालय जो हम बनाएं, वे कोई अनुसंधान करें; अनुसंधान का काम करेंगे तो विश्वविद्यालय हैं और अनुसंधान का काम नहीं करते तो फिर कालेज ही बोलते हैं। विश्वविद्यालय नाम देने की आवश्यकता ही क्या है उसको? इसलिए जो आज यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, वे विश्वविद्यालय क्या अनुसंधान कर रहे हैं? आज प्राइवेट सेक्टर में इसलिए दे रहे हैं न कि हमारे पास संसाधन नहीं हैं, संसाधन जुटा कर ये कोई न कोई खोज करेंगे, वह करेंगे? क्या कर रहे हैं ये? क्या यह सही है कि अनुसंधान कर रहे हैं, अनुसंधान के लिए क्या पैसा रख रहे हैं? इसलिए जब तक ये अनुसंधान नहीं करें, ये टेक्निक नहीं खोजें, तब तक इस प्रकार के विश्वविद्यालय की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि यह करते समय विश्वविद्यालयों को इस बात के लिए पाबंद करें।

एक ज्वलंत समस्या और है, उसको कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। यह विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव हुए, कौन हारा, कौन जीता, इसमें मैं नहीं जा रहा हूं, कई जगह बंद हो गये, दुकानें जल गईं, मारपीट हो गई, सारा काम हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने लिंगदोह समिति बनाई, लिंगदोह समिति की सिफारिश थी, लिंगदोह समिति की सिफारिश के आधार पर अगर चुनाव होते तो एक भी जगह इस प्रकार की घटना नहीं घटित हुई होती। लोगों का जनजीवन समाप्त हो गया; दौसा में 16-16 किलोमीटर की लाइन लग गई; लोगों की दुकानें जल गईं; सब जल गया; अब आखिर आप लिंगदोह समिति की सिफारिश को लागू क्यों नहीं कर पाये? मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप पूछिए उन विश्वविद्यालय और कालेज वालों से कि कहां-कहां लिंगदोह समिति की सिफारिशें लागू हुईं? नहीं हुईं। कहां मारपीट हुई? कितनी घटनाएं घटीं? आखिर थोड़े दिनों में फिर लोग किसी न किसी कोर्ट में चले जाएंगे, फिर आपके चुनाव बंद हो जाएंगे। आप उच्च शिक्षा मंत्री हैं, इसलिए आप इस बात का ध्यान करें।

मैं प्रमुख रूप से यह बात कहना चाहूंगा, चारों विश्वविद्यालयों पर बोलने की जरूरत नहीं है, अलग-अलग, आगे जो लोग बोलेंगे वे बोलेंगे; मूल रूप से प्राइवेट विश्वविद्यालय बनें लेकिन अनुसंधान के केन्द्र बनें। सरकार की

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अगर सहायता लेते हैं तो गरीब लोगों के लिए क्या करने वाले हैं, उसका उससे समझौता करें; एक्रेडिटेशन का सिस्टम तैयार करें; और निगरानी आयोग बनाएं, तब तो इनको बनाने की कोई बात होगी, समस्या का समाधान होगा वरना दुकानें बन जाएंगी और दुकानें ठीक नहीं हैं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री देवी सिंह भाटी।

श्री पेमाराम जी।

श्री पेमाराम (धोद): सभापति महोदय, जहां तक विश्वविद्यालय खोलने का सवाल है, क्योंकि कल भी इन्हीं प्राइवेट विश्वविद्यालयों के लिए सरकार ढेर सारे कानून लाई और उन कानूनों के द्वारा जो विश्वविद्यालय खोलने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, मैं समझता हूं कि सरकार की अपनी लोक कल्याण की जो नीति थी, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी थी, अभी इसी शासन में, सरकार ने गत टाइम में घोषणा की थी शेखावाटी विश्वविद्यालय की, शेखावाटी विश्वविद्यालय कह गये, लेकिन शेखावाटी विश्वविद्यालय उस इलाके की धरती पर आज तक तो नहीं आया और शायद मैं समझता हूं कि यह सरकार आखिरी सांस ले रही है, इस सरकार के समय में शेखावाटी विश्वविद्यालय की तो विद्यार्थियों की परीक्षाएं होना सम्भव नहीं है। सरकार को अपने को जो काम करना चाहिए, जिन जिम्मेदारियों पर रहना चाहिए, सरकार वह काम नहीं कर पा रही है।

सरकार को भी दिख रहा है, हरियाणा का कोई ट्रस्ट है और चूरू में खोलेंगे और 30 सब्जेक्ट्स, जिनमें सारे के सारे सब्जेक्ट हैं और 30 सब्जेक्ट्स की एक बहुत बड़ी दुकान खोल देंगे। क्या फीस होगी, किस तरह के टीचर होंगे, किस तरह का ढांचा होगा, क्यों रूला रहे हो? दो तरह का कर दिया, गरीब के लिए अलग शिक्षा की व्यवस्था कर दी, अमीर के लिए अलग कर दी। यह तो बिकाऊ दुकान है, जिसकी जेब में पैसा होगा, वह इस दुकान से सामान खरीदने के लिए जाएगा। यह कोई विश्वविद्यालय थोड़े ही होगा।

आप इनको राजस्थान के लोगों को लूटने की छूट देने का कानून बनाने का काम कर रहे हो; मंत्री महोदय, राजस्थान की जनता का उपकार नहीं कर रहे हो। आपकी जिम्मेदारी बनती थी, सरकार राजस्थान की जनता की सेवा करने का काम करती तो राजस्थान सरकार ने जो घोषणाएं की हैं, तीन के बजाए एक भी विश्वविद्यालय बनाती राजस्थान में और इसको धरती पर उतार देती और उसमें सारी समुचित व्यवस्थाएं करती, तो शायद यह हो पाता कि

(श्री पेमाराम)

पांच साल में एक विश्वविद्यालय बनाने का काम तो सरकार ने किया है। पिंड छुड़ाने का काम कर रही है और उच्च शिक्षा में पिंड ही नहीं, अराजकता की स्थिति है।

जहां हम बात करें बराबरी की, तो क्या गरीब का बेटा पढ़ने के लिए चला जाएगा? वह नहीं जा पाएगा। उसके पास पैसा नहीं होगा और ये विश्वविद्यालय छूट नहीं देंगे, ये उनको छात्रवृत्ति नहीं देंगे।

यह किसी तरह से, अपनी मनमर्जी से; मतलब, वह सारा का सारा दे दें आपको, 30 तरह का सब कुछ दे दिया, इसमें चिकित्सा भी दे दिया और पशु चिकित्सा भी दे दिया और सब तरह की छूट देना, या तो, मैं कहूं कि सरकार इस तरह से निजी हाथों में देकर के, उनको मालामाल करने के लिए, सरकार उनकी कठपुतली का काम करने जा रही है। क्योंकि उसका नियंत्रण करने के लिए या तो सरकार पहले कानून बनाती, प्राइवेट विश्वविद्यालय खोलने जा रहे हैं लेकिन इनको कंट्रोल कैसे करेंगे, नियंत्रण कैसे करेंगे, यह कानून लाते आप; उससे पहले कंट्रोल करने का कोई कानून लाते तो बात समझ में आती है, लेकिन कंट्रोल करने का आपके पास कोई कानून नहीं है, कोई कायदा नहीं है और सारी की सारी लिखित में छूट देने जा रहे हो। ऐसी सोच में, मंत्री महोदय, यह राजस्थान की उच्च शिक्षा में जो अराजकता की स्थिति पैदा करने जा रहे हो, निजीकरण के प्रस्ताव पर तेजी के साथ आप बढ़ते जा रहे हो, उसका असर समाज पर आएगा और वह समाज में भी अराजकता की स्थिति हो जाएगी।

अभी अध्यापकों की भर्ती की, इन विश्वविद्यालयों में तो गारंटी है क्या, किस तरह से अध्यापक आएगा; उसकी तनख्वाह क्या होगी; ये जो खोलने वाले लोग हैं, तो क्या जो कर्मचारी हैं, उनका आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण या सामाजिक शोषण नहीं करें, उसके लिए इस कानून में हमने पढ़ा है, कोई प्रावधान नहीं है; उनको कंट्रोल करने का, उनको तनख्वाह देंगे कि नहीं देंगे और नहीं देंगे, तो वे फरियाद लेकर कहां जाएंगे राज्य सरकार के पास? राज्य सरकार ने कंट्रोल करने के लिए कोई बाडी बनाने का काम ही नहीं किया। राज्य सरकार तो पिण्ड छुड़ा रही है। राज्य सरकार कह रही है कि जनता को उच्च शिक्षा देने के लिए राजस्थान की सरकार के खजाने में पैसा नहीं है, इसलिए ''राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट'', जो कोई आयेगा उसी के लिए कानून बनाने का काम कर रहे हैं।

यह कानून तो इसलिए बन रहा है कि बहुमत आपके पास है। मंत्री

(श्री पेमाराम)
महोदय, कानून तो बन जाएगा लेकिन आने वाले समय में राजस्थान की जनता, क्योंकि इससे पहले कानून बनाकर, कल बिजली के सवाल पर आया था कि कानून बनकर, कम्पनियां टूट कर जिस तरह से लोगों को लूट रही हैं, तो यह भी एक लूट ही तो है। लूटने के लिए आप पूरी तरह से कानूनन छूट देने का जो काम कर रहे हो, उसके लिए, मैं समझता हूं, अभी इस यूनिवर्सिटी के बिल को लाने की आवश्यकता नहीं थी।

अभी तो आप आखिरी सांस में हो, जाने वाले हो, चुनाव आयेगा, फिर पता नहीं कि कौन आयेगा, कौन नहीं आयेगा, वह बाद की बात है पर अभी तो राजस्थान की जनता में इसको जनमत जानने हेतु परिचालित करने के लिए इस बिल को भेजा जाना चाहिए। यही मैं उम्मीद करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अमराराम जी।

श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

प्रभारी मंत्रीजी।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय खोलने की परम्परा एक सेपरेट एक्ट के माध्यम से अपनाई गई है। इसके पीछे तात्कालिक सरकार का सोच यह रहा कि हमारे प्रदेश के विद्यार्थी राजस्थान में जो शिक्षण की सुविधाएं होनी चाहिए, टेक्निकल एजुकेशन, हायर अनुसंधान, उनकी सारी व्यवस्थाएं नहीं होने से अन्य प्रदेशों में जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे और इसी सोच के आधार पर राजस्थान में प्राइवेट यूनिवर्सिटी का रास्ता खोला। खोलने के बाद अभी तक हम 36 निजी विश्वविद्यालय खोल चुके हैं। सरकार के विश्वविद्यालय अलग हैं। इसमें कई तरह के सुधार की आवश्यकता है। जब रास्ता खोल दिया तो इस रास्ते को बन्द करने के लिए या तो सदन इसका निर्णय करे कि इसके बाद में प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं खुलेंगी, या फिर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुसार 75 विश्वविद्यालय राजस्थान में हो सकते हैं, उस सीमा तक हम पहुंच जाएं, तब जाकर रुकावट हो सकती है।

यह बात बिलकुल सही है कि यूनिवर्सिटी हम जो खोल रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में कोई संस्था नहीं है। इसलिए हमने लास्ट सत्र में भी कहा था, अभी फिर से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रेग्यूलेटरी कमीशन बनाने के लिए प्रक्रियाधीन है और जैसे ही रेग्यूलेटरी कमीशन बन जाएगा तो विश्वविद्यालयों को कंट्रोल करने के लिए, कि किस तरह का

(डा. दयाराम परमार)

अनुसंधान कर रहे हैं, कोई फर्जी डिग्रियां तो नहीं बांट रहा है, उस पर सारा कंट्रोल हो जाएगा। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इनको कंट्रोल करने के लिए रेग्यूलेटरी कमीशन बनाना प्रक्रियाधीन है और शीघ्र ही हम उस पर फैसला करके रेग्यूलेटरी कमीशन लागू करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने जनरल कई तरह की बातें कही हैं लेकिन इन जनरल बातों के साथ में जो आज हमने विधेयक पेश किया है ओ.पी.जे.एस. विश्वविद्यालय, चूरू विधेयक, 2013 का, यह यूनिवर्सिटी बनाने के लिए हमारे जो कुछ नार्म्स बने हुए हैं, कि संस्था रजिस्टर्ड हो, यह जो संस्था है यह रजिस्टर्ड संस्था है; उसके पास 30 एकड़ जमीन चाहिए, तो जमीन है; और इसके अलावा, और भी जो कुछ आवश्यकताएं यूनिवर्सिटी के लिए हैं, वह सभी फुलफिल करती हैं।

इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो छह महीने के लिए जनमत जानने के लिए प्रस्ताव रखा है, उसको निरस्त किया जाए और इस विधेयक को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: मंत्री महोदय, यह तो आप भी मानेंगे न कि ये जो विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं, उन पर सरकार का नियंत्रण नहीं रह पाता? जिससे कई बार परेशानी तो सरकार को आती है और जो मंत्री और विधायक इसके समर्थन में रहते हैं, वे भी इन विश्वविद्यालयों में कभी किसी तरह की अनियमितता हो, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आप यह जो रेग्यूलेटरी कमीशन बना रहे हो, यह कितना जल्दी बना सकते हो, वह आप थोड़ा सा सदन को बता दो। उसमें आप यह कोशिश करो कि जो जन-प्रतिनिधि विधान सभा में चुनकर आते हैं, वे भी शामिल हों।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): जितना जल्दी बना सकते हैं, उतना बना देंगे।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मैंने भी एक प्रश्न रखा था, उसका भी आप स्पष्टीकरण कर दें ताकि यह मामला निपटे। मैंने आपको अवगत कराया था कि इस बिल की धारा 4 के अन्दर, इसमें तीन बातें कहीं कि इसमें इंजीनियरिंग खुल जाएगी; आर्किटेक्चर भी खुल जायेगा; मैनेजमेंट, ला भी खुल जायेगा; सी.ए., सी.एस. भी खुल जाएगा; मेडिकल भी खुल जायेगा; फैशन भी खुल जाएगी; डिजाइनिंग भी खुल जाएगी; जादू कला, फार्मेसी, मेडिकल शिक्षा, आयुर्वेदिक, वेटरनरी एजुकेशन खुल जाएंगी; और इस बिल के अन्दर ये सारी

(श्री ओम बिरला)

चीजें खुल जाएंगी, जबकि मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया के बिना कभी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं खुल सकती। अलग-अलग यूनिवर्सिटी की मान्यता अलग-अलग जगह से दी जाती है। इसमें सारे उद्देश्य दिये थे, जो मैंने आपसे जिक्र किया था।

इसलिए आप मुझे स्पष्टीकरण बता दें कि इस यूनिवर्सिटी को स्पेशल सारे कोर्सेज खोलने की परमिशन है क्या? क्या इस विश्वविद्यालय को अन्य जगह भी अपने सेंटर खोलने की परमिशन है? ये दो चीजें आप स्पष्ट कर दें।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति जी, अभी तक जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुली हैं, उन्होंने जिस तरह का कोर्स चाहा है, वैसे लागू किया है। इसलिए इस बिल में भी आया है। यूनिवर्सिटी खुलवा रहे हैं, वे चाहते हैं, वह ही इसके अन्दर आया है। (व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप विराजो।

प्रश्न यह है कि ओ.पी.जे.एस. विश्वविद्यालय, चूरू विधेयक, 2013 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि ओ.पी.जे.एस. विश्वविद्यालय, चूरू विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 48 । कोई संशोधन नहीं।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापति जी, बोलना चाहते हैं हम तो। खण्ड पर बोलना चाहते हैं।

श्री सभापति: विराजो आप।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 48 स्वीकार किए जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 48 स्वीकार किये गये।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सेकण्ड रीडिंग पर बोलना चाहते हैं।

श्री सभापति: अनूसूची 1 व 2 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की जाएं?

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की गई।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापति जी, इसमें बड़ा फ्राड है, इसको पढ़िये आप। इसमें आप देखिये कि 17 संकाय हैं और कमरे 32 हैं। तो कैसे चलेगा विश्वविद्यालय?

श्री सभापति: अब आपका अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य। विराजो आप। (व्यवधान)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री दयाराम परमार।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, सेकण्ड रीडिंग में माननीय सदस्यों को बोलने का अधिकार है, आप रोक नहीं सकते।

श्री सभापति: आ रहा है न अभी। आप विराजो।

विधेयक का पारण

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि ओ.पी.जे.एस. विश्वविद्यालय, चूरू विधेयक, 2013 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: कोई भी माननीय सदस्य बोलना चाहें, तो बोल सकते हैं।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापति महोदय, यह जो एक्ट है, इस पर गौर करने की बात यह है कि जितने विश्वविद्यालय हैं, अभी आप

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

सरकारी विश्वविद्यालयों के एक्ट और भी ला रहे हैं, तो उनमें चार तो सैक्रेटरीज रखे गये हैं, एम एल ए दो थे उनमें से एक एम एल ए कर दिया गया है। इसमें न तो एम एल ए है और न डिपार्टमेंट का कोई प्रतिनिधि है। एक निदेशक का उप सचिव स्तर का व्यक्ति होगा, तो निदेशालय में उप सचिव होता ही नहीं है।

इस एक्ट में ये प्रावधान हैं, जो मैं निवेदन करना चाहता हूं, 17 संकाय हैं और 32 कमरों में आप विश्वविद्यालय चलायेंगे। यह कैसा फ्राड करके इसको आप पास कराना चाहते हैं? इंस्पेक्टर बना नहीं, आशय पत्र में क्या लिखा गया है, आशय पत्र पहले जारी करते। जब बन जाता है, उसके बाद विश्वविद्यालय बनता है।

चेयरपर्सन का आपने यह कर दिया कि उसका पांच साल का कार्यकाल होगा, उसके बाद पूर्ववर्ती, जब तक नया नहीं आयेगा तब तक रहता रहेगा। ऐसा प्रावधान आप इसमें कर रहे हैं।

ऐसे ही, वहां चेयरपर्सन और यहां प्रेसिडेंट, गवर्नर के नाते यह रखा जाता है। हमारे सरकारी विश्वविद्यालयों में गवर्नर का नामिनी अलग, गवर्नमेंट का नामिनी अलग, सरकार का नोमिनी अलग, ये सब प्रावधान हैं, लेकिन आपने इसमें एक भी प्रावधान नहीं रखा, सारे विश्वविद्यालयों को खुला छोड़ रहे हैं।

और अवसायन पर क्या कर रहे हैं, अवसायन पर सारी की सारी प्रोपर्टी प्रायोजित संस्था को चली जायेगी। यहां प्रायोजित संस्था का नहीं है, उसमें चेयरपर्सन है, प्रेसिडेंट है। ये इस प्रकार के विश्वविद्यालय स्थापित करके क्या करना चाहते हैं?

अभी दो विश्वविद्यालयों में बालिकाओं के साथ अत्याचार हुए, उन विश्वविद्यालयों को बंद नहीं कर पाये हम। इन्क्वायरी नहीं कर सकते हम, हम रेग्यूलेटरी सिस्टम लागू नहीं कर पाये। अभी मैंने फीस के लिए अख़बार में पढ़ा, एक लाख रुपये ले लिये, एडवांस जमा कराओ, विज्ञापन निकला और अगर आपका दूसरी जगह सलेक्शन हो जाता है तो 15,000 रुपये काटकर बाकी के 85,000 रुपये दे देंगे। उसके बाद उस गरीब के न तो डाक्यूमेंट दिये गये वापस, न उसको पैसा वापस दिया गया। ऐसे विश्वविद्यालय चला-चलाकर आप विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहते हैं?

आप यह बताइये, इसके पहले 33 विश्वविद्यालय खुले हैं, उनका जो

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

लिखकर दिया गया था सरकार को, क्या वह पूरे हो गये क्या? कमरे पूरे बन गये क्या? यह इसी में लिखा है...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सब विधायकों को ध्यान से बात सुननी चाहिए।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): 106 प्रकार की किताबें, बन रही हैं क्या? इसमें प्रावधान किया गया है। आप बताइये, आखिर यह स्थिति है क्या? इतने योग्य व्यक्ति हैं क्या? आप विश्वविद्यालय खोलते जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं, सरकार का नियंत्रण है क्या? उसमें गवर्नर का नोमिनी है क्या? इस सदन का, जो यह पास कर रहा है, उस सदन का कोई व्यक्ति उसमें है? आप प्राइवेट के लिए क्यों छूट दे रहे हैं? उधर सरकारी विश्वविद्यालयों का तो आप गला घोंट रहे हैं, चार-चार सेक्रेटरी लगा रहे हैं; सरकार का नोमिनी अलग, गवर्नर का अलग और सिंडिकेट का अलग है। यह तो प्रतापसिंह जी थे, इस कारण से यह आपने उनको बैठा रखा है। उन विश्वविद्यालयों की क्या हालत हो गई है?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): हमारे तो कोई पढ़ नहीं रहा है। अपने सचेतक को लिखकर दे दो ना आप, आपकी कृपा होगी।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, मैं बोलूंगा। आप विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, आपके टाइम में क्या सम्मान था अपने विश्वविद्यालय का, आज क्या स्थिति है? ऐसा मत लो इसको। आप भी पढ़े हैं इस विश्वविद्यालय में और मैं भी इसी विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं। सभापति जी, मेरा आपके माध्यम से यह कहना है कि चाहे सदन की कमेटी बनी दी जाये...

श्री सभापति: वह बात आ गई ना।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): नहीं, नहीं, मैं दूसरा सुझाव दे रहा हूं। सदन की कमेटी बना दी जाये और नोर्म्स तय किये जायें।

श्री सभापति: चूंकि सभी माननीय सदस्य यही चाहते हैं कि इन पर अंकुश लगे और कोई रेग्यूलेटरी कमीशन बने कि किस प्रकार उन पर नियंत्रण हो, इसी से समाधान होगा।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): निश्चित तौर पर कोई नोर्म्स तय किये जायें। हम छूट क्यों देना चाहते हैं? ऐसा है, सभापति जी, एक बात और है, ...

श्री सभापति: प्रभारी मंत्रीजी। अब हो गई ना बात आपकी।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): मैं एक मिनट और बोलना चाहता हूं। मैं एक मिनट और लूंगा।

श्री सभापति: आप तो खूब बोल गये ना, माननीय सदस्य। खूब बोल गये ना इसके ऊपर।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति जी, आपने इनको दे दिया, आपके डायरेक्शन का तो उधर रह गया। मैं जो कह रहा हूं, उसका क्लेरिफिकेशन दें, मंत्रीजी जवाब दें तब। वे सक्षम नहीं हैं, वे मंत्रिमण्डल में सदस्य रहने की स्थिति में नहीं हैं। मैं स्पेसिफिक बात पूछ रहा हूं।

श्री सभापति: अभी जवाब दे देंगे। आपने कही, आपके उप नेता घनश्याम तिवाड़ी जी ने कही, आपके सचेतक महोदय ने कही, बात तो वही है ना सारी की सारी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, एम.बी.ए. की फर्जी डिग्री किसके कार्यकाल में आई थी?

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापति जी, आपने 70 साल की आयु तय की प्रेसिडेंट की, 70 साल की वाइस-चांसलर की, यह क्या तरीका है? शिक्षा को कहां ले जाना चाहते हैं?

एक निवेदन यह करना चाहता हूं, 10 साल पहले जो दो करोड़ की वेल्यू थी, वह अब 10 करोड़ की वेल्यू भी नहीं है और आपने दो करोड़ से एक करोड़ कर दिया। यह सेठों को फायदा पहुंचाने के अलावा और कर क्या रहे हो आप लोग? यह जमाना पूछेगा, आने वाली पीढ़ी पूछेगी। इस राजस्थान विश्वविद्यालय का छठा स्थान था, ये प्राइवेट विश्वविद्यालय खोलने के बाद अब 116वां नम्बर भी नहीं है।

इस कारण से मेरा निवेदन है कि इस सदन को गम्भीरता से लेना चाहिए और आगे जो विश्वविद्यालय खोले जायें, कोई कमेटी बनाई जाये विशेषज्ञों की, उसके अनुसार किया जाये।

श्री सभापति: वही बात आ गई ना, वही बात हो गई। विराजो आप। अब आप विराजो।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): हां, वही बात कह रहा हूं। रेग्यूलेटरी सिस्टम अलग है; आगे विश्वविद्यालय खोले जायें, उसके लिए सदन की कमेटी बनाई जाये, यह मैं आपसे कह रहा हूं।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, अभी एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स की बात आई और एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स में जिन-जिन

(श्री नरपत सिंह राजवी)

विषयों को लिया है, क्या आपके अधिकार क्षेत्र में है उन सबको वह छूट देना? क्या एक ही यूनिवर्सिटी के अलग संकाय, जो कि तीसरी संस्था से गवर्न होंगे, उसको क्या आप कंट्रोल कर पायेंगे? उनका अगर उसमें वेटेरिनरी साइंस खुलेगा तो वेटेरिनरी काउंसिल आफ इण्डिया उसकी गवर्निंग बोडी होती है, उससे गवर्न होगा; वह जो अनुमति देगी, वह होगा। मेडिकल कालेज खोलना है तो मेडिकल कालेज में 300 बेडेड हास्पिटल होना जरूरी है। यह आप इसमें कैसे साथ में कर लोगे? अगर टेक्निकल एजुकेशन का है तो उसके नोर्म्स को पूरा करना होगा। ये इनेबलिंग क्लाज तो कुछ रखिये कि आपके पास आयेगा, सरकार से कोई अनुमति लेगा; वह जो परमिशन केन्द्र से लेकर आयेगा, वह लाकर आपके सम्मुख रखेगा, उसके बाद में यूनिवर्सिटी चालू होगी। एक ब्लैंकेट, पूरा अधिकार एक साथ दे देंगे तो शिक्षित बेरोजगार किस लेवल के अधिकारी करेंगे, किस लेवल तक आप पढ़ायेंगे, उसका नुकसान आज आपको महसूस नहीं हो रहा है लेकिन, मंत्री महोदय, जब आपके बच्चे उसमें से पढ़कर निकलेंगे और उनको कोई कम्पाउण्डर नहीं रखेगा ए.एन.एम. का कोर्स करने के बाद में, तब आपको पता लगेगा।

इसकी गम्भीरता उस चीज से समझिये। आपको पास करवाना है, करवा लें लेकिन इनेबलिंग प्रोविजन अगर आप नहीं रखेंगे, मेडिकल कालेज भी उसी में है, आर्टस कालेज भी उसी में है, साइंस कालेजेज भी उसी में हैं, फार्मेसी भी उसी में है। हरेक चीज अलग-अलग संस्थाओं से गवर्न्ड है। जो आल इण्डिया रूल्स और आल इण्डिया एक्ट बने हुए हैं, उनके बियोंड आप नहीं जा सकते और यदि टर्न-डाउन होगा तो उसके बाद में आप किस तरह का मुंह बनायेंगे, वह आपको खुद को सोचने की आवश्यकता है। जो संशोधन आप करना चाह रहे हैं, वह आप अभी भी कर सकते हैं। धन्यवाद।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्रीजी।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय,...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): फर्जी एम.बी.ए. डिग्रीधारी है, वह विधान सभा में यहां पहुंच गया। उसका ले लिया क्या संशोधन? वह संशोधन आ गया क्या?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): भिण्डा जी भी डाक्टर हैं और परमार जी भी डाक्टर हैं। बीच में आप कौन हो?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मंत्रीजी, एक मिनट सुनो आप। मैं कह रहा हूं कि एम.बी.ए. की फर्जी डिग्री लेकर विधान सभा में कोई आ गया, वह भी ले लिया क्या इसके अन्दर? जांच में ले लिया ना सारा? जांच में ले लें उसको भी।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्रीजी। विराजो, माननीय सदस्य।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): ...आज 20-25 कमरों पर यूनिवर्सिटी चलायेंगे, हमारे रेग्यूलेटरी नोर्म्स के अनुसार 10,000 वर्ग मीटर में निर्माण कार्य होना चाहिए, तो इसकी जगह इस यूनिवर्सिटी में 13,400 वर्ग मीटर पर उसका निर्माण कार्य है। इसलिए यह कहना कि 25 कमरों पर यूनिवर्सिटी चलायेंगे, यह ठीक नहीं है। जो नोर्म्स हैं, उसके अनुसार सही है। (व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप विराजिये।

प्रश्न यह है कि ओ.पी.जे.एस. विश्वविद्यालय, चूरू विधेयक, 2013 पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

ओ.पी.जे.एस. विश्वविद्यालय, चूरू विधेयक, 2013 पारित किया गया।

राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय, झुंझुनूं विधेयक, 2013 । श्री मांगीलाल गरासिया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय, झुंझुनूं विधेयक, 2013

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय, झुंझुनूं विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री सभापति: विधेयक को जनमत जानने हेतु निम्न माननीय सदस्य संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे:-

श्रीमती अनिता भदेल

(अनुपस्थित)

श्री ओम बिरला।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति जी, विराजें आप तो, टोकें नहीं।

(श्री ओम बिरला)

जब आपने फर्जी विश्वविद्यालय खोलने का तय कर लिया तो इस सदन के अन्दर, क्योंकि बिना इन्फ्रास्ट्रक्चर के, बिना वित्तीय संसाधन के एक वी.सी. बैठाना और वित्तीय संसाधन नहीं देना, मेरा इस विश्वविद्यालय के मामले में पुनः विरोध है और जनमत जानने के लिए इसे भेजा जाये।

श्री सभापति: श्री घनश्याम जी तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं निवेदन यह करना चाहूंगा कि राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय अपने आप में नया प्रयोग है, मैं इसका स्वागत करता हूं और इस विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी आवश्यकता हमको थी, इसमें कोई दोराय नहीं है लेकिन अभी तक इस विश्वविद्यालय का कोई काम नहीं हुआ। अब इसमें जो मूल काम है, वह काम है कि अच्छे खिलाड़ी तैयार करना। केवल कोर्स तैयार करना नहीं है, आप पी टी आई पढ़ाने के कोर्स तैयार कर दो, आप उसके कोर्स तैयार कर दो, उनमें पढ़कर आये और पढ़ने के बाद उनकी नौकरी लग जाये, अगर इसका उद्देश्य यह है, तो विश्वविद्यालय अपने उद्देश्य को पूर्ण नहीं करेगा। इसलिए विश्वविद्यालय जिस उद्देश्य के लिए अपन खोल रहे हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? कितना बड़ा क्षेत्र आपने लिया है; कितने उसमें स्टेडियम बनेंगे; कितने उसमें इन्डोर स्टेडियम बनेंगे; कितने आउटडोर स्टेडियम बनेंगे; कितने प्रकार के एथलेटिक्स के कोर्स हैं; कितने मेडल मिलते हैं; एक ओलम्पिक में कितने मेडल मिलते हैं; एथलेटिक्स में कितने मेडल मिलते हैं; हाकी में क्या होता है; इन सारे मामलों में क्या होता है; इसलिए एक तो आप यह सोचें कि एशियाड में, कामनवैल्थ में और ओलम्पिक्स में जिन-जिन खेलों की स्पर्द्धा होती है और जो खेल उन स्पर्द्धाओं में शामिल हैं, उनके लिए आप क्या करेंगे?

एक बात और, उनके लिए आपने क्या किया है? जो कुलपति आप बना रहे हो, वह उन खेलों के बारे में जानता है या आप राजनैतिक रूप से वह काम करना चाहते हो?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): डायरेक्टर पटियाला है, उनको बनाया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): चलो, ठीक है। तो उसके बाद में वहां कितनी जमीन ली है, उनके प्रशिक्षण के लिए कितने लोग आपके पास आयेंगे, इसलिए एक तो सबसे बड़ा काम देखने का यह है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

दूसरा, मैं, माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगा, हमने विश्वविद्यालयों के नाम जगह-जगह बदले हैं; महाराजा गंगासिंह जी के नाम से किया, कोई केशवानंद जी के नाम से किया, उसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन किसी भी विश्वविद्यालय में इन आदमियों ने क्या किया, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय बनाया तो महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही यह पता लगे कि महाराजा गंगासिंह जी ने क्या काम किया था, जिनके आधार पर आपने उस विश्वविद्यालय का नाम रखा, वह चीज आपके वहां होनी चाहिए। आप महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय बना रहे हो तो महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही लगे कि यह महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय है; आप अम्बेडकर विश्वविद्यालय बना रहे हो तो प्रवेश करते ही लगे कि अम्बेडकर जी ने क्या किया। ऐसे सब विश्वविद्यालयों में, जिन-जिन के नाम से आपने विश्वविद्यालय बनाये हैं वहां यह काम होना चाहिए।

अब आपने क्रीड़ा विश्वविद्यालय बनाया तो अब इसमें किसका नाम रखोगे? ओलम्पिक में हमारे यहां तो मेडल लाने वाले बहुत कम लोग हैं, कामनवैल्थ में और इसमें कोई एक-दो ले आते हैं। कोई मिल्खा सिंह जी एक ले आये, तो 'भाग मिल्खा भाग' एक फिल्म बन गई, उसको देखने लोग लग गये। तो मैंने इसके लिए सोचा कि सब से बढ़िया काम इस विश्वविद्यालय में आज करो तो आप हनुमान जी का लगाओ। क्योंकि, मेरे ऐसे ही मजाक चल रही थी, कोई विदेश में गया हुआ था; उसने कहा, यार, आपके देश में कोई बड़ा खिलाड़ी ही पैदा नहीं हुआ; मैंने कहा, कौन कहता है, नहीं हुआ; हमारे देश में ऐसे खिलाड़ी पैदा हुए जिन्होंने हाई जम्प में तो सूरज को मुंह में ले लिया, बाल समय रवि भश्क लियो तब तीनों...। और जब लंका को कूद कर जाना था तो समुद्र को लांघ कर चला गया, लोंग जम्प भी ऐसी किसी ने नहीं लगाई और संजीवनी बूटी लानी थी तो पहाड़ उठाकर ले आये, इतना बड़ा कोई वैट लिफ्टर भी नहीं हुआ, ऐसा कोई वैट लिफ्टर भी नहीं हुआ, और जब वह बाक्सिंग का काम आया तो रावण के देकर रावण को भी नीचे कर दिया, बाक्सर भी जोर के थे। और जब उन्होंने कहा कि शक्तियों, तुम यह मोती क्यों फोड़ रहे हो, ताकत दिखाओ, तो सीना फाड़ कर दिखा दिया। तो मैं समझता हूं कि भक्ति और शक्ति में हनुमान जी के बराबर दूसरा कोई आदमी नहीं है। इसलिए आप हनुमान जी, और गामा था ना, पहलवान मुसलमान था लेकिन वह हनुमान जी का ही नाम लेकर अखाड़े में प्रवेश करता था। इसलिए इस विश्वविद्यालय में भी ऐसे लोग,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

प्रेरणा के वे पुंज लगने चाहिए जिससे उस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले लोगों को उसके प्रति जाग्रति पैदा हो और वे वह काम कर सकें।

यह बहुत अच्छा बिल है, क्रीड़ा विश्वविद्यालय जल्दी बनना चाहिए, सदन की यह भावना भी है। इसलिए जनमत जानने का जो प्रस्ताव रखा, लेकिन वह सुझाव के लिए रखा कि किस प्रकार से विश्वविद्यालय का करना चाहिए। वह एक ऐसे क्षेत्र में आप विश्वविद्यालय बना रहे हो, जहां पर इस प्रकार का रॉ-मेटेरियल आपको बहुत अच्छी संख्या में उपलब्ध है। यदि वहां के आसपास के लोगों को अच्छी तरह ट्रेनिंग देकर अब तैयार किया गया, तो न केवल राजस्थान का, बल्कि खेलों में हिन्दुस्तान का नाम भी वे रोशन करेंगे, इस प्रकार का वह क्षेत्र है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस विश्वविद्यालय को बहुत बढ़िया ढंग से आप आगे बढ़ा कर इस विश्वविद्यालय को लागू करें।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र जी राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, सदन में राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय, झुंझुनूं विधेयक पर उस समय चर्चा हो रही है जब पूरा देश खेल दिवस मना रहा है और मैं अभी हमारे उप नेता की उस बात का तो समर्थन करूंगा ही कि अगर पूरी सृष्टि में समग्र दृष्टि डालें तो हनुमान जी से बड़ा सब खेलों का कोई खिलाड़ी हो नहीं सकता, उन्हीं के नाम से विश्वविद्यालय होना चाहिए।

सभापति महोदय, यह इस बिल के उद्देश्य और कारणों का कथन, उसमें उल्लेख किया गया है कि 2011-12 के अन्दर मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी, उसके अनुसरण में इस विश्वविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। दो वर्ष बाद जब चुनाव ने दरवाजा खटखटाया, तब सरकार सक्रिय हुई और इस बिल के लाने से पहले 12 जून, 2013 को आर्डिनेंस सरकार ने जारी किया।

सभापति महोदय, 19 जून को मैंने राजस्थान के सारे समाचार पत्रों में एक विज्ञापन देखा, लिखा था; पहली बार हुआ राजस्थान में, झुंझुनूं में शारीरिक शिक्षा व खेल विश्वविद्यालय स्थापित। मैं जिस जिले से आता हूं, उस जिले का पड़ोसी झुंझनूं जिला है, कृष्णा पूनिया हो या देवेन्द्र झाझड़िया हो, मेरे जिले से आते हैं। सब लोग ढूंढने लगे कि यह विज्ञापन आया है कि विश्वविद्यालय स्थापित हो गया, किस जगह है यह विश्वविद्यालय? तो मेरे से जब किसी ने सम्पर्क किया तो मैंने कहा, यह जादूगर मुख्य मंत्रीजी का जादुई कमाल है, अदृश्य रूप से विश्वविद्यालय पैदा कर दिया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जब सरकार घोषणा कर रही थी, उस समय न तो, अब तक भी, सभापति महोदय, खेल विश्वविद्यालय के लिए कोई भूमि अधिग्रहण का कोई काम नहीं हुआ। बजट के अन्दर वित्तीय प्रावधान अब लेकर आये हैं और यह वित्तीय प्रावधान जो लेकर आये हैं, उससे नहीं लगता कि इनकी मंशा कोई विश्वविद्यालय स्थापित करने की हो; इनकी मंशा सिर्फ यही है कि एक सब्जबाग दिखायें और इसके बाद इसको भूल जायें।

मैं समझता हूं, सभापति महोदय, यह जो 2011-12 के अन्दर बजट में घोषणा हुई थी, इसी सदन में मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि पी पी पी माडल पर हम खेल विश्वविद्यालय खोलेंगे, प्राइवेट पार्टनर किसी को ढूंढेंगे। प्राइवेट पार्टनर ढूंढने के लिए सरकार अगर प्रयास करती तो समझ में आता, कोई सार्वजनिक विज्ञापन जारी नहीं हुआ, कुछ और नहीं हुआ। और उसके बाद, अचानक इन्होंने दो साल बाद निर्णय लिया। मैं समझता हूं, खेल जगत के साथ इससे बड़ा अपमान क्या होगा, मैंने इसी खेल विश्वविद्यालय के बारे में एक सवाल पूछा था पिछले बजट सत्र में; मेरे तारांकित सवाल 194 के जवाब में, मंत्रीजी, आपने कहा था कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया की आई आई डी एफ परियोजना में विश्वविद्यालय स्थापना हेतु प्रस्ताव भेजे हैं; अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जायेंगे तो पचहत्तर प्रतिशत राशि भारत सरकार और पच्चीस प्रतिशत राशि, ए डी बी बैंक से आप लोन लेंगे। अब आप जब विधेयक लेकर आये हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, ए डी बी बैंक से आपने लोन ले लिया? क्या आपको आई आई डी एफ योजना के अन्दर पैसा मिल गया?

अब आपकी घोषणाएं देखें; इस खेल जगत के साथ जो आपने अन्याय किया है, आपका घोषणा पत्र, जो आपके शासन का आधार, जिसको आपने कहा, मुख्य सचिव को भेज दिया, बहुत बड़ा काम कर लिया, उसमें आपने घोषणा की थी कि प्रत्येक जिले में जिला परिषद बनायेंगे और स्पोर्ट्स क्लब की घोषणा करेंगे, मैं भी एक जिले से आता हूं, मेरे जिले में तो जिला परिषद भी नहीं है और स्पोर्ट्स क्लब भी नहीं है।

आपने कहा, हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर खेल मैदान विकसित करेंगे और आपने घोषणा पत्र में खेल नीति जारी करने की बात की थी, यह सुनीति में अनीति क्यों की आपने? खेल नीति जारी करने के बाद में उसको रोका क्यों? आपकी खेल नीति का जितना व्यापक विरोध हुआ, मैं समझता हूं, राजस्थान में दूसरी किसी नीति का नहीं हुआ होगा।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आपने यह कह दिया बजट के अन्दर, 2012-13 में, उदयपुर में जनजाति खेल अकादमी स्थापित करेंगे, उदयपुर में, जैसलमेर में बास्केटबाल अकादमी बनायेंगे; करौली में कबड्डी अकादमी बनायेंगे; कोटा में नौकायन अकादमी बनायेंगे; कहां हैं आपकी अकादमियां? मैं समझता हूं, आपने यह भी घोषणा कर दी कि भरतपुर, हनुमानगढ़, चूरू, अलवर, बूंदी, पाली, मकराना में खेल स्टेडियम के लिए काम करेंगे; एक भी काम नहीं हुआ।

आपने एक काम बहुत किया, मैं समझता हूं, यह पहली बार हुआ होगा कि आपके अनुमोदन से राजस्थान की क्रीड़ा परिषद ने 2013 में एक सर्कुलर निकाला, जो खिलाड़ी जीते हैं, जिनको प्रोत्साहन राशि देते हैं, प्रोत्साहन राशि देने से पहले आपने शपथ पत्र लेना प्रारम्भ किया कि वह लिख कर दे कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य नहीं हूं, आर एस एस का सदस्य नहीं हूं, आर एस एस की शाखा में नहीं जाता। मैं समझता हूं, इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, इन्होंने यह घोषणा की थी कि प्रदेश में एन एस एन आई एस, पटियाला की तर्ज पर हम राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना करेंगे, आपका यह विश्वविद्यालय किस तर्ज पर कब बनेगा? कितना आपने बजट प्रावधान किया है? क्या आपका लक्ष्य है विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए? आपने आनन-फानन में कुलपति की नियुक्ति कर दी; आपने 10 जुलाई को उप-कुलपति बनाया पहले, फिर अब आपने 28 अगस्त को कुलपति भेजे हैं। ये कुलपति और आपके उप-कुलपति बैठेंगे कहां? कौनसी जगह कार्यालय है? मैं समझता हूं, कम से कम एक क्षेत्र तो ऐसा रह जाय जिस क्षेत्र के अन्दर राजनीति नहीं हो।

सभापति महोदय, यह जो महाराणा प्रताप के नाम पर खेल पुरस्कार आपने प्रारम्भ किये, मंत्री महोदय, आपने 32 खिलाड़ियों का चयन कर लिया और चयन करने के बाद आपने आज तक जिन खिलाड़ियों का चयन किया, जिनको पुरस्कृत करना था, वह आपने क्यों नहीं किया? सभापति महोदय, मंत्री महोदय यह कह दें कि यह काम खेल परिषद का है, वक्तव्य दे दें; मैं समझता हूं, जब आपका नियंत्रण नहीं, जब आपका ही नियंत्रण नहीं, आपको इस तरह का बचकाना काम नहीं करना चाहिए।

इसीलिए, सभापति महोदय, मैं तो कुल मिलाकर यही कहूंगा कि जब देश खेल दिवस मना रहा है, उस समय इस राजस्थान की विधान सभा में खेल

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

विश्वविद्यालय स्थापना के लिए जिस प्रकार का खेल आप कर रहे हो, मंत्री महोदय, यह आखिरी सत्र है, जरा कुर्सी को भी अच्छी तरह देख कर, नमस्कार करके जाना, दोबारा शायद वहां तो मौका मिलेगा नहीं पर जो आप करके जा रहे हां,

(19.00 बजे)

उसको जमाना याद रखेगा, राजस्थान का खिलाड़ी याद रखेगा। राजस्थान का देवेन्द्र झांझड़िया, जो गांव से चलकर आया, पैरा-ओलम्पिक में गोल्ड मैडल ले आया; राजस्थान की कृष्णा पूनिया जो खेत से खेलती-खेलती चली गई ओलम्पिक में, आप मुझे यह बता दें कि ये जो ओलम्पिक होते हैं उसमें कितने खेल हैं; आप खड़े होकर के बता दें, ओलम्पिक खेलों में कितने खेल हैं, मैं आपकी बात मान जाऊंगा।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): चलो, वह तो नहीं बता सकते लेकिन आप ही बता दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आज तक, सभापति महोदय, अगर 100 मीटर की रेस आपने लगाई हो तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के खेल मंत्री के रूप में इस कुर्सी पर बैठने का आपका अधिकार है। जिस खेल मंत्री का खेल से सम्बन्ध ही नहीं है, वह कैसा बिल लेकर के आये।

इसलिए इसको जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए।

श्री सभापति: आप क्रीड़ा विश्वविद्यालय पर बात करो न।

डा. दिगम्बर सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, एक मिनट।

श्री सभापति: आपको बोलने का अवसर दूंगा, आप रुकिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): कब तक देंगे?

श्री सभापति: आप विराजें तो सही। माननीय सदस्य, मैं बोलने दूंगा आपको।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, मैं एक निवेदन कर रहा था कि खेल मंत्रीजी इस विश्वविद्यालय पर क्या नियंत्रण रखेंगे। इनको तो जो क्रिकेट का मैच हुआ, उसके 'पास' भी उपलब्ध नहीं हुए थे।

श्री सभापति: यह तो गवर्नमेंट का है, यह तो सरकार का विश्वविद्यालय है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं यह कह रहा हूं कि यह तो खुद 'पास' के लिए परेशान हो रहे थे।

श्री सभापति: विराजो आप।

श्री रोहिताश कुमार।

(अनुपस्थित)

श्री अर्जुन लाल जी।

(अनुपस्थित)

श्री पेमाराम जी। आप कोई नई बात हो तो बोलना, पेमाराम जी। वही की वही बात आ जाए तो कोई अर्थ नहीं है।

श्री पेमाराम (धोद): नया ही लगता है मुझे तो।

सभापति महोदय, यह जो राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय, झुंझुनूं है, जिसको अभी पेश किया है सदन में, मैं समझता हूं कि यह नया ही है, राजस्थान में 67 साल के बाद में और जब नया कानून राजस्थान में बन रहा है तो बेहतर यही है कि राजस्थान के लोगों की भावना के अनुरूप हो। यह सही है कि राजस्थान में खिलाड़ियों की कमी नहीं है। यह सही है कि राजस्थान ने न केवल प्रदेश स्तर पर, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दिये हैं लेकिन मुझे शक है, सभापति महोदय, राजस्थान के जो खिलाड़ी, जिन्होंने खेल खेलने के बाद, सोना जीत-जीत करके लाये, हमारे प्रांत का ही नहीं, पूरे राष्ट्र का सम्मान बढ़ाने का काम किया है, 67 साल में तो हमारी सरकारों ने उन खिलाडियों को प्रोत्साहन देने का कोई काम नहीं किया। यह सही है कि पहली दफा खिलाड़ियों के लिए कोई विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए सरकार ने सोचा है, वाकई में यह स्वागत योग्य कदम है मगर शक इसलिए हो रहा है, अभी वही बात है कि सरकार आखिरी सांस पर है। खेल विश्वविद्यालय बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि शेखावाटी विश्वविद्यालय का एक कुलपति हमने देखा है वहां पर, इन्होंने घोषणा इसी सदन में की थी और कानून भी बना दिया, वह किराये के मकान के लिए यूं भटक रहा है, कभी यहां किराए पर कोई मकान मिल जाए, कभी वहां किराए पर मकान मिल जाए। कब तक वह बन पाएगा?

सरकार को विश्वविद्यालय बनाना चाहिए लेकिन जो खिलाड़ी ग्रामीण इलाके में हैं, जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं...

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

क्या बात हो गई?

श्री सभापति: घुमा-फिराकर के बात तो वही है न, पेमारामजी। वे कर देंगे शंका का समाधान।

श्री पेमाराम (धोद): आप, सभापति महोदय, हमने संशोधन इसलिए दिया है और वैसे ही आप हुकूम जारी कर देते हैं।

श्री सभापति: क्या संशोधन है आपका? आप बताओ कि यह संशोधन है मेरा।

श्री पेमाराम (धोद): अभी इससे पहले मंत्री महोदय ने जवाब दिया, जो संशोधन हमने पेश किया कि इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, मंत्रीजी ने कहा कि कंट्रोल तो नहीं है लेकिन विश्वविद्यालय बना रहे हैं। आप बना तो रहे हो लेकिन कंट्रोल क्या है? सरकार इसमें पैसे की क्या व्यवस्था करने जा रही है? जो खिलाड़ी हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार क्या कर रही है?

मैं समझता हूं कि सरकार वोट का प्रचार करने के लिए, कि कहीं शेखावाटी बेल्ट में, आज खिलाड़ी सबसे ज्यादा शेखावाटी बेल्ट के हैं और अन्तर-राष्ट्रीय स्तर पर खेल जीत कर के आते हैं, अपना और अपने देश का मान- सम्मान बढ़ाते हैं, उस इलाके के वोट के प्रचार के लिए यह घोषणा करके, यह कागजों तक सीमित न रह जाए, मुझे तो ऐसा शक है।

इसलिए इसको जनमत जानने के लिए राजस्थान की जनता में परिचालित किया जाए।

श्री सभापति: धन्यवाद।

अमराराम जी।

(अनुपस्थित)

श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

(अनुपस्थित)

श्रीमती किरण माहेश्वरी जी।

(अनुपस्थित)

प्रभारी मंत्रीजी।

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने बहुत महत्वपूर्ण बात बताने का भी काम किया। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिस तरह से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में घोषणा करने का काम किया और पी पी पी मोड पर राजस्थान में फिजिकल यूनिवर्सिटी स्थापित करने का जो काम किया

(श्री मांगीलाल गरासिया)

है झुंझुनूं में, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पूरे उत्तरी भारत में सबसे पहले एक महत्वपूर्ण फिजिकल यूनिवर्सिटी यदि स्थापित हो रही है तो वह राजस्थान की धरती पर होने जा रही है। वह राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध होगी।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि जिस तरह से आज आप और हम देखने का काम कर रहे हैं, पूरे गांव और ढाणियों में जिस तरह से खेलों की प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, उन खेलों की प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक के बाद में एक फैसला जिस रूप में हुआ, और हमने इस बार में यह काम किया कि खेल जगत की इकाई का आधार हमने पंचायत को माना है, पंचायत को इकाई का आधार मानकर हमने शुरुआत की है। आज पूरे राजस्थान में हमारे पास 9,177 ग्राम पंचायतें हैं और प्रथम चरण में हमने 869 पंचायतों को हाथ में लेने का काम किया है। द्वितीय चरण में 917 ग्राम पंचायतों को हाथ में लेकर के 'पाइका' योजना के माध्यम से, वहां पर विभिन्न तरह से खेल स्थापित करने के लिए, वहां पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए राजस्थान की सरकार ने जिस रूप में काम किया है और उसमें भारत सरकार से भी जिस तरह से सहयोग प्राप्त हो पाया, उसी के अनुरूप हमने एक के बाद में एक फैसला लेने का काम किया है।

आज मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि आज जिस तरह से राजस्थान में युवा वर्ग, जिस रूप में अपनी प्रतिभाओं को निखारने का काम करता है, तो उनके लिए यह एक माध्यम स्थापित हो पाएगा। यह फिजिकल यूनिवर्सिटी हमारी विभिन्न प्रतिभाओं को वहां पर किस तरह से निखारने का काम करे, अनुसंधान के रूप में वहां पर विभिन्न आयामों को स्थापित करने का सौगात लेकर के काम कर सके, उसी रूप में आज हम यह बिल लेकर के आये हैं। उसी रूप में, मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि आने वाले वक्त में अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाओं को ध्यान में रखने का काम करें और उसी को दृष्टिगत रखते हुए इन्डोर-आउटडोर के रूप में जिस तरह से जहां पर परिसर स्थापित करने की बात आई है, इस यूनिवर्सिटी में स्थापित करने का काम हम उस रूप में करेंगे। आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जिस तरह से झुंझुनूं में स्थापित प्रदेश की एक युगांतकारी जो विश्वविद्यालय स्थापित होगा, वह फिजिकल यूनिवर्सिटी होगी; उसमें विभिन्न तरह के आयामों को लेकर के हम काम करेंगे।

(श्री मांगीलाल गरासिया)

आज पूरे राजस्थान में अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो विभिन्न स्थितियां इस तरह की बनी हुई हैं, जहां पर दूसरे अलग-अलग भौगोलिक एरिये में वहां पर खिलाड़ी अलग-अलग स्थितियों में काम करके प्रतिभाओं को निखारने का काम कर रहे हैं। उसी रूप में हमने अकादमियां स्थापित करने का काम किया और अकादमी के साथ-साथ में ही, जहां पर जनजाति अकादमी की बात कही आपने और जिस तरह से फुटबाल अकादमी की और नौकायन अकादमी की, इन तमाम तरह की अकादमियों के लिए हमने शुरुआत इस रूप में की है। आज इसी को देखते हुए, पूरे राजस्थान में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिस रूप में अनुदान राशि खिलाड़ियों के लिए दस गुणा बढ़ाकर इन खिलाड़ियों के लिए नया इतिहास कायम किया है। हमारे कुछ साथियों ने तेरह खिलाड़ियों के लिए जिस तरह की बात की, तो पहली बार हमने राजस्थान में तेरह खिलाड़ियों के लिए व्यवस्था करने का काम किया है और उनको आगे लाने का काम किया है।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस रूप में आज हमने दो प्रतिशत के रूप में आरक्षण प्रदान करने का काम किया है विभिन्न सरकारी नौकरियों में, और यही नहीं, हम दूसरी जो अन्य बात करें, तो चाहे भूमि उनको देने के मामले में हो, आज राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करने वाले, गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले उन तमाम खिलाड़ियों के लिए एक के बाद में एक काम करने का काम इस रूप में हम कर रहे हैं।

मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले वक्त में जो फिजिकल यूनिवर्सिटी हम स्थापित करने जा रहे हैं झुंझुनूं में, वह हमारे इस प्रदेश के लिए, हमारे उन खिलाड़ियों के लिए और खेल प्रेमी भाई-बहनों के लिए एक नया सवेरा लेकर के आएगी। आप अभी बात कर रहे थे कि वहां पर जमीन आबंटित नहीं हुई, निश्चित रूप से हमने वहां पर जमीन आबंटित करने का काम ग्राम धोरासर में, पंचायत कुलोदकला में जमीन लेने का काम कर दिया और निश्चित रूप से आने वाले समय में उसको प्राथमिकता देने का काम करेंगे।

इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जनमत जानने के लिए परिचालित करने का जो मामला है, वह निरस्त करते हुए इसको प्राथमिकता देने का काम करें और आने वाले टाइम पर हम निश्चित तौर से एक फिजिकल यूनिवर्सिटी, पूरे राजस्थान के लिए नया अध्याय स्थापित करने की सौगात लेकर के काम करेंगे। यह मैं आपसे निवेदन करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय, झुंझुनूं विधेयक, 2013 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय, झुंझुनूं विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

खण्ड 2 से 53 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 53 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 53 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री मांगीलाल गरासिया।

विधेयक का पारण

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन): माननीय सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय, झुंझुनूं विधेयक, 2013 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, हां, आपके लिए ही कह रहा हूं।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): सभापति महोदय, यह तो यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, एक आपने बीस वर्ष से स्पोर्ट्स स्कूल खोल रखी है बीकानेर में, उसमें एक भी ऐसा खिलाड़ी कोई तैयार हुआ है बीस साल में, जो प्रदेश स्तर पर भी नाम कर दे? तो आप कम से कम उससे तो सीखो कि जो संस्था

(श्री देवी सिंह भाटी)

हम बीस साल से चला रहे हैं, उसमें क्या कमियां हैं; उनको हम सुधार के फिर इस यूनिवर्सिटी का नाम लें। अभी नाम लोगे तो यह भी बदनाम होगी। तो यह कम से कम आप गौर करो, दिखवायें, उसमें क्या कमियां हैं, कैसे सुधार हो सकता है और उसमें से सुधार करते हुए फिर थोड़ा यहां भी देखें। सिर्फ यूनिवर्सिटी का नाम लेकर घोषणा कर दें, उससे कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि सरकारी संस्था तो कोई भी ले लो, एक भी, कहीं भी अपना स्तर बता कर, नाम रोशन करने वाला कुछ भी नहीं है, किसी भी बात का।

आपके पास स्पोर्ट्स काउंसिल है, उसके माध्यम से कितने खिलाड़ी हुए हैं? और निजी स्तर पर अपने खुद के प्रयास से कितने तैयार हुए हैं? एक हमारे बीकानेर के भी हैं, जिनमें आपका कोई रोल नहीं है, पर उन्होंने भी ओलंपिक में सिल्वर मेडल हासिल किया है, राज्यवर्द्धन सिंह। कई और भी हमारे इस प्रकार के खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने एशियाड में, कामनवैल्थ में नाम किया है। लेकिन हम यह प्रयास करें कि सिर्फ सरकारी नाम देने से कोई खिलाड़ी तैयार हो जाएंगे, बहुत मुश्किल है। आदिवासी क्षेत्रों में भी बहुत ऐसी प्रतिभाएं हैं लेकिन उनको अवसर नहीं मिलता। तो उनको अपने स्थान पर ही अवसर मिल जाए, इसके लिए कोई मदद कर दो, प्रयास कर दो। उनको गाइडेंस मिल जाए, प्रशिक्षक मिल जाए, तब तो कोई बात बनेगी। सिर्फ यह नाम देने से कुछ नहीं बनेगा।

इसलिए मेरा कहना है कि जो सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल है बीकानेर में, उस पर थोड़ा गौर करो और उसमें क्या कमियां हैं, उसको सुधारते हुए फिर कहीं आप इस यूनिवर्सिटी में हाथ डालना।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा)ः धन्यवाद, सभापति महोदय।

मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रहे हैं, आपके एम्स एंड आब्जेक्टिव्स में आपने यह बात स्पष्ट की है कि 2011-12 की घोषणा का यह क्रियान्वयन है, आपने आपके इस पूरे बिल में अभी तक तो फैकल्टी का चयन तक नहीं किया। इस पूरे बिल में फिजिकल एजुकेशन की फैकल्टी का चयन आप नहीं कर पाए, इसलिए इस यूनिवर्सिटी में किसी प्रकार की फिजिकल एजुकेशन की शिक्षा ग्रहण करने के लिए कौन-कौनसी फैकल्टी होंगी, यह बात आज की तारीख में इसमें कहीं मेंशन नहीं है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सीधा यह सवाल आपसे जुड़ा हुआ

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

नहीं है, यह सवाल जुड़ा हुआ है शिक्षा विभाग से। आपके यहां जो बच्चे आते हैं, जिनका आप चयन करते हैं, वे कहीं न कहीं, अभी वर्तमान समय में, आज की तारीख में आपके मिडल स्कूल और सीनियर स्कूल्स के क्रमवार स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सभापति महोदय, आपके यहां भी होते होंगे, ये स्वीमिंग का टूर्नामेंट कराते हैं किसी गांव में जाकर; अब आप यह बता दीजिये कि पिछले वर्ष डिस्ट्रिक्ट लेवल का तरणताल का, स्वीमिंग का आपने टूर्नामेंट करवाया निवाणा उच्च माध्यमिक विद्यालय में, अब बता दीजिये, निवाणा के उच्च माध्यमिक विद्यालय में तरणताल का कम्पीटिशन कहां हुआ? तरणताल का कम्पीटिशन कहां हुआ? और आपने वहां डिस्ट्रिक्ट लेवल का चयन कैसे किया?

हालत आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की यह है कि आपकी यूनिवर्सिटी में बच्चा तब जाता है जब पहले वह प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन लेता है, मिडल स्कूल की एजुकेशन लेता है, सीनियर स्कूल की एजुकेशन लेने के बाद में वह यूनिवर्सिटी जाने की योग्यता प्राप्त करता है। आपके प्राइमरी और सैकण्डरी लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इन-प्लेस नहीं है तो आपके पास में यूनिवर्सिटी में बच्चा आएगा कहां से? अगर किसी किसान के हौद में, जिसके पैरामीटर का कोई पता नहीं, वह बीस-बाई-बीस फीट है; जिसके पानी की शुद्धता के बारे में नहीं मालूम, आप बच्चों को कुदवा कर वहां स्वीमिंग करवा देते हैं और उसका आप रिजल्ट दे देते हैं। उसके कितने पैरामीटर पर फ्री-स्टाइल करनी थी, कितने पैरामीटर पर उसको बैकस्ट्रोक करना था, कितने पैरामीटर पर बटरफ्लाई करनी थी, आपने किस योग्यता के तहत उस बच्चे का चयन किया? उसको आप डिस्ट्रिक्ट में चयन करके स्टेट में भेजेंगे, स्टेट का चयन करके आप यूनिवर्सिटी में परीक्षण के लिए भेजेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि इस सारी चीज की व्यवस्था न होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि जब तक आप ग्रासरूट्स फिजिकल एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुव्यवस्थित नहीं करेंगे, तब तक नहीं होगा।

आप पाइका का नाम लेवे रहे थे अभी, आपको मालूम है कि आपका सेन्ट्रल ग्रांट का कितना पैसा उपयोग न होने की वजह से वापस चला गया? 'पाइका' का जितना पैसा आपने लिया और जहां-जहां आपने स्टेडियम बनाये, उन स्टेडियमों के रखरखाव की यह हालत है कि वहां आवारा जानवर, गौचर के रूप में चरते हैं। आपका आडिट पैरा बना हुआ है 2010-11 का, राजेश पायलट

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

जैसे व्यक्तित्व के नाम के स्टेडियम की जो हालत उन्होंने बताई है, उसमें दस-दस फीट के गड्ढे पड़े हुए हैं। यह स्टेडियम वहां है जहां स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज को प्रोत्साहन मिलता है और वहां ट्रेनिंग दी जाती है।

अगर इस व्यवस्था को, मंत्री महोदय, आप नहीं सुधारेंगे तो ईंट और पत्थर की दीवार खड़ी करके एजुकेशन नहीं मिल सकती। एक समय वह था कि कल्प के नीचे बैठ करके भी विश्वगुरु जैसा विख्यात, यह देश को ज्ञान प्राप्त हो गया था। आपको टेंडेंसी की जगह एप्रीशिएट करना पड़ेगा इनोवेटिव आस्पेक्ट को और इनोवेटिव आस्पेक्ट तब आएगा, जब आप प्रैक्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोलिंग अथोरिटी के नाम से न डालकर, प्रोस्पेक्टिव अथोरिटी के नाम से न डालकर परफार्मिंग अथोरिटी के नाम से डालेंगे और जब वहां ट्रांसपेरेंसी होगी, तब वह बच्चा आएगा। जिम्नास्टिकस में तो आपको बच्चे को नौ साल की उम्र में लेना पड़ता है। अगर नौ साल की उम्र में आपने जिम्नास्टिक्स के बच्चे का चयन नहीं किया तो वह बच्चा, जब नाडिया कोमानिशी ने ओलंपिक मेडल जीता था, उस समय उसकी उम्र चौदह साल की थी। आखिर आप कर क्या रहे हैं, कम से कम यह तो पता करें।

तो मेरा यह आग्रह है, जिस जगह आप बना रहे हैं, जिस भौगोलिक क्षेत्र में आप बना रहे हैं और जिस उद्देश्य से आप बना रहे हैं, उसके पीछे कहीं किसी को एतराज नहीं हो सकता लेकिन इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपको गांव से लगा कर और प्रदेश स्तर का एक एजुकेशन का पूरा का पूरा ट्रेनिंग का सिस्टम क्रीएट करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट सिस्टम एंड इफेक्टिव सिस्टम, उसकी आवश्यकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्रीजी।

आप बोलेंगे, हां।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं, यह-यह आब्जेक्ट् स तो इन्होंने दे दिये, फैकल्टीज कितनी खोलेंगे, यह आपको जानकारी है क्या? कहीं न कहीं तो मापदण्ड तय किया होगा, यह अंग्रेजी में बोल गये तो आपको इनोवेटिव और पैरामीटर्स, उतनी जानकारी तो शायद नहीं है लेकिन कितनी फैकल्टीज खोलेंगे? राजस्थान के बच्चों का जैसा आपने आरम्भ किया, तो राजस्थान में फुटबाल के खिलाड़ी कहां तैयार हुए, शूटिंग में नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर कहां पहुंचे, स्वीमिंग में कहां है अजमेर, बास्केटबाल में झुंझुनूं, सीकर, इंटरनेशनल खिलाड़ी

(श्री नरपत सिंह राजवी)

जहां-जहां मिला है उसकी सूची आपके पास है, उनको कम से कम उन फैकल्टीज में तो शार्टलिस्ट कर लेते, जहां पर अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का बच्चा पहुंचा हुआ है। वह आप कर नहीं रहे हैं। एथलेटिक्स में आपने कभी हासिल किया नहीं, और कौनसे खेल में आप करना चाहेंगे, यह आपने स्पष्ट नहीं किया है।

सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि संस्कृत विश्वविद्यालय में तो जो डिग्री लेगा, उसको कम से कम आचार्य की डिग्री मिल जायेगी, जो इक्विलेंट है, ग्रेजुएशन और पोस्ट-ग्रेजुएशन के कोर्स से समतुल्य किया हुआ है; यहां पर स्कूल एजुकेशन के साथ करेंगे तो उनका स्कूल एजुकेशन के साथ में रखा है क्या? हायर एजुकेशन में तो अभी तक भारत में ऐसी यूनिवर्सिटी खुली नहीं है। दुनिया में जहां कहीं भी हैं, उनका क्या नोमेनक्लेचर होगा, कौनसी क्लास से आप आरम्भ करेंगे और करने के बाद उन बच्चों को कहां रोजगार मिलेगा, उसके बारे में चिंता की है क्या? आप केवल यूनिवर्सिटी खोल कर ही इतिश्री करना चाहेंगे तो जैसे स्पोर्ट्स स्कूल सार्दुल स्कूल बीकानेर की हालत है, वही हालत होनी है। स्कूल तो खड़ा है लेकिन वहां वह गिल्ली-डंडा का खेल चाहे खेल ले, बाकी और खेलने की स्थिति में कहीं नहीं आयेगा।

आपके खुद के स्पोर्ट्स काउंसिल का हाल देख लें, स्पोर्ट्स काउंसिल में, जो इंटरनेशनल मेडल मिलते हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं है। वे स्वयं लिख कर भेजते हैं। अपूर्वी चंदेल का नाम आपने कुछ दिन पहले अखबारों में पढ़ा होगा, बीकानेर की ही है, पिछले चार साल में अंतरराष्ट्रीय स्तर के जितने मेडल उसने जीते हैं, मुख्य मंत्रीजी के हस्तक्षेप के बाद चार साल बाद उसको 12 लाख रुपये मिले हैं। यूरोपियन चैम्पियनशिप में मेडल जीता है, यह अंतरराष्ट्रीय स्तर है या नहीं, कम से कम इस स्तर का तो नहीं है कि राजस्थान में कोई प्राप्त किया हो। शूटिंग की फैसिलिटी जयपुर में अवेलेबल है, यूज तो करो।

एजुकेशन के साथ में कहां पर उसको कौनसी डिग्री मिलेगी, या कहां पर वह रोजगार प्राप्त कर पायेगा, 'Choose them young' की थ्योरी के बिना अगर जायेंगे तो जैसे आप यहां औपचारिक बिल पास करा रहे हैं, वैसा ही औपचारिक आपको रिजल्ट मिलेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: क्या, प्रोफेसर साहब?

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): जो इन्होंने नहीं बोला, वही बोलूंगा मैं। सभापति जी, यह इस विश्वविद्यालय का प्रबंध मंडल है, इसमें पांच ब्यूरोक्रेट्स हैं। इनमें कहीं एक शब्द तो जोड़ दो कि खिलाड़ी होना जरूरी है। वे खुद कभी नहीं जायेंगे, पांच-पांच सेक्रेटरी कभी नहीं जायेंगे, उनके नोमिनी जायेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक शब्द तो डाल दो कि जो खिलाड़ी हों, खेले हुए हों, ऐसे व्यक्ति को इसमें डालो, जो कम से कम भला हो।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि यह राजस्थान बहुत फैला हुआ है, इसलिए रीजनल सेंटर हों, यह बात भी इसमें डाली जाये।

ये मेरे दो सुझाव हैं। मंत्रीजी स्वीकार कर लें, तो अच्छा है। आपके माध्यम से मैं ये दो सुझाव दे रहा हूं।

श्री सभापति: सम्माननीय सदस्य।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सभापति महोदय, राजस्थान में पहली बार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुल रही है। उप नेता ने जरूर स्वागत किया, कहा कि मैं इसका स्वागत करता हूं लेकिन जितनी यहां पर बहस हुई, उसमें कोई पोजिटिव सुझाव नहीं आये लेकिन कमियां बता दी गई कि अभी तक वहां कुछ है ही नहीं। जब नई यूनिवर्सिटी खुलती है तो पहले दिन कुछ होता नहीं है। यूनिवर्सिटी का वी सी अपाइंट होता है और फिर वी सी वहां पर काम की शुरूआत करता है। वी सी अपाइंट हो गया।

विपक्ष के लोग, इतनी देर से जब भी, जहां भी, कोई भी बहस आई, उसमें बार-बार इन्होंने यह कहा कि इसमें यह कमी है। सभापति महोदय, मैं आपके जरिये एक निवेदन करूंगा, कल सदन का आखिरी दिन है, कई सीनियर साथी बैठे हुए हैं, आजादी के बाद 65 वर्षों में जो काम रुके हुए थे, वे सारे काम इन साढ़े चार वर्षों में हो गये। आदरणीय तिवाड़ी साहब और राठौड़ साहब से मैं एक निवेदन करूंगा, आज आपको यह तो बताना ही चाहिये कि आपने पिछले पांच वर्ष के शासन में डायरेक्ट रिलीफ के कौनसे पांच काम आम आदमी के लिये किये? डायरेक्ट रिलीफ के कौन से पांच काम आपने किये?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ये खेल विश्वविद्यालय पर बोल रहे हैं? यह खेल विश्वविद्यालय है? यह कौनसा खेल है?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप तो यह बताओ कि आपने कब-कब, कौन-कौनसे साल में, कितने-कितने किलोमीटर की दौड़ लगाई और किन-किन कारणों से दौड़ लगाई?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ...(व्यवधान)... बोलते तो बात समझ में आती खेल विश्वविद्यालय पर।

श्री करणसिंह (छबड़ा): एक भी भलाई का काम पूछ लो इनसे, एक भी भला काम किया हो तो। अब उठ कर क्यों जा रहे हो।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सभापति महोदय, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात हुई, राजस्थान स्पोर्ट्स में आगे रहा है और आपने हमारे खेल मंत्रीजी से कह दिया कि ओलंपिक में कितने गेम होते हैं, आप बता दीजिए! हमारे पास नेशनल प्लेयर है वालीबाल का, आप देख लो सामने।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा):....टूर्नामेंट हिन्दुस्तान जिंक, दरिबा में मैंने आर्गेनाइज कराया। अब कौनसी राजस्थान स्टेट लेवे उसको, लेकिन पहली बार हुआ है।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): तो आपको ही यह डिपार्टमेंट दे देना चाहिये। चार साल खराब हो गये। आप ही संभाल लेते तो कम से कम यह विश्वविद्यालय चार साल पहले आ जाता।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): ...मेरे साथ के गोपालाराम और सारे अच्छे खिलाड़ी रेलवे में सर्विस कर रहे हैं।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ...पूरे राजस्थान में एथलीट उस स्कूल के बराबर के ...(व्यवधान)।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): स्टेट में आपके स्कूल की पोजिशन थी, राजस्थान में आपके बीकानेर की अच्छी स्थिति थी।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): अब ठंड पी गये, राणा जी।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): अब तो आपका भी बुढापा है।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, यह हमारे बनीपार्क से आने वाले सदस्य कुछ पांच काम बता रहे थे, वे कौन से पांच काम हैं जो याद दिला रहे हैं?

श्री सभापति: आप विराजो तो सही।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): बता देता हूं ना, मैं बताऊंगा लेकिन, सभापति महोदय ...

श्री सभापति: आप विराजो, विराजो।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सभापति महोदय, मैं आदरणीय तिवाड़ी साहब का बहुत सम्मान करता हूं, बचपन से जानता हूं, यह

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

तिवाड़ी साहब से फैसला करा दो, मैं पांच काम बताऊंगा लेकिन फिर पांच काम उनको बताने होंगे, बीजेपी की तरफ से और डायरेक्ट रिलीफ के काम नहीं बता पाये तो फिर यह संदेश जाना चाहिये कि वह नहीं बता पाये। यह तय हो गई ना? भाई साहब, आप स्वीकार कर रहे हैं?

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): कौन से पांच काम?

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): डायरेक्ट रिलीफ के। पब्लिक को डायरेक्ट रिलीफ के पांच काम आप बता दो, जो आपके शासन में हुए।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): हुए पांच? पचास बता दूं तो?

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): पचास नहीं, आप तो पांच ही बता दो।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): कमाल कर दिया! ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप तो क्रीड़ा विश्वविद्यालय पर आ जाओ, कोई सुझाव हों, तो दे दो आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): वह तो पांच काम मैं ही बता सकता हूं। ये नहीं बता सकते, मैं बता सकता हूं पांच काम। पांच काम मेरे को पता हैं, कौन से किये थे पांच साल में।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ...(व्यवधान)...जो आपका क्षेत्र है विद्याधर नगर, विद्याधर नगर में पार्क बनाये हैं। ...(व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): डायरेक्ट रिलीफ के। हनुमान जी, आप बताओ।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): पहले आप बताओ। ...(व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): पहले मैं बता देता हूं, पहले मैं बता देता हूं।

श्री सभापति: क्रीड़ा विश्वविद्यालय पर ...(व्यवधान)...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सभापति महोदय, दो मिनट। ...(व्यवधान)... बता रहा हूं, बता रहा हूं। आप डर क्यों रहे हो? राठौड़ साहब, डरने की कोई बात नहीं है, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): क्रीड़ा विश्वविद्यालय पर बहस हो रही है ...(व्यवधान)।

श्री सभापति: मैं तो कह रहा हूं ना कि क्रीड़ा विश्वविद्यालय पर बोलो। (व्यवधान) वे बोल ही नहीं रहे हैं।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): क्रीड़ा पर ही बोल रहा हूं।

श्री सभापति: क्रीड़ा विश्वविद्यालय पर सुझाव दो आप।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सभापति महोदय, राठौड़ साहब पांच बार जीत गये, मेरे से बहुत सीनियर हैं, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब ये यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे और ये तिवाडी साहब हैं, लेकिन ये कभी भी इस बात से नहीं घबराते कि कोई आदमी सच बोल रहा है। आप क्यों डरते हो, मेरे यह समझ में नहीं आई। आप तो बाबो-सा के साथ रहे हुए हो, डरा मत करो, कम से कम।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा स्पोर्टस यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, पहली बार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राजस्थान में खुल रही है। इसके लिये गहलोत सरकार को आपको धन्यवाद देना चाहिये कि पहली बार शुरुआत हुई है और राजस्थान के स्पोर्ट्समेन को बहुत बड़ा मौका मिला। घोषणा पत्र में जितने वादे किये स्पोर्टस को लेकर, अलग-अलग सेक्टर को लेकर, आप मुझे यह बता दो, यह पहली सरकार है, एजुकेशन में जो प्रोमिस किये, वे सारे प्रोमिस पूरे किये; मेडिकल में जो प्रोमिस किये, उससे ज्यादा प्रोमिस पूरे किये; किसानों के लिए, कृषि के लिए जो प्रोमिस किए, वे सारे प्रोमिस पूरे किए। एक भी फील्ड ऐसा नहीं छोड़ा, एक भी सेक्टर, जिसमें इस सरकार ने वादा किया और उसको पूरा नहीं किया।

ये बात कर रहे थे डायरेक्ट रिलीफ, हमने दवाइयां फ्री कर दीं। आप या तो यह कहो कि पेंशन बंद करेंगे; घोषणा करो, पेंशन की योजना गलत है, हम बंद करेंगे चुनाव के बाद।

श्री सभापति: क्रीडा विश्वविद्यालय पर।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): मैं यही बोल रहा हूं। आप यह कहो, पेंशन हम बंद करेंगे। आप यह भी कहो, आप बार-बार कह रहे हैं। हमने दवाइयां फ्री कर दीं, जांचें फ्री कर दीं, यह भी डायरेक्ट रिलीफ है। आज जो 10 हजार का इन्जेक्शन था मार्केट में, 1,700 रुपये में बिकने लग गया, क्योंकि सरकार ने दवाइयां फ्री कर दीं। आपने गायों की बात की, गायों की हमने दवाइयां फ्री कर दीं, पशुओं की सारी की सारी। हम जननी शिशु सुरक्षा योजना लेकर आए; हमने बच्चों को लैपटाप बांटे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह क्रीड़ा विश्वविद्यालय में है क्या, सभापति महोदय? यह जननी सुरक्षा योजना क्रीड़ा विश्वविद्यालय में है? यह क्रीड़ा विश्वविद्यालय में है? यह क्या मजाक बना रखा है सदन का। क्या मजाक बना रखा है सदन का। आप आसन पर विराजे हैं, निर्देश दीजिए ना। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): विनियोग विधेयक पर डिबेट करते ना, उस समय। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): एक बात बताओ, एक बात बताओ, आपने डालर का जिक्र किया कि नहीं किया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): फिर हमें भी अनुमति दे दो आप।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): डालर के लिए...(व्यवधान) आप पता नहीं कहां ......

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह हाउस चल रहा है...(व्यवधान)...

श्री सभापति: क्रीड़ा विश्वविद्यालय पर बोलिए।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सभापति जी, आप तय कर दो, आप पांच मिनट मुझे दो और पांच मिनट राठौड़ साहब को दे देना। पांच-पांच मिनट दोनों को कर दो फिक्स।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय... (व्यवधान)

श्री सभापति: आप तो विराजो।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हम भी बोलेंगे फिर। (व्यवधान)

श्री सभापति: केवल क्रीड़ा विश्वविद्यालय पर बोलो आप।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): हां, क्रीडा पर ही बोलेंगे।

श्री सभापति: सुझाव दो आप, इसमें क्या सुधार ।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सुझाव ही दे रहा हूं। आप यह देखिये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुलेगी, स्पोर्ट्समैन वहां पर जाएगा और कीर्तिमान बनाएगा। उसके लिए आप यह मानकर चलिए कि कितना बड़ा काम किया है; यदि वह अस्पताल में जाएगा, स्पोर्ट्समैन की जांच फ्री होगी। (व्यवधान) यूनिवर्सिटी पर बोल रहा हूं।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): मेडिसिन फ्री होगी।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): आप तो नई टीम की घोषणा करो अभी।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): पवन जी, आप तो छोटे भाई हो, बैठो प्लीज।

सभापति महोदय, वह स्पोर्ट्‌समेन जब यूनिवर्सिटी में जाएगा, दौड़ने की प्रैक्टिस करेगा, बास्केटबाल की प्रैक्टिस करेगा तो उसे अपने गांव में बैठे हुए मां-बाप की चिंता नहीं होगी, क्योंकि हर महीने उनके पास पेंशन पहुंचेगी। आप बताइये, जब पेंशन की व्यवस्था हो गई, उसके बाद अशोक गहलोत जी ने कहा, झुन्झुनूं में यूनिवर्सिटी खुलेगी स्पोर्ट्‌स की और तैयारी कर दी। झुन्झुनूं में और सीकर में आज भी मिलिटरी में सबसे ज्यादा भर्ती होती है और सबसे ज्यादा जवान शहीद हुए हैं हमारे सेनाओं में। उन्होंने कीर्तिमान बनाया। वहां पर हमारी स्पोर्ट्‌स यूनिवर्सिटी में बच्चों के लिए...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सैनिक स्कूल है चित्तौड़; सैनिक हैं झुन्झुनूं और सीकर में और सैनिक स्कूल है चित्तौड़! यह है।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): मैं मान गया।

आप यह देखिये, जो स्पोर्ट्‌समेन झुन्झुनूं में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा, उसको छोटे भाइयों की चिंता नहीं होगी क्योंकि उसको फ्री आफ कास्ट शिक्षा मिलेगी, लैपटाप और टैबलेट मिलेगा। अब बड़ा काम हो गया; गरीब जो स्पोर्ट्‌समेन बनना चाहेगा, यूनिवर्सिटी में अगर उसको एडमिशन मिलेगा, अभी एक नया काम हो गया, एक रुपये किलो में उसको गेहूं मिलेगा; आप यह बताओ, तीन रुपये किलो में उसको चावल मिलेगा। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): दो किलोमीटर नहीं भाग सकता। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): क्या बात कर रहे हों आप! आप मेरी बात सुनिये, आज तक राशन का गेहूं खाकर, राशन का गेहूं मैंने खाया है। यहां पर बैठे हुए काफी लोगों ने राशन का गेहूं, ...(व्यवधान) क्या बात कर रहे हो! राशन का आटा खाकर के तो लोगों ने दीवारें तोड़ दी। आप बात कर रहे हो, कमाल है! यह मजाक है?

अभी आपने, सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा आदरणीय उप नेता महोदय से, बड़ी बात हो रही थी भामाशाह योजना की, आप तो आचार संहिता लगने के बाद भामाशाह योजना लाए। वह लगती कहां से?

श्री सभापति: काहे पर बोल रहे हैं आप?

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): मैं खतम कर रहा हूं; सभापति जी, खतम कर रहा हूं।

मैं निवेदन करूंगा, हमने, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में जो स्पोर्ट्समेन आएगा, वह बी पी एल परिवार का होगा तो भी उसको चिंता नहीं होगी, क्योंकि उसको मकान बनाने के लिए 75 हजार रुपये सरकार देगी। आप यह बताओ, यह बिना टेंशन के, टेंशन फ्री के आएगा। डायरेक्ट अब नया काम कर दिया, कोई बच्ची स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगी, तो पहले यह कह रखा था कि तीन किलोमीटर जो दूर रहेगी उसको साइकिल मिलेगी; हमने वह सिस्टम बंद कर दिया और सबको साइकिल देंगे, आठवीं पास को, सारी जितनी भी हैं। तो ये सारे के सारे काम किए। कम्बल और साड़ी की जो मजाक उड़ाई गई, वह कम्बल और साड़ी मजाक के लिए नहीं है; वह बहनों के सम्मान के लिए और भाइयों के सम्मान के लिए फैसला लिया गया। इसलिए यह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राजस्थान की गरिमा बढ़ा रही है, राजस्थान से स्पोर्ट्समेन निकालेगी।

सभापति जी, एक बात तय कर लेनी चाहिए, जो लोग काम को काम नहीं कहते, जो लोग सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, ऊपर वाला उनका साथ नहीं देता। आप यह देख लो, ऊपर वाले ने साथ दिया, 25 साल के रिकार्ड टूट गए और बरसात राजस्थान में सबसे ज्यादा हुई। आज राजस्थान की नदियों में पानी है, बांध भरे हुए हैं, चारों तरफ हरियाली है। यह राजस्थान की सरकार के काम को आशीर्वाद मिल रहा है। इनका बस चलता तो यह पानी भी ये बंद करा देते।

इसलिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए मैं अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देता हूं और भरोसा करता हूं कि काम करते रहेंगे और राजस्थान का विकास होता रहेगा। धन्यवाद।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): माननीय सभापति जी, आज विधान सभा में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पर चर्चा हो रही है और विधेयक लेकर आए हैं। निश्चित रूप से प्रदेश के लिए, युवाओं के लिए और स्पोर्ट्सपर्सन के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है और बधाई देते हैं नि:संकोच राजस्थान की सरकार को और मंत्रीजी को, मगर इसके साथ-साथ आप यह देखिये, पड़ोसी मुल्क हमारे, चाहे हरियाणा है, चाहे हमारा पंजाब है, आज उनके खिलाड़ी और हमारे खिलाड़ी में कहीं न कहीं जो अन्तर रहा है, हमारे प्रदेश का वर्तमान में जो खिलाड़ी है, सभापति महोदय, मंत्रीजी से मैंने कई बार प्रश्न भी किए हैं, हमारे खिलाड़ियों की वास्तविक दुर्दशा क्या है, प्रदेश के खिलाड़ी ने राष्ट्रीय और

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का जो नाम रोशन किया है, 90 परसेंट हमारे राजस्थान के खिलाड़ी हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं। जाते हुए भी, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दो परसेंट कोटे की बात कही है, मंत्रीजी कह रहे हैं, अभी जिला परिषद के माध्यम से जो भर्तियां हुई हैं, उनमें कहीं भी आपने, एक भी खिलाड़ी को लगाया है तो आप सदन में अवगत करा दो।

अच्छी बात है, यूनिवर्सिटी आपने खोली है, हम फिर स्वागत करते हैं लेकिन, सभापति महोदय, हालात ये हैं कि 'पाइका' चल रही है, 'पाइका' के अन्दर, मैं पूरे सदन में अवगत कराना चाहता हूं, सभी माननीय विधायक बैठे हैं, कोई भी आप तहसील बता दो जिसके अन्दर 400 मीटर का ट्रैक बना रखा हो। बिना ट्रैक के 'पाइका' चल रही है। जहां तक स्कूलों का सवाल है, मुद्दतें हो गई, सभापति महोदय, स्कूलों के अन्दर पी टी आई भर्ती नहीं हुए, पी टी आई नहीं हैं और एकाध जो पीटीआई हैं, वे मंत्रीजी की तरह वैसा ही डबल हुआ बैठा है। वह खुद ही नहीं भागता, तो बच्चों को क्या तैयारी करवाएगा?

इसलिए इस विधेयक का हम समर्थन करते हैं मगर जब तक खेल की नीतियां नहीं बनेंगी और उन नीतियों को लागू नहीं करेंगे, ऐसी यूनिवर्सिटी ज्यादा समय नहीं चल सकती। इसलिए हमारी मांग है कि आप इन नीतियों को लेकर आओ। जब नीतियां बनेंगी तो निश्चित रूप से राजस्थान का युवा, राजस्थान की युवतियां हरियाणा और पंजाब को मात देंगी और इस प्रदेश का नाम रोशन करेंगी।

मैं पुनः उम्मीद करता हूं, इस विधेयक के साथ हमारा समर्थन है मगर देश के खिलाड़ियों का, प्रदेश के खिलाड़ियों के मान-सम्मान में बढ़ोतरी करनी चाहिए। हालात ये हैं कि हमारे जो भी खिलाड़ी जीतकर आते हैं, वे खिलाड़ी इनकी स्पोर्ट्स काउंसिल के चक्कर लगा-लगाकर परेशान हो जाते हैं। आज प्रदेश में इतने खिलाड़ी हैं, भाटी जी ने भी कहा, जिन खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर अपना, हिन्दुस्तान का नाम रोशन किया है, उसमें सरकार का कोई उसके अन्दर योगदान नहीं है। उन्होंने अपने बलबूते पर, अपने परिवार के बलबूते पर आज मुकाम हासिल किया है। लेकिन भविष्य में प्रदेश के खिलाड़ियों को सरकार लाभान्वित करे, उनको सुविधा मुहय्या कराए, यह 'पाइका' से नहीं, 'पाइका' से नहीं, सभापति महोदय। हमारे माननीय प्रताप सिंह जी भाई साहब कह रहे हैं, अच्छी बात है, आप राशन का गेहूं खाते हैं, हम भी खाते हैं मगर उस राशन के गेहूं से आप चाइना, आप अमरीका और उन

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

लोगों को चुनौती दे दोगे क्या? कम से कम उसके लिए फूड सिक्योरिटी होना चाहिए, उसके लिए गारंटी होनी चाहिए स्पोर्ट्स के बच्चे के लिए।

इस प्रकार, विधेयक लाने के साथ-साथ, हम उम्मीद करते हैं कि आप गांव के अन्दर, हर गांव के कम से कम पंचायत मुख्यालय के ऊपर इनको एक इन्डोर स्टेडियम जैसी सुविधा मुहय्या करवायें, कम से कम आप पी.टी.आई. मुहय्या करवायें। जिलों की तो यह हालत है, सभापति महोदय, पूरे जिलों के अन्दर इनके डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स आफिसर नहीं हैं। अगर कोई हो, तो वह कहां रह रहा है, किसी को कोई पता नहीं है। इसलिये इन कमियों को दूर करते हुए नीतियों में और ध्यान दें। हम इसका समर्थन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि गांव के बच्चे तक स्पोर्ट्स की नीतियां पहुंचें और उनको तमाम सुविधाएं मुहय्या कराएं ताकि प्रदेश का नाम हिन्दुस्तान से बाहर, आगे जा सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्रीजी।

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन): माननीय सभापति महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने अपनी समस्या बताने का काम किया और कुछ साथियों ने अच्छे सुझाव देने का काम किया है। मैं निवेदन करूंगा, माननीय सभापति महोदय, जिन साथियों ने जिन समस्याओं से अवगत कराने का काम किया, उनको निश्चित रूप से दिखवाने का काम करेंगे; उसी के अकोर्डिंग, यदि कुछ कमी-बेशी वहां पर पाई जाती है तो निश्चित रूप से सख्ती से कार्यवाही करके उनका निराकरण करने का काम हम करेंगे।

कुछ साथी, जो जिस तरह से अपनी बात बताने का काम कर रहे हैं, वे माननीय खाचरियावास साहब हों, या तमाम हमारे सब साथी हों, उन्होंने अपनी बात को इस रूप में लिया है।

कुछ नीतिगत बातें भी आयीं, जहां पर हम चाहते हैं कि आज युवा पीढ़ी का वह वर्ग, जो शिक्षा की उस कड़ी से निकलकर के जब आते हैं और प्रतिभाओं के रूप में एक नये आयाम को प्राप्त करने के लिये आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से किस तरह से उनको सही ट्रैक मिल सके और वे लक्ष्य हासिल करके किस तरह से फिजिकल यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला ले सकें। ये कई तरह की ऐसी बातें हैं जहां पर मुझे खुद ही मंथन करने की आवश्यकता है, उसमें शरीक करने का काम करेंगे।

(श्री मांगीलाल गरासिया)

पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज जिस तरह से हम बात यहां पर, विधान सभा में जिस तरह से माननीय सदस्यों ने अपनी बात को, अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, उनका पूरा प्रयास करते हुए, मैं, माननीय सभापति महोदय, आपसे अनुरोध करूंगा कि इस बिल को पारित करने की कार्यवाही करावें। धन्यवाद।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय, झुंझुनूं विधेयक, 2013 पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय, झुंझुनूं विधेयक, 2013 पारित किया गया।

राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2013 । श्री हेमाराम जी चौधरी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2013

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: विधेयक को जनमत जानने हेतु निम्न माननीय सदस्य संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे: श्री ओम बिरला।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान टीनेन्सी अधिनियम, 1995 जो बनाया गया था, देश के किसान, उसकी जमीन की सुरक्षा कवच के लिये यह अधिनियम बनाया गया था। इस अधिनियम के अन्दर जो प्रावधान थे, उन प्रावधानों में यह सरकार 45 की उप-धारा (1) में संशोधन करने जा रही है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में कृषि और किसान हमारी रीढ़ की हड्डी हैं। किसान की जमीन सुरक्षित रहे, यह सरकार की भी जिम्मेदारी है और हम सबकी जिम्मेदारी है। माननीय मंत्री महोदय अपना जवाब दें, तब जो हमारी शंकाएं हैं, हो सकता है कि हमारी शंकाएं गलत हों, लेकिन इस शंका के पीछे कहीं न कहीं हमको लग रहा है कि मल्टी-नेशनल कम्पनियों और मल्टी-नेशनल कम्पनियों के साथ बहुत बड़े ग्रुप, जो किसानों की भूमि सब-लीज पर लेकर, पहले कानून में यह था कि कोई भी काश्तकार अथवा भू-स्वामी अपना

(श्री ओम बिरला)

पट्टा और कुछ भाग, सम्पूर्ण भाग केवल पांच साल की अवधि के लिये ही, इसको लीज पर दे सकता था; अब जो सरकार संशोधन ला रही है, उस संशोधन में यह ला रही है कि इस जमीन के अन्दर, स्पेशली दो चीजें लिखी गयी हैं, जिनको 15 साल या 15 साल से ज्यादा अवधि के लिये, इसको लीज पर दी जा सकती हैं, सब-लीज की जा सकती हैं। माननीय सभापति महोदय, जब सारे कानून में आलरैडी सब चीजें हैं और पांच साल की अवधि कम नहीं होती है, फिर उसमें उन दो चीजों के लिये, जिसमें इंग्लिश नाम तो कुछ और कहा जा सकता है लेकिन हम उसको 'जंगली बबूल' भी कहते हैं, प्रोसोपिज जूलीफ्लोरा या विद्युत उत्पादन के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले किसी प्रकार के अन्य पौधे के रोपन के प्रयोजन के लिये कृषि भूमि की उपलब्धता आसान बनाने के लिये धारा 45 की उप-धारा (1) में संशोधन करने जा रही है।

माननीय सभापति महोदय, अगर हम किसी जमीन, काश्तकार की जमीन को, जो सवाल इस देश के अन्दर, किसान दिल्ली में संसद पर भी गये थे और दिल्ली में संसद पर भी उन्होंने इस बात का विरोध किया था कि कांट्रेक्ट बेस पर खेती और कांट्रेक्ट बेस पर जमीन के लेने से किसान को, बहुत बड़े लम्बे समय तक लेने से, उस किसान को, अंग्रेजों की तरह मल्टी-नेशनल कम्पनियां उनकी जमीन हड़प लेंगी। वह गरीब किसान पहले पांच साल के लिये, अब 15 साल के लिये, फिर 15 साल से और बढ़ाकर 30 साल के लिये; इसमें कहीं न कहीं हमें लगता है कि जाते-जाते सरकार कई मल्टी-नेशनल कम्पनियां, कई विद्युत उत्पादन करने वाली इकाइयां, जिनके मामले के अन्दर इस विधान सभा के अन्दर कई बार सवाल उठ चुके हैं, सोलर पार्क से लेकर तमाम चीजों के लिये, कहीं उसके पीछे वह मकसद तो नहीं है। अगर वह मकसद है तो ऐसी कौनसी आफत आ गयी कि अभी जाते-जाते सरकार ... (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): कौन जा रहा है?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): अगर जा नहीं रहे हैं तो फिर दुबारा आ जाना, उस समय संशोधन ले आना। लेकिन कहीं न कहीं, इसके पीछे बड़ी कम्पनियों से धन लेकर यह सरकार कहीं न कहीं चुनाव लड़ने की नीयत रखती हो, इसके पीछे इसकी भी बू आती है।

माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में हमारे पास अभी लैण्ड अलाउ नहीं है।...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, यह इस तरह के चार्ज, जो बेसलेस चार्ज हैं, इनको एक्सपंज करें कार्यवाही से।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): शंका व्यक्त की है मैंने। (व्यवधान) खण्डन कर देना आप।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक):...कि पैसे लेने की आप साजिश करो, यह क्या तरीका है? (व्यवधान) यह कोई मर्जी आए, जो बात बोल देंगे।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आप खण्डन कर देना, मैंने शंका व्यक्त की है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यह क्या तरीका है?

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): इन्होंने फाइनल नहीं कहा, इन्होंने शंका जाहिर की है। (व्यवधान) फाइनल थोड़े ही कहा है इन्होंने।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यह क्या तरीका है? (व्यवधान) देखिये, सदन की गरिमा है, सभापति महोदय, मर्जी आये जो चार्ज नहीं लगा सकते हैं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हां, गरिमा से बोल रहा हूं मैं। (व्यवधान) मैंने आरोप नहीं लगाया, मैंने व्यक्तिश: आरोप नहीं लगाये। हां, मैं तरीके से बोल रहा हूं।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक) : गलत बात है। आप सदन का दुरुपयोग नहीं कर सकते।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य को...(व्यवधान)...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): अलाउ किया है क्या इनको?

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): हां, मुझे अलाउ किया है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आप बोलें, अलाउ किया है क्या? (व्यवधान) यह अलाउ किया है? यह मैंने जो बोला है, शब्द-टू-शब्द बोल रहा हूं, दुबारा। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप भगवान के रूप थोड़े ही हों, जो शब्द-के-शब्द बोल रहे हो और उस शब्द को मान लिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): शब्द के शब्द बोल रहे हैं। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आपके जो मर्जी आये, वह बोल देंगे, यह क्या तरीका है?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हमारी शंकाएं हैं, आप शंकाओं का खण्डन कर दें।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यह क्या तरीका है? यह इस फ्लोर का दुरुपयोग है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): नहीं, फ्लोर का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आपके पास तथ्य हों तो लेकर आओ।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आप खंडन कर देना। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): हां, खंडन कर रहा हूं न मैं। खंडन कर रहा हूं न मैं। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): राजस्थान की जनता के साथ, किसान ..(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): इस तरह के बे-सिर-पैर के आरोप कहीं पर नहीं टिकेंगे आपके। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सीलिंग कानून में क्या हुआ? सीलिंग कानून कई साल तक नहीं बदला गया। उसका देओ न जवाब। सीलिंग कानून में भी यही किया था इन्होंने। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): प्रोफेसर साहब का जवाब दो, प्रोफेसर साहब का। जवाब दो इनका। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आज तक ये क्या बोलते हैं, मुझे तो कभी समझ में नहीं आया। अगर आपके समझ में आ गया हो तो आप बता दो। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सीलिंग से किसको मिला लाभ? बताइए न आप, कितने लोगों को लाभ मिला सीलिंग का? अभी खाली एक व्यक्ति के लिए सीलिंग लाये आप। एक व्यक्ति के लिए सीलिंग कानून में चेंज किया आपने। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी जब जवाब दें तब यह भी जानकारी दे दें कि हमारी कितनी लैंड है जो अनुपयोगी है, जिसको उपयोग में लाना चाहते हैं। क्या सरकार सरकारी जमीनों को भी 15 साल की लीज पर देने के प्रावधान का, कानून का संशोधन इस पर

(श्री ओम बिरला)

ला रही है? हमारी शंका है, माननीय राजस्व मंत्रीजी, हमारी शंका दूर कर देना। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): बिरला जी, एक मिनट आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, बात हुई थी, इन्होंने कहा था कि पांच काम हम गिनाएंगे और पांच ये गिनाएंगे, तो पहले उस बात को तो खतम करो। यह फिर बीच में कहां से ले आये विधेयक? पांच काम यहां पर गिनायें कि पूर्ववर्ती सरकार के टाइम पांच काम कौनसे हुए? बात तो इस पर चल रही थी।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): बिरला जी, गिना दो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): पहले एक बार इनसे गिनवाएं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, हमें लगता है कि एस.सी., एस.टी. की जमीन, जिसको कि बिना एस.सी., एस.टी. के खरीद नहीं सकते, लेकिन, माननीय सभापति महोदय, जब माननीय मंत्री महोदय जवाब दें तो बतायें कि क्या कोई एस.सी., एस.टी. की जमीन को इस लीज में, 15 साल या 15 साल से अधिक लीज पर लेने का प्रावधान भी इसमें है क्या? क्योंकि एस.सी., एस.टी. की जमीन को लीज पर लेने के प्रावधान पर रोक नहीं है। अगर हम कानून के ज्ञाता नहीं हैं तो आप बता देना। इसके पीछे, माननीय सभापति महोदय, एस.सी., एस.टी. की जमीन ले लें, रेवेन्यू की जमीन ले लें।

एक यह बनाया कि विद्युत उत्पाद संयंत्र में काम आने वाली तमाम चीजें और स्पेसिफिक दो चीजें लिखी गईं, जिनका कोई अर्थ नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, इसलिए हमारी शंका है कि सरकार जल्दबाजी में इस कानून को ला रही है, जल्दी कानून में लाकर संशोधन करना चाहती है। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, हमारा निवेदन है कि इसको जनमत जानने के लिए भेजा जाए। राजस्थान के किसानों का इस पर जनमत जानने के बाद जो इसका जनमत आए, उसके बाद, जो भी सरकार आए, वह इस बिल को लेकर आए, तो ही हम राजस्थान के किसानों के साथ न्याय कर पाएंगे।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान टीनेंसी अमेंडमेंट बिल, 2013 सदन के विचारार्थ है। माननीय सभापति महोदय, यह बिल 2 अगस्त, 2013 को सरकार ने जो आर्डिनेंस जारी किया, उसका रिप्लेसमेंट बिल है। सदन आहूत होने के 13 दिन पहले आनन-फानन में ऐसी कौनसी आवश्यकता पड़ गई थी कि सरकार आर्डिनेंस जारी करे? सिर्फ वहीं से, जिस तेजी से सरकार ने आर्डिनेंस जारी किया, इससे शंकाएं लोगों के मन में उठने लगीं।

माननीय सभापति महोदय, यह मूल संशोधन जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की मूल धारा 45 में आप लेकर आए हैं, इस 45 में पूर्व में जो प्रावधान थे, कि कोई भी खुद-काश्त या भू-स्वामी अपनी खातेदारी की जमीन को उप-पट्टेदार या उसको लीज पर देता है तो उसको एक बार में पांच वर्ष के लिए दे सकता है; उसके बाद, मंत्री महोदय, इसी धारा 45 में यह था कि वह दो वर्ष का बीच में गैप रखेगा। उसको दुबारा से अगर अपनी जमीन को देना है तो फिर वह पांच वर्ष के लिए दे सकता है। इसके पीछे मूल भावना जो थी, माननीय सभापति महोदय, आप तो खुद किसान परिवार से आते हैं, खेती एक ऐसा कार्य है जिसमें निरन्तरता बनी रहना बहुत आवश्यक है।

माननीय सभापति महोदय, अभी जनगणना, 2011 के ताजा आंकड़े प्रकाशित हुए हैं। मंत्री महोदय, वे आंकड़े क्या कह रहे हैं, कि राजस्थान में 10 परसेंट किसानों ने वर्ष 2001 से लेकर 2011 तक की यात्रा में, अवधि में खेत को छोड़ दिया, खेत से मोह-भंग कर दिया, खेती करनी बंद कर दी। ऐसे समय में यह जो अमेंडमेंट लेकर आए हैं, 45(क) में कि 15 वर्ष के लिए कोई भी खातेदार अपनी जमीन दे सकेगा और उसको दुबारा 15 वर्ष के लिए फिर रिन्यू कर सकेगा; मंत्री महोदय, यह वह ही तो मजबूरी नहीं है कि आप राजस्थान सीलिंग एक्ट में धारा 5, 6, 7 में अमेंडमेंट लेकर आए थे? वह आपका किसान, मन जानता है कि किस दबाव में और आप क्यों लेकर आए। कहीं वह मजबूरी है तो मुझे कुछ नहीं कहना।

अब इसमें जो इन्होंने कहा कि विद्युत उत्पादन के लिए जूली-फ्लोरा और किसी अन्य पौधों के रोपण के प्रयोजन के लिए काश्तकार कृषि भूमि पर उप-पट्टे पर 15 वर्ष व तदुपरांत 15 वर्ष के लिए लीज पर देने का संशोधन यह लेकर आए, यह जूली-फ्लोरा क्या है, मंत्री महोदय? आज राजस्थान के किसान का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है, यह वृक्ष नहीं, झाड़ी है, तो यह जूली-फ्लोरा, अंग्रेजी बबूल है। आप एक तरह से इसकी आड़ के अन्दर एक तो यह

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

संदेश देना चाहते हो कि जूली-फ्लोरा खूब लगाओ। विद्युत उत्पादन में उसका क्या उपयोग है? मैं जानना चाहता हूं, वह वैज्ञानिक रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के आधार पर आप कह सकते हो कि जूली-फ्लोरा, इस प्रकार के प्लांट का विद्युत उत्पादन में क्या उपयोग रहेगा? आपको मालूम है कि जूली-फ्लोरा का जो कोयला बनता है, वह कोयला भी बहुत छोटा बनता है, उसकी क्लोरिफिक वेल्यू भी दूसरे कोयलों से बहुत कम रहती है। यह क्यों कर रहे हैं आप? कैसे कर रहे हैं?

माननीय सभापति महोदय, अगर किसान अपनी जमीन बेचे तो उसको औने-पौने दो आने, जो मिले, जो मिले। अब आप तीस वर्ष के लिए किसान के हाथ से जमीन ले रहे हो। आज एक तरफ हम सब कहते हैं, कृषि प्रधान राजस्थान, राजस्थान में हमें उत्पादन की आवश्यकता है, आप फूड सिक्योरिटी बिल लाने की बात कर रहे हो, कहां से फूड आएगा? कहां से अन्न आएगा आपका? दूसरी तरफ, आप इन जमीनों को किसी न किसी तरह से धन्ना सेठों की तरफ धकेल रहे हैं और विद्युत उत्पादन का आप इसके अन्दर बहाना ले रहे हैं। मुझे वह योजना बता दो, मुझे वह आपकी वैज्ञानिक अध्ययन रिपोर्ट बता दो जिस आधार पर आप यह कह रहे हों कि यह जूली-फ्लोरा और दूसरे प्लांट इसके अन्दर विद्युत उत्पादन में उपयोगी होंगे।

1955 में, मंत्री महोदय, आपका यह कानून बना, टीनेंसी एक्ट के अन्दर कितने संशोधन आएं? आपने क्या वादा किया था कि हम रि-राइट करेंगे इसको? आज आपका यह आखिरी सत्र है, सलेक्ट कमेटी के पास आपका वह बिल आज भी पेंडिंग है। आपने तो वादा किया था न घोषणा-पत्र में कि हमारी सरकार बना दो, घोषणा पत्र में...(व्यवधान)...

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): सलेक्ट कमेटी में कौनसा बिल पेंडिंग है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): टीनेंसी वाला, यह अमेंडमेंट बिल, नया बिल। रि-राइट करने की बात थी। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): कौनसा टीनेंसी वाला? क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): राजस्थान टीनेंसी बिल की बात कर रहा हूं मैं, इसको रि-राइट करने की बात थी।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): कौनसी बात कह रहे हो आप?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अगर नहीं है तो मना कर देना।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नाम बताइए। आपने अभी कहा है कि पेंडिंग है तो उसका नाम बताइए न कि कौनसा बिल पेंडिंग है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): राजस्थान टीनेंसी बिल को रि-राइट करने की बात थी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): रि-राइट की बात करना अलग बात है, आपने कहा कि पेंडिंग है। सदन में हमेशा इस तरह की गलत सूचनाएं देने के आप आदी हो चुके हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): रि-राइट करने की बात नहीं थी?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): रि-राइट करने की बात अलग है, वह अलग हिसाब है; सवाल यह है कि अभी आपने कहा कि साहब, बिल पेंडिंग है, प्रवर समिति के सामने पेंडिंग है। आपने यह कहा अभी। इस तरह की गलत सूचनाएं दे दिया करते हो, यह आदत पड़ गई है आपकी। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आपकी पूर्ववर्ती गहलोत साहब की सरकार के वक्त इसी अभिधृति विधेयक के लिए सलेक्ट कमेटी बनाई गई थी और पूरा टीनेंसी एक्ट बनाने के लिए सलेक्ट कमेटी बनाई गई थी। वह पेंडिंग क्या, वह तो मृत हो गया लेकिन सरकार की इच्छा ...(व्यवधान) सलेक्ट कमेटी के बाद...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पेंडिंग है क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): चलो, पेंडिंग नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आपके विधायक दल में वह टर्न-डाउन हो गया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं पूछना चाहता हूं, संसदीय कार्य मंत्रीजी, आप चुनाव घोषणा पत्र...(व्यवधान)... एक मिनट, आप चुनाव घोषणा पत्र के अभी भी संयोजक हैं और पहले भी इस घोषणा-पत्र में थे, क्या यह सही नहीं है कि आपने राजस्थान की अवाम से वादा किया था कि जितने भी प्रचलित कानून हैं, उनकी समीक्षा करेंगे? सरलीकरण करने के लिये तीन वरिष्ठ अधिवक्ताओं की एक समिति बनायेंगे? मुझे आप बता दें कि आपने अपने वायदे

(20.00 बजे)

(श्री राजेन्द्र राठौड़)
के अनुसार क्या तीन वरिष्ठ अधिवक्ताओं की समिति बनाई? क्या आपने यह भी वायदा नहीं किया था? आप किसान के हाथ से जमीन छीनना चाहते हो; उसको प्रेरित कर रहे हो, जमीन धन्ना सेठ को सौंप दें। कृषि भूमि अधिग्रहण के लिये किसान को उनकी भूमि का उचित मुआवजा दिया जाये, हरियाणा की तर्ज पर उन्हें उसकी भूमि का किराया मिले, इसके लिये प्रभावी कानून बनाने की घोषणा आपने अपने घोषणा पत्र में नहीं की थी?

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, और, मंत्री महोदय, एक आपका आर्डिनेंस, जो आपने 12 अगस्त को जारी किया, इसी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में एक नई धारा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 230 ए, जिसका बिल लाने की आपकी हिम्मत नहीं हुई, पर आपने किया उसको। आपने उस अध्यादेश के माध्यम से, राजस्थान के वे काश्तकार, जिनके राजस्व वाद चलते हैं, तहसीलदार के पास चला, एस डी एम के पास चला, ए डी एम, कलक्टर के पास चला, उन सबके अन्दर जो इंटरिम आर्डर हैं, कहीं पर उसमें किसी ने कहा कि मुझे इसमें पार्टी बनाया जाये; किसी ने कहा, जवाब 90 दिन में नहीं दे सका, तो इसका समय बढ़ाया जाये; किसी ने कहा कि जो इश्यू फ्रेम किये हैं, उस इश्यू के अन्दर मुझे रिविजन में जाना है, आपने रिविजन में जाने के अधिकार को समाप्त नहीं कर दिया? (व्यवधान) नहीं, बिल नहीं हैं, वह आर्डिनेंस, जो आर्डिनेंस 12 अगस्त को...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): वह पेश ही नहीं हुआ न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, आप मना कर देना न। आपने 12 अगस्त को जारी किया, उससे आज कितने अधिवक्ता हड़ताल पर हैं? आपके मुख्य मंत्रीजी ने कहा, हम आर्डिनेंस लेकर नहीं आयेंगे, आपने आर्डिनेंस लाकर राजस्थान के किसानों के साथ अन्याय करने का काम कर लिया। आपने रिविजन के सारे अधिकार, जो रेवेन्यू बोर्ड में थे, सभापति महोदय, आप तो खुद वकील हैं, अब यह रिविजन के अधिकार खतम कर दिये। 20 हजार रिविजन पेंडिंग हैं रेवेन्यू बोर्ड में, एक आर्डर के साथ सब रद्द कर दिये। सबको हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। यह किस तरह का कानून बनाते हैं? आर्डिनेंस को बिल के रूप में लाने की आपकी हिम्मत नहीं हुई। तो खड़े होकर कह देना, हम बिल नहीं ला रहे, और आर्डिनेंस को वापस ले रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा...(व्यवधान)...

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): आप किस पर बोल रहे हो? पता ही नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह जो सीलिंग एक्ट लेकर आये... (व्यवधान)...

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): इतने सीनियर मेम्बर होकर हवा में बातें कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, हवा में क्यों कर रहा हूं?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): हवा में ही है। और क्या है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, आर्डिनेंस लेकर नहीं आये।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): यह बिल किस पर है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सुनिये आप, मैं बात कर रहा हूं ... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): यह प्रोविजो है, उसके बारे में सिर्फ दो शब्द हैं, यह एक लाइन है। इसके अलावा आप किस पर बोल रहे हों?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मेरी बात आप सुनिये। आप राजस्थान टीनेंसी अमेंडमेंट बिल के अन्दर, इस सेक्शन के अलावा और आर्डिनेंस लेकर नहीं आये क्या 12 अगस्त को? मना कर देना न आप।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): उस पर चर्चा हो रही है? चर्चा किस पर हो रही है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मुझे यह जानने का अधिकार तो है। मंत्री महोदय, आप आर्डिनेंस लेकर आये हैं, एक नया कानून लेकर आये हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): हाउस में पेश नहीं हुआ है, इसलिये आपको बोलने का अधिकार नहीं है।

श्री सभापति: प्रताप सिंह जी क्रीड़ा विश्वविद्यालय पर बोल रहे थे, वैसे ही ये बोल रहे हैं।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आसन की टिप्पणी गम्भीर है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, आशा तो मैं करता हूं, आसन पर शायद आप आखिरी बार ही विराजे हैं, आप बड़े गरिमापूर्ण आसन पर बैठे हैं, आपको अपने मुंह से शब्द निकालने से पहले, क्योंकि ज्ञान का भंडार आपके पास ही है क्या? नहीं, आपके पास ही ज्ञान का भंडार है क्या? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आसन से इस तरीके से बात नहीं करते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): क्या तरीका है आपका? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप आसन को धमकाने की कोशिश कर रहे हो क्या? आसन ने व्यवस्था दी है कि आप हवा में बातें कर रहे हो।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): यह आपको शोभा देने की बात नहीं है, शर्म की बात है। आसन की एक गरिमा होती है, एक इज्जत होती है। (व्यवधान)

श्री सभापति: मैंने आपके लिये ही नहीं, मैंने इनके लिये भी बोला है। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): नहीं, कोई इस तरह से आसन से बात की जाती है। आपसे उम्मीद थोड़े ही रखते है, इस तरह से, राजेन्द्र जी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ये किस तरह टिप्पणी कर रहे हैं?

श्री सभापति: टिप्पणी नहीं की है, राजेन्द्र जी, आपने कुछ सुना ही नहीं, मैंने क्या बोला।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): वह 230 लाये हैं, 230 को 230- ए में बदलना चाह रहे हैं, लाये हैं, बिलकुल आर्डिनेंस लाये हैं।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): वह तो आपकी तरफदारी करके बोल रहे हैं कि जैसे वे बोल रहे हैं, वैसे आप बोल रहे हैं। आपकी तरफदारी कर रहे थे, राजेन्द्र जी।

श्री सभापति: आप समझे ही नहीं उस बात को।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मैं माफी चाहूंगा...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, मैंने भी आपको एक अर्जी दे रखी है। अब फिर कब? एक-एक आदमी को पांच-पांच बार बुलवा रहे हो और एक हम बैठे हैं ढाई-तीन घंटे से।

श्री सभापति: मैं आपको नहीं बुला पा रहा हूं। जब यह विषय पूरा हो जायेगा, तब बुलायेंगे आपको।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): +++ इनके बाद मेरा नाम है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): राजस्थान के अन्दर राजस्व मंडल में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

काम करने वाले जो एडवोकेट हैं, वे सारे हड़ताल पर हैं, इसी आर्डिनेंस को लेकर। अगर आप इस आर्डिनेंस को लागू नहीं करना चाहते हैं, या वापस लेना चाहते हैं, तो घोषणा कर दें ताकि राजस्थान के अन्दर आज जितने लिटिगेंटस परेशान हैं, और राजस्थान के अन्दर आज जो काश्तकार के सामने इस तरह लग रहा है कि हमारे रिविजन का अधिकार चला गया, राजस्थान के जो वकील हड़ताल पर हैं, वह संशय तो दूर हो जाये।

मंत्री महोदय, राजस्थान सीलिंग एक्ट, 1973 में जो आप लेकर आये थे धारा 17 में, 5, 6 और 7 में, क्या यह सही नहीं है, क्या यह सही नहीं है कि उसके पीछे ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): उस पर डिस्कशन कर लो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपका उन कम्पनियों को फायदा देने का मकसद नहीं था जिन्होंने सीलिंग एक्ट का उल्लंघन करके बीकानेर के अन्दर, जैसलमेर के अन्दर जमीनें खरीद लीं? स्काईलाइट प्रा. लि. हो, चाहे नोर्थ इंडिया आई टी पार्क लिमिटेड हो, चाहे न्यू ...प्रा. लि. हो, चाहे स्काईलाइट हास्पिटिलिटी हो और इनके पीछे कितने बड़े आदमी का हाथ था। क्या उसी तरह के दबाव में आप आये हो?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): बीस बार बोल चुके हो आप यह बात...

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): आप किस विषय पर बोल रहे हो?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): और आप यह विषय पर बोल रहे हो क्या?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): इतने सीनियर मेम्बर होकर हाउस को आपने मजाक बना रखा है क्या?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): कोई मतलब नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह एक तरह से जो संशोधन लाये हैं, इस संशोधन के पीछे सरकार की मंशा साफ नहीं है। एक तरफ राजस्थान का किसान खेतों से विमुख होता जा रहा है, नई जनगणना कह रही है कि 10 प्रतिशत किसान खेती से दूर हो गये, ऐसे समय में यह कानून उन किसानों को और प्रेरित करेगा। इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।

श्री सभापति: डा. दिगम्बर सिंह जी।

(श्री सभापति)

(अनुपस्थित)

श्री रोहिताश कुमार जी।

(अनुपस्थित)

श्री फूलचन्द भिण्डा।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापति जी, यह बबूल वाली जो बात है, यह राजस्थान की खेजड़ी को खतम करने का षड्यंत्र है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पौधे के बारे में वैज्ञानिक तथ्य जाने जाये। इसके नीचे घास भी नहीं उगती। अगर खेजड़ी के नीचे बाजरा बोते हैं, गेहूं बोते हैं, तो हो जाता है, चना हो जाता है परन्तु इस पेड़ के नीचे कोई फसल नहीं होती। इस कारण से, इसके बारे में कानूनी प्रावधान करके राजस्थान का किसान, जो खेजड़ी से लूम प्राप्त करता है, आप बता दीजिये, कोई भी बता दे, हमारे सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं, क्या बकरी खाती है, क्या गाय खाती है उस पत्ती को? जब कोई भी उस पेड़ की पत्ती को नहीं खाता तो फिर उस पेड़ को क्यों लाना चाहते हैं? उसकी लकड़ी कितनी जलाने के काम आती है? खेजड़ा साल में एक बार काम में आता है। काटकर बताइये उसको, कितनी लकड़ी आती है। मैं भी किसान का बेटा हूं, निश्चित रूप से किसान का बेटा हूं मैं, शिक्षक रहा हूं, लेकिन किसान का बेटा हूं मैं, जलाने की बात नहीं है, उसमें खेजड़ी को समाप्त करने की बात है।

आज बताइये, चार चीजें, जो पेड़ कहती हैं, उसके लिये क्यों नहीं अभियान चलाते? आप उसके लिये कानून में प्रावधान क्यों कर रहे हैं? यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या इसके वैज्ञानिक तथ्य जान लिये गये? जिस पेड़ को हम कानूनीजामा पहनाना चाहते हैं, क्या उसके बारे में हमने वैज्ञानिक तथ्य जान लिये? उसका फ्यूचर जान लिया हमने? उसकी जमीन की जो उर्वरा शक्ति है, उसके बारे में हमने जान लिया?

मैं आपके माध्यम से इसलिए निवेदन कर रहा हूं, हालांकि वे भी किसान हैं, हमारे राजस्व मंत्री किसान हैं, लेकिन किसी न किसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी, जो इनके माध्यम से नहीं, और कहीं से आई हुई हैं, कुप्रभाव डालकर, इनको मिसगाइड कर रही हैं। जो यह सीलिंग कानून में किया गया है, मैं सदन को आगाह करना चाहता हूं, जो यह कीकर का शब्द है, इसको हटाया जाये। बाकी पास कर लें, मुझे आपत्ति नहीं है, यह जरूर हटना चाहिये। यह निवेदन सदन से कर रहा हूं, वरना आने वाली पीढ़ी आपको भी बरदाश्त नहीं करेगी। ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री सभापति: श्री बंशीधर खण्डेला।

(अनुपस्थित)

श्री पेमाराम जी।

(अनुपस्थित)

श्रीमती अनिता भदेल।

(अनुपस्थित)

श्री अमराराम जी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, यह टीनेंसी एक्ट, 1955 की धारा 45 में अमेंडमेंट लेकर आये हैं। बात समझ में आती है कि जो टीनेंट हैं, क्योंकि पहले तो 1955 का टीनेंसी एक्ट है, शायद इसके नाम, सूत्र को छोड़कर कोई धारा नहीं बची है, आज तक, जिसका अमेंडमेंट नहीं कर दिया गया है और पूर्ववर्ती जो कांग्रेस की सरकार थी, आज से 10 साल पहले, निश्चित रूप से उन्होंने प्रयास किया था कि इसको, वाकई जो आज की तारीख में टीनेंट है, उनके साथ जो समस्याएं हैं, उनको मोडिफाईड करने के लिये एक सलेक्ट कमेटी बनाई थी। सलेक्ट कमेटी ने पूरे चार साल तक काम करने के बाद जो सुझाव दिये, जो अमेंडमेंट दिये, निश्चित रूप से यह हिम्मत नहीं कर पाये कि उसको पास कर दें। इन्होंने विधायक दल की बैठक में उसको टर्न-डाउन कर दिया।

सभापति महोदय, मुझे समझ में आता कि राजस्थान में वाकई जो टीनेंट हैं, जो खेती करता है, उसके आधार पर काश्त गिरदावरी होती थी, उसकी ये चिन्ता करते तो बात समझ में आती। आज राजस्थान में लाखों एकड़ जमीन, हेक्टेयर जमीन ऐसी है जो मंदिर/मूर्ति के नाम से है, जहां पीढ़ियों से काश्त करते आ रहे हैं। चाहे आज वह किसान काश्त करता है, चाहे उस मंदिर का पुजारी काश्त करता है, उसको अधिकार देने की बात करने के लिए संशोधन लेकर आते तो बात समझ में आती। किसके लिए संशोधन लेकर आ रहे हैं? उन कम्पनियों के लिए जो खेती का कारोबार करेगी?

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): नहीं, खेती नहीं, बिजली का कारोबार करेंगे।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): बिजली का नहीं, साहब। यह साफ लिखा है कि 'परन्तु यह उपबन्धित करता है कि ऐसे कृषि प्रसंस्करण और कृषि कारोबार उद्यम जो राज्य सरकार या उसके द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी द्वारा विहित रीति में अनुमोदित किये जाएं'।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): एग्रो वाला तो पहले से ही है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): लेकिन कान्ट्रेक्ट करने के लिए 15 साल का...

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): यह अभी नहीं है, यह तो पहले का है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 15 साल करने के लिए ही तो लेकर आये हैं; 5 से 15 साल तक यह प्रसंस्करण कांट्रेक्ट फार्मिंग के लिए ही तो लेकर आये हैं। पांच साल का प्रोविजन था, उसको 15 साल और फिर 15 साल के लिए है। यही तो है। किसके लिए चिन्तित हैं? कम्पनियों के लिए चिन्तित हैं। राजस्थान में वाकई जो खेती कर रहा है, बड़े-बड़े अफसर, बड़े-बड़े राजनेताओं के फार्म हाउसेज जयपुर के बीस किलोमीटर दूर तक हैं, काश्त करने वाले काश्तकार की चिन्ता नहीं है; किसान के लिए खेती नहीं, सरकार की चिन्ता यह है कि कम्पनियों के लिए खेती होनी चाहिए।

आज भी पूरे देश में कृषि के लिए जो लोन जा रहा है, उसमें 75 प्रतिशत लोन उन कम्पनियों के नाम पर जा रहा है, खेती के नाम से। कारपोरेट खेती, किसान के लिए खेती नहीं। सब कुछ देश की सरकार और राजस्थान की सरकार कम्पनियों के लिए कितनी चिन्तित है! सब कुछ कम्पनियों को हो रहा है। सीलिंग किसान पर लागू होगी लेकिन कम्पनी पर लागू नहीं होगी! इसका नतीजा पूरे देश में, हरियाणा से लेकर राजस्थान तक देख रहे हैं। ऐसा तमाम सरकारें कर रही हैं। गुजरात की सरकार भी यही कर रही है, राजस्थान की सरकार भी यही कर रही है। केवल कम्पनियों की ही चिन्ता हम करें और खेती को घाटे का सौदा बनाने का नतीजा यह है कि 2001 से लेकर 2011 तक 10 प्रतिशत वे स्माल फार्मर्स हैं जिनकी जमीनें उनके हाथों से निकल गयीं, वे भूमिहीन बन गये। राजस्थान में गंगानगर और हनुमानगढ़ तो वे जिले हैं जहां पचास प्रतिशत की संख्या क्रोस कर रही है, जो भूमिहीन हैं। उनकी जमीनें किस तरह से हक से जा रही हैं।

बात समझ में आती, राजस्थान की सरकार वाकई उस सिंचित इलाके में चौथे हिस्से में, पांचवें हिस्से में काश्त करता है, उसके राइट के लिए अगर सरकार लेकर आती तो हम धन्यवाद देते। वह किसान जो पीढ़ियों से काश्त कर रहा है, उसके पास आज भी खातेदारी का हक नहीं है, उसको भूमि सुधार के लिए कोई भी हक नहीं है, उसके लिए सुधार लेकर आते, लेकिन सरकार कम्पनी के लिए चिन्तित है, राजस्थान की जनता के लिए नहीं है।

(श्री अमराराम)

मैं इस बिल का इस आधार पर विरोध करता हूं कि केवल कम्पनियों के लिए खेती, किसान के नाम से आने वाला लोन 75 प्रतिशत कम्पनियों के पास जाए, कम्पनियों को क्या परेशानी आ रही है? कम्पनियां जमीन का कारोबार करके करोड़ों रुपया कमा लें, इसके लिए जो कानून में अड़चनें हैं वे निश्चित रूप से हटा रहे हैं और उसका नतीजा आप और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से विदेशी व्यापार हमारे यहां आयेगा, आज आ गया, 1947 में एक रुपया और एक डालर बराबर था और आज एक डालर 68 रुपये के बराबर जा रहा है। आप जब तक कम्पनियों की बजाय हमारे लोगों की चिन्ता नहीं करेंगे और उनकी तिजोरी भरने के लिए संशोधन लायेंगे, तो मैं समझता हूं कि उसका नतीजा जनता के विपरीत होगा, कम्पनियों के पक्ष में होगा।

इसलिए इस विधेयक को जनमत जानने के लिए भेजा जाए और जनता की राय लेने के बाद ही इसको पास किया जाए।

श्री सभापति: श्री मोहन लाल गुप्ता।

(अनुपस्थित)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मेरा नाम मत लेना।

श्री सभापति: इसमें नहीं है आपका।

श्री केसाराम जी चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): सभापति महोदय, सरकार काश्तकार की जमीन पर अंग्रेजी बबूल पैदा करने के लिए यह संशोधन, 15 साल की लीज पर और फिर 15 साल से 15 साल के लिए लीज पर और देने के लिए, कम्पनियों को बिजली पैदा करने के लिए, अंग्रेजी बबूल की खेती करने के लिए लेकर आयी है।

सभापति महोदय, अंग्रेजी बबूल के नीचे एक पौधा भी नहीं उग सकता और जहां-जहां ये बबूल हो गये, उस खेत को ऊसर बना देंगे। हेमाराम जी, आप तो खुद काश्तकार हैं और काश्तकार होकर भी अगर आप ऐसी चीजों को प्रोजेक्ट करें तो आने वाला समय क्या करेगा?

सभापति महोदय, पहले तो इन्होंने जूली फ्लोरा के जो कोयले बनाये जाते थे, उसके ट्रांसपोर्टेशन पर रोक लगायी। मतलब, लकड़ी काट सकते हैं, उसका कोयला बना सकते हैं, उसका कोयला बनाने के बाद ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते तो वह कोयला कहां जायेगा? उसके पीछे लाखों रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है। उन ठेकेदारों से बड़ी रकम लेकर ऐसा कानून पास किया कि इसका

(श्री केसाराम चौधरी)

ट्रांसपोर्टेशन नहीं किया जा सकता और उसका सीधा सा सवाल है कि जो बिजली कम्पनियां, जो बिजली पैदा करने के लिए संयंत्र लगा रही थीं, उन्होंने करोड़ों रुपयों की सब्सिडी लेकर, सिरोही के अन्दर कोई प्लांट लगने वाला था उस प्लांट की कितने रुपये की सब्सिडी खा गये और खाकर, अंग्रेजी बबूल के नाम से कि अंग्रेजी बबूल नहीं मिल रहा है, उस प्लांट का कोई पता नहीं है।

इस तरह से, ऐसे काम करके आप अंग्रेजी बबूल की खेती करना चाह रहे हो, यह देश के लिए हितकर नहीं है, देश के किसान के लिए हितकर नहीं है। 15 साल के लिए लीज पर देकर अगर उस पर अंग्रेजी बबूल बो दिया, तो उस जगह पर वापस कभी खेती हो ही नहीं सकती। 15 साल पर लीज के लोभ में वह किसान अपनी जमीन दे देगा और उसमें अंग्रेजी बबूल लगाकर बिजली पैदा करने की जो कल्पना कर रहे हैं, वह ठीक नहीं है।

इसलिए मैं समझता हूं कि अंग्रेजी बबूल पैदा करने के लिए, कम्पनियों को देने के लिए इस बिल को रोकना चाहिए; जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाना चाहिए ताकि जनता इसका सही माइने में फैसला कर सके कि अंग्रेजी बबूल इस देश के लिए हानिकारक है या फायदेमंद है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए।

श्री सभापति: श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

(अनुपस्थित)

श्री राव राजेन्द्र **सिंह** जी।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप सेक्शन 45 के सब-सेक्शन 1 का अमेन्ड कर रहे हैं, आप सब-सेक्शंस 2, 3, 4, 5 को तो अमेन्ड नहीं कर रहे?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): सेक्शन 45(1) का प्रोविजो।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): 45(1) का सिर्फ पीरियड। अब आप सेक्शन 45 का सब-सेक्शन 5, 'Interval between sub-leases, पढ़ें आप। उसमें रेस्ट्रिक्शन है कि एक बार लीज करने के बाद में दूसरी बार लीज करने से पहले दो वर्ष का अन्तर काल होना चाहिए। आपका बिल स्पेसिफाई नहीं कर रहा।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): इसमें कहां है? पहले से ही नहीं है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं आपको यह पढ़ दूं, "The bar in this section against sub-letting within two years of any portion of a holding being held by a sub-tenant makes no distinction between a sub-tenant holding..." Page 247 of the Tenancy Act. यह ओरिजनल एक्ट है। सबसे पहले इसमें मैं आपसे यह निवेदन करूंगा, this needs to be checked with your department. आप देख लें।

जिस उद्देश्य से आप यह अमेंडमेंट ला रहे हैं, बेसिकली एनर्जी स्टार्व्ड हमारा स्टेट है और इलेक्ट्रिसिटी, पावर जनरेट करने के लिए हमने यह रिलेक्सेशन देने का मानस बनाया है। हमारा बेसिक इन्टेंशन यह है कि हम कम से कम एनर्जी इन्टेंस स्टेट बनें। आप जिस प्लांट से यह बनाने जा रहे हैं, आपको मालूम है कि पहली बार इस प्लांट का ईजाद कहां हुआ? और इसकी फर्स्ट एक्सटेंसिव प्लांटेशन कहां हुई? मैं आपकी जानकारी के लिए यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिसको आपको चलित नाम से जूली फ्लोरा कहते हैं, इसमें पेवेनाल नेगेटिव एण्ड मैस्क्युटाल जैसे केमिकल्स पाये जाते हैं और जब आप इसको बर्न करेंगे, यह यूज तो थर्मल में ही आयेगा, जब आप इसको बर्न करेंगे तो यह एन्वायरनमेंट में कार्बन फुटप्रिंट छोड़ेगा। जब यह कार्बन फुटप्रिंट छोड़ेगा, इसको प्रथम बार इथोपिया में देखा गया था, इथोपिया में इस चीज को जब देखा और हवाई, और श्रीलंका तक इसका इस्तेमाल हो चुका है और आपको मालूम है, वहां यह किस नाम से जाना जाता है, It is known as 'table tree'. यह जितनी शंकाएं सब लोग बता रहे हैं न कि इसके नीचे कुछ नहीं हो सकता, 80 हजार 8 लाख हैक्टेयर के एरेबल लैण्ड में इसका टैस्ट हुआ है। I am not saying out of hand because I have taken it from some where. This is a document available on a research site. और मैं पढ़ दूं, जब आस्ट्रेलिया में इसका हुआ, it is also known as mesquite, इसका एक और नाम है; यह वह ही स्पीसीज है, having severe.... मैं आपको वह एक वाक्यांश बता रहा हूं जो इसमें आया है, "Having severe economical and environmental impact"

मैं तो आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि आखिर बिजली जनरेट करने के लिए जब हमारे पास में अन्य प्रकार के रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, जो पाल्युटेंट नहीं हैं, जो एन्वायरनमेंट को क्लीन रखते हैं, चाहे आप सोलर एनर्जी की बात कर लें, चाहे आप विंड एनर्जी की बात कर लें, किसी हद तक साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट तो न्यूक्लीयर एनर्जी को भी ग्रीन एनर्जी मानता है, तो क्यों आप प्रत्यक्ष में नहीं, परोक्ष रूप में इस प्रकार का संशोधन लाकर, इस

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

प्रकार के प्लांटेशन को आप एनकरेज कर रहे हैं जिसके उपयोग में, जिसका अगर सदुपयोग हो गया तो इसके उपयोग के उपरान्त प्रदेश के एन्वायरनमेंट को कार्बन फुटप्रिंट जैसे एन्वायरनमेंट्स पाल्यूटेंट्स का सामना करना पड़ेगा? मेरा आपसे पहला सवाल यह है।

और क्या आप इसके साथ जैट्रोफा को भी जोड़ दोगे? क्योंकि जैट्रोफा से जो फ्यूल निकलता है, वह फ्यूल आटोमोबाइल में भी काम आ सकता है, वह फ्यूल किसी जनरेटर को चलाने के लिए भी काम आ सकता है! तो क्या आप उसको भी इसमें जोड़ दोगे?

आपने इसी प्रकार, आपका इसमें जो मेन्शंड है, आपने स्पेसिफाई दिया नहीं, या तो आप स्पीसीज को स्पेसिफाई कर दो कि इसके अलावा हम किसी को नहीं करेंगे, अगर वह आयेगा then that includes methanol. That also emits carbon. It is less carbon emitter, but it definitely, does lead to that, बिकॉज उसमें प्योर फोर्म में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि प्योर फोर्म में वो इकॉनोमिकल ही नहीं है। जब तक प्रति प्लांट 6 किलोग्राम का उत्पादन नहीं होगा तब तक, ढाई से तीन किलोग्राम के उत्पादन का प्लांट कभी भी इकोनोमिकल कामर्शियली नहीं हो सकता।

यह आपके पूर्व के राष्ट्रपति द्वारा 2005-06 की साईंस कांग्रेस में आल्टरनेटिव एनर्जी और फ्यूल पर दिये गये वक्तव्य का सारांश मैंने आपको सुनाया।

अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इस सेक्शन 45 के (1) को तो अमेंड करके 15 साल, 15 साल की कर ली, अब मुझे बताइये, if he is a minor, if the landholder is a minor at that time, you are restricted by minors' holding 'as restricted', a particular tenancy. If the person is minor and he attains majority during that period of 15 years, what will be the subject matter of that contract? Both will prevent somebody.

अगर आपका मान लिया जाए कि 15 प्लस 15, 30 साल के लिए कर लिया, उसने एक दिन का गैप बीच में रख कर दोबारा 15 साल की सब-लीज कर दी, आपका सेक्शन 5 इन्टरवेल का प्रोविजन रखता है तो क्या आप दो साल का इन्टरवेल रखोगे या नहीं, यह स्पष्ट तो करो। और अगर आप रखोगे तो ऐसा कौनसा प्लांट है जो तीन साल में तो बढ़ जायेगा, तीन साल में यूज हो जायेगा और इकोनोमिकली और कामर्शियली वाएबल होकर किसी इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस में आ जायेगा?

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

The question is that you are opening the doors for the people to misuse your own law for an activity which will not only be environmentally hazardous but also nullifit. Section 42, Section 42 restricts purchase of land of certain castes or sections of community by a general person. एस.सी., एस.टी. की जमीन को अगर 30 साल तक किसी को लीज करवा दोगे, तो आप सपनें में भी आशा कर सकते हो क्या कि वह जमीन वापस उसके पास आ जायेगी? अगर आपने यह चीज अलाउ कर दी तो सेक्शन 42, जो जनरल रेसिसटेंस है, उसको वाएबल करोगे आप।

तीसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, फिर आपका एग्रीकल्चर सीलिंग एक्ट का मायना ही क्या है? मैं एक हजार हेक्टेयर जमीन 15 साल की लीज पर ले लूं और अकेला ले लूं, I will not violate your agricultural ceiling standard. या जो आपका स्टैंडर्ड एकड़ है, I can hold on 2 thousand of big as of land, keep on getting it sub-leased in one name or another, and for time in memorial, it can be in the domain of my family.

आखिर ऐसी कौनसी आवश्यकता है और जिस प्लांट का आप जिक्र कर रहे हैं, उस प्लांट से पर्यावरण में प्रदूषण हो सकता है। इक्कीसवीं शताब्दी में सबसे बड़ा और अगर सबसे महत्वपूर्ण, सभापति महोदय, कोई पाइंट है तो तो एन्वायरनमेंट को ग्रीन रखने का है, पोल्युशन फ्री-रखने का है। आप गरीब के पेट पर लात मार रहे हों; एस.सी., एस.टी. की जमीन को पिछवाड़े से बिकवाने का आप प्रोविजन कर रहे हों और आप ऐसा प्लांट उगा रहे हों जिसको अगर पशु खा लेगा तो उस पशु की मृत्यु अधिक मात्रा में खाने पर होती है, थोड़ सा खाने पर नहीं होती, लेकिन उस पशु के लिटर से जो सीड जनरेट होता है, यह साफ आया है कि आठ लाख हेक्टेयर के लैंड पर जब यह हुआ, तो उसके बगल में जितना ग्रासलैंड था, उस सबको पाल्यूट कर के उस ग्रासलैंड को ही खतम कर दिया। यह मैं नहीं कह रहा, यह तो रिसर्च का पेपर कह रहा है।

आप सिर्फ बिजली बनाने के लिए इतना कुछ करना चाह रहे हैं, तो मैं छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं, आप बांसवाड़ा में न्यूक्लीयर प्लांट लगा रहे हैं, न्यूक्लीयर फ्यूल काम्प्लेक्स लगा रहे हैं कोटा में, आपके आठ-आठ यूनिट न्यूक्लीयर एनर्जी के वर्क कर रहे हैं, विंड एनर्जी आ रही है, हजारों एकड़ और हेक्टेयर्स में आप सोलर पैनल खड़े कर रहे हैं, तो एक ऐसा एन्वायरनमेंट पाल्यूटेंट का प्लांट लगाकर आप लैंड सीलिंग एक्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं;

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)
लैंड प्रोटेक्शन टू द माइनोरिटीज या एस.सी., एस.टी. पीपल को कंट्रावीन कर रहे हैं, और आप इसमें क्लेरिफाई भी नहीं कर रहे कि आखिर यह लीज के टेन्योर के बीच का रेस्ट पीरियड रेस्ट्रिक्टिव रहेगा या नहीं रहेगा।

मेरी ये कुछ शंकाएं थीं, इसलिए मैने निवेदन किया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्रीजी।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): सभापति महोदय, जैसा कि राजस्थान में बिजली की कमी को देखते हुए, बिजली के उत्पादन के लिए सोलर और विंड से भी उत्पादन के बारे में सरकार ने पालिसी बनायीं, लिग्नाइट से भी बिजली के उत्पादन के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया, जिससे बिजली के उत्पादन में वृद्धि हुई। ऊर्जा विभाग ने बायोमास पालिसी 2010 में अपनायी, जिसके तहत बिजली के जनरेशन के लिए इस प्रोसोपिस पौधे की जरूरत रहेगी और अन्य प्रकार के पौधे भी, जो बिजली के उत्पादन के प्रयोग में काम में आ सकते हैं, उनके लिए यह जरूरी समझा गया।

इसलिए काश्तकार की भूमि पर, अगर कोई काश्तकार इस प्रकार के प्लांटेशन के लिए जमीन वह लीज या सब-लीज पर देना चाहे तो वह दे सकता है, उसके लिए प्रावधान किया गया। काश्तकार से कोई भी कम्पनी जबरदस्ती जमीन नहीं ले सकती। वह काश्तकार की इच्छा पर है, वह दे या नहीं दे; वह ठीक समझे तो दे। जबरदस्ती तो कोई किसी से जमीन नहीं ले सकता। आज काश्तकार को जमीन बेचने का अधिकार है; आप कहोगे कल, इसको जमीन बेचने का अधिकार होना ही नहीं चाहिए, अगर जमीन बेचने का अधिकार इसके पास होगा तो ये तो सारी जमीन बेच देंगे। तो फिर यह जमीन बेचने का अधिकार ही समाप्त कर दो। अगर किसी काश्तकार की जमीन है, उसको अगर बेचने का अधिकार है तो उसको लीज पर भी देने का अधिकार है। यह लीज पर देने का अधिकार, वैसे भी, पहले से है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): हमारे तो पूर्वजों की व्यवस्था थी, गांवों में बेचकर कोई बाहर ले जा नहीं सकता था, वह जमीन गांव की सम्पत्ति रहती थी। अगर कहीं ननिहाल में भी जा रहा है, तो जमीन वह ही रहती थी; उसको कोई अधिकार नहीं था, वह बेचकर चला जाए। हमारे समाज की पूर्व व्यवस्था देखो। जितनी रोड-साइड जमीनें हैं, सब कम्पनियों को चली गई हैं। किसान भूमिहीन हो गया है आपकी पालिसीज से।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): राजस्थान टीनेंसी एक्ट आने से पहले जमीनों के मालिक काश्तकार थे ही नहीं, मालिक राजा, महाराजा, जागीरदार ही थे। यह काश्तकारी अधिनियम के बाद में ही काश्तकार जमीन के मालिक बनें, उसको जमीन का मालिक बना दिया। फिर उसको जमीन को बेचने का, किराए पर देने का, सब-लीज या लीज पर देने का अधिकार उसके पास नहीं हो तो फिर उसको मालिक जमीन का बनाने का क्या मतलब हुआ? पहले जागीरदार जमीन काश्तकार को हिस्से पर देते थे, वह एक तरह से उसको लीज या सब-लीज कह दें, कुछ भी कह दें, काश्तकार उसके बदले उनको हिस्सा देता था। बिना हिस्से के कोई काश्तकार जमीन नहीं जोत पाता था।

राजस्थान टीनेंसी एक्ट के द्वारा काश्तकारों को यह अधिकार दिया गया। कांग्रेस सरकार ने लैंड रिफार्म्स के तहत यह सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया, परिवर्तन किया।

अब आप कह रहे हो कि उसको अधिकार नहीं होना चाहिए; पहले वाली व्यवस्था की आप बात करते हो, पहले वाली व्यवस्था की तो हम सुनते हैं, हमें तो पता नहीं, हमारे पूर्वज बताते हैं...

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): सब कम्पनियां मालिक हो गयी हैं सड़कों के किनारे।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): लेकिन जिस आधार पर काश्तकार का खातेदार का हक बना, वह क्लाज कांग्रेस ने ही हटाया है। जिस काश्त, गिरदावरी के आधार पर, जो राजा-महाराजाओं की जमीन थी, उसमें इस भूमि सुधार में उन्हीं को खातेदारी हक मिला जो उस पर काश्त-गिरदावरी करता था।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): जो जोतता था।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): जो जोतता था, काश्त-गिरदावरी करता था। आपने काश्त-गिरदावरी का कानून इसमें से हटाकर के खाता-गिरदावरी कर दी। आज जिसके नाम खातेदारी है, उसी के नाम गिरदावरी होती है; काश्त करने वाले के नाम गिरदावरी नहीं होती है। यह भी अनर्थ कांग्रेस ने ही किया है।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): कांग्रेस ने इसलिए किया है, आज अगर मैं काश्तकार हूं......

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आज बहुत बड़े-बड़े लोग दो नम्बर के पैसे को एक नम्बर करने में, भ्रष्टाचार के पैसे को व्हाइट मनी करने में इस

(श्री अमराराम)
क्लाज का उपयोग करते हैं। खुद काश्त नहीं करते बड़े-बड़े लोग। बड़ी-बड़ी कम्पनियां, बड़े-बड़े, नई आर्थिक नीतियों से चिकित्सा का, शिक्षा का व्यवसाय करने वाले, सब उस पैसे का उपयोग खेती में, जिस पर इन्कम टैक्स नहीं लगता, जिनके एक-एक खेत में इतनी पैदावार बता रखी है जितनी शायद पूरे गांव में नहीं होती और वे उसी का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए वह कालम आपने, जिसके आधार पर खातेदारी मिली, उसको हटा भी दिया, क्योंकि आज जरूरत नहीं है उसकी। आज भी है।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): हटाया नहीं है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): हटा दिया। आज काश्त-गिरदावरी हो रही है क्या? आज हो रही है खाता-गिरदावरी, जिसके नाम खातेदारी है उसी के नाम गिरदावरी होगी, जो काश्त कर रहा है उसके नाम गिरदावरी नहीं होगी। आज मेरी जमीन पर मैं काश्त नहीं कर रहा हूं कोई भी टीनेंट काश्त कर रहा है, तो उसके नाम गिरदावरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उसका राइट, आखिर टीनेंट तो वह है आज की तारीख में। उसके अधिकार सुरक्षित करने का आप संशोधन करो, तो बात समझ में आती है।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): उसके अधिकार सुरक्षित करने के लिए ही तो यह किया है। अगर दूसरे के नाम गिरदावरी हो जाएगी, तो फिर वह उसके लिए, खातेदारी अधिकार मांगने के लिए कोर्ट में चला जाएगा कि मेरे नाम से करो। क्यूं? जिसकी खातेदारी है, भूमि उसी के नाम से रहे और वह किसी दूसरे को काश्त पर दे, तो भी दे सकता है। उसमें कोई किसी प्रकार की शंका नहीं हो, डर नहीं हो। नहीं तो, कोई भी किसी दूसरे को काश्त पर देने के लिए तैयार नहीं होगा, गिरदावरी उसके नाम से ट्रांसफर हो गयी तो। सबके मन में यह भय बैठ जाएगा कि अगर गिरदावरी किसी 'एक्स' को दी और 'एक्स' के नाम से होनी शुरू हो गयी, तो वह बाद में अपने खातेदारी अधिकार के लिए क्लेम कर देगा और मेरी जमीन चली जाएगी। इसलिए यह प्रावधान किया। यह तो किसान के हित में किया। आपको ऐसे ही लग रहा है।

तो इस प्रकार, मेरे कहने का मतलब, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। किसानों के हित में यह कानून बनाया, राजस्थान टीनेंसी एक्ट और समय-समय पर, जब भी जरूरत समझी, इसमें संशोधन भी किये।

इसमें, ''कृषि प्रसंस्करण और कृषि कारोबार उद्यम, जो राज्य सरकार या उसके द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी द्वारा विहित रीति में अनुमोदित किये

(श्री हेमाराम चौधरी)

जाएं, से सम्बन्धित कृषि संक्रियाओं के प्रयोजन के लिए'', यह पहले से प्रावधान है, इसमें यह एक प्रोसोपिस, जूलीफ्लोरा, इसके लिए और जोड़ा गया, बस। इसके सिवाय कुछ नहीं है।

अब इसमें विद्युत उत्पादन के लिए इसकी जरूरत है, इसलिए जोड़ा गया। कोई जरूरी नहीं है, काश्तकार उसको दे; काश्तकार की मर्जी है, कोई जबरदस्ती कोई कम्पनी वाले किसी से ले नहीं लेंगे।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय मंत्री महोदय, नीति बनाने के लिए इसका उपयोग करेंगे; लोगों को बिजली पैदा करने के लिए सरकार ने सब्सिडी देकर के प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित किया, वे लोग केवल सब्सिडी खाने के लिए यह कार्य कर रहे हैं। बिजली कहीं पैदा, एक जगह तो बता दो कहीं हुई हो तो। आपने सब्सिडियां दी हैं ना।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): अभी कहां से बिजली पैदा होगी? अभी तो प्रोविजन ही अब कर रहे हैं।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): इस नाम से उन्होंने सब्सिडी ले ली, करोड़ों रुपये और खा गये। उसका प्रूफ है।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): प्रावधान ही अब कर रहे हैं। उसके बाद में यह पौधा लगेगा।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ऐसे प्लांटों की इन्होंने स्वीकृतियां दी हैं जो जूलीफ्लोरा से बिजली पैदा करेंगे और उन्होंने यह कहकर के फिर वन विभाग से रोक लगवाई है कि इसको कोयला नहीं पाड़ा जाए। कोयले पर रोक लगवाई और करोड़ों रुपये वन विभाग ने खा लिए हैं, लोगों से। यह कोयले पर रोक लगाई, क्या किया आपने? इसी जूलीफ्लोरा के कोयले पर कई लोग पेट पालते थे, इससे कोयला बनाकर के।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): अब आप बीच-बीच में डिस्टर्ब करोगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा।

यह विधेयक पारित होने के बाद में, काश्तकार इस जूलीफ्लोरा के वृक्षारोपरण के लिए अपनी जमीन लीज या सब लीज पर दे सकेगा। यह सिर्फ प्रावधान किया गया है, वह दे या नहीं दे, यह सिर्फ उसकी मर्जी पर है। जबरदस्ती कोई कम्पनी नहीं ले सकती।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): इस बहाने कि यह जूलीफ्लोरा हमें नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से हम बिजली पैदा नहीं कर सकते, यह

(श्री केसाराम चौधरी)

कहकर के वह सब्सिडी सरकार से लेंगे और वे प्लांट लगाएंगे नहीं, और और पैसे खा जायेंगे सरकार के। ऐसा हुआ है।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): ऐसा कहीं नहीं हुआ है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): सिरोही में क्या हुआ?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): हुआ ही नहीं, आया ही नहीं अभी तक।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): सिरोही में प्लांट लगाने के लिए आपने सब्सिडी नहीं दी क्या, सिरोही के अन्दर?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ऐसी कौनसी कम्पनियां, जिन्होंने आपको आवेदन किया ...(व्यवधान) कोई आया ही नहीं, तो संशोधन क्या कर रहे हो?

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): बिजली पैदा करने के लिए सिरोही में प्लांट लगना था, वह लग गया क्या? कोई कम्पनी आयी नहीं ...(व्यवधान) बिलकुल सही कह रहा हूं मैं गलत नहीं कह रहा हूं, करोड़ों रुपए खा गये सब्सिड़ी के। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): यह ऊर्जा विभाग की पालिसी फार प्रमोटिंग जनरेशन आफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रोम बायोमास 2010 के अन्तर्गत विद्युत उत्पादन के लिए विद्युत उत्पादकों को खातेदार की भूमि पट्टे पर प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा के वृक्षारोपण या इसी प्रकार के अन्य वृक्षारोपण के लिए दिए जाने के लिए जमीन की उपलब्धता करवाने के लिए यह किया गया है। इसके लिए सरकारी जमीन देनी नहीं पड़े।

अब जैसे यह आरोप लगा रहे हैं सीलिंग एक्ट के लिए, सीलिंग एक्ट में इण्डस्ट्रीज के लिए पहले से प्रावधान था कि वह सीलिंग सीमा से ज्यादा, अगर इण्डस्ट्री के लिए जमीन की जरूरत है; पहले था, मैं कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): कम्पनी के लिए नहीं था। इण्डस्ट्री और कम्पनी में फर्क है। इण्डस्ट्री कोई लगाएगा तो उत्पादन होगा, रोजगार मिलेगा। जरूरी नहीं है, कम्पनी इण्डस्ट्री ही लगायेगी।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): कोई भी लगाये, कम्पनी लगाये...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ना, ना, कम्पनी और इण्डस्ट्री में बहुत

(श्री अमराराम)

बड़ा फर्क है। इण्डस्ट्री का मतलब है, कोई भी प्रोजेक्ट लगेगा, उसमें उत्पादन होगा, उसमें रोजगार मिलेगा और जरूरी नहीं है कि हर कम्पनी निर्माण के लिये कोई यूनिट लगायेगी। वह केवल ट्रेडिंग भी कर सकती है और ट्रेडिंग ही की है।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): ट्रेडिंग वाला बिल यह नहीं था। मैं आपको कह रहा हूं, सिर्फ इण्डस्ट्री, इण्डस्ट्री का मतलब उत्पादन...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उत्पादन के लिये तो पहले से ही था। किसको ऐतराज था...

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): पहले से, मैं भी कह रहा हूं, पहले से...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अब अमेंडमेंट तो आपने कम्पनी के लिये किया। जो कर रही है ना कम्पनी...

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): तो मैं भी कह रहा हूं...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अभी 13 लाख 85 हजार करोड़ रुपये 5-10 साल में ही मार लिये...

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): नहीं, मैं कह रहा हूं, पहले से ही था। इण्डस्ट्री के लिये ही ...(व्यवधान) वह पहले से ही प्रावधान था सीलिंग एक्ट में छूट देने का, लेकिन उसके अलावा, जैसे रियल एस्टेट की आ रही हैं, आज बड़ी-बड़ी आवासीय कालोनीज बसाने के लिये जमीन की जरूरत पड़ती है, तो उसमें, या और कोई दूसरे परपज के लिये आज जमीन एक्वायर करके उनको देनी नहीं पड़े, इसलिये कि वह सीलिंग में छूट दे देंगे, जमीन वे खुद खरीदें, इस मकसद से एक्ट में संशोधन किया गया था और उसके तहत, अब तक, जब से संशोधन हुआ तब से लेकर अब तक, एक भी मामले में किसी को छूट नहीं दी। किसी ने भी छूट के लिये आवेदन भी नहीं किया। यह तो सिर्फ इसलिए किया जिससे कि वह अगर सरकार से मांग करे...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आपके उद्देश्य के बाद मंजूरी लेने के लिये आने की कहां जरूरत है।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): नहीं, नहीं, कानून में यही प्रावधान, सरकार को आथोराइज किया...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): जब आपने कह दिया कि कोई कम्पनी

(श्री अमराराम)

कितनी भी, सीलिंग से ज्यादा जमीन, एक हजार एकड़ खरीद सकती है, रख सकती है तो आपके पास मंजूरी के लिये आने की जरूरत कहां है?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): नहीं, नहीं, खरीद नहीं सकती...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): यह तब थी, जब सीलिंग से ज्यादा कोई भी कम्पनी ले नहीं सकती। केवल उद्योग के लिये छूट थी। कोई भी उद्योग लगाता है तो उसको एक हजार, पांच सौ एकड़ की जरूरत थी तो पांच सौ एकड़ में यह कारखाना लगेगा। तो पांच सौ एकड़ कारखाने के लिये थी, कम्पनी के लिये नहीं थी। कम्पनी के लिये, अब आपके पास मंजूरी लेने के लिये आने की जरूरत ही नहीं है।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): ...(व्यवधान) मैं कोई जवाब नहीं....

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): सभापति महोदय, यह अमेंडमेंट आप इसीलिए ला रहे हैं कि मार्च में जूलीफ्लोरा की खेती की जायेगी...

श्री सभापति: माननीय सदस्य...

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): तब आप यही तो सुधार ला रहे हैं...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। केवल मंत्रीजी का...

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री सभापति: आप विराजो। यह क्या तरीका है? आप बोल गये, आपको समय दे दिया। जवाब दे रहे हैं, आप सुन लें। यह कोई बात हुई क्या।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री सभापति: ये बोल रहे हैं, आप बोल रहे हो, फिर क्या मिलेगा समय? आप विराजो।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री सभापति: आप विराजो। अंकित नहीं होगा आपका। कोई अंकित नहीं। आप बोल चुके।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री सभापति: आप बोल चुके ना। जवाब दे रहे हैं वे।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): कोई भी बिना पूर्व सरकार की अनुमति के सीलिंग सीमा से ज्यादा एक इंच भी जमीन नहीं खरीद सकता। पहले भी, इण्डस्ट्रीज के लिये यह प्रावधान पहले से था कि सरकार की अनुमति से, स्वीकृति के बाद में ही वह जमीन सीलिंग सीमा से ज्यादा खरीद सकता है। तो दूसरे परपजेज के लिये महसूस किया गया कि जमीन की आवश्यकता पड़ती है तो सरकार को किसानों की जमीन एक्वायर करके देनी पड़ती है और किसानों को पूरा पैसा नहीं मिलता है। इसलिए किसानों के इंटरेस्ट में, किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए कि वह खुद खरीद लेगा तो किसानों को पूरा पैसा मिलेगा, यह सोच करके उसमे यह प्रावधान किया गया। लेकिन उस प्रावधान के तहत अब तक किसी को छूट दी नहीं गयी है और अब तक हमारा कार्यकाल, मैं समझता हूं, आगे भी छूट देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ कानून बनाया है। कानून का उपयोग सही ढंग से हो, अगर जरूरी हो, वह सरकार हर मामले में देखेगी कि छूट देना आवश्यक है कि नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी एप्लाई कर देगा, उसको छूट देंगे। अगर सरकार ठीक समझती है तो ही छूट देने का प्रावधान है। तो इस प्रकार यह सीलिंग के तहत आरोप लगाना, कि इस तरह से छूट देने के लिये यह कानून बनाया, यह बिलकुल गलत है।

एक मामला आपने उठाया माइनर का, माइनर का तो आलरैडी पहले से है कि माइनर अपनी जमीन नहीं बेच सकता। तो इस....

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): सेक्शन 46 में है ना। हां, तो सेक्शन 46...

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): अब इसमें कौनसी छूट दे रहे हैं?

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): हां, सेक्शन 46 में रेस्ट्रिक्शन है, सेक्शन 46 में रेस्ट्रिक्शन है, यह बात तो आप मानते हो ना?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): आप भी हैं...

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): एक मिनट, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं...

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): इसमें कौनसे रेस्ट्रिक्शन में छूट मिल रही है? इसमें सेक्शन 46 में...

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): एक माइनर, आपकी फैमिली की जोइंट होल्डिंग है, जिसकी जोइंट होल्डिंग में फादर की डैथ हो जाती है, माइनर उसका पार्टनर बन जाता है। मुझे आप बताइये, अगर बाकी सारे उसको

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)
लीज पर दे देते हैं तो माइनर के राइट्स को आप कर्टेल और एंश्योर कैसे करेंगे? आप यह बता दो।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): मैंने आपका, ट्रांसफर के मामले में माइनर का मामला है, चाहे एस सी, एस टी का मामला...

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): 46 में है क्या? 46 में...

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): आप सुनो ही नहीं तो यह क्या? चाहे माइनर का मामला है, चाहे एस सी, एस टी का मामला, आप 42 की बात कर रहे हो, उसमें कहीं कोई संशोधन की बात ही नहीं है। यह तो सिर्फ एग्रो बिजनेस जो है, यह पहले से जो कर रखा है ना, मैंने आपको बताया, कृषि प्रसंस्करण और कृषि कारोबार उद्यम...

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): What do you mean by 'krishi'? आप एग्रीकल्चर को डिफाइन कर दो, land ceiling is applicable to agricultural produce.

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): उसके तहत...

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आपके अरबन सीलिंग तो खतम हो गयी। अब आप एग्रीकल्चर को पहले डिफाइन करिये, एग्रीकल्चर किसको कहते हो आप। Growing of this plant is agriculture or not?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): मैंने आपको कहा, राजस्थान टीनेंसी एक्ट के जो भी प्रावधान हैं, बाकी कोई प्रावधान में परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ सेक्शन 45 सब-सेक्शन(1) का जो प्रोविजो है, जिसमें एग्रो बिजनेस के लिये पहले से है...

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): सर, सीलिंग एक्ट लैंड होल्डिंग के सेल को रेस्ट्रिक्ट करता है। आपके यहां सेल नहीं हो रही...

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): वह तो इसलिये नहीं...

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): सीलिंग एक्ट सब टीनेंसी को कर रहा है तो सब टीनेंसी....

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): इस पर सीलिंग एक्ट ...

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा):... का काम है, लैंड ट्रांसफर हो जायेगी...

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): इसका सीलिंग एक्ट से कोई लेना-देना नहीं है। वह पूरा एक्ट आज की तारीख में है, वह उसी अनुरूप, उसी तरह से लागू रहेगा। उसमें कोई किसी प्रकार से सीलिंग एक्ट का...

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): Once a tenant always a tenant. आपका सिविल इसमें है। एक बात बताऊं, दो मिनट विराज जाओ आप, क्योंकि यह क्लेरिफिकेशन हो जाए। आप किसको रिकोग्नाइज करते हैं? (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): मैं सीलिंग एक्ट के मामले में.. (व्यवधान) अगेंस्ट बोल रहे हैं। यह मामला ही नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य...(व्यवधान) मंत्रीजी के अलावा... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): आप सीलिंग एक्ट की बात कर रहे हो, यह सीलिंग एक्ट का मुद्दा ही नहीं है।

श्री सभापति: मंत्रीजी, आप सीधा इधर बोलकर अपना जवाब दे दें। आगे भी है। यह बोलेंगे, तो फिर बोल लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): यह सीलिंग एक्ट का मुद्दा ही नहीं है। यह तो सिर्फ विद्युत के उत्पादन के लिये जो आवश्यकता है जूलीफ्लोरा, प्रोसोपिस की, इसके लिये यह प्रावधान किया गया है; अन्य किसी प्रकार का कोई पौधा, जो उसके उत्पादन में काम आ सकता है, उसके लिये यह किया गया है।

आज विद्युत के उत्पादन के मामले में, आप कह रहे थे, विण्ड वालों को, सोलर वालों को जमीन नहीं दी। अगर जमीन नहीं देते, आज विण्ड से, सोलर से बिजली का कितना उत्पादन हो रहा है, यह बिजली मंत्रीजी को पता है। अभी फारूख अब्दुल्लाजी भी आये, वहां सोलर पावर का किया...

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): आपकी ठेकेदारी है क्या? अपने आप लें ठेकेदार। जिस कम्पनी को, फैक्टरी को लेनी है, अपने आप लेवें जमीन। सरकार क्यों देती है? वह भी डी.एल.सी. के 10 परसेंट पर।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): यह पावर पालिसी जो इन्होंने बनायी...

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): चाहे पावर पालिसी और कोई हो, सरकारें तो सब बिक चुकी हैं कम्पनीज के...

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): पावर पालिसी है, उस पालिसी के तहत जमीन देने का प्रावधान किया गया है तो उसके तहत रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जमीन देना लाजिमी है। इसलिए...(व्यवधान)

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2013 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये?

(श्री सभापति)

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड-2 व 3 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 व 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन, सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री हेमाराम चौधरी।

विधेयक का पारण

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अब तो आपका पारित हो जायेगा, अब तो आपको कोई इसमें शंका नहीं है।

मैं आपसे बहुत विनम्रता से एक निवेदन कर रहा हूं, आपका रेवेन्यू ला 'लीज' जैसे शब्द को रिकोग्नाइज करता है क्या? 'लीज' और 'सब-लीज' को क्या रेवेन्यू ला रिकोग्नाइज करती है या 'टीनेंट' और 'सब-टीनेंट' को रिकोग्नाइज करता है? मैं निवेदन करना चाह रहा हूं आपको कि 'लीज' एण्ड 'सब-लीज,' ट्रेड प्रैक्टिसेज एक्ट का कांट्रैक्ट का सिविल कोड है, it is not a revenue

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

term. रेवेन्यू कहीं भी 'लीज' को, 'लीज' जैसे शब्द को रिकोग्नाइज नहीं करता और आपने 'टीनेंट' को, 'सब-टीनेंट' को 'लीज' और 'सब-लीज' के साथ कम्पेयर कर लिया। जब वह 'टीनेंट' में जायेगा तो 'टीनेंसी' एक्ट में प्रोटेक्शन लेने चला जायेगा जुडिशियरी में। जब वहां चला जायेगा तो आपका 'लीज' वाला शब्द जो रेवेन्यू में इस्तेमाल हो रहा है, वह नलिफाई हो जायेगा because it is not recognisable in the Revenue Act. मैं निवेदन यह कर रहा था कि इस चीज में निरन्तर वह लीज अपना...(व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): सभापति महोदय, मैं थोड़े में...। देखिये, मंत्री महोदय, सदन की चिंता है। अगर ऊर्जा मंत्रीजी यहां विराजते तो सदन की भावना का भी थोड़ा उनको अनुभव होता। यह जूलीफ्लोरा वास्तव में चिंता का विषय है।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): 9 बज गये।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): अजी, आप भी चिंतित हो। यहां नहीं बोल रही हो क्योंकि सत्ता पक्ष में हो ना। (व्यवधान) इस जूलीफ्लोरा से पूरा देश परेशान है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): काहे पर बहस हो रही है यह? (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): आप साउथ में चले जाओ, वहां भी यह जूलीफ्लोरा पहुंच गया।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): काहे पर बहस हो रही है, जूलीफ्लोरा पर या एक्ट पर? (व्यवधान) कंट्रोल तो आप करो। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): क्या कह दो? क्या कह दो?... (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): मैं आपसे बात नहीं कर रही। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): हमसे बात ही नहीं करोगे? (व्यवधान) दो मिनट तो कहने दो। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): जूलीफ्लोरा हो गया बहुत। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): परेशान हैं जूलीफ्लोरा से। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): अब हमारे ऊपर ही हाका करो आप, जोरों से। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): सभापति महोदय, यह जूलीफ्लोरा का ऊर्जा विभाग आपके सामने प्रस्ताव लाया है कि हमारे लिए आप यह टीनेंसी एक्ट में संशोधन करो। हकीकत में यह है, जो कि सदन की चिंता है, इस जूलीफ्लोरा के बेस पर एक भी, कहीं भी ऊर्जा उत्पादन की यूनिट कामयाब नहीं हुई है।

मैं पिछले साल सिरोही गया था, वहां इसका थोड़ा प्रयास किया। एक कम्पनी वालों ने लोगों को, सरकार को इस साजिश का पता नहीं था, उन्होंने एक यूनिट लगाने की बात कही। जमीनें अलाट करवा ली और वह जो अभी हमारे साथी, मारवाड़ जंक्शन से आने वाले फरमा रहे थे, वह सब्सिडी लेकर के आज चंपत हैं। अब वे सब्सिडी वसूली के लिए पीछे भाग रहे हैं।

एक्चुअल में यह वाएबल है ही नहीं। देखिये, जैसे आपने बताया कि विंड मिल हो, सोलर बेस हो, लिग्नाइट बेस हो, वह सही है, लेकिन यह कभी कामयाब हो नहीं सकता। कोई यूनिट अभी तक कामयाब हुई भी नहीं है।

सभापति महोदय, दूसरा, यह इतना खतरनाक है, जो सदन में बता दिया, मैं रिपीट नहीं करूंगा, चाहे खेती के लिए, चाहे इससे जमीन अनुपजाऊ हो जाती है; मेडिकल और हैल्थ डिपार्टमेंट ने सारे देश के लिए यह चिंता जाहिर की है कि इस जूलीफ्लोरा की वजह से अस्थमा का रोग, एलर्जी भी इससे बहुत ज्यादा फैलती है। हमारे बीकानेर में डाक्टर कालीचरण माथुर हैं, उनकी बच्ची को इससे एलर्जी थी, उन्होंने उसका सम्बन्ध, रिश्ता यू.पी. में कहीं जाकर के किया, जहां जूलीफ्लोरा नहीं होता है, तब से उनका अस्थमा रोग ठीक है।

सभापति महोदय, यह इतना खतरनाक है, यह हमने अभी तक महसूस किया है और एक्सपर्ट की भी, 'काजरी' वालों की भी यह राय है कि जहां-जहां यह जूलीफ्लोरा फैल जाता है, वहां वर्षा का औसत कम हो जाता है।

अब आपने एक तो शुरुआत कर ली कि कृषि योग्य जमीन के ऊपर हम जूलीफ्लोरा के पौधे लगायेंगे। इसका बीज इतना फैलता है कि पड़ोसी, जो नहीं चाहता कि उसके खेत में जूलीफ्लोरा हो, कोई नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहते, चाहे बाड़मेर में भी हो, जैसे-तैसे आप उसको काटकर हटाना चाहते हों,

(श्री देवी सिंह भाटी)

उसके खेत में जाकर के यह जूलीफ्लोरा लग जायेगा। वह परेशान होगा। कुल मिलाकर, इस जूलीफ्लोरा से इतना घाटा है कि उससे हमारी धीरे-धीरे खेती जा रही है।

सभापति महोदय, अब इसके पीछे जो दूसरी बात आ रही है, वह यह है कि यह कम्पनी वालों की साजिश है। यह साजिश यहां तक नहीं है, यह अमेरिका की और वर्ल्ड बैंक की साजिश है। वह आपने भी कई बार पढ़ा होगा कि वह चाहते हैं कि हिन्दुस्तान वाले खेती करना बंद कर दें, क्योंकि खेती घाटे का सौदा है। यह बराबर दबाव बनता जा रहा है और कंपनियों को हम प्रोत्साहित करते जा रहे हैं। उनके लिए सारी छूट सीलिंग में, अन्य में दिये जा रहे हैं।

आप यह टीनेंसी एक्ट में संशोधन लाये हो, मंत्री महोदय आप यह लाते जिससे आम किसान परेशान है; किसी काश्तकार का इंतकाल चढ़ता है और पटवारी उसके नाम को हरलाल की जगह हरिराम लिख देता है। (व्यवधान) क्या है, साहब? बात कर रहा हूं, आप देखिये तो सही।

श्री सभापति: आपकी बात समझ गये वे।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): और यहां क्या करने आये हैं? सभापति महोदय, मुझे यह बताओ, क्या करने आये हैं?

श्री सभापति: बात तो सारी समझ गये।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): समझ गये पर करते नहीं ना।

श्री सभापति: जवाब दे देंगे अभी। आपकी जो पीड़ा है, शंका है ...(व्यवधान)...

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): सभापति महोदय, अब एक बात सुनो, जिसका भी इंतकाल चढ़ता है, पटवारी ने भूल से उसका नाम 'हरलाल' की जगह 'हरिराम' लिख दिया। वह कहता है कि आप मेरे सारे डाक्यूमेंट देख लीजिये, वोटर लिस्ट देख लीजिये, राशन कार्ड ले लीजिये, आई कार्ड देख लीजिये, मेरा परिवार, गांव सारा कह रहा है, मेरा नाम 'हरिराम' नहीं है, 'हरलाल' है; वे कहते हैं कि नहीं, अब तो आपको कोर्ट में दावा पेश करना पड़ेगा। दावा कब खतम होगा, पता नहीं। एक पटवारी की भूल को सुधार करने के लिए आप टीनेंसी में अमेंडमेंट नहीं लाते हो। यह कौनसा तरीका है? मंत्री महोदय, आप इसका उत्तर दे दो। पटवारी की गलती के लिए काश्तकार कोर्ट में जाये, वकील खड़ा करे, वर्षों तक संघर्ष करता रहे; आप अगर संशोधन लाते तो यह लाते।

सभापति महोदय, आपने अभी रेवेन्यू ला में यह कर रखा है कि कोई

(श्री देवी सिंह भाटी)

दो भाइयों का विवाद हो जाये, उसको एस डी एम कोर्ट में दावा करना पड़ता है, आठ-दस साल बाद में फैसला होता है; एक पार्टी जाती है अपील में, अपीलांट अथारिटी के, चार-पाँच साल वहां लगाता है; उसके बाद एक अपील में जाता है रेवेन्यु बोर्ड, आठ-दस साल वहां लगाता है। बीस-पच्चीस साल बाद में वह हाई कोर्ट पहुंचता है। उसमें फिर जज साहब कहते हैं कि अरे, हरलाल, तुम्हें तो न्याय नहीं मिला, तेरा पक्ष तो बहुत मजबूत था, साहब, नहीं मिला न्याय, मैं आदेश करता हूं एस डी एम, बीकानेर को और केस रिमांड करके भेजता हूं कि वह तुझे छह महीने में फैसला दे और वह बरसों तक नहीं होता।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): कई बार सुना चुके हो।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): यह कौनसा तरीका हुआ? यह नहीं है, यह गलत है तरीका। आप अमेंडमेंट लाइये तो ऐसे लाइये ना जिससे काश्तकार को फायदा मिले। आप एक अपील का रखो। किसान के लिए ही है क्या ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट? कोई जा सकता है? किसी की हैसियत है कि सुप्रीम कोर्ट जाये? आपने इतनी अपील रख दीं। आप संशोधन लाते तो ऐसा लाते। सारा उसको ऐसा जंजाल में फंसा दिया।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्रीजी।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): काश्तकार की रिलीफ के लिए तो आप अमेंडमेंट लाते नहीं। (व्यवधान) बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये कौन हैं माननीय सदस्या? (व्यवधान)

श्री सभापति: प्रभारी मंत्रीजी।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): सभापति महोदय, देखिये, अगर आप जन हित में, किसान के हित में अगर कोई संशोधन लायें तो पूरा सदन आपके साथ में है लेकिन यह सारा कंपनी वालों के लिए है। हमारे किसानों की जमीन छीनने की यह साजिश है। आप यह जूलीफ्लोरा लगाओगे तो एक दफे तो वह किसान से ले लेगा फालतू रकम देकर। उसके बाद में बराबर उसको तो ऐसा कर देगा कि वह खेती के पास ही नहीं आयेगा। (व्यवधान) वह कहीं न कहीं शहर में चला जायेगा, बेकार हो जायेगा, भूमिहीन हो जायेगा और उसके बाद में उलटे धंधे करेगा। यह, कुल मिलाकर, खेती जैसे-तैसे बंद हो। जूलीफ्लोरा लगेगा, चाहे जैट्रोफा की बात कर रहे थे, ये लगेंगे तो हमारे देश के अन्दर अनाज कहां से आयेगा? दालें कहां से आयेंगी? यह सारी साजिश हो रही है, इसको समझो।

(श्री देवी सिंह भाटी)

सभापति महोदय, इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इसको अगर आप जन मत जानने के लिए प्रसारित कर दें ...(व्यवधान)

श्री सभापति: हो गया।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): प्रजातंत्र तभी कामयाब होगा, जब जनता की राय लेंगे।

श्री सभापति: वह तो हो गया। वह तो हो चुका। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): आपका जन मत का तो है ही नहीं।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): आज का और कल का ही तो दिन है। फिर कौन जल्दी से आने देगा विधान सभा में? ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्रभारी मंत्रीजी। अब आप जवाब दो। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): जन मत का तो खत्म हो गया ना। (व्यवधान)

श्री सभापति: पारित कराने के लिए तो कहेंगे ना। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): जन मत तो है ही नहीं। (व्यवधान)

श्री सभापति: पारित कराने के लिए तो कहेंगे ना। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): ये जन मत की मांग कर रहे हैं, जन मत की तो स्टेप ही चली गयी।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया गया।

श्री हेमाराम चौधरी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान जल संसाधन विनियामक विधेयक, 2012

(प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान जल संसाधन विनियामक विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री सभापति: विधेयक को जन मत जानने हेतु निम्न माननीय सदस्य संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे; श्री ओम बिरला।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, दो-तीन पाइंट पर बात बोल देता हूं, ज्यादा लम्बा नहीं करता हूं।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): दो ही पाइंट।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हां। सभापति महोदय, 11 (ध) में आपने जो संशोधन किया है, इसमें सिंचाई दर निर्धारित करने का प्रावधान, राजस्थान सिंचाई तथा जल निकास अधिनियम की धारा 36 के अन्तर्गत राज्य सरकार को शक्ति प्रदान है, फिर इस धारा के उपयोग का क्या होगा? हितकारी जनता के विचारों को अभिनिश्चित करने का कोई औचित्य नहीं है। यदि टैरिफ में प्रचार और रखरखाव की लागत पूरी वसूली दर्शित होगी, कृषि उत्पादित और अन्य वस्तुओं पर सहायता नहीं है तो यह टैरिफ इतनी अधिक

(21.00 बजे)

होगी कि आम कृषक आत्महत्या कर लेगा। पीने के पानी की दरें इतनी अधिक हो जायेंगी कि यह एक विलासिता होगी। जब राज्य सरकार पूरी जनसंख्या को शुद्ध पेयजल भी उपलब्ध नहीं करवा सकती तो फिर इतनी टैरिफ बढ़ाने का क्या मतलब है?

यह बिल, माननीय सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण है, इससे आम कृषक, उपभोक्ता, दोनों पर बहुत बड़ा भार पड़ेगा। इस बिल को लाने का अभी कोई औचित्य नहीं था, जल्दबाजी में लाने का कोई औचित्य नहीं था। इस बिल से कृषक, उपभोक्ता या जल बचाने का कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा।

इसलिए मेरा आग्रह है कि इसको जन मत जानने के लिए भेजा जाये, नहीं तो यह राजस्थान के किसानों और आम उपभोक्ताओं पर इतना भार पड़ेगा। यह किसी को आब्लाइज करने के लिए जल्दी में बिल लाया जा रहा है, जो राजस्थान की जनता के हित के लिए नहीं है।

श्री सभापति: मंत्रीजी।

गुलाबचन्दजी कटारिया हैं नहीं; श्रीमती अनिताजी भदेल हैं नहीं; श्रीमती किरण माहेश्वरीजी हैं नहीं।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में जल की बहुत कमी है...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, हमारा बोलने का टाइम नहीं है क्या?

श्री सभापति: आपको दे रहा हूं, दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): इससे जल की मात्रा नहीं बढ़ेगी लेकिन जो जल की उपलब्धता है...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप चाहते हैं कि मैं वहां आकर जोर-जोर से आकर भाषण दूं?

श्री सभापति: आपको बुलवाता हूं। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): जल का बेहतर प्रबन्धन हो, किस ढंग से उसका बेहतर उपयोग हो...

श्री सभापति: एक मिनट, यह निकल जाने दो। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, यह बिल इतना खतरनाक है, मत करो इतनी जल्दबाजी में इसको लागू। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): इसमें कोई खतरनाक नहीं है। जल्दबाजी में इस बिल को लाने की आप बात कर रहे हैं, यह बिल अप्रैल, 2012 में ...(व्यवधान) सुनो तो सही, कोई भी बात कहते हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप तो विराजो, मैंने आपको अलाउ ही नहीं किया है। आपको अलाउ ही नहीं किया है।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री सभापति: आपको जब अलाउ करूं, तब बोलना। नहीं अलाउ किया है, आप विराजिये।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): इसी विधान सभा में पेश किया था और सरकार ने चला कर पारित करवाने के बजाय, यह उचित समझा ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आपका अंकित नहीं हो रहा। माननीय सदस्य, आपका अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): कि सलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाये। (व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): सलेक्ट कमेटी में जल संसाधन महकमे के बारे में जो माननीय सदस्य अनुभव रखते हों, उनको इस कमेटी में मेम्बर लेकर इस पर गहन चर्चा की जाये। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री सभापति: आप सुनो तो सही, बोले जा रहे हो। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): दूसरे प्रदेशों, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश में यह विधेयक पारित होकर लागू हो रहा है। (व्यवधान) उन प्रदेशों में जो कानून बना, उसका भी पूरा कमेटी ने अध्ययन किया है।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री सभापति: गला क्यों कटा रहे हो? बैठो तो सही। आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): जिन-जिन प्रदेशों में, जैसा मैंने बताया, यह कानून जो बनाया गया है, उसका पूरी तरह से अध्ययन किया गया...(व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): और समिति के सदस्यों में ...(व्यवधान) पूर्व सिंचाई मंत्री, देवीसिंहजी भाटी ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय, विराजो, आप विराजो। मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं और आपका अंकित नहीं हो रहा है।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री सभापति: आप विराजो। आसन पांवों पर है, प्रोफेसर साहब।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री सभापति: आपका अंकित नहीं हो रहा है। मैं निवेदन कर रहा हूं, फूलचन्दजी भिण्डा साहब, कौनसा गला काटा? आप विराजो।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): गला काटा तो आपके सचेतक ने काटा। उनका काटो, जेल उनको होगी। हमें क्यों जेल भिजवा रहे हो? (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान जल संसाधन विनियामक

(श्री सभापति)

विधेयक, 2012 को जन मत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जन मत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। (व्यवधान)

प्रश्न यह है कि संशोधित राजस्थान जल संसाधन विनियामक विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री सभापति: खण्डशः विचार।

खण्ड 2 से 4 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित खण्ड 2 से 4 स्वीकार किए जाये?

(स्वीकृत)

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित खण्ड 2 से 4 स्वीकार किये गये।

खण्ड 5 ...(व्यवधान) श्री राजेन्द राठौड़। आप बोलेंगे? संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): गला काट दिया, माननीय सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री सभापति: आप विराजो। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आप बैठ जाओ। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपको तो जाना ही है, वैसे भी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, 'विधेयक के खण्ड 5(क) में विद्यमान अभिव्यक्ति 'राज्य का मुख्य सचिव' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'माननीय अध्यक्ष द्वारा मनोनीत कोई व्यक्ति' प्रतिस्थापित किया जाये', यह मेरा संशोधन है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय सभापति महोदय, मैं कोई लम्बी-चौड़ी बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि यह बिल 19 अप्रैल, 2012 को सलेक्ट कमेटी को सौंपा गया था और सलेक्ट कमेटी के सभी माननीय सदस्यों ने, जिनमें सभी दलों के लोग थे, इस पर विस्तृत चर्चा की। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, अगर नहीं बोलना है, अगर हाउस की मर्जी नहीं है तो मैं बैठ जाता हूं। मतलब क्या है? (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री अब्दुल सगीर खां।

(अनुपस्थित)

श्री रोहिताश कुमार।

(अनुपस्थित)

डाक्टर दिगम्बर सिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 में जो संशोधन श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य विधान सभा ने प्रस्तुत किया है, उसको स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, लोकतंत्र के पवित्र सदन में हम अपनी बात कहना चाहते हैं पर सत्ता पक्ष के लोग चाहते हैं कि महत्वपूर्ण बिलों पर हम अपने विचार व्यक्त न करें। इसके विरोध में हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि खण्ड 5 स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 5 स्वीकार किया गया।

खण्ड 6 से 31 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 6 से 31 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 6 से 31 स्वीकार किये गये।

(श्री सभापति)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री हेमाराम चौधरी।

विधेयक का पारण

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान जल संसाधन विनियामक विधेयक, 2012 को पारित किया जाये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, ये जल नियामक आयोग की बात कर रहे हैं, मैं तो एक नियामक आयोग की बात कह सकता हूं, 2000 में बिजली बोर्ड को तोड़कर नियामक आयोग बनाया गया था, पांच कम्पनियां बनाई गई थीं और किस तरह से, राजस्थान के इसी हाउस में जो वायदे किए गए थे, 17 करोड़ का घाटा समाप्त करने की बात कही गई थी, वह आज 65 हजार करोड़ रुपये को क्रोस कर रहा है। सस्ती बिजली देगा, नियामक आयोग, यह कहा गया था।

यह सही है कि राजस्थान में पानी की बहुत कमी है लेकिन नियामक आयोग बनाने से लोगों का जो अधिकार था, उसको छीनने का काम होगा। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि 35 साल से हमारे चम्बल प्रोजेक्ट में कोई बाराबंदी नहीं है, शायद प्रदेश ही नहीं, देश में कहीं भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा जहां ऐसा हो रहा है। आप जहां पानी बचाने की बात कर रहे हैं, पानी की एक-एक बूंद बचाने के लिए, हमारे ही राजस्थान से घग्घर नदी का पानी बहकर पाकिस्तान जा रहा है, हम उसकी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं और केवल कम्पनियों को, क्योंकि पानी का व्यापार जिस तरह से बढ़ रहा है, उस किसान से छीनकर उन कम्पनियों को, जो आज सबसे ज्यादा पानी का व्यापार कर रही हैं, उनके हक को छीन रही हैं।

इसलिए निश्चित रूप से यह नियामक आयोग पानी को बचाने के लिए नहीं, कम्पनियों के लिए इस पानी का उपयोग करने के लिए बनाया जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: अब विराज जाओ न, बात हो गई है।

प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान जल संसाधन विनियामक विधेयक, 2012 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान जल संसाधन विनियामक विधेयक, 2012 पारित किया गया।

अजमेर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2013 । श्री शांती कुमार जी धारीवाल।

विधेयक पर विचार

अजमेर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2013

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि अजमेर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: विधेयक को जन मत जानने हेतु निम्न माननीय सदस्य संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे:-

श्रीमती अनीता भदेल। (अनुपस्थित)

श्री ओम बिरला। (अनुपस्थित)

श्री घनश्याम जी तिवाड़ी। (अनुपस्थित)

श्री राजेन्द्र जी राठौड़। (अनुपस्थित)

श्री रोहिताश कुमार। (अनुपस्थित)

डा. दिगम्बर सिंहजी। (अनुपस्थित)

श्री वासुदेवजी देवनानी। (अनुपस्थित)

श्री अर्जुन लालजी। (अनुपस्थित)

श्री पेमारामजी। (अनुपस्थित)

श्री अमरारामजी। (अनुपस्थित)

श्री गुलाब चन्दजी कटारिया। (अनुपस्थित)

श्रीमती किरण माहेश्वरी। (अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि अजमेर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 एवं 3 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

श्री वासुदेव देवनानी।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 4 स्वीकार किया गया।

खण्ड 5 से 97 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 से 97 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 5 से 97 स्वीकार किये गये।

अनुसूची 1 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 स्वीकार की जाए?

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 स्वीकार की गई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि। स्वीकार किया गया।

श्री शांती कुमार जी धारीवाल। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बुला दो, बुला दो, मुझे कोई एतराज नहीं, आप बोलना चाहते हैं तो। (व्यवधान) बिल पारित करा दो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): बाद में बुलवा देना, बाद में।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): बिल पारित कराने के बाद भी तो बुलवा सकते हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, माननीय सदस्य एक सूचना देना चाहते हैं, काफी देर से। आप, बाद में समाप्त हो जाएगा, तो सूचना...

श्री सभापति: नहीं, नहीं, मैं बुलवा लूंगा आपको।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): हजारों कर्मी यहां विधान सभा के बाहर हैं।

श्री सभापति: अभी बुलवाएंगे।

विधेयक का पारण

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि अजमेर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2013 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि अजमेर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2013 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

अजमेर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2013 को पारित किया गया।

श्री हनुमान बेनीवाल।

सूचना

वन मित्रों का जयपुर के उद्योग मैदान पर चल रहा धरना

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, वन मंत्रीजी यहां विराजमान हैं,...(व्यवधान) मैं खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, आपके पक्ष में ही बोल रहा हूं। (व्यवधान) आपका जो 2009-10 का बजट था, उस बजट में मुख्य मंत्रीजी ने एक हजार वन मित्रों को लेने की घोषणा की थी। उनको लगा भी दिया, एक हजार लोगों को और बाद में 500 कर्मियों को और लगाया। वे 31 जुलाई से उद्योग मैदान पर धरने पर बैठे हुए हैं। राजस्थान में चाहे नरेगा के कर्मी हों, पंचायत राज के, फिर उनको लगाया; विद्यार्थी मित्रों का मामला हो, उनको भी बोनस अंक देकर के सरकार परमानेंट कर रही है। इस सरकार ने बीच में यह भी कहा कि संविदाकर्मियों को नहीं हटाएगी सरकार अप्रैल के अन्दर।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

मैं वन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उन्होंने वनों की रक्षा के लिए प्रयास किया और 1,500 रुपये प्रति माह के अन्दर उन लोगों ने काम किया और अब सरकार उनको नौकरी से निकाल रही है। एक तरफ आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ, पिछले एक-डेढ़ महीने से उद्योग मैदान पर वे लोग बैठे हैं।

किसी विधायक ने उनकी बात को यहां उठाने का प्रयास नहीं किया। कायदा तो जो आदिवासी इलाके से आते हैं, हमारे नागौर में तो वहां वन भी नहीं हैं, महेन्द्रजी के यहां हैं नावां में थोड़े से वन, लेकिन फिर भी उनकी जो वाजिब मांग है, सभापति महोदय, वन मंत्रीजी इसमें दो मिनट आश्वासन दे कि ये वन मित्र जो लगाये हैं 1,500 राजस्थान सरकार ने, इनको क्या परमानेंट करने का या इनको सरकार रोजगार में रखने का कोई विचाराधीन है इनका मामला? आप इसके अन्दर दो मिनट हमें बता दें। या तो उनका डेलीगेशन आकर आपसे मिल लेगा लेकिन आप सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इन 1,500 लोगों को...

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): मेरी सहानुभूति तो आपके साथ है, कुछ और भी तो बोलो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): और तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। किसका बोलें?

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): हमें तो सुनाओ।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): हां, वह तो ...(व्यवधान) अब आपने इतना लेट बुलवाया मुझे, सभापति जी। वह 5 जो काम थे, वे बच गये हैं।

श्री सभापति: बिजनेस चल रहा था, माननीय सदस्य, उसको रोक कर के मैं नहीं बुलवा सकता था।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): तो फिर कल बुलवा लेना, टाइम पर, कल सुबह।

श्री सभापति: सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 30 अगस्त 2013 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.17 बजे शुक्रवार, दिनांक 30 अगस्त, 2013 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

जिला कलक्टर कार्यालयों में पदस्थापित निजी सहायक

43. श्री प्रमोद जैन 'भाया' (अन्ता-बारां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला कलक्टर कार्यालयों में पदस्थापित निजी सहायक के पद किस संवर्ग में सम्मिलित हैं? इस सम्बन्ध में विभागीय आदेशों व नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त निजी सहायकों की पदोन्नति राज्य सम्भागीय या जिला स्तरीय विभागीय वरिष्ठता सूची में से किस सूची के आधार पर किस अधिकारी या कार्यालय द्वारा की जाती है? इस सम्बन्ध में विभागीय आदेश व नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जिला कलक्टर कार्यालय में पदस्थापित निजी सहायकों के स्थानान्तरण या कार्य व्यवस्था के लिये प्रतिनियुक्ति या अस्थायी पदस्थापन प्रशासनिक दृष्टिकोण से या स्वेच्छिक आधार पर एक जिले से दूसरे जिले में किया जा सकता है? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला कलक्टर कार्यालयों में पदस्थापित निजी सहायक मंत्रालयिक कर्मचारी (स्टेनो) संवर्ग में आते हैं। विभागीय आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जिला कलक्टर कार्यालयों से सम्बन्धित निजी सहायकों की पदोन्नति जिला कलक्टर के अधीन शीघ्रलिपिकों की वरिष्ठता सूची में से ही पद रिक्त होने पर राजस्व मण्डल द्वारा डीपीसी के आधार पर की जाती है। जिले में पद नहीं होने पर पदोन्नति नहीं होती है। विभागीय आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) जिला कलक्टर कार्यालयों के निजी सहायकों के नियुक्ति अधिकारी अध्यक्ष, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर हैं। राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के नियम 37 के तहत कार्मिकों के जिले के भीतर स्थानान्तरण हेतु सम्बन्धित जिला कलक्टर तथा एक संभाग से दूसरे संभाग में स्थानान्तरण हेतु अध्यक्ष, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर सक्षम हैं। ये स्थानान्तरण प्रशासनिक दृष्टिकोण अथवा स्वेच्छिक आधार पर किये जाते हैं।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में बिजली के तारों के करंट से हुई मृत्यु के दर्ज प्रकरण

45. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में बिजली के तारों में करंट से हुए हादसों में अनेक व्यक्तियों की असामयिक मृत्यु हो रही है? यदि हां, तो माह जून, जुलाई एवं अगस्त, 2013 में किस-किस जिले में कब-कब, किन-किन व्यक्तियों की विभिन्न तरीकों से करंट लगने से मृत्यु हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से किन-किन प्रकरणों में किस-किस अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कब-कब पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई एवं उनमें से किन-किन प्रकरणों में सरकार द्वारा दोषी अधिकारी/कर्मचारी को निलम्बित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा किन-किन प्रकरणों में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस में एफ.आई.आर. आज तक दर्ज नहीं करवाई गई एवं क्यों? प्रकरणवार कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा विद्युत दुर्घटनाओं में हताहत हुये व्यक्तियों के परिजनों को मुआवजा राशि देने का कोई प्रावधान है? यदि हां, तो कितनी राशि एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में विद्युत निगमों में माह जून, जुलाई एवं अगस्त, 2013 में बिजली के तारों में करंट से हुए व्यक्तियों के साथ हुए हादसों का विवरण प्रपत्र-'अ' पर उपलब्ध है।

(2) उक्त प्रकरणों में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज की गई एफ.आई.आर./निलम्बन का विवरण प्रपत्र-'ब' पर उपलब्ध है।

(3) विद्युत दुर्घटना होने की स्थिति में विद्युत निगमों द्वारा प्रकरणों की विभागीय जांच कराई जाती है। दोषी पाये जाने पर अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। सरकार द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज नहीं कराई जाती है, क्योंकि विद्युत दुर्घटनाएं सामान्यतः विद्युत तंत्र से अनाधिकृत

(ऊर्जा मंत्री)

छेड़छाड़ या चोरी, प्राकृतिक आपदा, वर्षा, आंधी-तूफान से विद्युत तंत्र में व्यवधान के कारण ही होना पाया जाता है।

(4) जी हां। वर्तमान में विद्युत निगमों के नियमानुसार विद्युत निगमों की गलती से करंट से होने वाले हादसों में मृत व्यक्ति के आश्रितों को 5 लाख रुपये बतौर मुआवजा राशि दिये जाने का प्रावधान है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परबतसर में चिकित्सकों के रिक्त पद

46. श्री मानसिंह (परबतसर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परबतसर में चिकित्सकों व अन्य कर्मचारियों के कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को शीघ्र भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परबतसर में चिकित्सकों एवं अराजपत्रित संवर्ग के स्वीकृत, कार्यरत/पदस्थापित एवं रिक्त पदों का रिक्ति दिनांक सहित, संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरांत प्राथमिकता/आवश्यकतानुसार भरने के प्रयास किये जायेंगे।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को भरने के लिये राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से लिखित परीक्षा उपरान्त 1,239 अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त हो चुकी है, जिसकी वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जाकर नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त सूची में से यथासम्भव प्राथमिकता/आवश्यकतानुसार रिक्त पदों को भरने के प्रयास किये जायेंगे।

नर्स श्रेणी द्वितीय के 15,773, सहायक रेडियोग्राफर के 1,593, लैब टेक्निशियन के 1,354, दंत टेक्निशियन के 94 एवं क्लीनिकल अभिलेख सहायक के 4,309 रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

वार्डबाय एवं सफाई कर्मचारी के रिक्त पद सीधी भर्ती से भरे जाने हैं, जिन्हें नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर भरे जाने के प्रयास किए जायेंगे।

परिशिष्ट-अ

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परबतसर में चिकित्सकों एवं अराजपत्रित संवर्ग के स्वीकृत, कार्यरत/पदस्थापित एवं रिक्त पदों का रिक्ती दिनांक सहित संख्या विवरण निम्न प्रकार है

पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत/ पदस्थापित पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ती दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1	—	1	20.7.2013	
कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	—	1	31.1.2010	
कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी)	1	—	1	20.6.2012	
कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशुरोग)	1	—	1	20.7.2013	
कनिष्ठ विशेषज्ञ (निश्चेतन)	1	—	1	25.5.2011	
कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र)	1	1	—		
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (बीसीएमओ)	1	—	1	5.6.2012	
चिकित्सा अधिकारी	1	1	—		
चिकित्सा अधिकारी (लीव रिजर्व)	1	—	1	4.10.2010	
चिकित्सा अधिकारी (दन्त)	1	1	—		चिकित्सा अधिकारी पदविरुद्ध कार्यरत
नर्स श्रेणी प्रथम	3	3	—		

1	2	3	4	5	6
नर्स श्रेणी द्वितीय	7	2	5	1.6.2012 16.8.2012 (2) 3.5.2013 (2)	
फार्मासिस्ट	1	1	—		
महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	1	—		
महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	—		
रेडियोग्राफर	1	1	—		
सहायक रेडियोग्राफर	2	—	2	4.3.2013	नवसृजित
वरिष्ठ लैब टेक्निशियन	1	1	—		
लैब टेक्निशियन	2	—	2	4.3.2013	नवसृजित
दंत टेक्निशियन	1	—	1	1.4.1989	
क्लिनिकल अभिलेख सहायक	3	—	3	2.7.2013	नवसृजित
कनिष्ठ लेखाकार	1	1	—		
वरिष्ठ लिपिक	1	1	—		
कनिष्ठ लिपिक	1	1	—		
वार्डबाय	12	7	5	16.8.2012 (2) 4.3.2013 (3)	
सफाई कर्मचारी	3	1	2	1.8.2011 16.8.2012	

सुवाणा पंचायत समिति (भीलवाड़ा) की ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्यों हेतु गठित कमेटी

47. श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की पंचायत समिति सुवाणा की ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्यों की निविदा प्रक्रिया कब-कब हुई?

(2) क्या यह सही है कि निविदाओं के कार्य आदेश अब तक जारी नहीं किये गये हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की निविदा प्रक्रिया हेतु गठित कमेटी में कमेटी के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों/अधिकारियों को भी शामिल किया गया है? यदि हां, तो किसके आदेश से?

(4) क्या सरकार ऐसे दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर निर्माण कार्य शीघ्र करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पंचायत समिति सुवाणा क्षेत्राधीन कुल 34 ग्राम पंचायतों में से विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की 15 ग्राम पंचायत सम्मिलित हैं, जिनमें से वर्ष 2013-14 में ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्यों की निविदा प्रक्रिया दिनांक 1.4.13 से 15.4.13 के बीच सम्पन्न हुई। जिसमें 9 ग्राम पंचायतों के लिये ही निविदाएं प्राप्त हुई थीं। शेष 6 ग्राम पंचायतों में निविदाएं कापी विक्रय नहीं हुई थीं।

(2) जी हां। विधान सभा सहाड़ा क्षेत्र से सम्बन्धित 9 ग्राम पंचायतों के लिये प्राप्त निविदाओं की दरों का अनुमोदन दिनांक 3.5.13 की कमेटी की बैठक में किया जाकर कार्यालय के पत्रांक 292 दिनांक 9.5.13 के द्वारा ग्राम पंचायतों के नाम जारी कर दिये गये थे। (संलग्न परिशिष्ट-अ) लेकिन तत्कालीन विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत समिति सुवाणा, श्री गिर्राज मीणा द्वारा पत्रांक 324 दिनांक 16.5.13 से आदेश जारी कर उक्त प्रदत्त कार्यादेश को निरस्त किया गया। (संलग्न परिशिष्ट ब)। पुनः दिनांक 24.5.13 को पंचायत समिति स्तरीय क्रय समिति की बैठक विकास अधिकारी के द्वारा बुलाई गयी, लेकिन बैठक में विकास अधिकारी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर न करके प्रकरण जिला परिषद, भीलवाड़ा को पत्रांक 321 दिनांक 30.5.13 से प्रेषित किया गया (संलग्न परिशिष्ट स)। जिला परिषद, भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण

(पंचायती राज मंत्री)

की जांच लेखाधिकारी, आंतरिक जांच दल, जिला परिषद, भीलवाड़ा से करायी जाकर जिला स्तरीय क्रय समिति के निर्णय दिनांक 13.8.13 के अनुसार उक्त निविदा कार्यवाही को निरस्त किया जाकर पुन: निविदा प्रकिया किये जाने हेतु विकास अधिकारी, पंचायत समिति सुवाणा को पत्रांक 4905 दिनांक 26.8.13 से निर्देशित किया गया है। (संलग्न परिशिष्ट द) ।

(3) दिनांक 3.5.13 की पंचायत समिति सुवाणा की ग्राम पंचायतों में विकास कार्यो की निविदाओं हेतु गठित कमेटी में कमेटी सदस्यों के अतिरिक्ति, प्रधान सरोज देवी तथा दिनांक 24.5.13 की बैठक में 4 सरपंचगण भी उपस्थित थे, जिनके हस्ताक्षर अपेक्षित न होते हुए भी तत्कालीन विकास अधिकारी, श्री गिर्राज मीणा द्वारा कराये गए। इस हेतु विकास अधिकारी द्वारा कोई आदेश अलग से जारी नही किये गये।

(4) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की पंचायत समिति सुवाणा की ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्यों की निविदा प्रक्रिया में प्राप्त निविदा दरों को पंचायत समिति स्तरीय गठित कमेटी के द्वारा नियम विरूद्ध लिये गये निर्णय को जिला स्तरीय क्रय कमेटी के द्वारा निरस्त कर दिये जाने से जिला परिषद भीलवाड़ा के पत्रांक 4905 दिनांक 26.8.13 के द्वारा बी.एस.आर. से अधिक की निविदा दरों की ग्राम पंचायतों की निविदा को निरस्त कर दिया गया है एवं उक्त ग्राम पंचायतों में सामग्री खरीद हेतु नयी निविदा शीघ्र आमंत्रित करने हेतु कार्यक्रम अधिकारी एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति सुवाणा को निर्देश दिये गये हैं। पंचायत समिति सुवाणा के तत्कालीन विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी एवं कमेटी के 5 अन्य सदस्यों को कार्यालय के पत्र क्रमांक 4906 दिनांक 26.8.13 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं। नोटिस की प्रतियां परिशिष्ट-य पर संलग्न है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

राजसमन्द जिले में फव्वारा सिंचाई योजना से लाभान्वित किसान

48. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजसमन्द जिले में फव्वारा सिंचाई एवं बूंद-बूंद सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2009-10 से जुलाई, 2013 तक क्या-क्या प्रयास किए गए?

(2) जिले की तहसीलों में फव्वारा सिंचाई एवं बूंद-बूंद सिंचाई के

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

अन्तर्गत उक्त अवधि में कितने हैक्टेयर कृषि क्षेत्र की वृद्धि हुई है? वर्तमान में कुल कितने हैक्टेयर कृषि क्षेत्र उक्त प्रणालियों से सिंचित किए जा रहे हैं?

(3) उक्त अवधि में वर्ष अनुसार फव्वारा सिंचाई एवं बूंद-बूंद सिंचाई के लिए कितने किसानों को कितना अनुदान दिया गया? वर्षवार एवं तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जिले में नियंत्रित सिंचाई द्वारा स्वचालित उर्वरक अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए क्या प्रयास किए गए? कितने किसान इसका उपयोग कर रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजसमन्द जिले में फव्वारा एवं बूंद-बूंद सिंचांई को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2009-10 से जुलाई 2013 तक 5,754.8 हैक्टेयर में फव्वारा संयंत्र की स्थापना करवाई गई तथा 2,259.96 हैक्टेयर में ड्रिप स्थापन का कार्य किया गया।

(2) जिले की तहसीलों मे उल्लेखित अवधि में फव्वारा एवं बूंद-बूंद सिंचाई के अन्तर्गत 8,014.76 हैक्टेयर कृषि क्षेत्र में वृद्वि हुई है। वर्तमान में राजसमन्द के 9,983 हैक्टेयर क्षेत्र में इन प्रणालियों से सिंचाई की जा रही है।

(3) उल्लेखित अवधि में वर्ष अनुसार फव्वारा व बूंद-बूंद सिंचाई पद्धतियों के तहत दिये गये अनुदान का वर्ष एवं तहसीलवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(4) जिले में नियंत्रित सिंचाई द्वारा स्वचालित उर्वरक अनुपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए फर्टिगेशन परियोजना के तहत वर्ष 2012-13 में 185 किसानों को 326.63 हैक्टेयर फसलों हेतु फर्टीगेशन किट अनुदान पर उपलब्ध कराये गये। परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से सिंचाई हेतु पानी का वितरण

49. श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) : क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण से रबी एवं खरीफ फसलों की सिंचाई के रेग्यूलेशन का गत पांच वर्षो का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

रबी एवं खरीफ फसलों की सिंचाई हेतु 2008 से 2012-13 तक का आयुक्त, क्षेत्रीय विकास, सिंचित क्षेत्र विकास, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर द्वारा अनुमोदित चक्रीय सिंचाई कार्यक्रम का पूर्ण विवरण (परिशिष्ट 'अ') पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जिला कलक्टर कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों की वरिष्ठता का निर्धारण

50. श्री पानाचन्द (बारां-अटरू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में जिला कलक्टर कार्यालयों में कार्यालय अधीक्षक व निजी सहायक/वरिष्ठ निजी सहायकों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यालय अधीक्षक एवं निजी सहायक/वरिष्ठ निजी सहायक के पद जिला संवर्ग के हैं अथवा राज्य संवर्ग के? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वीकृत कार्यालय अधीक्षक एवं निजी सहायक/वरिष्ठ निजी सहायक के पदों पर पदोन्नति जिला संवर्ग की वरिष्ठता के आधार पर होती हैं अथवा राज्य संवर्ग की वरिष्ठता के आधार पर? विभागीय पदोन्नति सेवा नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) यदि उक्त पदों को जिला स्तरीय वरिष्ठता सूची से पदोन्नति के द्वारा भरा जाता है, तो जिला स्तर पर उक्त संवर्ग के एक-एक पद ही स्वीकृत होने से क्या इन पदों पर पदस्थापित कर्मचारियों को अन्य कार्यालय या जिले में स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा भेजा जा सकता है? यदि हां, तो विभागीय स्थानान्तरण सेवा नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त पदों पर पदस्थापित कर्मचारियों को यदि अन्य जिले में स्थानान्तरण द्वारा भेजा जाता है, तो स्थानान्तरण पर पदस्थापित होने वाले जिले के कर्मचारियों की वरिष्ठता पर क्या प्रभाव पडेगा एवं क्या इससे उस जिले के कर्मचारियों के पदोन्नति लाभ प्रभावित होंगें अथवा नहीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिलाधीश कार्यालय जयपुर में 3, जिलाधीश कार्यालय अजमेर में 2 एवं इसके अतिरिक्त शेष बचे सभी जिला कार्यालयों में कार्यालय अधीक्षक का एक-एक पद है। राज्य के सभी जिला कलक्टर कार्यालयों में वरिष्ठ निजी सहायक का एक-एक पद स्वीकृत है। सभी जिला कलक्टर कार्यालयों में अतिरिक्त जिला कलक्टर के पास कुल 53 निजी सहायक के पद स्वीकृत हैं।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यालय अधीक्षक एवं निजी सहायक/वरिष्ठ निजी सहायक के पद जिला संवर्ग के हैं।

(3) उक्त स्वीकृत कार्यालय अधीक्षक एवं निजी सहायक वरिष्ठ निजी सहायक के पदों पर पदोन्नति जिला संवर्ग की वरिष्ठता के आधार पर होती है। विभागीय पदोन्नति सेवा नियमों की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(4) जी नहीं।

(5) उक्त पदों पर पदस्थापित कर्मचारियों को अन्य जिले में स्थानान्तरण किये जाने का प्रावधान नहीं है, परन्तु आवश्यकता होने पर अस्थायी रूप से अन्य जिले में पदस्थापित होने पर उसकी वरिष्ठता स्वयं के जिले में संधारित होगी, जिस जिले में अस्थायी रूप से स्थानान्तरित हुआ है, उस जिले के कर्मचारियों की वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा एवं पदोन्नति लाभ भी प्रभावित नहीं होगें।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

बासनी/कुम्हारी ग्राम पंचायत (नागौर) में विकास कार्यों हेतु स्वीकृत राशि

51. श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

विधान सभा क्षेत्र नागौर में वर्ष 2008 से जुलाई, 2013 तक बासनी व कुम्हारी पंचायतों में किन-किन मदों से कितनी-कितनी राशि विकास कार्यों हेतु स्वीकृत हुई व इस राशि में से किन-किन मोहल्लों में कार्य करवाये गये? मदवार व मोहल्लेवार कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र नागौर में वर्ष 2008 से जुलाई, 2013 तक बासनी व कुम्हारी पंचायतों में विभिन्न मदों में प्राप्त राशि का वर्षवार व योजनावार

(पंचायती राज मंत्री)

विवरण क्रमश: परिशिष्ट अ एवं ब पर संलग्न है एवं ग्राम पंचायत बासनी व कुम्हारी में वर्ष 2008 से जुलाई, 2013 तक विभिन्न मदों में परिशिष्ट-अ एवं ब के अनुसार प्राप्त राशि से मोहल्लेवार करवाये गये विकास कार्यें का विवरण क्रमश: परिशिष्ट स एवं द पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर जिले में 108 एम्बुलेंस सेवा का संचालन

52. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले में वर्तमान में 108 एम्बुलेंस सेवा संचालित है?

(2) वर्तमान में उक्त जिले में कितनी 108 एम्बुलेंस आबंटित की हुई हैं तथा उनमें से कितनी एम्बुलेंस वर्तमान में चल रही हैं एवं कितनी एम्बुलेंस जर्जर अवस्था में हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार 108 एम्बुलेंस सेवा को पूर्णतया सुचारु करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में अलवर जिले में 108 एम्बुलेंस सेवा चल रही है।

(2) वर्तमान में अलवर जिले में 31 108-एम्बुलेंस आबंटित हैं जिनमें से 19 एम्बुलेंस संचालित हैं एवं 12 एम्बुलेंस मरम्मत करवाई जा रही हैं। सूचियां क्रमश: परिशिष्ट-अ एवं ब पर संलग्न है।

अलवर जिले की कोई भी 108 एम्बुलेंस जर्जर (स्क्रेप) अवस्था में नहीं है।

(3) जी हां। राज्य सरकार 108 एम्बुलेंस सेवा को सम्पूर्ण रूप से शीघ्रातिशीघ्र संचालन करने का विचार रखती है।

परिशिष्ट-अ

List of on road Ambulances in Alwar District

S. No.	Region	District	Vehicle Number	Launch Date	Base Location
1.	JAIPUR	Alwar	RJ14PB6649	27-Feb-11	Kotkasim
2.	JAIPUR	Alwar	RJ14PB6647	27-Feb-11	Shahjahanpur
3.	JAIPUR	Alwar	RJ14PB6654	27-Feb-11	Thanagaji
4.	JAIPUR	Alwar	RJ14PB6646	27-Feb-11	Laxmangarh
5.	JAIPUR	Alwar	RJ14PB6850	11-Apr-11	Malakhera
6.	JAIPUR	Alwar	RJ14PB5116	4-Nov-10	Mundawar
7.	JAIPUR	Alwar	RJ14PB6183	4-Jan-11	Kathumar
8.	JAIPUR	Alwar	RJ14PB7281	27-Jun-11	PS Tahla
9.	JAIPUR	Alwar	RJ14PB7304	27-Jun-11	PHC Machari
10.	JAIPUR	Alwar	RJ14PB8355	12-Jan-12	Kishangarhbas CHC
11.	JAIPUR	Alwar	RJ14PB7423	3-Nov-11	Tatarpur PHC
12.	JAIPUR	Alwar	RJ14PB7410	3-Nov-11	Noganva PHC
13.	JAIPUR	Alwar	RJ14PB7199	3-Nov-11	Khedli-Mandi CHC
14.	JAIPUR	Alwar	RJ14PB7161	3-Nov-11	Umrain CHC
15.	JAIPUR	Alwar	RJ14PB7158	3-Nov-11	Govindgarh CHC
16.	JAIPUR	Alwar	RJ14PC5248	26-Aug-13	Bhiwadi
17.	JAIPUR	Alwar	RJ14PC5249	26-Aug-13	Jairoli
18.	JAIPUR	Alwar	RJ14PC5250	26-Aug-13	Akbarpur
19.	JAIPUR	Alwar	RJ14PC5251	26-Aug-13	Malviya Industrial Area, Alwar

परिशिष्ट-ब

List of Ambulances under repair in Alwar District

S. No.	Region	District	Vehicle Number	Launch Date	Base Location
1.	JAIPUR	Alwar	RJ14PB0129	29-Dec-08	PS Tijara
2.	JAIPUR	Alwar	RJ14PB0132	28-Dec-08	Kotwali Thana
3.	JAIPUR	Alwar	RJ14PB0142	29-Dec-08	Arravali Vihar Thana
4.	JAIPUR	Alwar	RJ14PB0902	31-May-09	Ramgarh PS
5.	JAIPUR	Alwar	RJ14PB0904	24-May-09	PS Rajgarh
6.	JAIPUR	Alwar	RJ14PB1030	30-May-09	Tapukra PS
7.	JAIPUR	Alwar	RJ14PB1042	26-May-09	Khairtal PS
8.	JAIPUR	Alwar	RJ14PB6828	19-Mar-11	Raini
9.	JAIPUR	Alwar	RJ14PB5128	4-Nov-10	Beror
10.	JAIPUR	Alwar	RJ14PB6181	17-Jan-11	Bansur
11.	JAIPUR	Alwar	RJ14PB7302	27-Jun-11	PS Narayanpur
12.	JAIPUR	Alwar	RJ14PB7133	3-Nov-11	Karana PHC

चूरू जिले में बीमित फसलों का प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का मुआवजा

53. श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा फसल बीमा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये ग्राम पंचायत को इकाई बनाने का नीतिगत निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो इस हेतु क्या-क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) मौसम फसल बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में रबी व खरीफ के कुल कितने बीमित क्षेत्र में चूरू जिले में फसल बीमा किया गया तथा इस हेतु कुल कितना प्रीमियम किसानों द्वारा बीमा कम्पनियों को भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(3) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में चूरू जिले में किसानों की फसल बुवाई के समय नष्ट होने से सरकार द्वारा बीमित क्षेत्र की बीजमारी की कोई रिपोर्ट प्राप्त की है? यदि हां, तो रिपोर्ट के आधार पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा शीतलहर, पाला, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की नष्ट हुई फसल का उचित मुआवजा दिये जाने की नीति बनाने की नीतिगत घोषणा की गई थी? यदि हां, तो बनाई गई नीति का प्रारूप सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) मौसम आधारित फसल बीमा योजना खरीफ 2012 में 6.82 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बीमित किया जाकर किसानों द्वारा 11.69 करोड़ रुपये एवं रबी 2012-13 में 6.31 लाख हैक्टेयर क्षेत्र बीमित किया जाकर किसानों द्वारा 12.75 करोड़ रुपये का भुगतान बीमा कम्पनियों को किया गया।

(3) जिला कलक्टर, चूरू से फसल बुवाई के समय फसल नष्ट होने की सूचना दिनांक 23-07-13 को प्राप्त हुई है। उक्त सूचना विभाग द्वारा एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड को भिजवाई गई थी। एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड ने बीजमारी क्षेत्र की सूचना को तथ्यों पर आधारित नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं माना। तत्पश्चात रिपोर्ट के आधार पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(4) ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि पूर्व से ही प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल थीं। पाला एवं शीतलहर को प्राकृतिक आपदाओं की सूची में सम्मिलित करने हेतु आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के निरन्तर प्रयासों के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा इसे प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल कर लिया गया है। इन प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य आपदा मोचन निधि [SDRF] मानदण्डों के अनुसार सहायता दी जाती है।

परिशिष्ट "अ"

मौसम आधारित फसल बीमा योजना रबी 2012-13 के सम्बन्ध में चूरू के कृषक संघ के प्रतिनिधियों एवं बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि के साथ आयोजित बैठक में लिए गए निर्णयों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 19.08.2013 को मौसम आधारित फसल बीमा योजना रबी 2012-13 के सम्बन्ध में चूरू के कृषक संघ के प्रतिनिधियों एवं बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि के साथ बैठक आयोजित की गई है। कृषक संघ के प्रतिनिधियों द्वारा बुवाई के पश्चात नष्ट हुई फसल के बीमा क्लेम से सम्बन्धित मांग के परिप्रेक्ष्य में SKYMET COMPANY द्वारा विभिन्न दिनांकों को SATELITE से प्राप्त किए गए चित्रों के आधार पर बुवाई क्षेत्रफल का आंकलन 2.34 लाख हैक्टर माने जाने का निर्णय लिया गया। इसी के अनुसार एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बीमित कृषकों को बीमा क्लेम दिनांक 31.08.2013 तक दिए जाने की सहमति दी गई। यह भी निर्णय लिया गया कि यदि बैठक में जिन तिथियों से सैटेलाइट चित्र प्रस्तुत किए गए हैं, उनके बाद की तिथियों के चित्रों में अधिक फसल दृष्टिगत होती है, तो उसे बुवाई का आधार बनाया जाएगा। कृषक का दोहरा बीमा पाए जाने की स्थिति में सम्बन्धित बीमा कम्पनी ऐसे कृषक का बीमा एक ही बैंक के लिए स्वीकार कर नियमानुसार बीमा क्लेम का निर्धारण करेंगे। दोहरे बीमे की स्थिति में एक से अधिक बार की प्रीमियम कृषकों को वापस लौटाई जाएगी। मौसम सम्बन्धी आंकड़ों में कृषकों द्वारा बताई गई कुछ विसंगति के विषय में सम्बन्धित कम्पनी NCMSL को निर्देशित किया गया कि वे विसंगतियों को दूर कर पुन: प्रमाणित डाटा बीमा कम्पनी को उपलब्ध करावे, जिससे इसके आधार पर बीमा राशि के क्लेम की गणना की जा सके।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सहाड़ा में प्रशासन-गांवों-के-संग अभियानान्तर्गत कुओं का नियमन/आबंटन

40. श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में "प्रशासन गांवों के संग" अभियान के दौरान किस-किस ग्राम पंचायत में किन-किन व्यक्तियों के कुएं का नियमन/आबंटन किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में "प्रशासन गांवों के संग" अभियान 2013 के दौरान किये गये कुआं नियमन/आबंटन की सूचना निम्नानुसार है:-

तहसील	ग्राम पंचायत	कुल संख्या
रायपुर	झडोल	02
	नाथडियास	04
	खाखरमाला	05
	पीथाका खेडा	06
	कोट	01
	मौखून्दा	02
	नान्दशा	02
	पालरा	06
	खेमाणा	06
	रायपुर	01
	बोराणा	03
	थला	02
	सगरेव	03
सहाड़ा	सरगांव	03
	टोडी	02
	भरक	01
	आमली	01
हमीरगढ़	देवली	01
	हमीरगढ़	01
कुल		**52**

(राजस्व मंत्री)

जिन व्यक्तियों के कुएं नियमन/आबंटन किये गये, उनकी सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान के दौरान ग्राम पंचायत वार कुआ नियमन हेतु किए गए भू आबंटन की सूची :-

(रकबा-हेक्टेयर में)

क्र. सं.	नाम आबंटी	नाम तहसील	नाम ग्राम	नाम ग्राम पंचायत	आ.नं.	रकबा (है.)
1	बख्ता, गोपी पिता जेता, दामा पिता भजा गुर्जर	रायपुर	डांगड़ा	झड़ोल	286	0.03
2	नाथू पिता जालू गुर्जर		डांगड़ी	झड़ोल	155	0.03
3	शिवलाल, धनराज पिता नाथू जाट		नाथड़ियास	नाथड़ियास	92	0.03
4	रामा पिता देवा भील		नाथड़ियास	नाथड़ियास	3290	0.02
5	बालू, मगना पिता कालू, श्रीराम, नानू पिता नाथू लुहार		नाथड़ियास	नाथड़ियास	302	0.02
6	देवा, नारू, भोजा पिता गोकल, नन्दलाल पिता प्रभुलाल, चांदी बेवा प्रभूलाल गुर्जर		थोरियाखेड़ा	खाखरमाला	388	0.02
7	नाथू, अम्बा, लेहरू पिता प्रताप, नेनू पिता परसा, काना पिता चोथू बलाई		आसूणा	खाखरमाला	33	0.02
8	भैरू, किशन, नारायण पिता लालू, रूपा पिता रामा गुर्जर		टूंगच	खाखरमाला	459	0.01
9	देवकिशन, मांगीलाल पिता गुलाब तेली		खाखरमाला	खाखरमाला	444	0.01

क्र. सं.	नाम आबंटी	नाम तहसील	नाम ग्राम	नाम ग्राम पंचायत	आ.नं.	रकबा (है.)
10	माधू पिता धूला, बीजू पिता भांगू रेबारी		ठीकरिया	खाखरमाला	342	0.02
11	मांगीलाल, डालचन्द पिता घीसा कुमावत		मण्डोल	पीथा का खेड़ा	1169	0.02
12	भैरूसिंह, कुन्दनसिंह, नारायण सिंह पिता पदमसिंह राजपूत		लड़की	पीथा का खेड़ा	1221	0.01
13	गोर्धनसिंह, प्रेमसिंह, बगतावरसिंह पिता गोपालसिंह राजपूत		ढिकाणी	पीथा का खेड़ा	2	0.04
14	बगतावर, मूला पिता गोपी, घीसी पत्नि बरदा बलाई		रामा	पीथा का खेड़ा	429	0.01
15	मोहनलाल पिता डालचन्द, नोरतन पिता पन्नालाल महाजन नि. रायपुर		मण्डोल	पीथा का खेड़ा	1166	0.04
16	सवाईराम पिता भज्जा, भेरा पिता भज्जा, उदा, मोती पिता लालू, घीसा जयराम पिता गंगाराम, लक्ष्मण, मिठू पिता नैना, सुखा, दूदा पिता बेणा गुर्जर		रामा	पीथा का खेड़ा	807	0.03
17	नारायण पिता हजारी कुम्हार		मेरनियाखेड़ा	कोटा	59	0.01
18	पन्नालाल पिता घीसा कुम्हार		मोखुन्दा	मोखुन्दा	863	0.01
19	नाथू पिता किशना, जगदीश मु. गंगाराम, रता पिता माना, कुशाल पिता जोधा रेगर		मोखुन्दा	मोखुन्दा	1467	0.01

क्र. सं.	नाम आबंटी	नाम तहसील	नाम ग्राम	नाम ग्राम पंचायत	आ.नं.	रकबा (है.)
20	अमरा, डालू पिता गुलाब, सुखी पुत्री जयराम, भगवान पिता मांगू, कुसुमी, सायरी पुत्री मांगू, नानू पिता तुलछा गाडरी		बाड़ियाकलां	नान्दशा	1153	0.01
21	उदा पिता रूपा बलाई		नान्दशा	नान्दशा	1767	0.01
22	सोहन, शंकर पिता गोपी, नारायण पिता मियाराम, उदा पिता नाथू, बालू पिता मियाराम, भंवर पिता मियाराम बैरवा		मोखमपुरा	थला	1800	0.01
23	भैरूलाल, गणेशलाल पिता गिरधारी बैरवा		मोखमपुरा	थला	611	0.01
24	हरदेव पिता नेनू गुर्जर		सगरेव	सगरेव	3564	0.01
25	रूपा पिता गंगाराम, नोशी बेवा धर्मा गुर्जर		सगरेव	सगरेव	2052	0.01
26	दयाराम, मियाराम, सूण्डा पिता प्रताप गुर्जर		सगरेव	सगरेव	1662	0.01
27	जवाहरमल पिता हजारी जाट		नाथड़ियास	नाथड़ियास	482	0.02
28	लेहरू पिता धूला, गोपीलाल पिता देवीलाल, सुगना पत्नि जयसिंह बागरिया		पचातरा का खेड़ा	पालरा	95	0.05
29	बालू पिता उदा तेली		पालरा	पालरा	1327	0.01
30	दिनेश पिता भीमा, सोसी बेवा भीमा बलाई		पालरा	पालरा	788	0.01

क्र. सं.	नाम आबंटी	नाम तहसील	नाम ग्राम	नाम ग्राम पंचायत	आ.नं.	रकबा (है.)
31	भैरूदास पिता मोहनदास बैरागी		पालरा	पालरा	881	0.01
32	भैरूलाल पिता सरीराम बलाई		पालरा	पालरा	562	0.01
33	डालू, रायमल पिता हजारी, सन्तोकी पत्नि चम्पा बलाई		पालरा	पालरा	1547	0.02
34	शंकरलाल पिता हीरालाल मेहता		खेमाणा	खेमाणा	100	0.02
35	सोहननाथ, धर्मानाथ, प्रेमनाथ पिता धन्नानाथ, मिठूनाथ, शंभुनाथ, रामनाथ पिता उदयनाथ, नारायणनाथ पिता केशूनाथ जोगी		खेमाणा	खेमाणा	2613	0.02
36	भैरू पिता मांगू, केशू नारायण पिता देवा, गणपत पिता भेरा गाडरी		खेमाणा	खेमाणा	1624	0.02
37	भैरू पिता मांगू, भूरा पिता दीपा, शंकरलाल, किशनलाल पिता हरलाल गाडरी		खेमाणा	खेमाणा	906	0.02
38	केशी पत्नि खेमा कुम्हार		खेमाणा	खेमाणा	1428	0.02
39	बजरंग पिता भेरा ढोली		चलेट	खेमाणा	318	0.03
40	राजू, अमरा पिता हेमा, बगतावरी बेवा हेमा भांबी		कैमुणिया	रायपुर	1858	0.05

क्र. सं.	नाम आबंटी	नाम तहसील	नाम ग्राम	नाम ग्राम पंचायत	आ.नं.	रकबा (है.)
41	दूदा पिता कोला, लादूराम पिता जसराम, लाडुराम पिता जगू, मूलाराम पिता ऊंकार, तुलछा पिता गोमा, रामा पिता भज्जा कलाल		कलालखेड़ी	बोराणा	1422	0.01
42	लाडूराम, नोलाराम, लेहरूलाल, रोशनलाल पिता जेता, रूकमण बेवा जेता कुमावत नि. रूपाकाखेड़ा		कलालखेड़ी	बोराणा	75	0.03
43	सुवालाल, लेहरूलाल पिता गिरधारी कुमावत		बोराणा	बोराणा	3632	
44	सोहनी बेवा मांगीलाल जाट	सहाड़ा	सरगांव	सरगांव	83	0.01
45	लालू पिता हरलाल जाट व.		सरगांव	सरगांव	913	0.01
46	बालू पिता रामा पूर्बिया वर्ग.		टोडी	सरगांव	3334	0.03
47	किशनलाल पिता घीसा भील		टोडी	सरगांव	174	0.01
48	नारायण पिता बालू बैरवा		सरगांव	सरगांव	817	0.02
49	देवा पिता हीरा भील		भरक	भरक	2145/811	0.01
50	रतनलाल पिता देवीलाल जाट वगैरह		आमली	आमली	1926	0.03
51	बालूलाल पिता गंगाराम जाट-राजोला	हमीरगढ़	देवली	देवली	12	0.0379
52	मिठू पिता बालू कुम्हार हमीरगढ़		हमीरगढ़	हमीरगढ़	3617	0.0252

(ओंकार सिंह)

जिला कलक्टर, भीलवाड़ा)

सोलर पम्प सैट योजना में किसानों को देय अनुदान

41. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में सोलर पम्प सेट योजना में कितना प्रतिशत अनुदान किसानों को देय है? क्या सरकार फव्वारा सिंचाई योजना की तर्ज पर उक्त योजना के नकद अनुदान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2013-14 में कितने सोलर पम्प सेट लगाने का लक्ष्य रखा गया है तथा जुलाई, 2013 तक इसके लिए कितने किसानों को स्वीकृतियां जारी की गईं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में सौर पम्प परियोजना के तहत किसानों को 86 प्रतिशत अनुदान देय है। संयंत्र की लागत, मापदण्ड अनुसार आपूर्ति व स्थापन, संयंत्र की गारन्टी व विक्रय पश्चात सेवा तथा परियोजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के मध्यनजर अनुदान का भुगतान सम्बन्धित कार्यदायी फर्म को दिये जाने का प्रावधान प्रचलित दिशानिर्देशों में किया गया है। अनुदान का नकद भुगतान किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(2) राज्य में वित्तीय वर्ष 2013-14 में 10,000 सौर पम्प संयंत्रों का लक्ष्य है। जुलाई 2013 तक इस योजना के तहत कोई स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

बारां जिले में सिंचित क्षेत्र विकास के निर्माण कार्य

42. श्रीमती निर्मला (किशनगंज) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बारां जिले में सरकार द्वारा वर्ष 2009 से जुलाई, 2013 तक कितनी-कितनी राशि के निर्माण कार्य कब-कब, किस-किस दिनांक को स्वीकृत एवं पूर्ण कराये गये? कार्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों से कौन-कौन से गांवों के कितने-कितने किसानों को लाभ प्राप्त होगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वीकृत कौन-कौन सा कार्य किस-किस स्तर पर निर्माणाधीन

(श्रीमती निर्मला)

है एवं उक्त कार्यों पर जुलाई, 2013 तक कितनी-कितनी राशि व्यय हो चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त स्वीकृत कौन-कौन से कार्य किन-किन कारणों से प्रारम्भ नहीं हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले में सिंचित क्षेत्र विकास विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2009 से जुलाई, 2013 तक सिंचाई वृत एवं भूमि विकास वृत के अन्तर्गत स्वीकृत राशि एवं निर्माण कार्यों का वर्षवार विवरण क्रमश: परिशिष्ट-1 व परिशिष्ट-1 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों से लाभान्वित होने वाले गांवों एवं किसानों का विवरण क्रमश: परिशिष्ट-2 एवं 2 'अ' पर उपलब्ध है।

(3) उक्त कार्यों की निर्माणाधीन स्टेज एवं इन पर अब तक व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-1 व 3 पर उपलब्ध है।

(4) उक्त स्वीकृत सभी कार्य प्रारम्भ हो चुके हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मुख्य मंत्री सहायता कोष से रोगियों को दी जाने वाली सहायता के मानदण्ड

43. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मुख्यमंत्री सहायता कोष एवं मुख्यमंत्री अवनिर्धनता सीमा रेखा बी.पी.एल. जीवन रक्षा कोष से रोगियों को सहायता देने के क्या नियम हैं?

(2) वर्ष 2009-10 से जुलाई, 2013 तक वर्ष एवं सम्भागवार उक्त योजनाओं में कितने रोगियों को कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई?

(3) उक्त अवधि में कितने हृदय, कैन्सर एवं गुर्दा रोगियों को कितनी राशि की सहायता दी गई?

(4) राजसमन्द जिले में उक्त अवधि में कितने रोगियों को कितनी राशि की सहायता दी गई?

उत्तर

(1) मुख्य मंत्री सहायता कोष से नान बी पी एल अल्प आय वर्ग परिवार के रोगियों को चिकित्सा सहायता देने से सम्बन्धित नियम की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

मुख्य मंत्री बी पी एल जीवन रक्षा कोष योजना राज्य में 1 जनवरी 2009 से प्रारम्भ की गई।

इस योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित श्रेणी के व्यक्ति या परिवार के सदस्य का समस्त राजकीय चिकित्सालयों के इन्डोर एवं आउटडोर में निःशुल्क उपचार किया जाता है। तथा आवश्यकता पडने पर निःशुल्क उपचार हेतु एम्स, नई दिल्ली अथवा पी जी आई, चंडीगढ़ में रेफर भी किया जाता है। योजना के अन्तर्गत नकद सहायता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। उक्त योजना के अन्तर्गत वर्तमान में बी पी एल परिवारों के अलावा जिन श्रेणियों को शामिल किया गया है, उसका विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) मुख्य मंत्री सहायता कोष से वर्ष 2009-10 से जुलाई, 2013 तक वर्ष एवं सम्भागवार रोगियों को स्वीकृत चिकित्सा सहायता की सूचना परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

मुख्य मंत्री बी पी एल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत वर्ष 2009-10 से जुलाई, 2013 तक वर्षवार एवं संभागवार रोगियों का ईलाज किया गया एवं उन पर जो राशि व्यय की गई, उसका विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(3) मुख्य मंत्री सहायता कोष से उक्त अवधि में हृदय, कैंसर एवं गुर्दा रोगियों को स्वीकृत सहायता की सूचना परिशिष्ट-य पर संलग्न है।

मुख्य मंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत 1 अप्रैल 2013 से बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं अंत्योदय परिवारों के हृदय, कैंसर एवं किडनी रोगियों को इलाज हेतु चिन्हित निजी चिकित्सालयों में इलाज करवाने पर प्रति रोगी अधिकतम 1.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता चिन्हित निजी चिकित्सालयों को उपलब्ध करवाई जायेगी। इस योजना के तहत माह जुलाई, 2013 तक 10 हृदय रोगियों एवं 1 कैंसर रोगी, कुल 11 प्रकरणों में 11.00 लाख रुपयों की सहायता दी गई।

(4) मुख्य मंत्री सहायता कोष से उक्त अवधि में राजसमन्द जिले के 48 रोगियों को रोगोपचार हेतु राशि रुपये 16.01 लाख की सहायता स्वीकृत की गई।

(प्रति, विवरण व सूचना पुस्तकालय में रखे गये)

बारां जिले में महानरेगा योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

44. श्री पानाचन्द (बारां-अटरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बारां जिले में माह दिसम्बर, 2008 से जुलाई, 2013 तक विभाग के माध्यम से महानरेगा योजना में ग्रेवल एवं अन्य सड़क, पुलिया, सी सी एवं खरंजे के कार्य कितनी-कितनी राशि के किस-किस दिनांक को कितने-कितने किलोमीटर लम्बाई के स्वीकृत हुए? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौन से कार्य किस-किस दिनांक को पूर्ण हो चुके हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौन से कार्य किस-किस स्तर पर निर्माणाधीन हैं एवं इन पर कितनी-कितनी राशि अब तक व्यय हो चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौन से कार्य अब तक किन-किन कारणों से प्रारम्भ नहीं हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले में माह दिसम्बर, 2008 से जुलाई, 2013 तक सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से महानरेगा योजना में ग्रेवल एवं अन्य सड़क के कुल 65 कार्य स्वीकृत हुये, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। सी.सी. एवं खरंजे का कोई कार्य स्वीकृत नहीं हुआ।

(2) बारां जिले में उक्त स्वीकृत कार्यों में से 1 कार्य दिनांक 5.02.2012 को पूर्ण हो चुका है, जिसका विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(3) बारां जिले में उक्त स्वीकृत कार्यों में से कुल 51 कार्य निर्माणाधीन हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(4) बारां जिले में उक्त स्वीकृत कार्यों में से कुल 13 कार्य प्रारम्भ नहीं हुए, जिनका विवरण परिशिष्ट-4 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रींगस से सीकर के मध्य एन. एच. 11 पर अण्डरपास का निर्माण

45. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रींगस से सीकर के मध्य एन. एच. 11 को चार लेन बनाने की मूल परियोजना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री अमराराम)

(2) क्या यह सही है कि पलसाना बाइपास पर पलसाना, गोवटी, खाटू व जीणमाता जाने वाली सड़क पर अण्डरपास नहीं बनाने से आम जनता को हो रही परेशानी को लेकर जनता द्वारा आन्दोलन किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्याओं का समाधान करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त रींगस से सीकर के मध्य एन.एच.-11 को चार लेन बनाने के कन्सेशन एग्रीमेन्ट की प्रति परिशिष्ट-1 एवं मूल प्रोजेक्ट की प्रति परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त-जवाब के अनुसार इस बाईपास पर पलसाना गोवटी खाटू जीणमाता जाने वाली ग्रामीण सड़क से 1.29 कि.मी. पहले एक वाहन अण्डरपास मेजर जिला सड़क-(एम.डी.आर.) पर है एवं 0.55 कि.मी. आगे ग्रामीण सड़क पर एक दूसरा अण्डरपास है (नक्शा संलग्न) एवं आई.आर.सी. एस.पी.-84-2009 के अनुसार दो अण्डरपास के बीच न्यूनतम दूरी 2 कि.मी. का प्रावधान है। साथ ही अण्डरपास के लिए आवश्यक यातायात क्षमता 5000 पीसीयू के विरुद्ध इस सड़क पर मात्र 2709 पीसीयू है।

इस सम्बन्ध में कोई भी टिप्पणी केन्द्र सरकार के स्तर पर ही किया जाना उचित होगा।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

सहाड़ा की क्षतिग्रस्त जवासिया पुलिया का निर्माण

46. श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र में जवासिया पुलिया क्षतिग्रस्त है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुलिया का निर्माण कराने का विचार रखती है?

(2) क्या सरकार सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम चैनपुरा, चतर सिंह जी का खेड़ा व जोरावरपुरा को मुख्य मंत्री महोदय द्वारा 100 से 500 तक की आबादी वाले गांवों में सड़कों के डामरीकरण बाबत की गई घोषणानुसार डामरीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र जवासिया से गाडरमाला मुख्य जिला सड़क, एम.डी.आर.-136 के कि.मी. 4 में 300 मीटर का भाग जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित एनिकट है, जो कि क्षतिग्रस्त है तथा वर्तमान में आवागमन बन्द है। क्षतिग्रस्त भाग में नवीन पुलिया का निर्माण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकतानुसार कराया जाना प्रस्तावित है।

(2) जी हां। सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम चैनपुरा (194), चतर सिंह जी का खेड़ा (111) एवं जोरावरपुरा (190) को डामर सड़क से जोड़ने का कार्य अगले चरण में राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकतानुसार कराया जाना प्रस्तावित है।

मारवाड़ जंक्शन की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

47. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार अवधिपार/पुनरुद्धार/क्षतिग्रस्त डामर सड़कों का पुनर्निर्माण/मरम्मत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन की वाड़सा से खारची फाटक (रेल्वे), पुलिस थाना मारवाड़ जंक्शन (अस्पताल रोड) खारची रेल्वे फाटक, स्टेट हाईवे 61 नम्बर पर जाड़न से जोजावर, बिठोडा कला से भगवानपुरा प्याऊ, मारवाड़ जंक्शन से टुवौड़, खारड़ी से जाड़न, राणावास स्टेशन से ठाकुरवास वाया निम्बली माण्डा सीरियारी से सोजत रोड फाटक, सोजत रोड फाटक से बंभाणा गांव, ममावास से गंजनीपुरा गांव, खिवाड़ा से पनोता रोड, खिवाड़ा से वणदार रायपुरिया, पांचेटिया से प्रतापगढ, डारालाना से केसुली, गुड़ा अखेराज से नाड़ोल, बिजोबा से खारड़ा, सावलता से देवली पाबुजी तक की सड़कें, जो क्षतिग्रस्त/अवधिपार मरम्मत किये जाने योग्य हैं, सरकार द्वारा उन पर कब तक निर्णय लिया जाकर कार्यवाही कर ली जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा अवधिपार क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण/ पुनरुद्धार/नवीनीकरण हेतु प्रति वर्ष विभिन्न योजनाओं में स्वीकृतियां जारी कर

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

कार्य सम्पादित कराये गये हैं। इस वर्ष भी गत वर्षों की भांति सरकार द्वारा वर्षाकाल पश्चात सड़कों पर साधारण मरम्मत का कार्य कराया जायेगा। इसके अलावा अत्यधिक क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण/पुनरुद्धार/नवीनीकरण का कार्य राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(2) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन की उल्लिखित 17 सड़कों में से 7 सड़कों पर सुदृढ़ीकरण/नवीनीकरण का कार्य स्वीकृत है। शेष क्षतिग्रस्त सड़कों पर सुदृढ़ीकरण/नवीनीकरण का कार्य राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। विवरण परिशिष्ट -1 पर प्रस्तुत है।

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन की प्रश्न के भाग 2 में उल्लेखित सड़कों का विवरण

क्र. सं.	सड़क का नाम	वर्गीकरण	लम्बाई (कि.मी.)	क्षतिग्रस्तता का विवरण		यदि क्षतिग्रस्त भाग स्वीकृत है तो उसका विवरण			गारण्टी अवधि की सड़कों का विवरण				वर्तमान स्थिति	विशेष विवरण
				चैनेज	लम्बाई (कि.मी.)	लम्बाई (कि.मी.)	स्वीकृत राशि (रु. लाख)	योजना	योजना	लम्बाई (कि.मी.)	गारण्टी अवधि समाप्ति की दिनांक	एजेन्सी		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	बाडसा से खारची फाटक (रेल्वे) तक की डामर सडक	अन्य जिला सड़क-44	8.00	किमी. 10/0 से 18/0	8.00	किमी. 10/0 से 13/0 (3 किमी.)	3.00	13वें वित्त आयोग	-	-	-	-	क्षतिग्रस्त	3 कि.मी. लम्बाई में कार्य प्रगतिरत, शेष 5 कि.मी. लम्बाई में नवीनीकरण कार्य वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा।
2	पुलिस थाना मारवाड़ जंक्शन (अस्पताल रोड) खारची रेल्वे फाटक तक	स्टेट हाइवे-61	1.00	किमी. 210/0 से 211/0	1.00	किमी. 207/0 से 213/0 (16 किमी.)	120.00	स्टेट हाइवे नान पेचेबल	-	-	-	-	क्षतिग्रस्त	कार्य प्रगतिरत।
3	स्टेट हाइवे 61 नम्बर पर जाडन से जोजावर तक	स्टेट हाइवे-61	57.00	किमी. 193/0 से 213/0 एवं 225/0 से 234/0	29.00	किमी. 207/0 से 213/0 (6 किमी.)	120.00	स्टेट हाइवे नान पेचेबल	एस.एम. एण्ड आर. एवं स्टेट प्लान	किमी. 213/0 से 225/0 एवं 234/0 से 250/0 (28.0 किमी.)	22.01.15 29.04.17 14.02.16	महेश कंस्ट्रक्शन सविद्रजीतसिंह राजेश भंशाली	क्षतिग्रस्त	6 कि.मी. लम्बाई में कार्य प्रगतिरत बी.ओ.टी. में प्रस्तावित, कार्य की निविदा दि. 10.09.13 को प्राप्त की जानी है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	बिठोडा कलां से भुगवानपुरा प्याऊ तक डामर रोड	ग्रामीण सड़क-221	3.00	किमी. 0/0 से 3/0	3.00	-	-	-	-	-	-	-	क्षतिग्रस्त	3 कि.मी. लम्बाई में नवीनीकरण का कार्य वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा।
5	मारवाड़ जंक्शन से दुदौड तक डामर सड़क	मुख्य जिला सड़क-91	7.00	किमी. 62/0 से 69/0	7.00	-	-	-	-	-	-	-	क्षतिग्रस्त	7 कि.मी. लम्बाई में नवीनीकरण का कार्य वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा।
6	खारडी से जाडन रोड	स्टेट हाइवे-61	7.00	किमी. 193/0 से 200/0	7.00	-	-	-	-	-	-	-	क्षतिग्रस्त	बी.ओ.टी. में प्रस्तावित, कार्य की निविदा दि. 10.09.13 को प्राप्त की जानी है।
7	राणावास स्टेशन से ठाकुरवास से निम्बली माण्डा तक	ग्रामीण सडक-341	13.00	किमी. 4/0 से 13/0	9.00	-	-	-	-	-	-	-	क्षतिग्रस्त	9 कि.मी. लम्बाई में नवीनीकरण का कार्य वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा।
8	सीरियारी से सोजत रोड फाटक तक	स्टेट हाइवे-62	24.00	किमी. 45/0 से 69/0	24.00	-	-	-	-	-	-	-	क्षतिग्रस्त	बी.ओ.टी. में प्रस्तावित, कार्य की निविदा दि. 10.09.13 को प्राप्त की जानी है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	सोजत रोड फाटक से बंमाणा गांव तक	स्टेट हाइवे-58	22.00	किमी. 97/0 से 108/0	11.00	किमी. 97/0 से 99/0 (2 किमी.)	40.00	स्टेट प्लान	-	-	-	-	क्षतिग्रस्त	2 कि.मी. लम्बाई में कार्य प्रगतिरत, शेष 9 किमी. लम्बाई नवीनीकरण का कार्य वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा।
10	मामावास से गंजनीपुरा गांव तक	मुख्य जिला सड़क-164	4.00	किमी. 17/0 से 21/0	4.00	किमी. 17/0 से 21/0 (4 किमी.)	75.00	एस.एम. एण्ड आर नान पेचेबल	-	-	-	-	क्षतिग्रस्त	कार्य प्रगतिरत।
11	खिवाडा से पनोता रोड	ग्रामीण सड़क-116	9.00	किमी. 0/0 से 9/0	9.00	-		-	-	-	-	-	क्षतिग्रस्त	9 कि.मी. लम्बाई में नवीनीकरण का कार्य वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा।
12	खिवाडा से वणदार रायपुरिया रोड	अन्य जिला सड़क-22	11.00	किमी. 13/0 से 24/0	11.00	-	-	-	-	-	-	-	क्षतिग्रस्त	11 कि.मी.लम्बाई में नवीनीकरण का कार्य वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा।
13	पांचेटिया से प्रतापगढ़ तक रोड	अन्य जिला सड़क-22	8.00	किमी. 5/0 से 13/0	8.00	किमी. 5/0 से 13/0 (8 किमी.)	80.00	13वें वित आयोग	-	-	-	-	क्षतिग्रस्त	कार्य प्रगतिरत।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	डायलाना से केसुली रोड	ग्रामीण सड़क-113	4.00	किमी. 0/0 से 4/0	4.00	-	-	-	-	-	-	-	क्षतिग्रस्त	4 कि.मी. लम्बाई में नवीनीकरण का कार्य वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा।
15	गुडा अखेराज से नाडोल रोड	ग्रामीण सड़क-18	5.00	किमी. 0/0 से 5/0	5.00	किमी. 2/0 से 5/0 (3 किमी.)	30.00	13वें वित्त आयोग	-	-	-	-	क्षतिग्रस्त	3 कि.मी. लम्बाई में कार्य प्रगतिरत, शेष 2 किमी. लम्बाई में नवीनीकरण का कार्य वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा।
16	बिजोवा से खारडा रोड	ग्रामीण सड़क-108	16.00	किमी. 0/0 से 12/0 एवं 14/0 से 16/0	14.00	-	-	-	मिसिंग लिंक	किमी. 12/0 से 14/0 (2.0 किमी.)	08.01.14	श्रीराम एण्ड कं.	क्षतिग्रस्त	12 कि.मी. लम्बाई में नवीनीकरण का कार्य वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा।
17	सांवलता से देवली पाबूजी तक	ग्रामीण सड़क-146	4.00	किमी. 0/0 से 4/0	4.00	-	-	-	-	-	-	-	क्षतिग्रस्त	4 कि.मी. लम्बाई में नवीनीकरण का कार्य वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा।

बारां जिले में सिंचाई के कार्यों पर व्यय राशि

48. श्री पानाचन्द (बारां-अटरू) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बारां जिले में माह दिसम्बर, 2008 से जुलाई, 2013 तक सिंचाई नहर, बांध, लिफ्ट, तालाब एवं अन्य सिंचाई निर्माण, मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के किस-किस कार्य के लिए कितनी-कितनी राशि किस-किस मद एवं योजना में किस-किस दिनांक को स्वीकृत हुई? कार्यवार स्वीकृत आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों पर अब तक कितनी-कितनी राशि व्यय हो चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वीकृत कार्य किस-किस स्तर पर चल रहे हैं? कार्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले में माह दिसम्बर, 2008 से माह जुलाई, 2013 तक सिंचाई नहर, बांध, लिफ्ट, तालाब एवं अन्य सिंचाई निर्माण, मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्यों की स्वीकृति दिनांक व राशि, मय मद एवं योजना सहित विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है तथा कार्यवार स्वीकृत आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न हैं।

(2) स्वीकृत कार्यों पर कार्यवार व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(3) स्वीकृत कार्यो की स्थिति का विवरण परिशिष्ट-'अ' में अंकित है।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखे गये)

बारां जिले में प्रसारण एवं वितरण निगम में स्वीकृत नवीन पद

49. श्रीमती निर्मला (किशनगंज) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बारां जिले में दिसम्बर, 2008 से जुलाई, 2013 तक प्रसारण एवं वितरण निगम में कौन-कौन से नये पद एवं कार्यालय किस-किस दिनांक को स्वीकृत किये? स्वीकृति आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यालय में किस-किस दिनांक को नये पद पर कार्य करना प्रारम्भ किया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले में माह दिसम्बर, 2008 से अब तक राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण एवं जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा स्वीकृत किये गये नये पद एवं कार्यालयों का विवरण, मय दिनांक, क्रमशः प्रपत्र 'अ' एवं प्रपत्र 'अ-1' पर उपलब्ध है।

(2) जयपुर विद्युत वितरण निगम एवं राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण द्वारा स्वीकृत उक्त कार्यालयों को प्रारम्भ करने का विवरण, मय दिनांक, प्रपत्र 'ब' एवं 'ब-1' पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

किसानों को सौर ऊर्जा आधारित पम्पों के लिए अनुदान

50. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में किसानों को सौर ऊर्जा आधारित पम्प लगाये जाने पर किसी प्रकार की कोई सब्सिडी दी जा रही है? यदि हां, तो कितनी राशि की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा किसानों को सौर ऊर्जा आधारित पम्प लगाने के लिये दी जाने वाली सब्सिडी के कोई मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा किसानों को सौर ऊर्जा आधारित पम्पों पर अब तक किस-किस जिले में कितने-कितने किसानों को कितनी-कितनी राशि की सब्सिडी दी गई? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सोलर पम्प परियोजना अन्तर्गत किसानों को आधार दर पर 86 प्रतिशत अनुदान राशि देय है।

(2) जी हां। सौर ऊर्जा आधारित पम्प लगाने के लिए कृषक चयन हेतु पात्रता-मापदण्ड निम्नानुसार हैं:-

1. कृषक के पास न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर का भू-स्वामित्व हो;
2. कृषक द्वारा सिंचाई हेतु ड्रिप संयंत्र आवश्यक रूप से काम में लिया जावे;
3. कृषक के पास जल संग्रहण ढांचा, फार्म पोण्ड, डिग्गील, जल हौज या

(ऊर्जा मंत्री)

भूमिगत जलस्रोत (अधिकतम 75 मीटर गहराई) की व्यवस्था हो।

उक्त जल संग्रहण ढांचों की न्यूनतम संग्रहण क्षमता निम्नानुसार हो:-

क्र.सं.	ढांचा	न्यूनतम क्षमता (घन मीटर में)
1	जल संग्रहण ढांचा	1000
2	डिग्गी	400
3	फार्म पोण्ड	1000
4	जल हौज (सब्जी/बगीचे हेतु)	50
5	जल हौज (संरक्षित खेती हेतु)	20

4. कृषक द्वारा उच्च उद्यानिकी तथा ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस/लो टनल्स (न्यूनतम 1000 व.मी.) ड्रिप पर सब्जियां/फूल/फलोद्यान (न्यूनतम 0.5 हैक्टेयर) लिये जा रहे हों।

(3) राज्य के 33 जिलों में अब तक 4,871 किसानों के पक्ष में रुपये 15,008.57 लाख का अनुदान जारी किया जा चुका है। जिलेवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट-1

राज्य में जिलेवार सौर पम्प पर दिये गये अनुदान विवरण

क्र. सं.	जिला	संख्या	दिया गया अनुदान (लाखों में)
1	2	3	4
1.	अजमेर	57	162.66
2.	अलवर	182	387.85
3.	बांसवाड़ा	26	44.84
4.	बारां	21	56.95
5.	बाड़मेर	41	88.31
6.	भरतपुर	10	19.95
7.	भीलवाड़ा	252	614.38
8.	बीकानेर	746	2475.30

1	2	3	4
9.	बूंदी	28	51.09
10.	चित्तौड़गढ़	85	208.65
11.	चूरू	24	42.58
12.	दौसा	74	199.08
13.	धौलपुर	11	19.38
14.	डूंगरपुर	9	15.87
15.	हनुमानगढ़	471	1626.27
16.	जयपुर	407	1043.79
17.	जैसलमेर	117	442.40
18.	जालौर	43	78.83
19.	झालावाड़	128	295.93
20.	झुंझुनूं	148	465.56
21.	जोधपुर	136	474.09
22.	करोली	29	58.00
23.	कोटा	55	172.27
24.	नागौर	63	192.54
25.	पाली	40	69.60
26.	प्रतापगढ़	40	94.06
27.	राजसमंद	63	107.92
28.	सवाई माधोपुर	132	344.78
29.	सीकर	278	781.71
30.	सिरोही	21	36.72
31.	श्रीगंगानगर	999	4036.34

1	2	3	4
32.	टोंक	94	217.67
33.	उदयपुर	41	83.18
	योग	**4871**	**15008.57**

सुरक्षा उपकरणों के अभाव में विद्युत वितरण कम्पनियों के कार्मिकों की मृत्यु

51. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विद्युत वितरण निगम द्वारा निगमकर्मी, ठेकाकर्मी, आदि कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाये जाते हैं? यदि हां, तो क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विद्युत वितरण निगम में श्रमिक सुरक्षा मानकों के अभाव के कारण कर्मचारियों व श्रमिकों की मृत्यु हुई है? यदि हां, तो जनवरी, 2009 से जुलाई, 2013 तक विद्युत हादसों में कितनी मृत्यु हुई? निगमकर्मी, ठेकाकर्मी, पब्लिक की वर्गीकृत सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त मृतकों के परिवारों को कोई आर्थिक सहायता प्रदान की गई? यदि हां, तो किस-किस को? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विद्युत वितरण निगमों द्वारा निगम कर्मियों को समय-समय पर सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराये जाते हैं, जिनका विवरण प्रपत्र-'अ' पर उपलब्ध है। विद्युत निगमों में कार्यरत ठेकेदारों के ठेकाकर्मियों को ठेकेदारों द्वारा आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराये जाते हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। क्योंकि सुरक्षा मानकों के अभाव में कोई मृत्यु नहीं हुई, बल्कि मानवीय भूलवश विद्युत हादसे होने पर नियमानुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

प्रपत्र "अ"

विद्युत वितरण निगम द्वारा निगमकर्मियों को जो सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराये जाते हैं वह निम्न प्रकार हैं :—

1. रबर के दस्तानें।
2. सेफ्टी बेल्ट।
3. अर्थिंग चैन।
4. हेलमेट।
5. रबरशीट।
6. सीढी।
7. इन्सूलेटेड शूज।
8. इन्सूलेटेड प्लायर व टेस्टर/पेचकस।
9. कृत्रिम श्वास उपकरण (एल.ए.आई.एफ. रेसीक्यूटर)
10. अर्थिंग राड।
11. टार्च (चार सैल वाली)।
12. पानों का सेट।

बारां जिले में नवीन पशु चिकित्सा केन्द्र

52. श्री प्रमोद जैन 'भाया' (अन्ता) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बारां जिले में माह दिसम्बर, 2008 से जुलाई, 2013 तक किस-किस स्थान पर नये पशु चिकित्सा केन्द्र व उप केन्द्र खोले गये? स्वीकृति आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जिले में उक्त अवधि में किस-किस पशु चिकित्सा केन्द्र व उप केन्द्र को किस-किस दिनांक को किस-किस श्रेणी में क्रमोन्नत किया गया? स्वीकृति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त नये स्वीकृत व क्रमोन्नत पशु चिकित्सा केन्द्र किस-किस दिनांक से प्रारम्भ हो चुके हैं एवं इनमें किस-किस संवर्ग के कितने-कितने पद स्वीकृत हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) बारां जिले में पूर्व से कार्यरत किस-किस पशु चिकित्सा केन्द्र में किस-किस दिनांक को कौन-कौन से नये पद स्वीकृत हुए? स्वीकृति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले में माह दिसम्बर, 2008 से जुलाई, 2013 तक खोले गए पशु चिकित्सा उप-केन्द्र के सम्बन्ध में जारी आदेश परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध हैं।

(2) बारां जिले में क्रमोन्नत पशु चिकित्सा संस्थाओं के आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध हैं।

(3) नव स्वीकृत/क्रमोन्नत पशु चिकित्सा संस्थाओं के प्रारम्भ होने की दिनांक निम्नानुसार है—

नव स्वीकृत उप-केन्द्र का नाम	प्रारम्भ होने की दिनांक
मामोनी	16.07.2012
मैठ	16.07.2012
करनाहेड़ा	11.09.2012

नये स्वीकृत उप-केन्द्र में एक प.ध.स. एवं एक जलधारी का पद स्वीकृत है।

क्रमोन्नत प. औषधालय	प्रारम्भ होने की दिनांक
सुखनेरी	14.02.2011
कस्बाथाना	08.09.2012
फुलबड़ोदा रामगढ़	03.03.2011
सोरसन एवं बमोरी कलां	01.08.2013

क्रमोन्नत प. औषधालय में एक पद प.चि. सहायक व एक पद पशुधन परिचर का स्वीकृत है

क्रमोन्नत प. चिकित्सालय	प्रारम्भ होने की दिनांक
बडा	29.03.2011
फलिया	05.12.2011
पाली	06.09.2012
मिर्जापुर	29.10.2012
आटोन	31.12.2012
शेरगड	22.01.2013

(पशुपालन मंत्री)

क्रमोन्नत प.चि. में एक पद पशु चिकित्साधिकारी, एक पद प.ध.स. व एक पद प.ध. परिचर का स्वीकृत है ।

क्रमोन्नत प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय	प्रारम्भ होने की दिनांक
मांगरोल, शाहाबाद, किशनगंज एवं अटरू	13.05.2011
नाहरगढ़, केलवाडा, सिसवाली, फतेहपुर, हरनावदा शाहजी, भंवरगढ़, समरानियां, कवाई	25.04.2013

क्रमोन्नत प्र.श्रे. प.चि. में एक पद वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी, एक पशु चिकित्सा सहायक का पद स्वीकृत हुआ है।

क्रमोन्नत बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय	प्रारम्भ होने की दिनांक
बारां	24.04.2013

(4) माह दिसम्बर, 2008 के पश्चात बारां जिले में पूर्व से कार्यरत किसी पशु चिकित्सा उप-केन्द्र पर नया पद स्वीकृत नहीं हुआ है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

देशी नस्ल के गौवंशों को लोकप्रिय बनाने हेतु कार्य-योजना

53. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में देशी नस्लों के गौ-वंश, राठी, थारपारकर, साहिवाल, कांकरेज, गीर, आदि की संख्या सम्भागवार कितनी है?

(2) विभिन्न देशी नस्लों की गायों की औसत दुग्ध उत्पादन क्षमता कितनी हैं? उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विगत 5 वर्षों में इन प्रयासों से कितना लाभ मिला?

(3) उन्नत देशी नस्लों की गायों को लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार क्या प्रयास कर रही है?

(4) क्या सरकार देशी गायों के दुग्ध के लिये पशुपालकों को, सहकारी संघों को दुग्ध आपूर्ति करने पर वर्धित मूल्य दिलाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) राज्य में उपलब्ध देशी नस्लों के गौवंश की गणना 2007 में की गई थी, जिसकी सम्भागवार गणना परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(पशुपालन मंत्री)

(2) प्रदेश में उपलब्ध देशी नस्लों की गायों की औसत दुग्ध उत्पादन क्षमता वर्ष 2011-12 के पशुधन उत्पादन सर्वेक्षण के अनुसार (वर्ष 2011-12) 3.54 किलोग्राम प्रतिदिन है।

वर्ष 2006-07 में प्रदेश में देशी नस्ल के गौवंश की प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन क्षमता 2.90 किलोग्राम थी, जो कि बढ़कर वर्ष 2011-12 में 3.54 किलोग्राम हो गयी है।

(3) उन्नत देशी नस्लों की गायों को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा निम्नांकित प्रयास किये जा रहे हैं :—

1. देशी नस्ल के उन्नत सांड के वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान ;
2. देशी नस्ल के उन्नत सांड का पशुपालकों को वितरण ;
3. बछड़ा-बछड़ी एवं दुग्ध उत्पासदन प्रतियोगिताऐं ;
4. पशुपालक सम्मान समारोह ;
5. पशुपालन गोष्ठी एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम ;
6. पशु प्रदर्शनी एवं विस्तार गतिविधियां, जैसे दूरदर्शन/आकाशवाणी वार्ता/पैम्फ्लेट वितरण आदि ;
7. दुग्ध अभिलेखन कार्यक्रम ; एवं
8. बछड़ा पालन पशुपालक के द्वार।

(4) जी नहीं।

परिशिष्ट-1

Board of Revenue Rajasthan, Ajmer
Divisionwise Number of Indigenous Cattle in Rajasthan (Breedwise) as per Live Stock Census, 2007

Division	Indigenous Cattle									
	Name of the Breed									
	Gir	Hariana	Kankrej	Malvi	Nagori	Rathi	Tharparkar	Other's graded	Non-descript	Total Indigenous Cattle
Ajmer Total	292922	18084	9527	3048	370817	12636	1252	5952	818119	1532357
Bharatpur Total	4861	48213	218	7372	5603	822	427	4142	337434	409092
Bikaner Total	1023	253973	2455	2742	177395	837573	30458	8606	415842	1730067
Jaipur Total	72138	244691	8279	4480	93222	19390	1475	55166	408696	907537
Jodhpur Total	16244	288	1136030	561	166151	20297	421207	11727	678435	2450940
Kota Total	57469	6590	1214	282554	8306	30065	0	8845	904710	1299753
Udaipur Total	61439	2625	38091	488618	15840	3274	5382	27597	2331225	2974091
State Total	**506096**	**574464**	**1195814**	**789375**	**837334**	**924057**	**460201**	**122035**	**5894461**	**11303837**

जालौर जिला परिषद में तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती

54. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला परिषद जालौर द्वारा विज्ञप्ति संख्या जिपजा/तृ.श्रे.शि.भर्ती/2012/10177 दिनांक 24 फरवरी, 2012 के तहत तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती निकाली गई थी? यदि हां, तो उक्त भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) हेतु कितने पद आरक्षित थे? उक्त भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) में सफल/चयनित अभ्यर्थियों की मेरिटवार सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त भर्ती में कतिपय अभ्यर्थियों को पिता के स्थान पर पति की आय के आधार पर जारी आय प्रमाण पत्र संलग्न करने के कारण नियुक्ति से वंचित रखा गया? यदि हां, तो ऐसे कितने अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) अभ्यर्थी हैं, जिनका मेरिट में नम्बर आने के बावजूद नियुक्ति से वंचित रखा गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि आय प्रमाण पत्र की त्रुटि के कारण नियुक्ति से वंचित रहे अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग द्वारा अपने पत्रांक एफ 915(15)क्या पंराविं/प्राशि/2012/469 दिनांक 10 जुलाई, 2012 को जारी आदेश/परिपत्र के तहत परिवेदनाएं मांगी गई? यदि हां, तो उक्त आदेश जारी होने के बाद प्राप्त परिवेदनाओं के सम्बन्ध में जिला परिषद जालौर द्वारा किन-किन महिला अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई?

(4) क्या यह सही है कि अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के उक्त भर्ती में आरक्षित समस्त पदों पर सरकार द्वारा जारी उक्त आदेश के पूर्व ही नियुक्ति दी जा चुकी थी? यदि हां, तो सरकार द्वारा जारी उक्त आदेश एवं मांगी गई परिवेदनाओं का क्या औचित्य है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि जिला परिषद जालौर द्वारा परिवेदनाएं स्वीकार कर कतिपय महिला अभ्यर्थियों को नियुक्ति के योग्य माना है? यदि हां, तो किन-किन को? नामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10 जुलाई, 2012 को उक्त भर्ती के सम्बन्ध में जारी स्पष्ट आदेश के बावजूद बार-बार मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जालौर द्वारा अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के सम्बन्ध में सरकार से मार्गदर्शन मांगा जा रहा है? यदि हां, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जालौर द्वारा कब-कब, किन-किन अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में

(डा. जसवन्त सिंह यादव)
सरकार से मार्गदर्शन मांगा गया? सरकार द्वारा क्या मार्गदर्शन प्रदान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) नियुक्ति से वंचित ऐसी महिला अभ्यर्थियों को अब सरकार कब तक नियुक्ति देने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। जिला परिषद जालौर द्वारा निकाली गई उक्त भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 91 पद आरक्षित किये गये थे। चयनित अभ्यर्थियों की सूची संलग्न है (परिशिष्ट-1)

(2) जी हां। अन्य पिछड़ा वर्ग की दो महिला अभ्यर्थियों को पिता की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण जिला स्थापना समिति, जिला परिषद जालौर के निर्णयानुसार नियुक्ति से वंचित रखा गया है। विवरण संलग्न है (परिशिष्ट-2)

(3) जी नहीं। पंचायती राज विभाग के परिपत्र दिनांक 10.7.2012 द्वारा किसी भी प्रकार की परिवेदनाएं नहीं मांगी गई थीं अपितु राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जिला परिषदों को मार्गदर्शन जारी किया गया है कि आनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10.4.2012 के बाद परन्तु दस्तावेज सत्यापन की निर्धारित तिथि तक जारी जाति प्रमाण पत्रों के आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी उक्त प्रमाण पत्रों को मान्य कर लिया जाये। इस आदेश के जारी होने के बाद ऐसी प्राप्त परिवेदनाओं के सम्बन्ध में कोई नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए (परिशिष्ट-3)।

(4) राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश पत्र दिनांक 10/7/2012 से पूर्व नियुक्तियां होने के कारण जिला परिषद जालौर में अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के दो प्रकरणों में नियुक्ति नहीं हो पाई है। इस सम्बन्ध में उचित निर्णय लिया जाकर कार्यवाही की जावेगी।

(5) जी हां। नामवार विवरण हेतु जिला परिषद जालौर की बैठक दिनांक 29/11/2012 में लिये गये निर्णय की प्रति संलग्न है। विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 2164 दिनांक 5.10.12 (प्रति संलग्न है) के क्रम में जिला परिषद जालौर की बैठक दिनांक 29.11.2012 में ऐसे प्रकरणों में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में लिये गये निर्णयों का विवरण संलग्न है (परिशिष्ट-4)।

(पंचायती राज मंत्री)

(6) राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.7.2012 के सम्बन्ध में मार्गदर्शन नहीं मांगा गया है। केवल जिला स्थापना समिति, जिला परिषद जालौर के निर्णयानुसार प्रकरण में पद उपलब्ध नही होने के सम्बन्ध में मार्गदर्शन चाहा गया है जिनकी प्रतियां संलग्न हैं (परिशिष्ट-5)।

(7) इस सम्बन्ध में नियमानुसार शीघ्र कार्यवाही की जावेगी।

(सूची, विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखे गये)

नागौर में बी.पी.एल. परिवारों को देय सुविधाएं

55. श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र नागौर के सभी गांवों में किन-किन व्यक्तियों को बी.पी.एल. के लिए घर योजना के अन्तर्गत चयन किया गया तथा उनको पहली किश्त कब दी गई व दूसरी किश्त कब दी जायेगी?

(2) विधान सभा क्षेत्र नागौर में किन-किन व्यक्तियों को पेंशन दी गई तथा किन-किन के आवेदन निरस्त किये गये? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधीन बी पी एल के लिए घर योजना नाम से कोई योजना संचालित नहीं है।

ग्रामीण बी पी एल आवासहीन परिवारों के आवास निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा इन्दिरा आवास योजना एवं राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण बी पी एल आवास योजना क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में इन आवास योजनाओं के अन्तर्गत 973 परिवारों का चयन कर आवास स्वीकृत किये गये हैं। उनको प्रथम एवं दूसरी किश्त दिये जाने का लाभार्थीवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र नागौर में वर्ष 2012-13 में पेंशन हेतु कुल 10,227 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 9,397 व्यक्तियों की पेंशन स्वीकृत की गई व 830 आवेदन निरस्त किए गए, जिनका नाम सहित विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जहाजपुर पंचायत समिति के गांवों में टी.एफ.सी./ एस.एफ.सी. योजनान्तर्गत स्वीकृत पेयजल के कार्य

56. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

दिनांक 1 अप्रैल, 2011 से जुलाई, 2013 तक भीलवाड़ा जिले की पंचायत समिति जहाजपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायतों के माध्यम से टी.एफ.सी./ एस.एफ.सी. योजना के तहत हैण्डपम्प, ट्यूबवेल, पनघट, इत्यादि की स्थापना एवं मरम्मत पर कितनी-कितनी राशि किस-किस पाइंट पर व्यय की गई? ग्रामवार व पाइंटवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

पंचायत समिति जहाजपुर क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के माध्यम से टी.एफ.सी./एस.एफ.सी. योजना के तहत हैण्डपम्प, ट्यूबवेल, पनघट, इत्यादि की स्थापना एवं मरम्मत पर पाइंटवार एवं ग्रामवार कार्यों पर व्यय की सूचना परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

उदयपुर में जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना

57. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा उदयपुर में जनजाति विश्वविद्यालय प्रारम्भ करने की घोषणा कब की गई एवं अब तक उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए क्या प्रगति हुई है तथा इस पर कितना व्यय किया गया? विश्वविद्यालय में भौतिक संरचना के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विश्वविद्यालय में अध्ययन कार्य कब तक प्रारम्भ हो जाएगा?

उत्तर

(1) माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 26.03.12 को बजट भाषण 2012-13 में बिन्दु संख्या 71 पर निम्नानुसार घोषणा की गई थी "आगामी वर्ष, उदयपुर में Rajiv Gandhi Tribal University स्थापित करने की मैं घोषणा करता हूं।" राजीव गांधी जनजाति विश्वविद्यालय, उदयपुर

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

अधिनियम, 2012 पारित किया गया। साथ ही विश्वविद्यालय हेतु शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक, कुल 70 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई। विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति की जा चुकी है। विश्वविद्यालय हेतु भूमि के चयन की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है तथा विश्वविद्यालय हेतु जुलाई 2013 तक कुल 11.85 लाख रुपये व्यय किये गये हैं।

विश्वविद्यालय में भौतिक संरचना हेतु बिन्दु संख्या 108 पर वित्तीय वर्ष 2013-14 में आर.एस.एम.एम.एल. के सहयोग से 50.00 करोड़ की लागत से ढांचागत विकास कार्य करवाये जाने तथा बिन्दु संख्या 183 पर वित्तीय वर्ष 2012-13 में घोषित सात राज्य-पोषित विश्वविद्यालयों के भवन निर्माण हेतु 100.00 करोड़ के प्रावधान में से 10.00 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं।

(2) राजीव गांधी जनजाति विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा माह जुलाई, 2014 से अध्यापन कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भावित है।

प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में वाणिज्य व्याख्याताओं के रिक्त पद

58. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश के महाविद्यालयों में वर्तमान में वाणिज्य व्याख्याताओं के किन-किन विषयों के कितने-कितने पद कहां-कहां पर स्वीकृत हैं और उनमें से कितने-कितने पद कब से रिक्त हैं? महाविद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय महाविद्यालयों में वाणिज्य संकाय में विषयों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूचना परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में शीघ्र ही राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को अभ्यर्थना भिजवायी जायेगी।

(सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

बारां जिले के राजकीय महाविद्यालयों में खोले गये नवीन संकाय

59. श्रीमती निर्मला (किशनगंज) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बारां जिले के राजकीय कालेजों में माह दिसम्बर, 2008 से जुलाई, 2013 तक कौन-कौन से नये संकाय स्वीकृत हुए? स्वीकृति आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) बारां जिले के किस-किस राजकीय कालेज में माह दिसम्बर, 2008 के बाद कौन-कौन से नये पद, किस-किस श्रेणी के, कितनी-कितनी संख्या में स्वीकृत हुए? स्वीकृत आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले के राजकीय कालेजों में माह दिसम्बर, 2008 से अब तक स्वीकृत संकायों की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) बारां जिले के राजकीय कालेजों में माह दिसम्बर, 2008 से अब तक स्वीकृत पदों की प्रतियां परिशिष्ट 'अ' व 'ब' पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रदेश में नवीन मेडिकल कालेजों की स्थापना

60. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या चिकित्सा (शिक्षा) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में 16 नये मेडिकल कालेज खोलने की घोषणा की गई है? यदि हां, तो उक्त में से कितने सरकारी एवं कितने पी पी पी मोड पर तथा कितने निजी होंगे तथा ये कहां-कहां प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सीकर जिला मुख्यालय पर सरकारी मेडिकल कालेज खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2013-14 बजट घोषणा के अनुसार राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के तत्वावधान में जयपुर में एक नये चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना तथा 300 एवं उससे अधिक शय्याओं वाले 15 जिला

(चिकित्सा (शिक्षा) मंत्री)

चिकित्सालयों-अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, बून्दी, चूरू, धौलपुर, डूंगरपुर, पाली, सीकर, चित्तौड़गढ़, भरतपुर एवं श्रीगंगानगर-में चरणबद्ध रूप से राजकीय अथवा पी.पी.पी. (Public Private Partnership) पर आधारित चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं।

अब तक राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर के तत्वावधान में एक मेडिकल कालेज तथा राजकीय क्षेत्र में श्रीगंगानगर में खोले जाने का निर्णय लिया गया है। राज्य के अन्य 14 स्थानों पर राजकीय अथवा पी.पी.पी. आधारित मेडिकल कालेज खोलने की सम्भावनाओं का अध्ययन/परीक्षण किया जा रहा है।

(2) प्रश्न के बिन्दु संख्या एक में दिये गये उत्तर के अनुसार सीकर जिला मुख्यालय पर राजकीय अथवा पी.पी.पी. आधारित मेडिकल कालेज खोलने हेतु समस्त पहलुओं पर अध्ययन/परीक्षण किया जा रहा है।

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-39 का विवरण)

परिशिष्ट-अ

कार्यालय पंचायत समिति, जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा

क्र. सं.	अधिकारी/ जनप्रतिनिधि का नाम	पद मय स्थान	दर्ज प्रकरण संख्या मय दिनांक	प्रकरण का संक्षिप्त विवरण	पुलिस थाने का नाम जहां प्रकरण दर्ज है	प्रकरण की स्थिति मुताबिक पुलिस थाना	लम्बित रहने/ अन्तिम रिपोर्ट लगने का कारण मुताबिक पुलिस थाना
1	श्रीमती ललिता देवी पत्नी प्रभुलाल मीणा	सरपंच, ग्रा.पं. लुहारीकलां	68/12, 26.04.12	मत व्यक्ति श्री सुवालाल/चन्द्रा मीणा के स्थान पर अन्य व्यक्ति श्री सुवालाल/चतरा मीणा निवासी लुहारीकलां के नाम से फर्जी दस्तावेज तैयार कर बीपीएल आवास योजना में राजकोष से 45000 रु. की राशि का आहरण कर राजकोष को नुकसान पहुंचाना।	हनुमाननगर	जांच जारी	माननीय उच्च न्यायालय के क्रमांक:SBCRLMT No. 1268/2012 Dated 17-07.12 से F.S.L. नतीजा प्राप्त होने तक गिरफ्तारी पर रोक, F.S.L. नतीजा प्राप्त होने पर आगे अनुसंधान
2	श्री हजारीलाल मीणा	ग्रामसेवक ग्रा.पं. लुहारीकलां					

क्र. सं.	अधिकारी/ जनप्रतिनिधि का नाम	पद मय स्थान	दर्ज प्रकरण संख्या मय दिनांक	प्रकरण का संक्षिप्त विवरण	पुलिस थाने का नाम जहां प्रकरण दर्ज है	प्रकरण की स्थिति मुताबिक पुलिस थाना	लम्बित रहने/ अन्तिम रिपोर्ट लगने का कारण मुताबिक पुलिस थाना
3	श्री जयसिंह पुत्र श्री सुखदेव मीणा	सरपंच, ग्रा.प. गुढा	28/2012 25.01.2012	पूरणमल मैरासी के नाम से फर्जी दस्तावेज तैयार कर BPL आवास योजना के अन्तर्गत राजकोष से 45000 रु. की राशि का आहरण कर राजकोष को नुकसान पहुंचाना।	जहाजपुर	जांच जारी	जब्तशुदा दस्तावेज की F.S.L. जांच करवाया जाना शेष
4	श्री मोहनलाल दरोगा	सरपंच ग्रा.पं. मनोहरपुरा	49/10, 28.05.2010	नरेगा कार्य में फर्जी मस्टर रोल तैयार कर फर्जी हस्ताक्षरों से मस्टर रोल की राशि आहरित कर राजकोष को हानि पहुंचाना	शक्करगढ़	25/10, 27.07.2010 अन्तिम रिपोर्ट	अदम वकवा तथ्य की भूल
5	श्री शैतानसिंह	ग्रामसेवक ग्रा.पं. मनोहरपुरा					

क्र. सं.	अधिकारी/ जनप्रतिनिधि का नाम	पद मय स्थान	दर्ज प्रकरण संख्या मय दिनांक	प्रकरण का संक्षिप्त विवरण	पुलिस थाने का नाम जहां प्रकरण दर्ज है	प्रकरण की स्थिति मुताबिक पुलिस थाना	लम्बित रहने/ अन्तिम रिपोर्ट लगने का कारण मुताबिक पुलिस थाना
6	श्री मोहनलाल दरोगा	सरपंच ग्रा.पं. मनोहरपुरा	29/13, 10.04.2013	सर्वे रिपोर्ट में जान बूझकर गलत तरीके से सर्वे कर गरीब व्यक्तियों को आवास योजना से महरूम रखना	शक्करगढ़	13/13, 29.07.2013 अन्तिम रिपोर्ट	अदम वकवा सिविल नेचर (लेनदेन)
7	श्री दिनेश जैन	ग्रामसेवक ग्रा.पं. मनोहरपुरा					

विकास अधिकारी
पंचायत समिति, जहाजपुर